(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 17वां दिवस [संख्या 12

सोमवार,

18 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, सहकारिता, खनिज, विकास, खाद्य, जन स्वास्थ्य, भू-जल मण्डल, योजना, कारागृह, वित्त, पंचायत, नगर नियोजन एवं वन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री रघुनाथ विश्नोई !

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में कृषि विकास का कार्यक्रम

245. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में कृषि विकास का बड़ा भारी स्कोप होते हुए भी पंचायत समिति को पशु प्रधान पंचायत समिति ही रखा गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत समिति का दुबारा कैटेगराइजेशन करना उचित समझती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहले पंचायत समितियों का कैटेगराइजेशन एडहॉक बेसिस पर किया गया था एवं अब पुख्ता रूप से दुबारा कैटेगराइजेशन किया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) जिला जालोर की शेष पंचायत समितियों का कैटेगराइजेशन विकास की दृष्टि से किस प्रकार किया जा रहा है ?

विकास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) पंचायत समिति, सांचोर को पशु प्रधान क्षेत्र होने से वर्गीकरण में 'ब' श्रेणी में रखा गया था। वर्गीकरण परिवर्तन के लिये अब पंचायत समितियों से नये प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर 'अ' श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु विचार किया जावेगा।

(2) जी नहीं। पंचायत समितियों का उक्त वर्गीकरण विकास खण्डों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में गठित वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर किया गया था। अन्तिम निर्णय लेकर आदेश जारी किये गये थे। परन्तु अब नये प्रस्ताव प्राप्त होने पर

Page No 2

(2)

(श्री रामनारायण चौधरी)
वर्गीकरण परिवर्तन पर विचार किया जावेगा।

(3) जालौर जिले की शेष पंचायत समितियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया हुआ है :—

पशु प्रधान क्षेत्र (श्रेणी 'ब')	कृषि एवं पशुपालन मिश्रित क्षेत्र (श्रेणी 'स')
1. सायला	1. भीनमाल
2. जालौर	2. आहोर
	3. रानीवाड़ा
	4. जसवन्तपुरा

पंचायत समितियों से कृषि प्रधान 'श्रेणी 'अ') में वर्गीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने पशु प्रधान क्षेत्र का वर्गीकरण करते वक्त क्या बेसिस रखा था ? आपने किस बेसिस पर इसका कैटेगराइजेशन किया था ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वर्गीकरण के लिए तीन ग्रुप रखे थे। उनकी तीन कैटेगरी रखी गयी थीं। 'ए'; 'बी', 'सी'। अध्यक्ष महोदय, 'ए' श्रेणी में उन पंचायत समितियों को रखा गया जिनमें एग्रीकल्चर की ज्यादा पोटेन्शियलिटी हो। 'बी' वह जिनमें एनीमल हस्बेन्डरी की ज्यादा पोटेन्शियलिटी हो। 'सी' में उनको रखा गया जिनमें एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी की, दोनों की, पोटेन्शियलिटीज में ज्यादा फर्क नहीं था, बराबर सा था। इस प्रकार श्रेणी का वर्गीकरण किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने इसमें क्या बेसिस रखा था ? किन आंकड़ों पर कम ज्यादा समझ कर किया ? क्या आंकड़ों का बेसिस था ? या क्या कोई और आधार था ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी के दोनों के आंकड़ों को आधार मानकर किया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रुपिंग किया गया था उस वक्त एडहॉक बेसिस पर किया गया था अतः अब मेरा निवेदन है कि इसका रीकैटेगराइजेशन किया जावे। क्या मन्त्री महोदय इसका रीकैटेगराइजेशन कराने का विचार रखते हैं ?

प्रश्न संख्या 246

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया !

कृषि उपज समिति, गंगापुर सिटी के चुनाव

246. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कृषि उपज समिति गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) के गत चुनाव किस तारीख को हुए थे ?

(ख) क्या उक्त समिति का कार्यभार नये सदस्यों ने सम्भाल लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(ग) इस समय किन सदस्यों द्वारा उक्त समिति का कार्य संचालन हो रहा है ? यह कहां तक न्यायसंगत है तथा नये बोर्ड के सदस्य भविष्य में कब तक कार्यभार सम्भालेंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, जिन मन्त्री महोदय को जवाब देना था वह शायद कहीं पर हैल्ड अप हो गये हैं। अच्छा हो अभी इसे थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय।

(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 247

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत !

गन्ने की खरीद

247. श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की विभिन्न शुगर मिल्स में गन्ने की खरीद दर क्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार को विदित है कि इस दर पर गन्ना देने पर किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ?

(3) किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह भी शायद उन्हीं मन्त्री महोदय का प्रश्न है इसको भी पोस्टपोन कराने की कृपा करें।

(कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला !

अध्यक्ष भूमि विकास बेंक; कोटा के विरुद्ध शिकायतें

248. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री उच्छब लाल, सदस्य, सहकारी समिति, सांगरिया ने श्री पुरुषोत्तम सोरेल, अध्यक्ष, भूमि विकास बेंक सहकारी कोटा के विरुद्ध कुछ शिकायतें लिखी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शिकायत के अनुसार सहकारी विभाग द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच पूरी हुई या नहीं ?

(3) शिकायत में क्या आरोप लगाये हैं ? तथा जांच के दौरान क्या वे सही पाये गये ?

(4) राज्य सरकार द्वारा इस पर क्या उचित कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां, उप रजिस्ट्रार; सहकारी समितियां, कोटा से जांच करायी गई।

(3) शिकायत में वर्णित आरोप की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अध्यक्ष, जिला भूमि विकास बेंक, कोटा ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अन्तर्गत निगरानी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की है। जिससे मामला सब-जुडिस है।

Page No 4

(4)

(श्री रामनारायण चौधरी)

(4) अध्यक्ष, जिला भूमि विकास बैंक, कोटा ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अन्तर्गत निगरानी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की है जिससे मामला सब-जुडिस है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि यह जांच कब प्रारम्भ हुई और कब समाप्त हुई है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उप, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा द्वारा जांच करायी गयी थी लेकिन जिनके खिलाफ जांच की गयी उसने उसके विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के सामने निगरानी के लिए प्रस्तुत की है अतः उनसे जवाब आने पर उचित निर्णय लिया जावेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जब जांच समाप्त कर दी गयी तो कई दिन तक बिना फैसला लिये उसे पड़ा रखा गया और उस जांच में जो आरोप सही पाये गये थे उनके लिये कोई एक्शन नहीं लिया गया था इससे उन्हें काफी समय मिल गया और उन्होंने रजिस्ट्रार के पास अपील दायर कर दी। इस मामले को जान-बूझ कर टालने की कोशिश की जा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब तक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के पास में जो निगरानी है उसका फैसला नहीं हो जाता है तब तक राज्य सरकार मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकती है। उन्होंने जांच करने वाले ऑफिसर के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, निगरानी के संबंध में चर्चा करके मन्त्री महोदय इस मामले को टाल रहे हैं। जब उसके खिलाफ 11 आरोप सही पाये गये हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, क्या उच्छवलाल, सदस्य, सहकारी समिति, सांगरिया ने इसके विरुद्ध ट्रेक्टर लेकर ब्लैक में बेचने की कोई शिकायत की और उसकी जांच एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में चल रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उन पर 11 आरोप लगाये गये थे और उनमें से कुछ आरोपों को सही पाया गया, यह तथ्य उनके विरुद्ध उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिये थे लेकिन उनके खिलाफ में उन्होंने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पास निगरानी की अपील कर दी। जब तक रजिस्ट्रार उस निगरानी के बारे में कोई फैसला नहीं दे देता है तब तक हम फाइनल कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। उनका निर्णय आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह एक निगरानी के निर्णय होने में कितना समय लगता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : वैसे कोई निर्धारित अवधि तो नहीं है लेकिन जल्दी से जल्दी लिया जाता है।

Page No 5

(5.)

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सामान्य तौर पर जब कि आरोप गम्भीर हैं आप कितना समय लेना उचित समझते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : न्याय की दृष्टि से जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी होनी चाहिये। फैसला जल्दी होना चाहिये। यह सिद्धान्त है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जल्दी से जल्दी सन् 76 तक हो जायेगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : जल्दी से जल्दी का मतलब 6 महीने में हो जाना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज. !

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न मेरा है।

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनका अलग से प्रश्न है उसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने जांच के बाद यह सही पाया कि उन पर आरोप सही हैं तो उनके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है ? जब उन पर एम्बेजलमेन्ट, चीटिंग और फाल्स फेब्रीकेशन आॅफ एवीडेन्स के मामले सही पाये गये तो उनका मामला राज्य सरकार पुलिस को इन्वेस्टीगेशन के लिये क्यों नहीं दे देती है ? जब फाल्स डोक्यूमेन्ट तक उनके खिलाफ पाये गये तो उनके खिलाफ पुलिस इन्क्वायरी कराने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जब आरोप सही हैं तो उनके खिलाफ में पुलिस केस क्यों नहीं बनाया जाता है ? यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है ?

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जो एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में केस चल रहा है उसके बारे में।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उन्छवलाल, सदस्य, सहकारी समिति सांगरिया ने श्री पुरुषोतम सोरल, अध्यक्ष भूमि विकास बैंक सहकारी, कोटा के विरुद्ध जो शिकायतें की थीं उसकी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने जांच की, उसने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ में प्रभावित व्यक्ति ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को निगरानी प्रस्तुत की। उसने अपील की है और जब तक दूसरे व्यक्ति को आप पूरा मौका नहीं दें तब तक हम कोई बीच में एक्शन ले लें, उचित नहीं है। जब तक रजिस्ट्रार नियमानुसार निर्णय नहीं ले लेते तब तक राज्य सरकार उस पर आगे कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अपराध के प्रश्न पर इसको आप पुलिस को क्यों नहीं देते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्रिमिनल, फौजदारी मामले हैं फिर भी आप उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपने उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों ने इसको पुलिस में देने की बात उठाई है। स्वतन्त्र दल के नेता महोदय ने भी कहा। सरकार की यह कतई मन्शा नहीं है कि जिसने भी जुर्म किया है उसको बचाया जाए लेकिन सहकारी समिति के हित में, उसके इन्ट्रेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जब तक रजिस्ट्रार का निर्णय निगरानी पर न हो जाए अग्रिम कार्यवाही करना हितकर नहीं होगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है। आपने यह माना है कि आरोप सही हैं और उसके बाद निगरानी की गई है। कानूनन खामियां यदि रह गई हैं तो ही निगरानी हो सकती है। ट्रेक्टर ही नहीं है, चेसिस ही नहीं है, बैंक को चेक दे दिया। ऐसे मामलों को पुलिस में देने में क्या ऐतराज है आपको ?

श्री रामनारायण चौधरी : डिप्टी रजिस्ट्रार ने माना है और उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, जो प्रभावित पक्ष है, उसने धारा 128 में रजिस्ट्रार के यहां पर निगरानी प्रस्तुत की और जो तथ्य उठाए हैं यदि वे साबित हो जाते हैं तो फिर इसकी जांच दूसरे प्रकार से होगी। मामला ही दूसरी प्रकार से हो जाता है इसलिए इस निगरानी का जब तक निर्णय न हो जाए माननीय सदस्य दूसरी कार्यवाही करने का प्रस्ताव न करें, यहां की बात का कॉग्नीजेन्स लेते हुए रजिस्ट्रार इस मामले में कोई न कोई जल्दी ही निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया !

कृषि उपज समिति, गंगापुर सिटी के चुनाव

246. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) कृषि उपज समिति, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) के गत चुनाव किस तारीख को हुए थे ?

(ख) क्या उक्त समिति का कार्यभार नये सदस्यों ने सम्भाल लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) इस समय किन सदस्यों द्वारा उक्त समिति का कार्य संचालन हो रहा है ? यह कहां तक न्यायसंगत है तथा नए बोर्ड के सदस्य भविष्य में कब तक कार्यभार सम्भालेंगे ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी के गत चुनाव दिनांक 23-1-73 को हुए थे।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय मण्डी समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा समिति का कार्य संचालन किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने कौन सी तारीख फरमाई ? सही तारीख अभी की ?

श्री शिवचरण माथुर : 1-3-74 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव हुए।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्वेश्चन आने के बाद और एक साल बाद कार्यभार सम्भालने का मौका दिया और पहले भी काम करते रहे तो इस तरह की व्यवस्था से आप जनतन्त्र का गला घोटना चाहते हैं। किसी प्रकार से चुने हुए आदमियों को कार्य न करने दिया जाए, इस प्रकार आप अपना अधिकार काम में लेते हैं—यह जनतन्त्र को ही खत्म करने वाला अधिकार है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है, कई कृषि उपज मण्डियों के चुनाव हुए छः महिने हो चुके हैं और गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और कहीं चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में हो तो बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साल भर तक किस प्रकार से अवहेलना करते रहे हैं ? कार्यवाही की तो क्यों पटक रखी साल भर तक ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, 31-1-73 को कृषि उपज समिति, गंगापुर सिटी के चुनाव हो चुके थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव होने बाकी थे और उनके चुनाव न होने तक नियमानुकूल समिति नहीं फंक्शन कर सकती है। उनके चुनाव 1-3-74 को हुए तो उसने फंक्शन करना शुरू कर दिया। कहां-कहां कमेटी के चुनाव रुके हुए हैं इसकी जानकारी इस समय तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य यदि उसकी सूचना देंगे तो मैं वह भी पेश कर दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ और इस कारण पदाधिकारियों के चुनाव नहीं हुए ऐसी कौनसी समितियां हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी जानकारी मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी है। सरकार की जिम्मेदारी है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए इसमें क्या औचित्य है और इसकी जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं और जिसने इसके लिये जिम्मेदारी नहीं निभाई उसके लिये आप के पास क्या जवाब है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्टीक्यूलर्ली गंगापुर सिटी के लिये ही निवेदन किया है कि 1 साल चुनाव हुए हो गये और कमेटी ने एक साल तक काम नहीं किया क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं कराये गये। आप इसके लिये क्या कदम उठा रहे हैं ? यह क्वेश्चन महत्व का है इसलिये क्या कर रहे हैं आयन्दा के लिए ? यह कोई बात नहीं हुई कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ इसलिए यह नहीं किया गया ?

प्रश्न संख्या 247

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह एक चुनाव पद्धति पर लांछन है। एक चुनाव पद्धति की

Page No 8

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अवहेलना है। चुनाव पद्धति को एक तरह से आप चैलेन्ज देते हैं। अगर मंत्री महोदय के पास उत्तर नहीं है तो सीधी साधी बात यह थी कि उनको क्षमायाचना करनी चाहिए थी। यदि पर्याप्त रूप से उत्तर है तो उत्तर दें अन्यथा हाउस से उसके लिए क्षमायाचना करें।

श्री शिवचरण माथुर : जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वह मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। यह सही है कि 23-1-73 को मेम्बर्स का चुनाव हो गया और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने तक समिति फंक्शन नहीं कर सकी। इसमें देर हुई इसके लिए मैं स्वयं जांच करूंगा और जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : चुनाव तुरन्त होने चाहिए और यदि नहीं हुए हैं तो आपकी तरफ से कोई कमी है उसके लिए आप रिग्रेट प्रकट करते, माफी मांगते किन्तु इस प्रकार लीपा-पोती करना जनतन्त्र के साथ अन्याय करना है।

श्री शिवचरण माथुर : लीपा-पोती करने का सवाल ही नहीं है। यदि कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगने में भी कोई ऐतराज नहीं है। किस लेवल पर यह गलती हुई है इसकी मैं जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप उनको यदि दंडित नहीं करेंगे तो जनतन्त्र पद्धति ही समाप्त हो जाएगी। क्या उनकी जांच करने के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

प्रश्न संख्या 249

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ : 247 का जवाब दिला दिया जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : वे क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती निर्मलाकुमारी : अध्यक्ष महोदय........

प्रश्न संख्या 250

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ !

आप (श्रीमती निर्मलाकुमारी) बाद में समय रहे तो पूछ लीजिये।

लेवी की वसूली और बाजरे का भाव

251. सर्वश्री केदारनाथ (गंगानगर), **रामकिशन** (भरतपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खरीफ की लेवी वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? उस समय बाजार में बाजरा के क्या भाव थे ?

(2) लक्ष्य के अनुसार खरीफ की कितनी वसूली किस-किस जिले में हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राज्य में खरीफ की वसूली का लक्ष्य 1.5 लाख टन निर्धारित किया गया था। उस समय बाजरे का औसतन बाजार भाव 98.89 था।

(2) सूची संलग्न है।

(3) लेवी के विरोध में कतिपय राजनैतिक दलों द्वारा अपनाए गए असहयोग-पूर्ण रवैये तथा कई जिलों में अतिवृष्टि एवं अन्य कारणों से कहीं कहीं फसल में नुकसान होने से लेवी के लक्ष्य की पूर्ति में बाधा उपस्थित हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री केदारनाथ : वसूली का जो टार्गेट तय किया था पहिले तीन लाख का किया था। उसके बाद उसको 1½ लाख का किया। आखिर क्या कारण थे इसके ? क्या पैसे की कमी थी ?

श्री शिवचरण माथुर : दरअसल भारत सरकार ने 2½ लाख टन के लिए कहा था हमने इसको स्वीकार नहीं किया था। हमारी बजट स्थिति को देखते हुए हमने 1½ लाख टन तक ही इसके लक्ष्य को ध्यान में रख कर प्रयत्न किया। उत्पादकों से लेवी लेने की बात थी। अनार्थिक जोतों को छोड़ने की बात थी। सारा जो हिसाब लगाया उसके अनुसार 1½ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार करके कहा है कि एफ. सी. आई. के केन्द्र न होने के कारण कम वसूली हुई है।

श्री शिवचरण माथुर : एफ. सी. आई. के केन्द्र न होने से होती है, दूसरी क्वालिटी के बारे में हो सकती है और तीसरा पेमेन्ट के बारे में दिक्कत हो सकती है। इन फैक्टर्स के कारण भी प्रोक्योरमेन्ट में कमी आ सकती है। 1½ लाख टन के टार्गेट के मुकाबले 46 हजार टन ही वसूल हुआ। यह वसूली एफ. सी. आई. के केन्द्र न होने के कारण से ही नहीं है। पूरा का पूरा लक्ष्य एफ. सी. आई. की गलती से पूरा न हो सका हो यह नहीं माना जा सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो दिन पहले ही आपके विभाग से ही सूचना मिली है। आप क्या करने जा रहे हैं। 10 प्रतिशत लेवी वसूल हो सकती है कलेक्टर ने भी इन्फार्मेशन भेजी। इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि आयन्दा पूर्ति के लिए अड़चन पैदा न हो।

श्री शिवचरण माथुर : लेवी के लिए केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने पहले प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : लक्ष्य ही पूरा हो गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ज्यादा लेवी देते तो आपको क्या नुकसान था। आपको तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए थी।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : जो लेवी लगाई गई और मन्त्री महोदय ने बताया कि वसूल नहीं हुई। तो जहां इस प्रकार की क्षति हुई है वहां जांच करें कि लेवी वसूली माफ कर दी गई हैं या पेण्डिग में है ?

Page No 10

(10)

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री ने लेवी के सम्बन्ध में कठिनाई महसूस की जिसके कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके । फिर जिस समय 98-100 क्विन्टल का भाव था 110 और 120 नहीं हुए थे उस वक्त नहीं लिया, क्या इसका उत्तरदायित्व खाद्य मन्त्री पर नहीं है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : इस वर्ष राजस्थान में मोटे अनाज का उत्पादन कितना हुआ ? फिर सरकारी मशीनरी इस बारे में इनएक्टिव रही जिससे प्रोक्योरमेन्ट असफल हुआ, क्या यह सही नहीं है ?

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि आज सरकार को यह लेवी का अनाज इतनी सस्ती रेट पर किसानों से वसूल करने के बाद भी 120 और 122 रुपया क्विन्टल में पड़ा है ? अनापशनाप अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती कर रखी है और उनका वेतन और टी. ए. डी. ए. अनाप-शनाप हो रहा है और इस सारे खर्चे को जोड़ने पर हिसाब लगाया तो 122 रुपया क्विन्टल पड़ा है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भाव वसूली के बाजरा के कहीं सत्तर, कहीं 72 और कहीं 65 निर्धारित किए गए हैं । क्या इन भावों पर आपका कन्ट्रोल है ? एफ. सी. आई. पर कन्ट्रोल है ? राजस्व अधिकारी किसी तरह से राजी करके किसानों को लेवी दिलाने और बाजरा तुलाने लावें और एफ. सी. आई. के लोग माल को रिजेक्ट करके तोलने से इन्कार कर दें, इस बारे में भविष्य में कठिनाई नहीं हो, यह देखते हुए क्या सरकार प्रोक्योरमेन्ट का सारा काम अपने हाथ में लेने का सोच रही है ? या आपका इतना कन्ट्रोल इन पर रहेगा कि ये लेवी लेने में क्वालिटी की दिक्कत खड़ी करके बाधा न डाल पावें ?

श्री रामकिशन : सवाल मेरा है । ये तो बीच में ही बोल गये हैं । कृपा करके आप यह जानकारी दें कि अनाज के भाव निर्धारण आप भूमि की उर्वरा शक्ति को देख कर करते हैं या क्षेत्रफल के आधार पर ।

क्या यह सही है कि कुछ राजनैतिक दलों ने आपको लेवी इकट्ठा नहीं करने दी ? वे राजनैतिक दल कौनसे हैं और इसके लिए आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अनार्थिक जोत के कारण हमने लेवी से छूट दी है और उसको एग्जेम्प्ट करके ही अपने लेवी के लक्ष्य निर्धारित किये हैं । अब लक्ष्य की पूर्ति न होने में मूल कारण यह है कि कुछ लोग, जो इस लेवी के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, ने भी समर्थन नहीं किया ।

श्री रामकिशन : किन्होंने सहयोग नहीं किया ? कौन कौन से दल हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : एक तो कांग्रेस स्वयं है । पचायत समिति ने मेरे यहां, जिसके अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, एक प्रस्ताव पास किया था कि लेवी नहीं दी जाय । जनरल मीटिंग में फैसला किया । कांग्रेस के लोगों ने अपोजीशन किया है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत अधिक बोलना हमेशा अधिक अच्छा नहीं रहता है। यह नहीं कि जरा सा किसी ने किसी बात पर कुछ कहा और जोश में आकर बोलने लग गये। घंटी बजे उसका भी खयाल नहीं रक्खें। आसन का भी ध्यान न रक्खें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कुछ ऐसे राजनैतिक दल, जिनका राष्ट्रीयकरण में और लेवी वसूली में भी विश्वास है, के लोगों ने भी जितना सहयोग अपेक्षित था नहीं दिया पाँच तारीख को बहस हुई थी उस दिन जहां तक नाम लेने का प्रश्न था मैंने नाम भी लिया था कम्यूनिस्ट मार्क्सिस्टों का। उन्होंने तो बाकायदा आन्दोलन किया था इसके विरोध में।

श्री रामकिशन : लेवी का उन्होंने विरोध नहीं किया था। कीमतों का विरोध किया था। विरोध है कीमतों का और तरीकों का।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : आपका समाजवादी पार्टी से स्थानान्तरण हो रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं मानता हूं मैंने यह स्पष्ट किया था कि प्रजातान्त्रिक दल है हमारा और इस काम के लिये जबर्दस्ती और कोअर्सन का उपयोग हम नहीं करना चाहते। समझाइश और पर्सुएशन से लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे कारण भी हैं। मैंने यह भी कहा था।

तीसरी बात यह कही गई कि लेवी वसूली का खर्चा अधिक आ जाने से प्राइस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ओपन मार्केट से अधिक हो जाती है। इसके बारे में मेरा जवाब सामने आवेगा। यह अलग से प्रश्न है। अब आंकड़े देखकर इसका उत्तर बाद में दूंगा। पर फिर भी इतना खर्चा नहीं आता है यह तो ऑफ हैण्ड कह सकता हूं।

अब लेवी वसूली अगर नहीं करते हैं तो अनाज इकट्ठा नहीं होता है। फिर वितरण की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। आज हम लेवी और प्रोक्योरमेन्ट से इतना भण्डार बनाना चाहते हैं कि हम ठीक रूप में वितरण कर सकें। इसलिये यह कहना कि लेवी का खर्चा इतना अधिक है यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

एक माननीय सदस्य : 3-4 किलो के हिसाब से ही मुकर्रर किया है।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे में 3-4 सवाल ही कर पाये हैं। अभी बहुत बाकी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह !

राज्य में खुली जेल

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झूंझुनूं) : टू फाइव टू।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में नहीं साहब हिन्दी में बोलिये।

252. श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो सौ बावन, क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में खुली जेल का परीक्षण कब से चल रहा है ?

Page No 12

12

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

(2) क्या यह सही है कि देश में राजस्थान ही ऐसा सर्व प्रथम राज्य है जिसने यह परीक्षण प्रारम्भ किया ? यदि हां, तो खुली जेल में रहने वाले बन्दियों को क्या और विशेष छूट दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि अभी कुछ दिनों पूर्व राज्य सरकार ने खुली जेल के बन्दियों को मिलने वाली विशेष छूट को बन्द किये जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) राजस्थान में खुली जेल नाम से कोई संस्था नहीं है किन्तु बन्दियों के खुले शिविर हैं जिनका प्रारम्भ वर्ष 1955-56 से किया गया है।

(2) इस प्रकार के खुले शिविर देश के अन्य राज्यों में भी हैं। राजस्थान इस दिशा में प्रयोग करने वाला प्रमुख राज्य है। खुले शिविरों में रहने वाले बन्दियों को जेल के वातावरण से मुक्त रखा जाता है। उन्हें स्वयं आजीविका अर्जन करने एवं रहने के लिये आवास की सुविधायें प्राप्त होती हैं, तथा वे अपने साथ अपने परिवार को भी रख सकते हैं।

(3) जी हां, सरकार ने दिनांक 18 मई, 1973 को राजस्थान कैदी नियम, 1951 के नियम 5 (क) तथा 19 (क) को लोपित कर नियमों में सशोधन किया है।

खुले शिविरों के प्रारम्भ में बन्दियों को नहर क्षेत्र में कार्य के लिये भेजा गया था जहां कार्य व परिस्थितियां कठोर थीं, इसलिये तथा अधिक कैदियों को आकर्षित करने के लिये राजस्थान कैदी नियम, 1951 में संशोधन कर नियम 5 (क) व 19 (क) जोड़ा गया था जिसमें खुले शिविर में एक दिन कार्य करने पर 1 दिन की छूट का प्रावधान था, तथा यह भी व्यवस्था थी कि छूट पूरे सजा की आधी से अधिक नहीं होगी।

अब शिविर सुविधापूर्ण स्थानों पर हैं, तथा इनमें उपलब्ध सुविधाओं के कारण बंदीगण अधिक संख्या में इनमें भेजे जाने को उत्सुक रहते हैं। अतः विशेष छूट दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मन्त्री जी से यह पूछा है ऐसी कौनसी परिस्थितियां हो गई कि सन् 1955 से जो ओपन एयर शिविर चल रहे थे अब उस रेमीशन को बन्द किया है, उन विशेष परिस्थितियों का जिक्र करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बहुत साफ कहा है। जिस समय योजना चालू की गई थी राजस्थान नहर और नहरों पर काम करवाने की व्यवस्था की गई थी। वह काम सख्त था और अब जो शिविर इस समय चल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, दुर्गापुरा, सांगानेर, मण्डोर, सूरतगढ़ इन शिविरों के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का हार्ड टास्क नहीं है। कैदियों को सुविधा इनके परिवार के साथ मिलती है। काम करने के बदले डेली वेजेज मिलती है। एक कैदी कारावास में बन्द है और एक कैदी ओपन एयर शिविर में रहता है। इस लिये जो कैदी शिविर में जाना पसन्द करता है उसे विशेष रियायत भी दी जाय, यह मेल नहीं खाता है। आज जो कैद में है, वह ज्यादा

(श्री रामनारायण चौधरी)
कठोर परिस्थितियों में नहीं है इसलिये सरकार ने विचार किया है और निर्णय लिया है कि यह सुविधा उपयुक्त नहीं है, अतः बन्द कर दी जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे कैदियों को इस केटेगरी में लाने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या आप भी पूछ लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी कुछ क्राइटेरिया उनके सम्बन्ध में हो जो बन्दी हैं, वह ओपन एयर में जा सकते हैं, जिनका करेक्टर अच्छा हो। वह आदमी 9 घन्टे कठोर परिश्रम करता है। इतनी सर्दी में वे ओपन एयर में पानी भरने, खुदाई का काम करने, खेत पर यह जो दुर्गापुरा, सूरतगढ़ के फार्म हैं. इनमें सारा काम वे करते हैं फिर ऐसी कौनसी परिस्थितियां हुई हैं एक तरफ तो मनोवैज्ञानिक आधार पर सुधारने की चर्चा चल रही है और उस परीक्षण का, जो सफल परीक्षण था, राजस्थान प्रान्त के देखा देखी दूसरे प्रान्तों ने भी शुरू किया, इस आगे बढ़ते हुये कदम को बन्द कर दिया ?

श्री शंकरसिंह रावत : और क्या यह राज्य सरकार के दुबारा विचाराधीन है ?

श्री मानकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, अभी एम. पी.....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा तो जवाब आने दीजिये। फिर प्रश्न करना।

श्री मानकचन्द सोगानी : मेरा प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, एम. पी. के अन्दर अभी 400 से ज्यादा संख्या में कैदियों को रखा गया है। अगर मनोवैज्ञानिक स्थितियों को ठीक करना है तो राजस्थान भी इस सुविधा को दे दे तो क्या हानि है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मनोवैज्ञानिक सुधार का जो प्रश्न है वह बन्द नहीं किया गया है। ओपन एयर शिविर आज भी चालू है। 6 केन्द्र हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, परिवर्तन यह किया गया है कि शिविरों में जाने के लिये प्रत्येक कैदी लालायित है। इसका मतलब है सेन्ट्रल जेल के बजाय ओपन एयर शिविर ज्यादा सुविधाजनक है इसलिये गवर्नमेन्ट ने यह समझा कि ऐसे शिविरों में भेजे जायं जहां सुविधा हो लेकिन जिस कैदी को डबल एडवान्टेज मिलता है उसको जेल में ओपन एयर की सुविधा नहीं मिल रही है। हर आदमी काम करता है इसलिये यह रेमीशन भी चालू है। शिविरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। पढ़ाई, लिखाई, एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी के सब काम चालू हैं। इसलिये रेमीशन का काम चालू है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी जेल के रिफार्म के लिये एक कमेटी बनी थी सम्पूर्णानन्द जी के.......

कई माननीय सदस्य (एक साथ) : सम्पूर्णानन्द जी नहीं, परिपूर्णानन्द जी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : सम्पूर्णानन्द जी के भाई परिपूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी उस कमेटी ने सारे राजस्थान का दौरा किया और

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
रिफार्म जेल में क्या होने चाहियें, इस वर्तमान स्थति में मानवीय मनोवैज्ञानिक क्रिमिनोलोजी के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वह रिपोर्ट शायद आपके कदमों पर पड़ी हुई है। उस रिपोर्ट में इसी तरह के और शिविरों की बात थी। क्या उस रिपोर्ट को नहीं माना ? इसकी प्रशंसा की गई थी लेकिन उसको लागू भी नहीं किया गया ? और जो रिफार्म माने, उसको लागू भी नहीं किया ? और अब जो कदम उठाया है वह उसके अनुरूप है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कदम पीछे नहीं हटाया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्रिमिनोलोजी का सिद्धान्त बहुत बदल गया है और राजस्थान के व्यक्ति इससे पीछे क्यों हट रहे हैं। यह सिद्धान्त है कि शिविर में जिस व्यक्ति ने आधे से अधिक समय अच्छे व्यवहार में बिताया हो और जब इस प्रकार का क्राइटेरिया बना हुआ है कि उसको अधिक सुविधा मिल जाय तो इस सिद्धान्त से हम क्यों पीछे हटते हैं ? इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है.......

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि यू. पी. के इलेक्शन में जब कांग्रेस के वर्कर्स की कमी रही, तो आप उन केम्पों में से कई व्यक्तियों को बाहर ले गये......

प्रश्न सं. 253

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्र भारतीया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु !

भूमि रजिस्ट्रेशन के मामले

254. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** : (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूमि के स्थानान्तरण के जितने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार व सबरजिस्ट्रार के कार्यालय में होते हैं उनकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदारों को देनी जरूरी है और उस आधार पर तहसीलदारों की जिम्मेदारी है कि वे उन भूमि के इन्तकाल दर्ज करवा कर पंचायतों से तस्दीक करावें।

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे रजिस्ट्रेशन जो राजस्थान के बाहर हो रहे हैं उनकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदारों को मिल रही है। मगर राजस्थान में हो रहे हैं उन रजिस्ट्रेशन की सूचना सम्बन्धित रजिस्ट्रार व सब-रजिस्ट्रार तहसीलदारों को नहीं दे रहे हैं ?

(ग) क्या सरकार ऐसे बकाया भूमि के स्थानान्तरण की सूची तैयार करवायेगी ताकि उनके इन्तकाल दर्ज होकर तस्दीक हो सके और भविष्य में ऐसे रजिस्ट्रेशन की सूचना नियमानुसार समय पर दी जाती रहे ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (क) जी हां।

(ख) सामान्यतः इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान नियमित रूप से नहीं हो रहा है।

(ग) तहसीलदारों द्वारा बकाया भूमि के हस्तान्तरण की सूचियां तैयार करने व उनके इन्तकालात दर्ज करवा कर तस्दीक करवाने के लिये तथा भविष्य में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 141 की पूर्ण पालना करने के लिये जिलाधीशों को आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जो आज तक भूमि के इन्तकाल दर्ज नहीं हुये हैं, उसके लिये क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने आज तक कायम नहीं की, कोई कार्यवाही करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि के इन्तकाल के संबंध में कई तरह के मामले हो सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न जो आपने पूछा है यह तो आपने यह पूछा है कि सब-रजिस्ट्रार ने लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 की धारा 141 के अन्तर्गत रजिस्ट्री की इत्तला तहसीलदार को देनी चाहिए। ऐसे सब-रजिस्ट्रार तहसीलदार के अलावा 9 हैं। क्योंकि हमारे पास सूचना पूरी नहीं पहुँची है इसलिए यह इन्सट्रेक्शन्स दे रहे हैं कि कानून के अन्तर्गत हर महीने के अन्त में सभी रजिस्ट्री, जिसमें ट्रान्सफर्स हुए हैं, सूचना तहसीलदार को एक प्रोफार्मा है उसके अन्दर देनी चाहिए। क्योंकि यह सूचना 9 सब-रजिस्ट्रार की नहीं आई है इसलिए एक सरक्यूलर निकाल रहे हैं ताकि इसकी पालना हो।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरा क्वेश्चन यह है कि आज तक करीब 20 साल से भूमि के इन्तकाल गंगानगर में बाकी पड़े हुए हैं और इसके कारण किसानों को बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है - उसके लिए क्या कर रहे हैं ? क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने आज दिन तक इन्तकाल दर्ज नहीं करवाया, कोई कार्यवाही करेंगे ? और साथ ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि वही सब-रजिस्ट्रार हैं तो उसी को बतौर तहसीलदार इसकी सूचना पटवारी को पेश करनी चाहिए जैसा कि मेरे प्रश्न में है। उन्होंने क्यों नहीं किया ? इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल रजिस्ट्री के संबंध में था म्यूटेशन के संबंध में नहीं। म्यूटेशन दाखिल खारिज नामान्तरकरण और इन्तकाल एक ही बात है। इन्तकाल में देरी पटवारी की स्टेज पर हो सकती है, पंचायत की स्टेज पर हो सकती है, इन्सपेक्टर सर्किल लेवल पर हो सकती है इसलिए मैं यह कह रहा था कि मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूं। एक प्रश्न आगे भी आ रहा है जो कि खास तौर से म्यूटेशन के बारे में है। आपका प्रश्न तो दूसरा था क्योंकि इन्तकाल की बात आप दो-तीन दिन से उठा रहे हैं इसलिए प्रश्न तो और है और बात और कुछ पूछ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि यह प्रश्न पूछा है अगर इसमें कहीं कानूनी कमी है और कानून में संशोधन की आवश्यकता है तो वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 255

C

Page No 16

(16)

श्री विरदा राम !

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 256

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

प्रति व्यक्ति औसत आय

257. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी आंकी गई थी और कितनी उपलब्धि का अनुमान है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जिन आधारों पर केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाती है उन आधारों पर यदि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय का हिसाब किया जावे तो यह बहुत कम आती है और केन्द्र और राज्य के बीच का अन्तर कम होता नहीं दिखाई देता ?

(3) उक्त आधारों पर भारत के अन्य राज्यों में जो आय का निर्धारण किया गया है उसमें राजस्थान का कौनसा स्थान है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण कराया था ? यदि हां, तो जिलेवार प्रति व्यक्ति औसतन आय ग्रामीण क्षेत्रों की बताने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई थी ? यदि हां, तो शेष जिलों की रिपोर्ट्स क्यों नहीं तैयार कराई गई ?

योजना मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राज्य में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति औसत आय का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चतुर्थ योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 600 रु. होने का अनुमान है।

(2) राज्य सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया है, क्योंकि राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा इस कार्य हेतु उपयोग में लाये गये समंक भिन्न हैं तथा तुलनीय नहीं हैं।

(3) राज्यवार तुलनीय प्रति व्यक्ति आय के समंक उपलब्ध नहीं हैं, अतः भारत के राज्यों में राजस्थान का कौनसा स्थान है सही रूप में आंका जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(5) मद 4 का उत्तर नकारात्मक है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आधे जवाब तो नकारात्मक हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानना चाहता था। मेरा चौथा प्रश्न है इस सम्बन्ध में कि क्या राज्य सरकार सर्वे कराने का इरादा रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य तय किया है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह अलग प्रश्न है। आपने चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो ऐसे ही जानकारी चाहता था।

श्री चन्दनमल बैद : एप्रोच पेपर यहाँ वितरित किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अन्य राज्यों की बताई है। अभी सदन में कहा है कि आंकड़े नहीं हैं दूसरे राज्यों के।

श्री चन्दनमल बैद : तुलनीय नहीं है। हमने 1971-72 के आंकड़ों के अनुसार किया है। तो जब तक समंक एक नहीं हों तो कम्पेरीजन नहीं किया जा सकता।

श्री रामकिशन : आपने यह कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आपने गरीबी की सीमा के नीचे के जो लोग आंके हैं, उनका आधार क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : एक मोटा आधार है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब है ?

श्री चन्दनमल बैद : [illegible] कभी नहीं कहा कि इतने आदमी गरीबी नीचे के स्तर के हैं लेकिन अन्दाजा लगाया है कि इतने आदमी हो सकते हैं।

श्री रामकिशन : तो अन्दाज लगाने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मोटा अन्दाज लगाया।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो सारी योजना का ढांचा ही बिगड़ जायेगा अगर माननीय मंत्री महोदय कहते हैं ऐसा है तो। अगर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण क्षेत्र में 40 प्रतिशत लोगों को गरीबी से नीचे माना है और सरकार की तरफ से जवाब दिया जाये कि मोटा अन्दाजा है तो यह भी मान सकते हैं कि 100 प्रतिशत ही लोग नीचे होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जहां हमने यह आधार माना है, वहां हमने कहीं नहीं कहा है कि हमने कोई आंकड़े इकट्ठे करके आधार माना है।

श्री रामकिशन : तो कैसे माना है ?

श्री चन्दनमल बैद : भारत सरकार ने भी कुछ ऐसे ही आंकड़े दिये हैं और सारे प्रदेशों के आंकड़ों को देखते हुए यह अन्दाज लगाया है कि हमारे यहां इतने लोग गरीबी के स्तर के नीचे हो सकते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर सवाल है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास प्रति व्यक्ति आमदनी निकालने का कोई तरीका नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का भी तरीका नहीं है और इनकम का क्या ग्रुप है उनका भी तरीका नहीं है और बजट स्टडी में इन सब बातों को देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सदन को धोखा देते हैं। .....

Page No 18

(18)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय बतायें कि आप बजट की कम्पेरेटिव स्टडी देते है और उसमें आप देते हैं कि आमदनी यह है और फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई आधार नहीं है। तो क्या यह मान कर चलें कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि के सारे आंकड़े भ्रामक हैं और गलत हैं ?

श्री चन्दनमल बंद : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जो औसत आय के आंकड़े हैं वह टोटल प्रॉडक्शन आॅफ दी स्टेट जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉडक्शन है, इण्डस्ट्रियल प्रॉडक्शन है, दूसरे जो मिनरल प्रॉडक्शन हैं इनके आधार पर निकाले जाते हैं और वह मैंने बता दिये। 1972-73 में क्या प्रॉडक्शन था और 1973-74 में क्या एक्सपेक्टेड है इन सारी बातों का टोटल देकर पॉपुलेशन से डिवाइड करके औसत आय बताई है। उसको आप यह नहीं कह सकते कि 600 रुपये जो बताया है वह औसत है। मार्च के बाद साल खत्म होगा और सारे आंकड़े बनाये जायेंगे तो जुलाई-अगस्त में जाकर विस्तृत रूप से पता लगेगा कि वह औसत आय 600 रुपये से ऊपर आती है या नीचे आती है। इसलिए आप यह कह दें कि क्योंकि मैंने 600 रुपया बता दिया इसलिए यह गलत आंकड़े दे दिये, यह सही नहीं है। भारत सरकार ने कुछ असैसमेन्ट इसी तरह से किया है कि सारे कन्ट्री की इतनी पापुलेशन बिलो पावर्टी लाइन है। हमने भी उसी के आधार पर अपनी स्टेट के आंकड़े निकाले कि हमारी स्टेट में हमारे अन्दाज से इतने लोग पावर्टी लाइन के नीचे होने चाहिएं। ऐसा अन्दाजा निकाला। ... ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री चन्दनमल बंद : हो सकता है, सम्भव है उससे थोड़ा नीचे हो या ऊंचा हो।

श्री केदारनाथ : सवाल यह है कि प्लानिंग कमीशन ने आपको प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए और इसको स्टडी करने के लिए गाइड लाइन दी है, क्या यह सही है ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने आंकड़े दिये हैं वह सेम्पल सर्वे के आधार पर दिये हैं और आपने जो दिये हैं वे बिना किसी बेसिस के दिये हैं ? 40 प्रतिशत का जो आंकड़ा आपने दिया है वे विदाउट असर्टेन किये दिया है और भारत सरकार ने दिया है वह सेम्पल सर्वे के आधार पर दिया है—क्या यह सही है ?

श्री चन्दनमल बंद : भारत सरकार ने भी यह अन्दाजा ही लगाया है·······

कई माननीय सदस्य : नहीं······ नहीं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बंद : सेम्पल सर्वे का आधार क्या है, यह भी अन्दाज ही है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

सेम्पल सर्वे का आधार भी अन्दाज ही है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

Page No 19

(19)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थगित प्रश्न। श्री गुरदयालसिंह !

श्री मोठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। आपने नाम पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष : पीछे ले लेंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-74)

पंचायत समिति सूरतगढ़ द्वारा खाद एवं बीज का वितरण

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति, सूरतगढ़, जिला गंगानगर द्वारा वर्ष 1965-66 में बीज और खाद किसानों को उधार खाते दिया गया ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे और बतलाया जावे कि उनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कलेक्टर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ में यह आपत्ति पेश की कि उन्होंने बीज या खाद कभी नहीं लिया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आपत्तियों पर कलेक्टर, श्रीगंगानगर आदि ने कोई कार्यवाही नहीं की और उन किसानों से जबर्दस्ती वसूली की गई ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामलों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से 2 व्यक्तियों ने जिलाधीश गंगानगर, एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ को यह आपत्ति की है कि उन्होंने कोई खाद या बीज उधार पर नहीं लिया है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त दोनों आपत्तियों पर जिलाधीश ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ को जांच हेतु लिखा है। उन किसानों से अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है।

(3) जांच जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा यह निवेदन करना है कि यह जो बीज या खाद दिया गया है, 65-66 में, जब अकाल का समय था। उन गांवों में जहां पहले से ही अकाल था वहां पर बीज देने को क्या जरूरत थी ?

(विराम)

मेरा यह निवेदन करना है कि यह जो सूची मांगी गई वह दे दी है, इसमें बतलाया गया है कि यह जो बीज का वितरण किया गया है ऐसे क्षेत्र में किया गया है जैसे भादरा भढोपर आदि ऐसे गांवों में जहां बरानी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई और अकाल का समय था तो वहां बीज देने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री शिवचरण माथुर : यह बिल्कुल अलग से प्रश्न है। पंचायत समिति, सूरतगढ़ के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी और वह मैंने आपको दे दी है। अब यह बताना कि किन किन गांवों में अकाल था और वहां क्यों दिया गया तो इसको अलग से देख लेंगे।

श्री रामकिशन : इसमें आप ...

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह !

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा यह निवेदन करना है कि वहां पर बीज नहीं दिया गया है और यह गलत लिखा है। इसकी जांच नहीं की गई। वहां के लोगों ने कहा कि हमें बीज नहीं मिला। यह मेरा प्रश्न साफ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि बीज या खाद कभी नहीं लिया। और फिर उसके परिणाम क्या हुए हैं जबर्दस्ती वसूली हो गई। अगर नहीं लिया तो फिर जबर्दस्ती वसूली कैसे हो गई ? ...

श्री शिवचरण माथुर : माननीय नेता महोदय ने ......

श्री लक्ष्मणसिंह : आप इसका उत्तर दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने अपने उत्तर में साफ कहा है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें कहा गया है कि उन्होंने बीज उधार नहीं लिया और उसकी जांच की गई। यह मैंने उत्तर में निवेदन किया है, इसको इन्कार कहां किया है ? मैंने निवेदन किया है कि कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं। इसके लिए विकास अधिकारी से जांच कराई जा रही है और वसूली स्थगित कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री निरंजननाथ आचार्य।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-74)

भूमि का बेचान

29. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव मावली के पास मावली उदयपुर रोड पर स्थित आराजी नम्बर 637 को किसी व्यक्ति ने श्री मुरारीलाल नामक व्यक्ति को बेच कर रजिस्ट्री करा दी है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने कब बेची ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की कार्यवाही तहसील मावली में चल रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या ....

श्री अध्यक्ष : पैदा नहीं होता, फिर क्या रह गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं पैदा कर रहा हूं। क्या यह सही है कि इस मुरारीलाल नामक व्यक्ति को कोई जमीन दी गई या नाजायज जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया जिसका रेगुलराइजेशन बाद में किया गया है ? और क्या यह सही है कि नाथूलाल नामक एक व्यक्ति के कब्जे में दो बीघा जमीन है और श्री नाथूलाल नामक व्यक्ति ने ही श्री मुरारीलाल को एक सेल डीड लिखकर और खासी रकम सेलडीड के तहत लेकर यह जमीन श्री मुरारीलाल का दी है ? क्या यह भी सही है कि वह जमीन जो दी गई है और जो नाथूलाल के सेलडीड के आधार पर जमीन ट्रांसफर की गई वह जमीन नाथूलाल की न होकर दूसरी जमीन दे दी गई मुरारीलाल को जिसको बाद में रेगुलराइज किया एस.डी.ओ. न ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह सही है कि मुरारीलाल को भूमि नाथूलाल ने वेची है। यह भी बात सही है कि नाथूलाल को जमीन शंकरलाल ने बेची है और यह भी बात सही है कि नाथूलाल को भूतपूर्व राज्य के वक्त यह जमीन बेची गई थी। भूतपूर्व स्टेट के समय बीस-पच्चीस साल पहले उसने नाथूलाल को वह जमीन बेची। उसमें से नाथूलाल ने 330 वर्ग गज जमीन मुरारीलाल को बेची और मुरारीलाल ने जो कंस्ट्रेक्शन किया है वह गवर्नमेन्ट की सिवाय चक भूमि पर किया है जो कि बेची गई भूमि के पास में है लेकिन उस भूमि का भाग नहीं है। गवर्नमेन्ट सिवाय चक भूमि के अतिक्रमण की बात पटवारी के ध्यान में आई तो उसने तहसीलदार को रिपोर्ट की। पिछले दो साल में कार्यवाही होने के बाद जो मुरारीलाल ने उस पर पिछले सात-आठ या दस साल पहले मकान बना लिया था उसको रेगुलराइज कर दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रेगुलराइजेशन किस नोटीफिकेशन के आधार पर किया गया ? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। दूसरा नाथूलाल ने जो सेलडीड किया वह सिवाय चक का किया या अपनी जमीन का। अगर नाथूलाल ने सेलडीड सिवाय चक भूमि का किया है तो इस पर आपने क्या एक्शन लिया ? सिवाय चक की जमीन नाथूलाल ने बेच दी और वहां पर तहसीलदार रहता है, पटवारी रहता है और एस. डी. ओ. भी वहां पर रहता है इसके उपरान्त उसने सिवाय चक जमीन को बेच दिया अन्य आदमी को तो यह चीटिंग का सारा प्रश्न है इस पर क्या आप जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : नाथूलाल ने भूमि का बेचान खसरा नम्बर 737/4 में किया था और यह जो कंस्ट्रेक्शन हुआ है, सोरी, 637/4 में बेचान किया और 636 मिन में कंस्ट्रेक्शन हुआ है जो सरकारी भूमि थी। यह प्रश्न दोनों के बीच में रहता है कि उसने कौनसी जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद पैसा लिया, जिसकी रजिस्ट्री हुई। यह दोनों के बीच सिविल नेचर का मामला है। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है कि इसको रेगुलराइज करना चाहिए था या नहीं, राज्य सरकार के सामने इस प्रकार के जो मामले थे जिसमें कानूनन दिक्कतें आती हैं कि कहीं पर बाड़े बना लिए, कहीं लाड़े बना लिए हैं, कहीं पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं, ऐसे मामलों को रेगुलराइज करने के लिए राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार के आदेश जुलाई 3, 1971 को प्रसारित किए थे और उन्हीं आदेशों के तहत इसका रेगुलराइजेशन किया है आप जो परिपत्र की प्रति चाहते हैं तो वह प्रति मैं सदन की मेज पर रख दूंगा, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

जहां तक रेगुलराइजेशन का प्रश्न है, इसमें एक स्थिति और है कि जहां की जमीन आबादी में कन्वर्ट हो गई और बाद में गवर्नमेन्ट की सिवाय चक भूमि के आबादी में कनवर्ट होने के बाद में ही रेगुलराइजेशन हुआ है। यह प्रश्न उदयपुर, कलेक्टर के पास जांच में है। जहां तक चीटिंग का प्रश्न है कि इसमें चीटिंग है या नहीं, यह दोनों पार्टीज के बीच सिविल नेचर का मामला है। इस प्रश्न को फिर भी एग्जामिन कर लेंगे कि जो रेगुलराइजेशन हुआ है उसमें क्या चीटिंग का केस बनता है। केस बनता है तो इन्टर-सी पार्टीज के बीच में ही है या गवर्नमेन्ट भी कहीं पिक्चर में आती है। गवर्नमेन्ट कहीं पिक्चर में आती होगी तो इस मामले को कानूनी तौर पर लीगली एग्जामिन कर लेंगे कि इस तरह का मामला बनता है क्या ?

श्री रामकिशन : एक सवाल……

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल सिर्फ……

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल ले लिया है, अब नहीं।

हड्डियों के ठेके

259. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय ले रखा है कि पंचायत समितियों के प्रति वर्ष होने वाले हड्डियों के ठेके हड्डी सहकारी समितियों को गत तीन साल की औसत नीलामी आय के आधार पर दे दिये जावें ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कितनी सहकारी समितियों को इस प्रकार ठेके प्राप्त हैं ?

(3) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार ठेके दिलवाने हेतु सरकार कानून में विशेष प्रावधान रखेगी ?

विकास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हां।

(2) अब तक 17 जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी सहकारी समिति से हड्डियों के ठेके देने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होना नहीं बताया गया है। बाकी जिलाधीशों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) किसी भी सहकारी समिति को हड्डियों का ठेका आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बावजूद न दिये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसको देखते हुए ठेके दिलवाने हेतु कानून में प्रावधान किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मन्त्री महोदय कहते हैं कि नहीं देने की कोई शिकायत नहीं है। सवाई माधोपुर में एक सहकारिता समिति को 6-4-71 को ठेका दिया गया। उसकी किश्त जमा हो गयी। उसके बाद में उसके ठेके को कैंसिल करके उसको नीलाम कर दिया गया। इस ढंग की शिकायत है। आपका यह निर्णय है कि गत तीन साल की औसत आय पर सहकारी समितियों को ठेका दिया जायेगा क्या इस ढंग के आदेश देंगे कि कोई भी सोसायटी का आवेदन आवे तो उसे तीन साल की औसत आय पर ठेका दे दिया जाये ? क्या आप जिलाधीशों को इस ढंग का आदेश देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आदेश सभी जिलाधीशों को 9-8-68 को जारी कर दिये गये हैं। विकास अधिकारियों को भी लिखा हुआ है। आप जो बात बता रहे हैं वह इसके अन्दर नहीं आयी है। सहकारी समितियों को स्वीकार नहीं किया गया। वह पंचायत समिति को प्रार्थना पत्र दे। तीन साल के औसत पर उसको ठेका दिया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि वह सहकारी समिति उस क्षेत्र की हो या उसके आस पास को हो तो ऐसी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। आपके जिलाधीश ने यह सूचना दी है कि इस प्रकार की कोई सहकारी समिति इस ठेके के लिए नहीं आयी है। लेकिन आपने यहां पर स्पष्ट इन्स्टान्स दिया है। आप लिख कर देंगे तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा और नियमों के तहत इस सहकारी समिति की मदद कराने की कोशिश करूंगा।

श्री मीठालाल : आप जिलाधीशों को आदेश दें, कानून बना रखा है उसके बावजूद ठेका नहीं दिया जाता है। यह शिड्यूल्ड कास्ट का मामला है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस ढंग के स्पष्ट आदेश जिलाधीशों को दिये जाएं कि आवेदन-पत्र आते ही तीन साल की आय के औसत से ठेका दे दिया जाए। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि यह स्पष्ट आदेश जिलाधीशों को और दे दिये जाएं।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आदेश हैं परन्तु फिर भी इस दिशा में कदम नहीं उठाये जाते हैं। अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियां हैं, जिला स्तर, ब्लाक स्तर पर उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाती है इसलिए जिलाधीश को इसकी अनुपालना करने की राज्य सरकार की ओर से हिदायत दी जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार ने 9-8-68 को इस प्रकार के आदेश जारी कर रखे हैं। फिर भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये जिलाधीशों के ध्यान में पूर्व में प्रसारित आदेश के संदर्भ में कार्य करते रहने के लिए परिपत्र जारी कर दिया जायेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गन्ने की खरीद

247 श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की विभिन्न शुगर मिल्स में गन्ने की खरीद दर क्या है ?

Page No 24

24

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

(2) क्या राज्य सरकार को विदित है कि इस दर पर गन्ना देने पर किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है?

(3) किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य की तीनों चीनी कारखानों की गन्ने की क्रय दर की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) गन्ने की न्यूनतम दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा फैक्ट्री द्वारा उक्त दर से अधिक कीमत पर गन्ना खरीदा गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

ग्राम सारथल का नल योजना

249. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम सारथल, तहसील छीपाबड़ोद, जिला कोटा की जनता द्वारा ग्राम में नल योजना स्वीकृत किये जाने हेतु वांछित धनराशि अगस्त, 1973 में जमा कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो इस ग्राम की नल योजना को कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। योजना अभी बनकर मुख्य अभियन्ता, के पास नहीं पहुँची है। उसके बाद तकनीकी जांच के बाद धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

अकाल के संबंध में निकाले गये आदेश

250. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अकाल के कारण सं. 2022 के बाद वसूली के बारे में कोई आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) इसके अन्तर्गत किस किस जिले में रेवेन्यू रेन्ट माफ कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सम्वत् 2022 के बाद वसूली के बारे में राज्य सरकार ने जो आदेश प्रसारित किये, उनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जिले जिनमें रेवेन्यू रेट माफ कर दिया गया है व माफ नहीं किया गया कारण सहित उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान भू-जल मंडल

253. श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) : क्या राज्य भू-जल मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान भू-जल मंडल, 1962 से आज तक घाटे में चल रहा है या लाभ में ?

Page No 25

(25)

(श्री राजेन्द्र भारतीय)

(2) अगर घाटे में चल रहा है तो क्यों ? और घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राजस्थान भू-जल मंडल द्वारा 1962 से आज तक कितने ट्यूब वैल्स खुदवाये गये और उनमें से अब कितने चालू हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भू-जल विभाग के घाटे में चलने के निम्न कारण हैं:—

(1) कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि।

(2) भंडार उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि।

(3) ब्याज में वृद्धि।

(4) स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धि।

(5) काम नहीं मिलने के कारण मशीनों का बेकार पड़ा रहना।

(6) किये गये कार्य की धनराशि प्राप्त न होने से बकाया पर ब्याज।

घाटे को कम करने के लिये जनलेखा समिति की सिफारिश पर विभाग का पुर्नगठन किया गया है। मशीनों के अधिकतम उपयोग के लिये जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के लिये नलकूप बनाने, कलस्टर नलकूप योजनान्तर्गत नलकूप बनाने का कार्य हाथ में लिया गया है। कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजना में भी लो ड्यूटी, मिडियम ड्यूटी, नलकूप बनाने का कार्यक्रम लिया गया है। साथ ही एक हाई पावर कमेटी का गठन भी 1973-74 में किया गया है। जो अन्य विषयों के साथ हानियों के कारण व उनके निवारण पर अपना प्रतिवेदन देगी।

(3) भू-जल विभाग द्वारा सन 1962 से जनवरी, 1974 तक 2797 नलकूप लगाये गये इन नलकूपों में से 70 नलकूप इस विभाग के पास हैं इसके अतिरिक्त भारत सरकार के ई. टी. ग्रा. द्वारा निर्मित 35 नलकूप इस विभाग के पास में है। उपरोक्त 105 नलकूपों में से 84 नलकूप राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत सिंचाई एवं पेयजल के उपयोग में लाए जाते हैं शेष 21 नलकूप मांग करने पर अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिये चलाए जाते हैं।

जालोर जिले में यूरिया खाद का वितरण

255. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में कृषकों को यूरिया खाद समय पर नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने जा रही है कि जिससे कृषकों को कोई असुविधा न हो ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालोर जिले में कृषकों को अच्छी किस्म का बीज भी समय पर नहीं मिलता है ? यदि हां,

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)
तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने जा रही है कि जिससे कृषकों को उचित मूल्य पर अच्छा बीज समय पर मिल सके ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार समुचित व्यवस्था के लिए प्रयास कर रही है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा समय पर उपलब्धि के अनुसार बीजों के वितरण की व्यवस्था है।

अभिस्टेन्ट जेलर के विरुद्ध कार्यवाही

256. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू में असिस्टेन्ट जेलर के मकान में घरेलू काम करता हुआ एक कैदी सन् 1972 में भाग कर चला गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त असिस्टेन्ट जेलर के विरुद्ध उक्त कैदी के भागने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सहायक जेलर के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

उदयपुर जिले में भूमि का आवंटन

258. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) उदयपुर जिले में भूमि आवन्टन समितियों द्वारा सन् 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 तक किन किन राज्य कर्मचारियों, व्यापारियों और नेताओं को भूमि आवंटित की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आवंटन समितियों द्वारा कुछ भूमि के आवटनों को भूमिहीन किसानों के हित में निरस्त करने की सिफारिश भी जिलाधीश उदयपुर को की थी ? यदि हां, तो किन किन तहसीलों की भूमि आवंटन समिति ने ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता क्षेत्र में सलाहकार मंडल

197. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य स्तर पर सहकारिता के क्षेत्र में सलाह देने हेतु गठित सलाहकार मंडल की गत वर्ष कितनी बैठकें कब कब हुई और उनके क्या निर्णय हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) निर्णयों की क्रियान्वित कहां तक हुई ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये ?

(सहकारिता मंत्री)

उत्तर

(1) सहकारिता के क्षेत्र में सलाह हेतु राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. सं. 5 (26) व्यय एवं प./71, दिनांक 30 जुलाई, 1971 के द्वारा राजस्थान राज्य सहकारिता परामर्शदात्री परिषद का गठन किया था। इनको आदेश क्रमांक प. स. 5 (26) व्यय. एवं प./71, दिनांक 6-12-72 द्वारा भंग किया जा चुका है। इस अवधि के मध्य बैठकों एवं निर्णय की जानकारी के सम्बन्ध में उक्त समिति के 6-12-72 को भंग होने के कारण गत वर्ष में बैठक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) गत वर्ष में समिति के भंग होने से निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला जालौर की सहकारी समितियां

198. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालोर में कितनी सहकारी समितियों को वायबल इकाई सरकारी नीति के अनुसार बना दिया गया है एवं शेष सहकारी समितियों को पंचायत इकाई के समानान्तर सहकारी इकाई कब तक बना दिया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिला जालोर में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं ? इनमें से कितनी कब से डिफेक्ट पड़ी हैं एवं कितनी कार्य कर रही है ? कितनी सहकारी समितियों में घाटा है एवं कितनी मुनाफे में चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जिले की कितनी सहकारी समितियों के निर्धारित समय में चुनाव सम्पन्न अब तक करवा दिए गए हैं ? कितनी सहकारी समितियां के चुनाव कराने शेष हैं एवं उनके चुनाव कब तक करवा दिए जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। सहकारी समितियों के समय पर चुनाव न कराने के क्या क्या कारण थे ?

(4) जिले की कितनी सहकारी समितियों में प्रशासक कार्य कर रहे हैं ? उनके नियमानुसार चुनाव कब तक करवा कर समितियों की प्रबन्ध समितियां गठित कर दी जावेंगी।

(5) जिले में कृषि सहकारी समितियां कुल कितनी हैं ? इनमें से कितनी कार्य कर रही हैं ? कितनी लिक्विडेशन में कब से पड़ी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। बोगस कृषि सहकारी समितियों को कब तक खत्म कर दिया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) जिले में क्रय-विक्रय समितियों की वित्तीय स्थिति कैसी है ? आर्थिक संकट-ग्रस्त क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में क्या कार्यवाही की जा रही है ? तथा सांचोर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आर्थिक हालत ठीक करवा कर समिति की सुदृढ़ स्थिति कब तक बनादी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(7) जिला जालोर में सहकारी आन्दोलन को गति देने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं ? भविष्य में क्या कदम उठाये जावेंगे ?

(8) पिछले तीन सालों में केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर एवं भूमि विकास बैंक जालोर द्वारा कितना ऋण सालवार किस किस पंचायत समिति में कितना कितना कब कब बांटा गया है ? बैंकों की बकाया ऋणों की वसूली की क्या क्या स्थितियां हैं ? उनकी स्थिति सुधारने के बारे में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? ऋण वितरण की सालवार पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें एवं सालवार पिछले सालों के समितिवार वसूली के आंकड़े देने का भी कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जिला जालोर में 58 सहकारी समितियों को वायबल (सक्षम) बनाया जा चुका है और 9 सहकारी समितियों को 30-6-74 तक वायबल (सक्षम) बनाना है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) कुल 394 सहकारी समितियां हैं । 274 समितियां गत वर्ष से डिफंक्ट हैं व 34 अवसायन में हैं । 47 समितियां कार्यशील हैं । 30-6-73 के आंड़डों के अनुसार 135 समितियां लाभ में और 61 समितियां हानि में थीं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(3) 50 सहकारी समितियों में चुनाव निर्धारित समय पर करवा दिए गए । 310 समितियों के चुनाव शेष हैं । जिनको 30-6-74 तक करवाने का कार्यक्रम है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जिले में अतिवृष्टि होने से मार्ग अवरुद्ध हो गए, फलस्वरूप चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सके ।

(4) वर्तमान में जिले की किसी भी सहकारी समिति पर प्रशासक नियुक्त नहीं है ।

(5) जिले में कुल 33 कृषि (फार्मिंग) समितियां हैं इनमें से 6 कार्य कर रही हैं । 12 समितियां अवसायन में हैं । एक समिति 12 वर्ष से, एक समिति 7 वर्ष से, 8 समितियां 2 वर्ष से और 2 समितियां गत वर्ष से अवसायन में हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । बोगस समितियों को 30-6-74 तक समाप्त करने का कार्यक्रम है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(6) जिले में 3 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है । समितियों को आर्थिक दशा सुधारने हेतु हिस्सा पूंजी अंशदान, गोदाम निर्माण हेतु ऋण व सहायता, नियमानुसार व्यवस्थापकीय अनुदान आदि दिया गया है । इन समितियों को नियन्त्रित वस्तुओं का व्यापार खाद्य निगम की एजेन्सी का कार्य दिलाया जाता है और भविष्य में भी प्राथमिकता के आधार पर इन्हें कार्य दिलाया जावेगा ताकि व्यापार वृद्धि से समितियां सुदृढ़ हों । सांचोर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है और उसकी जांच की कार्यवाही चल रही है । तत्पश्चात् ही आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा ।

(7) राज्य सरकार ने 50 समितियों को हिस्सा पूंजी अंशदान, 12 ग्रामीण गोदाम, 12 कृषि समितियों के गोदाम

(श्री सहकारी मंत्री)

निर्माण हेतु ऋण व अनुदान ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त व्यवस्थापकों के अनुदान दिये हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक को सुदृढ़ बनाकर अधिक से अधिक ऋण वितरण करा रहा है। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति पर आगामी कार्यक्रम लागू होगा।

(8) केन्द्रीय सहमारी बैंक एवम् भूमि विकास बैंक द्वारा निम्न प्रकार पंचायत समितिवार ऋण बांटा गया व वसूल किया गया।

(अ) केन्द्रीय सहकारी बैंक का ऋण वितरण एवं वसूली:—

नाम पंचायत समिति	ऋण वितरण			ऋण वसूली		
	वर्ष			वर्ष		
	71-72	72-73	73-74 (25-1-74)	71-72	72-73	73-74 (25-1-74)
जालोर	136160	231710	505490	348450	194072	79860
आहोर	43250	537425	542380	195838	214131	131840
सायला	87540	170900	570770	288292	211397	100374
भीनमाल	89900	15550	23200	178439	41911	11953
रानीवाड़ा	37100	121850	153300	139246	133536	7909
जसवन्तपुरा	47940	—	156300	54280	41074	30245
सांचोर	117250	—	499660	342517	82307	31486

(ब) भूमि विकास बैंक:—

जालोर	136000	73950	36800	113375	95520	6421
आहोर	116400	40950	21500	126705	158127	11407
सायला	385795	1419685	345690	153048	453681	3168
भीनमाल	152500	307450	110000	124200		8861
रानीवाड़ा	78500	26250	10000	51902	78261	16680
जसवन्तपुरा	66700	7500		53102	44751	5410
सांचोर	70500	36400	12400	101320	78508	28868

(श्री सहकारी मन्त्री)

(9) ऋण वसूली हेतु हर वर्ष विशेष अभियान आयोजित किए जाकर वसूली कराई जाती है। क्षेत्रीय कर्मचारियों में वसूली के लक्ष्य आवंटित कर उनकी प्रगति आंकी जाती है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। साथ साथ ही दोषी ऋणी सदस्यों से प्रयास किए जाने पर भी वसूली न दी जाने पर राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 117 व 118 के अन्तर्गत भी वसूली की कार्यवाह की जाती है। बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय बैंक की रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालीन व मध्यकालीन सीमाएं जो स्वीकृत नहीं हो रही थीं उन्हें स्वीकृत कराई जा रही है और भूमि विकास बैंक के ऋण वितरण में भी प्रगति हेतु ऋण वसूली कराई जाकर नया ऋण वितरण कराने व विशेष योजना के अन्तर्गत लक्ष्य पूर्ण कर बैंकों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

199. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस आधार से?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील विराटनगर में नवीन पंचायतें कायम किये जाने हेतु राज्य सरकार के पास काफी समय से ग्राम जाजेकलां, शिवदासपुरा एवं पालडी में नवीन पंचायत मुख्यालय कायम किये जाने के प्रस्ताव पंचायत समिति एवं जिलाधीश, जयपुर द्वारा भेजे हुए वर्ष 1965-66 से एवं 1966-67 से पेंडिंग हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इस पर अपना निर्णय करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी पंचायत समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

(2) वर्ष 1965-66 एवं 1966-67 में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था? अगस्त, 1973 में ग्राम जाजेकलां, शिवदासपुरा एवं पालडी में नवीन पंचायत मुख्यालय कायम किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिला विकास समितियों का गठन

200. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले के लिये जिला विकास समिति का गठन सरकार के आदेशों द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कब कब?

(2) इन समितियों की जिलेवार बैठकें इनके गठन के बाद कितनी कितनी हुई और उनमें क्या निर्णय लिये गये?

(3) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

(विकास मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। व्यवस्था एवं पद्धति विभाग के आदेश संख्या एफ. 7 (38) ओ. एण्ड एम. ग्रुप-5/73, दिनांक 9 जून, 1973 द्वारा जिला विकास समितियों का गठन किया गया है।

(2) केवल जिला चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा में जिला विकास समिति के गठन के बाद एक एक बार ही बैठक हुई है और उनमें लिए गये निर्णय की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्य किसी भी जिले में जिला विकास समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में रजत जयन्ती पर विकास हेतु गांवों का चयन

201. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की नोखा, लूणकरणसर, बीकानेर, कोलायत पंचायत समितियों में गत वर्ष रजत जयन्ती पर, दो दो गांवों को विकास के लिए चुना गया है ? यदि हां, तो किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा एक ऐसा पत्र पंचायत समितियों को भेजा गया है कि पंचायत समिति के प्रत्येक दो गांवों को दस दस, पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपयों की धनराशि सरकार उन गांवों के विकास कार्यों पर करेगी ? यदि हां, तो क्या यह धनराशि विभाग ने पंचायत समितियों को दे दी ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने पहले ऐसी घोषणा क्यों की ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त धनराशि पंचायत समितियों को विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर जिले की नोखा, लूणकरणसर, बीकानेर, कोलायत पंचायत समितियों में वर्ष 72-73 में रजत जयन्ती पर दो दो रजत जयन्ती गांवों का विकास के लिए चयन किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत समितियों को जो निर्देश विभाग द्वारा भेजे गये हैं उनमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती वर्ष की स्मृति को चिर-स्थायी रखने हेतु चालू योजना के अन्तर्गत प्रावधान तथा गैर योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो राशि राज्य, केन्द्र तथा केन्द्र संचालित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हो, उसका समन्वित ढंग से जयन्ती ग्रामों में उपयोग किया जाना चाहिये।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नगरपालिका नोखा द्वारा हरिजनों को निःशुल्क पट्टे

202. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले की नगरपालिका, नोखा ने गांधी शताब्दी वर्ष के अवसर पर कितने हरिजनों को निःशुल्क पट्टे आवंटित किये उनके नाम जमीन व नाप दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नगरपालिका, नोखा ने गांधी शताब्दी वर्ष के अवसर पर हरिजनों को निःशुल्क पट्टे आवंटित नहीं किए हैं। अतः चाही गई सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

ग्राम नांगल राजावतान (दौसा) के खसरा नम्बर 260 की आराजी भूमि

203. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम नांगल राजावतान, तहसील दौसा खसरा नं. 260 की किस्म आराजी क्या है ? तथा यह आराजी कब गोचर में परिवर्तित की गई ? क्या यह भूमि परिवर्तन से पूर्व किन्हीं लोगों के वैध या अवैध अधिकार में थी ? यदि हां, तो किस किस के ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। तथा यह भी बतायें कि इनके बारे में क्या निर्णय लिये गये व कब और कैसे इजराय हुई ?

(2) क्या उक्त आराजी के पंचायत, निर्माण हेतु पट्टे दे सकती है ? यदि नहीं दे सकती तो उसके द्वारा प्रदत्त पट्टों का क्या भविष्य होगा ?

उत्तर

(1) ग्राम नांगल राजावतान तहसील दौसा खसरा नं. 260 की किस्म आराजी सिवाय चक नाकाबिल काश्त थी यह आराजी उप-जिला अधिकारी, दौसा के आदेश दिनांक 4-12-72 द्वारा चरागाह में परिवर्तित की गई थी। चरागाह में परिवर्तन से पूर्व इस भूमि पर 42 व्यक्तियों ने अनधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमियों की सूची संलग्न है। इन अतिक्रमियों के विरुद्ध पटवारी द्वारा रिपोर्ट करने पर तहसील में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(2) उक्त भूमि पर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे नहीं दिये जा सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टे जारी किये गये हैं तो वे अनधिकृत हैं और बेअसर हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजस्व को बकाया रकम

204. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रत्येक जिले में राजस्व से सम्बन्धित कितनी रकम तहसीलवार बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह रकम कब से और क्यों बकाया रही है ?

(श्री शंकरलाल)

(3) क्या सरकार द्वारा यह भी जांच की गई है कि इस प्रकार की बकाया रकम में से कितना वसूली योग्य है और कितनी वसूली योग्य नहीं है ?

उत्तर

(1) दिनांक 30-9-73 को भू-राजस्व की रही बकाया की सूची संलग्न है। परिशिष्ट 'क'।

(2) ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' में अंकित है।

(3) ब्यौरा संलग्न सूची परिशिष्ट 'घ' में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिण्डौन उप-जिलाधीश की अदालत में विचाराधीन राजस्व मामले

205. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिण्डौन उप-जिलाधीश की अदालत में कितने राजस्व मामले विचाराधीन हैं ? उनमें दो तीन, तीन पांच, पांच सात, सात आठ तथा आठ दस सालों एवं दस साल से अधिक के कितने कितने मुकद्में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि हिण्डौन एस. डी. ओ./एस. डी. एम. तथा असिस्टेन्ट कलेक्टर के पद पर एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है और कानून व्यवस्था, चुनाव, खाद्य व्यवस्था आदि के कारण मुकद्में सुनने को समय नहीं रहता है तथा जनता परेशान है ?

(3) क्या सरकार राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे तथा जनता को राहत मिले इसे दृष्टिगोचर रखते हुए असिस्टेन्ट कलेक्टर के पद की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो इसके निवारण का क्या निराकरण सोचती है ?

उत्तर

(1) ब्यौरा संलग्न मानचित्र में अंकित है।

(2) यह सही है कि हिण्डौन एस.डी.ओ./एस डी. एम. तथा असिस्टेन्ट कलेक्टर के पद पर एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। और कानून व्यवस्था, चुनाव तथा खाद्य व्यवस्था, लेवी व्यवस्था इसके उपरान्त भी काफी संख्या में मुकदमात का निपटारा किया गया है।

(3) नया सी. आर. पी. सी 1-4-74 से लागू होने के कारण फौजदारी मुकदमात असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास नहीं रहेंगे। अतः इस पृष्ठ भूमि में मामला राज्य के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

चक 31 आर. बी. आई. व जोवनदेसर में बारानी भूमि का अलॉटमेन्ट

206. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कुरड़ाराम को स्थान भूमि चक 31 आर. बी.

Page No 34

(34)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

आड़े व जीवन देसर या रानी में अलॉट की गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? श्री कुरड़ाराम की दरख्वास्त तथा आवंटन आदेश को प्रति व जिन व्यक्तियों ने प्रमाणित किया के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री कुरड़ाराम ने राजनीति में कभी भाग नहीं लिया इसलिये राजनैतिक पीड़ित होने के कारण उसे भूमि का आवन्टन नहीं किया जा सकता ?

(3 क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति पंजाब का भूतपूर्व सैनिक है और पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान सरकार भूमि का आवन्टन नहीं करती ? यदि सरकार पंजाब के भूतपूर्व सैनिक को भूमि देने को तैयार है तो क्या दूसरे सैनिकों को भी भूमि देगी ?

(4) यदि सरकार पंजाब के भूतपूर्व सैनिक को राजस्थान में भूमि नहीं देगी तो श्री कुरडाराम की भूमि कब खारिज करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां। श्री कुरड़ाराम को जीवन देसर में 31 आर. बी. आई. में बारानी भूमि भूतपूर्व सैनिक होने के नाते गंग कैनाल परमानेण्ट अलॉटमेन्ट रूल्स, 1956 के नियम 3 (1) (7) के अन्तर्गत जिलाधीश, गंगानगर द्वारा आवंटित की गई है। दरख्वास्त व आवंटन आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत हैं।

(2) हां, यह सही है।

(3) हां यह सही है, लेकिन श्री कुरड़ाराम सैनिक सेवा निवृत्ति के बाद राजस्थान के निवासी माने गए हैं जैसा कि कलेक्टर गंगानगर के आदेश दिनांक 21-1-67 से प्रकट है। पंजाब राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान में भूमि आवंटन नहीं की जाती।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले में विचाराधीन राजस्व मुकदमात

207. श्री जयकिशनलाल तोशावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितने राजस्व मुकदमात विचाराधीन हैं ? तहसील एवं परगना अधिकारी वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से मुकदमें दस साल से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार मुकदमों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 18,360 राजस्व मुकदमात दिनांक 1-1-74 को विचाराधीन रहे हैं। न्यायालयवार सूचना संलग्न मानचित्र में अंकित की गई है।

(राजस्व मंत्री)

(2) यह सही है कि बहुत से मुकदमें दस साल से विचाराधीन हैं। पार्टीज द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से अपील करने के कारण वाद काफी समय तक चलते रहते हैं।

(3) समय समय पर हिदायतें दी जाती हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राज्य सेवाओं के वेतन एव अन्य सुविधाय

208. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने सन् 67 से लेकर अब तक राज्य सेवाओं के वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाओं में कब 2 और क्या क्या वृद्धि की गई ?

(2) उक्त वृद्धि का किस 2 वर्ष में राज्य कोष पर कितना 2 वित्तीय भार पड़ा ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ? कृपया वेतन के आधार पर मान्य वर्गों के अनुसार प्रत्येक वर्ग की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) सन् 67 से लेकर अब तक प्रति वर्ष राज्य के वार्षिक बजट में से कितनी 2 धनराशि सरकारी सेवाओं के वेतन, भत्ते एव अन्य सुविधाओं का भुगतान करने में व्यय हुई है ?

उत्तर

(1) सन् 1967 से लेकर अब तक केवल एक बार ही राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया है। यह नवीन वेतनमान 1-9-68 से प्रभावशील हुए हैं। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दिनांक 1-1-67, 1-2-67, 1-6-67, 1-11-67, 1-9-68, 1-5-73 एवं 1-8-73 को वृद्धि की गई है। सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं। दिनांक 1-5-73, 1-8-73 एवं 1-10-73 से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के समान भी राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिये जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। अंतरिम सहायता भी कर्मचारियों का दिनांक 1-1-71 से प्रथम बार दी गई है और जिसमें दिनांक 1-10-71, 1-2-72 एवं 1-8-72 को वृद्धि की गई है सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 2,12,500 है। वेतन के आधार पर प्रत्येक वर्ग की संख्या को मालूम करने मे पर्याप्त समय लगेगा।

(4) वांछित सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालौर क्षेत्र में जल प्रदाय योजनाएं

209. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर क्षेत्र के भागली, सिदला, रेवत, कलापरा, खेजड़ला की ढाणी, नारणावास, माक और धानपुर, चोतू, नून, देलदरी, बिबलसर, देवाड़ा, आकोली, सवणा आदि ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बाकरा नलकूप योजना का कार्य चल रहा है पर बाकरा नलकूप का पानी खारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दूसरा नलकूप खुदवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू कर मीठा पानी बाकरा में उपलब्ध करा दिया जायगा ?

(3) उक्त क्षेत्र के गांव मूंडी की नल योजना कब स्वीकृत हुई थी ? क्या यह सही है कि इस नल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गलत डाली गयी थी ? यदि हां, तो किस की गलती से तथा क्या अब दूसरी लाइन डलवा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा अब कब तक डलवा दी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि महेशपुरा, शामलीपरा एवं सरदारगढ़ ग्रामों की नल योजना भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ करा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि विरानाखेड़ा में पीने का पानी खारा है ? यदि हां, तो क्या खेतड़ा से पाइप लाइन डाल कर यहां मीठे पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह सही है कि बाबतरा में नलकूप खोदकर पीने के पानी की व्यवस्था करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बाबतरा में समुचित व्यवस्था कब तक करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इन गांवों के लिये 2 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें नूनसाथू, आकोली व भागली रेवत निर्माणाधीन है। जिनमें खेजड़ला की ढाणी, नारायणवास व चेतू के अतिरिक्त सभी ग्राम सम्मिलित हैं। इन दोनों योजनाओं पर कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इनमें से नूनसाथ आकोली की योजना पर सिर्फ कुए पर विद्युत कनेक्शन लेना बाकी है जिसके प्राप्त होते ही योजनाओं की टेस्टिंग चालू की जायेगी। भागलीरेवत की योजना पर भी 2-3 माह में टेस्टिंग के बाद जल वितरण शुरू किया जायेगा।

(2) जी हां, योजना का कार्य चल रहा है व पानी पीने के योग्य है। अभी तक कोई योजना दूसरा नलकूप खुदवाने की नहीं है।

(3) ग्राम मुंडी की जल योजना क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भवरानी-रायथल के अन्तर्गत 65-66 में स्वीकृत की गई थी। मुंडी के लिये बिछाई गई पाइप लाइन को बदल कर जल वितरण नवम्बर, 1973 से सुचारु रूप से किया जा रहा है।

(4) ग्राम महेशपुरा को जालौर से 65-66 से पानी दिया जा रहा है। ग्राम

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
सावतीपुरा व सरदारगढ़ की जलप्रदाय योजनायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(5) ग्राम विरानाखेड़ा के पानी के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। व ग्राम खेतड़ा से विरानीखेड़ा को पानी देने की कोई योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(6) ग्राम बाबतरा की जल प्रदाय योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम जयसिंह देसर की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम

210. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम जयसिंह देसर मगरा रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम राज्य सरकार द्वारा मन्जूर की जा चुकी है? यदि हां, तो यह स्कीम कितनी धनराशि की है और कब तक इस स्कीम को पूरा किया जा सकेगा ?

उत्तर

जी हां। योजना 6·50 लाख रु. की लागत के लिये स्वीकृत की गई है व इस योजना को वर्ष 74-75 में पूरा करने की आशा है।

ग्राम रिडी की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम

211. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्राम रिडी की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम राज्य सरकार द्वारा कब व कितनी धन राशि की मंजूर की गई तथा इस स्कीम से किस किस गांव को पानी दिया जायगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो जनता को पीने का पानी कब तक चालू करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) रिड़ी क्षेत्रीय जल योजना दिनांक 5-6-72 को 7,53,000/- रुपयों के लिये स्वीकृति हुई थी। स्वीकृत योजनानुसार रिडी, साहुमाऊ, मिगसरिया, नांसरिया, इग्यालसर बडा, सांवालसर, रायकान, हिरावतान, गुसाईसर, मुरजनवासी, अमृतवासी, व अभयसिंहपुरा को जल वितरण का प्रावधान है।

(2) योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति को देखते हुए इस ग्रीष्म ऋतु में योजना को आंशिक रूप से प्रारम्भ कर कुछ ग्रामों को जल वितरण शुरू कर दिया जावेगा। वर्ष 74-75 के मध्य तक ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा एक नल कूप और निर्मित होने पर सभी ग्रामों को पीने के पानी का वितरण की व्यवस्था की जाने की संभावना है।

कोटा जिले की तहसीलों में पशु चिकित्सालय

212. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में पशुओं की कुल कितनी संख्या है ? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 38

(38)

(श्री रामगोपाल)

(2) कोटा जिले की किन किन तहसीलों में पशु चिकित्सालय का अभाव है ?

(3) अब तक शाहबाद तहसील क्षेत्र में पशु चिकित्सालय न खुलने का क्या कारण है ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे महत्त्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में भी पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील पीपलदा, दीगोद, शाहबाद में अभी पशु चिकित्सालय नहीं है।

(3) धनाभाव के कारण।

(4) शाहबाद में लघु औषधालय की सुविधा उपलब्ध है। पशु चिकित्सालय के बारे में यथा समय विचार किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

राजस्थान में अनाज का वितरण

213. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में 1 अप्रेल, 1973 से 1 मार्च, 1974 तक जिलावार गांवों व शहरों को कितना कितना वनस्पति घी, गेहूँ, चीनी, मोटा अनाज व मिट्टी के तेल का कोटा अलॉट किया गया ? रिपोर्ट जिलावार अलग अलग दी जावे और यह बतलाया जावे कि जिस क्षेत्र के देहातों को कोटा नहीं दिया गया, उसका क्या कारण है ? यह भी बतलाया जावे कि हर जिले में शहर में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु का क्या कोटा दिया गया और जिन स्थानों पर कोटा नहीं दिया गया उसका क्या कारण है तथा इस अन्तर का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान में अनाज व्यापारियों का परमिट

214. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्यान्न ले जाने हेतु किस किस व्यापारी को 1 जनवरी 1973 से अब तक किन किन शर्तों के साथ कितने कितने अनाज का परमिट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कालावधि में राज्य के बाहर से राज्य में आयात करने हेतु किस किस व्यापारी को कितने कितने और किस किस प्रकार के अनाज का किन किन शर्तों पर परमिट दिया गया ?

(3) उक्त कालावधि में राज्य से कितने और किस प्रकार के खाद्यान्न के बाहर ले जाने का कितने कितने अनाज का किस किस व्यापारी को कब कब परमिट दिया गया और क्यों ?

(4) उपर्युक्त परमिट किस किस अधिकारी द्वारा दिये गये है ?

(स्थगित किया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ में एक आटे की चक्की पर छापा मारकर 500 बोरी गेहूं की बरामद करने तथा एनफोर्समेन्ट इन्पेक्टर की थाने में पिटाई के सम्बन्ध में,

(2) श्री केसरीमल और श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा, की ओर से चित्तौड़गढ़ विरला सीमेन्ट फैक्ट्री के दो मजदूर दलों में आपस में मार पिटाई होने के सम्बन्ध में,

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ते के आदेश जारी न करने के सम्बन्ध में,

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकरी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से उपस्थिति कम होने के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा में न बैठने देने के सम्बन्ध में,

(5) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदर्श विद्या मंदिर के अध्यापकों को नौकरी से निकाल देने के सम्बन्ध में,

(6) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1971 के भारत पाक युद्ध के समय किसानों की फसलों को हानि का मुआवजा न देने के सम्बन्ध में,

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में कृषि भूमि को अवाप्त करने के नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में,

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य बजट की सम्बन्धित मांगों के समय इन्हें उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में गन्दगी के कारण चेचक और खसरा की बीमारी फैलने के सम्बन्ध में है,

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(9) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत नहीं होने के संबंध में। इसी विषय में पूर्व में माननीय सदस्य का एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में

(श्री मो. गफ्फारअली)

है। मेरी यह गुजारिश है कि इससे पहले भी इस सदन में यह सवाल आया था और उस पर यह विश्वास दिलाया गया था, राज्य सरकार की तरफ से कि इसकी जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में राज्य सरकार बहुत ही सतर्क है और वह तुरन्त ही फैसला इस बार में देगी। मुझे अफसोस है कि इस वक्त तक कोई फैसला नहीं दिया गया है और इस स्कूल ने फीसें ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। आज यह स्थिति है कि जो लोग क्रिमीनल केस में थे जिन पर गबन के मुकदमात लगाए गए थे जिनकी तस्दीक हुई थी वह मुकम्मिल नहीं हुई, जिन्होंने मुकदमात में शाहदत दी थी, डाक्युमेन्ट्स दिए थे उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मेरी गुजारिश है कि इसके सम्बन्ध में जल्दी कदम उठाया जाये वरना क्या आप यह चाहते हैं कि राजस्थान में भी वही हालात पैदा हों जो कि गुजरात में हुए हैं? यह एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन साम्प्रदायिकता के साथ साथ फासिज्म की तरफ भी बच्चों को ले जा रही है और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है, यह आप सोच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसी परिस्थितियों में एजूकेशन मिनिस्टर का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे तुरन्त ही कदम उठावें। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से जो आदेश दिए जाते हैं उनकी तामिल नहीं की जाती है। एजूकेशन कोड में इस तरह का प्रोविजन मौजूद है कि उनके खिलाफ कार्यवाही आप कर सकते हैं और उनकी मदद खत्म की जा सकती है। यह गुजारिश करूंगा कि आदर्श विद्या मन्दिर ने आपके आदेशों का उल्लंघन किया है और इसकी जो गतिविधियां चल रही हैं वे खतरनाक हैं इसलिए इस तरफ कदम नहीं उठाया गया तो इसका खमियाजा राजस्थान सरकार को और उसके साथ साथ राजस्थान की जनता को भी उठाना पड़ेगा।

एक स्थगन प्रस्ताव बीमारी के बारे में भी है। हम आज बहुतसी बीमारियों का निवारण कर चुके हैं परन्तु आजकल गन्दगी की वजह से बीमारियां जोरों पर हैं और विभाग एक दूसरे को को-ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लिख कर भेजता है तो उदासीनता बरतते हैं। हैल्थ डिपार्टमेन्ट का, म्युनिसिपैलिटी का और लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट का को-ऑर्डिनेशन होकर इस बीमारी को फेस करना चाहिये और इस ओर कदम उठाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ में कोई थोड़े दिनों पहले इन्टक के नेता सत्यपाल युवक, साम्यवादी दल के सेक्रेटरी, वहां के कामरेड हीरा और इसके अतिरिक्त वहां के प्रसिद्ध पत्रकार करनीदान, एक एनफोर्समैंट इन्स्पेक्टर को लेकर एक चक्की पर गए और 100 बोरी गेहूं की पकड़ी। पुलिस का पहरा बिठा दिया गया लेकिन रात को सारी की सारी बोरियां चक्की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पर से गायब हो गई । एनफोर्समैन्ट इन्सपेक्टर को थाना सूरतगढ़ ले जाया गया और वहां पर उसको बेरहमी से पिटाई की गई और सुबह पत्रकार करनीदान, सत्यपाल युवक, ओमप्रकाश, हीरा के पीछे 20-25 लोग पड़ गए कि अगर इस तरह से आगे जखीरा बतलाएंगे तो गोली से उड़ा दिए जाओगे । अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। फिर राजस्थान की पुलिस और इस तरह से नंगे रूप के अन्दर, खुले रूप के अन्दर, होर्डर्स, जखीरेबाजों की मदद करे । इससे सारे गंगानगर के अन्दर एक जबर्दस्त गुस्से की लहर फैल गई है । आज सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को ......

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कम से कम अध्यक्ष महोदय, एक स्टेटमेंन्ट की मांग करूंगा और मैं यह मांग करूंगा कि अगर यह बात रही, एनफोर्समैन्ट इन्सपेक्टर को थाने के अन्दर इस तरह से टेरेराइज किया गया, जनता को टेरेराइज किया गया तो कम से कम उस पुलिस के एक एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए, एक भी व्यक्ति नौकरी पर न रहे, सस्पेण्ड किया जाये और गंगानगर के एस. पी. से स्पेशली पूछा जाए कि क्या इस प्रकार से गंगानगर पुलिस होर्डर्स की मदद कर रही है ? यह पहली घटना इस प्रकार की नहीं है, इस प्रकार की चार-पांच घटनायें और हो चुकी हैं जब गंगानगर पुलिस ने नग्न तरीके से होर्डर्स की मदद की है।

एक ट्रक रायसिंहनगर और सूरतगढ़ की सड़क पर पकड़ा गया था। उसको ले जाकर पुलिस स्टेशन पर खड़ा किया गया था और उसका सारा माल पुलिस स्टेशन से गायब हो गया । इसी तरह से एक सीमेन्ट का ट्रक.......

श्री अध्यक्ष : इसी के मुताल्लिक कहें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें। यह बहुत गम्भीर बात है कि हमारे प्रशासन का एक अंग इस प्रकार से डीहोडिंग के अन्दर, उसके काम के अन्दर रुकावटें डालता है। कम से कम मन्त्री महोदय से जरूर कहें कि वह तहकीकात करके बतायें। सारी बात बहुत गम्भीर है अपने रूप के अन्दर । सारे सोशियल वर्कर्स चाहे वे कांग्रेस के झण्डे के नीचे हों या लाल झण्डे के नीचे हों वे मिलकर वहां पर होडिंग के खिलाफ मजबूत कदम उठायें, उन कदमों के खिलाफ बेशर्मी के साथ वहां की पुलिस होर्डर्स की इमदाद करती है तो कम से कम, अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें मन्त्री महोदय को या मन्त्री महोदय स्वयं स्वीकार करके सारी जानकारी प्राप्त करके इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंन्ट जल्दी से जल्दी दें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं । एक तो इस सम्बन्ध में है कि 1971 के पाक युद्ध के सम्बन्ध में गंगानगर क्षेत्र को कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न था। यह कम्पेन्सेशन बीकानेर को मिल गया और दूसरे

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
बोर्डर एरियाज को मिल गया और गंगानगर के कुछ गांवों को भी मिल चुका है, इसके बावजूद वहां पर आज तक जबकि सारी पर्चियां बंट चुकी हैं, केलक्यूलेशन हो चुका है, नहीं मिला है तो यह उचित नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार को कम्पेन्सेशन उनको भी जल्दी से दिलाना चाहिये।

दूसरा जो मेरा निवेदन है गंग कैनाल के सम्बन्ध में है। गंग कैनाल 20 मील के करीब टूट चुकी है...

श्री अध्यक्ष : आपका एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस सम्बन्ध में 20 स्थगन प्रस्ताव भी रखे जायें तो कम हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमों के प्रतिकूल होंगे तो नामन्जूर करना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, 20 मील तक नहर कट चुकी है। पानी बन्द है और कम से कम 3 लाख एकड़ की फसल खतरे में है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं अर्ज कर रहा था कि अभी गंगानगर के बहुत से लोग नहर का चक्कर लगा कर आये हैं, आज से 4 दिन पहले 14 तारीख को और वह देख कर आये हैं कि उस नहर पर एक स्थान पर करीब 800 फीट एक साइड पर और करीब 200 फीट एक साइड पर काम हुआ है। इसके अलावा और काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में कहें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं बहुत थोड़े में कह रहा हूं। उनका कहना है कि जब तक पंजाब सरकार को 75 लाख रुपये नहीं मिलेंगे यह काम नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा उन लोगों का कहना है कि अभी मामूली तौर पर छोटी-मोटी टूट-फूट को ठीक करवाना चाहते हैं तो 2,000 टन ईंटें और 6,000 थैले सीमेंट के चाहिएं। हमारी जानकारी यह है कि गंगानगर जिले के सिंचाई विभाग के पास इस वक्त कुल 1,000 थैले सीमेंट के पड़े हुए हैं उनको देने के लिए। काम जो हो रहा है उसमें कच्ची ईंटें लगाई जा रही हैं।

मैं थोड़े से शब्दों में सरकार को इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसे कोई न कोई स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि हम क्षेत्र के लोगों को जाकर जवाब दे सकें। आप कहते हैं तो मैं आपका हुक्म मानता हूं, लेकिन बारबार यह प्रश्न इस सदन में लाया जाता है इसके बावजूद भी स्टेटमेंट न हो। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कैनाल है। उसमें 11000 एकड़ में सैलाब है। इतनी बड़ी कैनाल टूट गई तो 25 हजार आदमी जल्दी ही वहां से उजड़ जायेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार से कहें कि वह इस बारे में एक स्टेटमेंट दें ताकि जनता को जानकारी मिल जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनिट अर्ज करना चाहता हूं। प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट से भी कम समय लूंगा। कल मैं गंगानगर में था। वहां पर मुझे 30-40 किसान मिले। यह उत्पादन का प्रश्न है

(श्री लक्ष्मणसिंह)

और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की सरकार इस समस्या पर मेरे खयाल में कोई विचार नहीं कर रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो भी मुद्दे उठाये हैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और सरकार को तत्काल उचित कदम उठाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हानि जो हो रही हैं उसमें रोक डाली जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता था कि 2,700 क्यूसेक्स पानी पर हमारा अधिकार है और 20 मील नहर टूट जाने के कारण 9,00 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी पास नहीं हो सकता है। 1,800 क्यूसेक्स पानी पंजाब सरकार स्वच्छन्द रूप से प्रयोग में ले रही है। अब हमारी सरकार 22 लाख रुपया देकर पंजाब सरकार से यह कार्य कराना चाहती है तो पंजाब सरकार को क्या इन्ट्रेस्ट है कि वह इस 20 मील के टुकड़े को बना दे? लेकिन मेरा अर्ज करना यह है कि पंजाब सरकार आर. डी. 87, आर. डी. 90, आर. डी. 94 पर कहीं पर 27 क्यूसेक्स, कहीं पर 30 क्यूसेक्स और कहीं पर 35 क्यूसेक्स की माइनर्स खोद कर उस पानी को लगातार अपने प्रयोग में ले रही है। यह हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वहां के 20 मील के टुकड़े को डिपार्टमेंटली ठीक करवाये। स्वयं मन्त्री महोदय वहां पर विजिट करें और खड़े होकर उस टुकड़े को बनाया जाय, नहीं तो 3-4 लाख एकड़ की फसल बिल्कुल तबाह हो जायगी। आज तो पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं आपको जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं, यह जो फैक्ट्री है चित्तौड़ सीमेंट फक्ट्री बिरलाजी की वहां पर पिछले दिनों कई दफा आपस में मजदूरों, मजदूरों में संघर्ष हो चुके हैं। यह संघर्ष जो हो रहे हैं वह एक ही जगह बिरला फैक्ट्री में हो रहे हों ऐसी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि श्रमिकों के सारे आन्दोलनों में गुण्डागर्दी और दादागिरी जैसी स्थिति पैदा हो रही है। श्रम मंत्रीजी ने अभी थोड़े दिनों पहले किसी सम्मेलन में यह बात बताई है कि एक धन्धे में एक ही यूनियन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर एक धन्धे में दो इन्टक की ही यूनियनें हों तो उनमें भी लट्ठम् लट्ठा होगा, झगड़ा होगा। तो एक धन्धे में एक यूनियन हो, कैसे? यह स्थिति एक जगह ही नहीं ऐसी स्थिति का निर्माण कई जगहों पर होता जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में ट्रेड यूनियन के मूवमेंट को बिल्कुल खराब किया जा रहा है। उसको सही रूप से चलने नहीं दिया जा रहा है। अब तो यह कहा जा रहा है कि इन्टक की यूनियन्स जिस तरह बन पायें बनाई जायं ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें जो कुछ कहना है। वह घटना के सम्बन्ध में कहें।

श्री केशरीमल : जिस सरकार की नीति यह है ...

श्री अध्यक्ष : घटना हुई है उसके सम्बन्ध में कहें।

श्री केशरीमल : घटना के बारे में ही कहना चाहता हूं। घटना का इससे सम्बन्ध

(श्री केशरीमल)
जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी नीति बनाकर चलेंगे तो मजदूरों के सिर फुड़वाने की कोशिश करेंगे ट्रेड यूनियनिज्म में ऐसी स्थिति खड़ी हो जायगी तो स्थिति चिन्ताजनक बन जायगी। बारबार मारपीट हो रही है। पिछले दो-तीन दिनों में दो दफा इस तरह के झगड़े हो चुके हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को फोरन मालूमात करके इस पर बयान देना चाहिए। मंत्री महोदय इस बात पर बयान दें। इस बात को लेकर ध्यान आया कि इन्टक को बढावा देंगे और जो यूनियन आपकी नहीं है उसको रोकेंगे, अगर यही आपकी नीति है तो ऐसा कहें। अगर यह नहीं है तो इस प्रकार का बयान दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध के केन्द्रीय सरकार ने जो घोषणा की है उसको लागू करने के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली 26 फरवरी को खुद मुख्य मन्त्री जी ने एक पत्रकार संघ बुला कर राजस्थान बन्द की पृष्ठभूमि में यह घोषणा की थी कि जो इस वित्तीय वर्ष में पहले केन्द्रीय सरकार ने घोषणायें की हैं, उसके अनुसार राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जायगा। तीन घोषणायें उस समय के पहले हो चुकी थीं, एक घोषणा अभी जो बजट पेश किया गया है उस समय 1 जनवरी, 1974 से दुबारा केन्द्रीय सरकार ने कर दी है। इसका मतलब यह है कि चार किश्तें राजस्थान में भी लागू होंगी। 26 फरवरी को जो मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी, उसका भी अभी तक प्रशासनिक आॅर्डर नहीं निकला है। इसके बाद 1 मार्च की तनख्वाह बंट गई, उसके मुताबिक होना यह चाहिए था कि 1 मार्च को, महंगाई भत्ते का जितना फायदा पहले मिल चुका है, उसको एडजस्ट करके सरकार की घोषणा के अनुसार महंगाई भत्ता लागू कर दिया जाता। लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है....

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बजट टाइट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि मैंने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मामला रखा था, उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए माननीय वित्त मन्त्री से आप कहियेगा, आप डेट मुकर्रर कर दीजिये, जो जानकारी प्राप्त करने जैसी चीज उस स्टेटमेंट में आयेगी....

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ में यही करना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा यह निवेदन करना है विद्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं, नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं उनके करीब पांच हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी की हाजरी कम होने की वजह से उनको इम्तिहान से रोक दिया गया है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : रुकेंगे ही ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह फैसला ले लिया है कि किसी भी स्टूडेंट को हाजिरी कम होने की वजह से इम्तिहान में बैठने से रोका नहीं जायगा। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की मांग है, जो भी इम्तिहान होते हैं उनमें पेपर सैट होते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
और उसमें मैरिट पर पास या फेल होंगे। वह उस मैरिट में कमी करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन किसी की हाजिरी कम हो गई है, उसकी वजह से इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाय और एक वर्ष खराब किया जाय—इसमें तुक नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस जस्टीफिकेशन को स्वीकार कर लिया है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी स्वीकार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ स्टूडेंट माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मिले भी थे। उन्होंने तुरन्त ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के संबंध में कहा था। लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं। इस सम्बन्ध में अनुचित रुप से असन्तोष फैले और इस पर किसी तरह का आन्दोलन खड़ा हो विद्यार्थियों का, क्योंकि एक महीना विद्यार्थियों के पढ़ने का रह गया है, उनका टाइम खराब हो, उनका एक एक दिन उनके लिए मूल्यवान है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी यहां बैठे हैं, उनसे आप वक्तव्य देने के लिए कहें। वे वक्तव्य में पॉजिटिव रुख लें। वैसे मैं समझता हूं कि उनका सहानुभूतिपूर्वक रुख तो है। लेकिन उनको इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीसरा एक और स्थगन प्रस्ताव दिया था। हमारी विधान सभा के सामने रिपब्लिकन पार्टी के लीडर अनशन पर बैठे थे। आज रात को अचानक, अध्यक्ष महोदय, पुलिस उनको उठा कर ले गई, उनके तम्बू को ले गई ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : बिल्कुल सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और जबर्दस्ती हॉस्पिटल में ले जाकर दाखिल करा दिया। पुलिस कानून के तहत गिरफ्तार करती तो बात समझ में आ सकती थी ...

श्री अध्यक्ष : यह आपका जो स्थगन प्रस्ताव है, यह ऑर्डर में नहीं है, कापी वगैरह पूरी नहीं है। इसलिए लिया नहीं है।

श्री रामकिशन : यह ऑर्डर में नहीं है, लेकिन सवाल दूसरे ढंग का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में नहीं लें, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : किसी रूप में तो लेना पड़ेगा। एक कापी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। क्योंकि विधान सभा का सत्र चल रहा है, फण्डामेन्टल राइट्स हर सिटिजन के हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष एक तारीख से बैठे थे, 13 तारीख को यह अनशन पर बैठे थे। यह बात गवर्नमेंट के सोचने की बात है कि पुलिस का यूज करे या नहीं, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार है, संविधान में अधिकार है मीटिंग करने का, अनशन करने का। अगर गवर्नमेंट पीनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करती तब तो बात समझ में आ सकती थी और उसको अनुचित नहीं समझते। लेकिन किसी की गिरफ्तारी किसी कानून के तहत नहीं हुई हो, और पुलिस उनको उठा कर ले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाय तो यह डाके और अपहरण की संज्ञा में आयेगा। हमारी नाक के नीचे इस तरह की कार्यवाही हो, विधान सभा के सामने, तो यहां न केवल अपने अधिकारों की, बल्कि राजस्थान के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का हमारा दायित्व है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही जो पुलिस की तरफ से कराई है, मैं उसकी निन्दा करता हूं और आप भी गवर्नमेंट से तुरन्त कह कर इस बात के लिए ताड़ना देंगे। और जिन्होंने भी इस तरह की कार्यवाही की है उनको सजा दी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी के लीडर अनशन पर बैठे थे, उनकी मांगों के बारे में गवर्नमेंट को सहानुभूति के तरीके से विचार करना चाहिए, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए और यह जो मौलिक अधिकारों का हनन है, इसको रोका जाना चाहिए।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, इण्डो-पाक अग्रेशन के वक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इन्चार्ज थे एक जिले के, उस समय कई जिलों में फसलों का नुकसान हुआ। मंत्री महोदय ने एक साल पहले इस हाउस के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि 2 करोड़ 27 लाख का मुआवजा पास करके केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है। लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, जब पैसा केन्द्रीय सरकार से पास हो गया है तो जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पंजाब में मिल गया है एक साल पहले। इसलिए केन्द्रीय सरकार से जो मुआवजे का पैसा मिल गया है, वह लाकर लोगों को मुआवजा देना चाहिए।

दूसरी बात, मैं मानता हूं कि सिचाई की डिमाण्ड पर गंग कैनाल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे। लेकिन उसके पहले माननीय मंत्री जी को अपने चीफ इंजीनियर को पंजाब की उस कैनाल पर, जहां रिपेयर का काम चल रहा है, उस स्पोट पर भेजना चाहिए, वह 28 मील का टुकड़ा है। 1 अप्रेल के बाद डाइवर्शन कैनाल का कर लेंगे। अभी जो फिरोजपुर कैनाल से पानी देते हैं वह 1500 क्यूसेक है, जब कि 9 हजार क्यूसेक का अराइवल वहां होता है। एक अप्रेल के बाद में यह डाइवर्ट हो जायगा। इसलिए चीफ इंजीनियर स्पोट पर जाकर, वहां के डवलपमेंट देख कर जानकारी दें।

रिपब्लिकन पार्टी के लीडर की छः दिन की भूख हड़ताल से यह नौबत आ गई कि उनको हन्गर स्ट्राइक से हटाने की नौबत आ गई। पन्द्रह-बीस दिन के बाद में हालत बिगड़ती है, यह मेरा निजी अनुभव है। मेरा निवेदन है कि उनकी जो डिमाण्ड है, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से बुला कर उनसे बात करनी चाहिए थी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ! वित्त मंत्री जी !

श्री **चन्दनमल बैद** (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को

(श्री चन्दनमल बैद)
पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री केदारनाथ : मुझे ऐतराज है। यह रूल 64 के तहत

श्री अध्यक्ष : आमतौर पर इस स्टेज पर ऐतराज नहीं होता है।

श्री केदारनाथ : मकसद बिल का ठीक है, मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने यह लिखा दिया है कि यह....

"The surcharges levied under section 4 B of the Raj. Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, and under Sub-section (4) of Section 2A of the Rajasthan Finance Act, 1961, which are due to expire on 31st March, 1974, are proposed to be continued till the end of the Fifth Plan period so as to provide resources for relief purposes...."

यह लिखने का अधिकार.... ...

श्री अध्यक्ष : यह कन्सीडरेशन स्टेज पर कहिये।

श्री केदारनाथ : यह टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, फिफ्थ प्लान के एण्ड तक....

श्री अध्यक्ष : बिल आये तब विचार प्रकट करें।

श्री केदारनाथ : यह वित्त मंत्री की नालेज में है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह नालेज में है। यह बजट में कहा है कि पांच वर्ष के लिए रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

जिला भीलवाड़ा के अमीरगढ़ थाने में पुलिस द्वारा पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : दिनांक 23-3-74 को पुलिस थाना, हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा पर श्री सोहन पुत्र श्री करमा खटीक निवासी हमीरगढ़ ने मौखिक सूचना दी कि इसके भाई प्रभु के मकान में बदमाशान दीवार कूद कर दाखिल हुए और चोरी की। पड़ौस में ओंकार व कनीराम के भी चोरी हुई है।

इस सूचना पर अभियोग संख्या 21/74 धारा 475, 380 आई. पी. सी.

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

के अन्तर्गत थाना हमीरगढ़ पर दर्ज कर भारसाधक पदाधिकारी ने अनुसंधान आरम्भ किया। अनुसंधान के दौरान यह अपराध कंजरान द्वारा करना ज्ञात हुआ। ग्राम चालीयाखेड़ा व आटूण के कतिपय कंजरान को तलब कर तफतीश की। तफतीश से मालूम हुआ कि फूलिया निवासी आटूण अपने दो भाई व पिता के साथ दिनांक 22-2-74 की रात्रि को हमीरगढ़ की तरफ जाना पाया गया। फूलिया पर उन वारदातों के करने का सन्देह होने से दिनांक 25-2-74 को रात्रि के 9 बजे थाना हमीरगढ़ के प्रबंधक अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। फूलिया को जब गिरफ्तार किया तो उसके शरीर पर पहले से चोटों के निशान थे जिस पर इसका डॉक्टरी मुआयना मेडिकल ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय मंगरोप से दिनांक 26-2-74 को करवाया। इंजुरी रिपोर्ट में फूलिया के शरीर पर तीन चोटें साधारण ऊपर से गिरने के कारण तीन से 5 दिन पहले की होना अंकित किया गया है।

दिनांक 26-2-74 को मुलजिम फूलिया को अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के न्यायालय में पुलिस रिमांड के लिए पेश कर 3-3-74 का पुलिस कस्टेडी रिमांड माल की बरमादगी हेतु प्राप्त किया गया। मुलजिम को थाना हमीरगढ़ की हवालात में रखा गया। रात्रि के करीब 12 बजे सर्वश्री नारायणसिंह ने श्री दौलतसिंह सन्तरी को पहरा सम्भलवाया उस समय मुलजिम फूलिया ने अपने सीने में दर्द होना बताया व पानी मांगा। संतरी दौलतसिंह पानी लेकर पहुंचा लेकिन फूलिया पानी नहीं पी सका। सन्तरी ने थाना प्रबंधक को ये हालात बताये जिस पर उन्होंने हवालात खुलवा कर मुलजिम को देखा तो मुलजिम मृत पाया गया।

इसी संबंध में मुसम्मात रामूडी पत्नी फूलिया कंजर ने एक दरखास्त दिनांक 28-2-1974 को पेश की जिस पर अभियोग संख्या 24/74 धारा 304 ता. हि. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा कर रहे हैं।

भारसाधक पदाधिकारी ने धारा 176 जा. फौ. के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भीलवाडा ने प्रथम श्रेणी दंडनायक को नियुक्त किया जो उसी रोज मौके पर गए व तत्काल जांच आरम्भ की। मृतक फूलिया की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट प्रथम श्रेणी दंडनायक को प्राप्त हुई। दंडनायक की जांच व पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट से यह पाया गया कि मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हुई है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 35 व 40

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगें।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 35 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 72, 04,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 के संबंध में 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,54,81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 35 व 40 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचंद्र जैन !

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता और पंचायत राज दोनों विषयों पर मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। उस संबंध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने लिए पंचायत राज और सहकारिता इन दोनों आंदोलनों को सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है। अगर ये दोनों आंदोलन सफल नहीं होते हैं तो लोकतंत्र भी सफल नहीं होता है। इसलिए लोकतंत्र को सुदृढ़ रखने के लिए पंचायत राज और सहकारिता, इन दोनों, आंदोलनों को हमें बहुत सुदृढ़ बनाना होगा परन्तु जो स्थिति है हमारे प्रांत की, उसके अनुसार मैं पहले पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना 2-10-59 को की थी। हमें आशा बंधी थी, इस पंचायती राज से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करेंगे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, उनके जीवन को सुखमय बना सकेंगे परन्तु जो हमारी आशायें थीं वे निराशा में परिणत हो गई। इसका कारण यह रहा कि हमने 1959 में चुनाव कराये परन्तु 1965 के बाद में हमने तो पंचायतों के चुनाव कराना ही बंद कर दिया। पहले पंचायतों की अवधि तीन वर्ष की थी, उसके बाद चुनाव नहीं कराए जाते थे, फिर बाद में करते करते हमने कानून बना दिया कि 5 साल तक चुनाव नहीं करा सकेंगे परन्तु अब 10 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। स्थिति इस प्रकार है कि यह जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मार्च में चुनाव करायेंगे परन्तु मार्च भी चला गया और अप्रेल भी आ रहा है, परन्तु जो स्थिति है उसमें अप्रेल में भी चुनाव नहीं होने वाले हैं, मई में भी नहीं होने वाले हैं, किसी प्रकार की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है कि चुनाव कब करायेंगे यह अनिश्चित मालूम होता है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। जब हम विधान सभा के चुनाव हर 5 साल के बाद करवा सकते हैं चाहे अकाल की भी स्थिति हो तो फिर हमें पंचायतों के चुनाव स्थगित करने की क्या आवश्यकता पड़ती है ? युद्ध की स्थिति हो तो हम समझ सकते हैं, भारत-पाक के बीच युद्ध हो तो चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। हमें तो तय करना पड़ेगा और कानून में स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस प्रकार विधान सभा के लिए हर पांच साल बाद चुनाव होते हैं उसी प्रकार जरूर मार्च में तारीख फिक्स करनी पड़ेगी, उन दिनों में चुनाव निश्चित होंगे और हम किसी तरीके से चुनावों को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि परिस्थितियां इस प्रकार की न हों, जैसे युद्ध चल रहा हो या राजस्थान के सभी जिलों में ऐसी स्थिति हो तब चुनाव स्थगित कर सकते हैं अन्यथा चुनावों की तारीख नहीं बढ़ेगी। इस स्थिति को हमें मानना चाहिए नहीं तो हम प्रजातन्त्र पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमें निश्चय करना है। मैं मन्त्री महोदय से चाहता हूं वह घोषणा करें कि कब चुनाव करायेंगे। उसके बाद में फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

की घोषणा वह करें जिससे प्रजातन्त्र में हमारा विश्वास बढ़े ।

दूसरा पंचायत राज के बारे में घोषणा की है और सरकार ने निर्णय लिया है कि न्याय पंचायत के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जायेंगे. मैं उसका विरोध करता हूं । पहले हमने निर्णय लिया था कि न्याय पंचायतें अलग बनेंगी और उन पंचायतों को हमने वित्तीय सहायता नहीं दी । जब हम जुडीशियल कोर्ट्स को वित्तीय सहायता देते हैं तो न्याय पंचायतों की हालत में ऐसा क्यों नहीं? यह गलत कदम है कि न्याय पंचायतों पर पंचायतों का नियन्त्रण रखें । यदि हम वास्तव में सस्ता और सुलभ न्याय देना चाहते हैं तो न्याय पंचायतों को इण्डिपेंडेन्ट बॉडीज बनाना पड़ेगा और उसके फाइनेन्सेज की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो न्याय पंचायत नहीं चल सकेगी । एक तरफ हम निर्णय ले रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडीशियल को सेपरेट कर रहे हैं, हम एस. डी. एम. को भी अधिकार नहीं देना चाहते और 1 अप्रेल से हम दोनों का कम्पलीट सेपरेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम न्याय पंचायतों के अधिकार ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं । यह क्या है ? केवल फाईनेन्स के कारण एक गलत व्यवस्था करने जा रहे हैं । अगर ग्राम पंचायतों को न्याय का कार्य सौंपा गया तो पहले भी हमारा कटु अनुभव रहा है और भविष्य में भी अनुभव करेंगे कि ग्राम पंचायत कभी सही न्याय नहीं कर सकती । क्योंकि जो सरपंच जीत कर आया है, उसके मुकाबले की टक्कर होती है, वह दूसरी पार्टी को क्रश करने की कोशिश करेगा और उसके लिए जो उसके पास क्रिमिनल पॉवर्स हैं उनका यूटीलाईजेशन करेगा और उनको कुचलेगा । इसलिए वहां पर गांवों में जनता में असन्तोष पैदा हो गया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्टको सोचना चाहिए । आज जो आप परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में एक बार ठन्डे दिमाग से सोचने की जरूरत है क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कोई कदम उठायें और वह गलत पड़ जाय । हम बार बार उसमें संशोधन करते हैं और उसके अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं आते हैं तो उससे गवर्नमेन्ट की प्रेस्टीज खराब होती है ।

पहले यहां पर सदन में यह कहा गया कि चुनाव इसलिए स्थगित किये जा रहे हैं कि पंचायती राज के बारे में एक समिति गठित की गयी है श्री गिरधारीलाल जी की अध्यक्षता में, वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तब उसकी सिफारिशों पर गवर्नमेन्ट अध्ययन करके डिसीजन लेगी । अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव कराने के लिए जा रही है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपको पंचायतों को पॉवरफुल बनाने के लिए उन्हें पॉवर्स भी अधिक देना पडेगा और जब आप उन्हें पॉवर्स देंगे तो उनके लिए यह ऑब्लीगेटरी हो जायेगा कि वह टैक्स लगाये । आपको पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा । उन्हें मजबूत करने के लिये आपको उन्हें पॉवर्स देने होंगी । क्योंकि बिना पॉवर्स दिये आप अब अच्छी तरह समझ गये हैं, आप असफल हो जायेंगे क्योंकि जन सहयोग आपको मिलता नहीं है । उसको आप पाने में असमर्थ हो गये हैं तो दूसरा कोई आलटरनेटिव नहीं है, पंचायती राज को सफल

51

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बनाने के लिये। पंचायती राज को सफल बनाने के लिये आपको उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिये उनको ऑब्लीगेटरी टैक्स लगाना पड़ेगा। जब तक यह ऑब्लीगेटरी टैक्सेज नहीं लगायेंगे तब तक पंचायती राज आपका सफल नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा मैं अब कुछ पंचायत समितियों के अन्दर जो जीपें हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसके बारे में मैंने सदन में भी प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय, आज जो पंचायत समितियों की जीपें हैं कलेक्टर लोग लेवी के प्रश्न को लेकर, फेमिन की बात को लेकर उन जीपों का रिक्वीजीशन कर लेते हैं। और उन्हें बुरी तरह से काम में लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पंचायत समितियों की जीपों की भयंकर दुर्दशा है। वह जीपें काफी समय तक उनके काम आती रहती हैं तो इसके बारे में राज्य सरकार कोई उचित कार्यवाही करे। ठीक है, अगर कोई युद्ध का समय हो और आप उनका उपयोग करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन फेमिन और लेवी के नाम पर आप उनका उपयोग करते हैं और उसमें अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो आपको उसे ठीक करानी चाहिये, उल्टे आप उसे पंचायत समितियों में ही भेज देते हैं। यह कहां का न्याय है? इस प्रकार आप पंचायत समितियों को कमजोर करने जा रहे हैं। आपके जिला प्रशासन के अधिकारी कलेक्टर्स, एस. डी. ओ. वगैरह इन जीपों का दुरुपयोग करते हैं और उनमें जब टूट फूट होती है तो उसे ठीक नहीं कराते हैं। यह बात अनुचित है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पंचायत एण्ड डेवलपमेन्ट मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इसके बारे में रोक लगायें और पंचायतों को कमजोर नहीं होने दें। और जो भी हर्जाना होता है वह पंचायत समितियों को उसके लिये दिलवाने की व्यवस्था करावें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा वह है ग्राम सेवकों के बारे में। यूं तो, अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों के बड़े कर्त्तव्य हैं और वह पंचायती राज में काफी महत्वपूर्ण रौल अदा कर सकते हैं। पर यह देखा गया है, और खास तौर से मैं तो मेरे जिले के अनुभव के आधार पर यह सकता हूं कि ग्राम सेवक कोई काम नहीं करते हैं वैसे अगर आप देखें तो मैं यह कहूंगा कि आज पंचायतों के पास काम ही क्या है। आपने वैसे भी पंचायतों को क्या काम दिया है? आज उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है? उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ग्राम सेवक जैसी एजेन्सी के जरिये हम विकास कर सकते हैं अगर हम विकास करना चाहते हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको पंचायत समितियों को पावर्स देनी होगी। मगर आपने वास्तव में अभी कोई काम पंचायत समितियों को नहीं दे रखा है। जो काम दे रखा है वह बहुत कम दे रखा है इसके लिये मैं कुछ आंकड़े निवेदन करना चाहूंगा। जसे ग्रामीण नलकूप योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों को 73-74 में जो दिये हैं वह नहीं किये हैं सन् 71-72 में आपने ग्रामीण नल कूप योजना के लिये 55 लाख रुपये खर्च किये थे, सन् 72-73 में 95 लाख रुपये का खर्चा करने का प्रावधान रखा था, उसमें आपने 94.41 लाख रुपये खर्च किया। ग्रामीण नलकूप योजना 73-74 में 50

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था पर आपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इसी प्रकार कृषि के लिए 73-74 में 56.10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। पर वास्तविक व्यय आपने एक भी पैसा नहीं खर्च किया। अकाल के बारे में भी आपने व्यय का एक भी पैसा राशि खर्च नहीं की। सहकारिता के बारे में 72-73 में 10.70 लाख रुपये खर्च किये। सन् 73-74 में 6.65 लाख रुपये खर्च किये। शिक्षा के अन्दर आपने 71-72 में 1111.40 लाख खर्च किया। सन 72-73 में 1405.36 लाख रुपये खर्च हुआ। सन् 73-74 में 730 17 लाख रुपये खर्च हुआ। समाज कल्याण के लिये 48.31 लाख रुपये खर्च हुआ। यह खर्चा हुआ आपका सन् 71-72 में। और फिर 73-74 में 13.60 लाख रुपये खर्च हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दिनों दिन हम धन खर्च कम करने की ओर जा रहे हैं। इसके लिये आपको अधिक खर्चा करना चाहिये। जो महत्त्वपूर्ण विषय हैं उन पर तो कम से अधिक खर्चा किया जाना चाहिये। जहां अधिक खर्चा किया जाना चाहिये वहां कम से कम खर्च किया जा रहा है और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही खर्च नहीं किया गया है। तो आप जो पंचायती राज है उसको कमजोर करते जा रहे हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पंचायत मन्त्री जी से निवेदन है कि आप इसे कमजोर नहीं होने दें आपको चाहिये कि आप इस पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था करावें।

अब कुछ सहकारिता विभाग के बारे में भी अपने विचार रखना चाहूंगा।

(12.45 म. प)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सहकारिता विभाग के बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेकर दो तीन खास बातें हैं उन्हीं को निवेदन करना चाहूंगा। सिर्फ दो तीन तथ्यों के बारे में ही चर्चा करूंगा। क्योंकि सदन के काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये मैं समय कम लेने की कोशिश करूंगा। पहला विषय तो यह है कि आज जो हमारी सहकारी समितियों के चुनाव कराने की जो प्रणाली है वह बहुत ही दूषित है इसमें जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जो सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं उसमें को-ऑपरेटिव इन्सपैक्टर और असिसटेन्ट को-ऑपरेटिव इन्सपेक्टर्स ही चुनाव कराते है। और यही कारण है कि उनके चुनाव कभी निष्पक्ष नहीं होते हैं। आज जिस तरह से हमारी पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष होते है उन्हीं के माफिक को-ऑपरेटिव संस्थाओं के चुनाव होने चाहिये। आज वहां पर कितने केन्डीडेट खड़े हुए उसकी कोई लिस्ट पब्लिश नहीं होती, ऑब्जेक्शन उन पर कोई प्रकार के इन्वाइट नहीं होते हैं। और पता नहीं कब और किस प्रकार चुनाव हो जाते हैं। मतदाताओं को भी मालूम नहीं होता है कि कौन कौन से सदस्य हैं। तो इसके बारे में पंचायत और सहकारिता मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके चुनाव इलेक्शन विभाग के द्वारा कराये जाने चाहियें, जिस प्रकार कि पंचायतों के चुनाव होते हैं। अगर आप इलेक्शन विभाग से चुनाव करायेंगे तो चुनाव निष्पक्ष होंगे। वरना चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो फिर इसमें भ्रष्टाचार

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

को प्रोत्साहन मिलेगा। आज ऐसा हो रहा है कि कई बोगस को-ऑपरेटिव सोसाईटीज का निर्माण हो रहा है। इसलिये अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो इन बोगस को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को हमें समाप्त करना पड़ेगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह औद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। औद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में मैंने सदन में एक प्रश्न भी पूछा था उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहां पर बाड़मेर जिले में 162 औद्योगिक सहकारी समितियां हैं जिसमें 51 औद्योगिक सहकारी समितियां ही चल रही हैं। बाकी की तो बिलकुल ही बन्द हो गयीं। इनमें 111 ऐसी हैं जो कि असफल हो गयी हैं अब यह स्थिति है कि बाड़मेर जिले में बाकी दूसरी जगहों की तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि आज ऐसी तरह गृह उद्योग जो सहकारिता के आधार पर चलाये जा रहे हैं उनकी हालत खराब है, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आज उनकी अवनति हो रही है। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। इसके लिये हमें गहराई में जाने की जरूरत है और पता लगाना चाहिये कि आखिर यह असफल क्यों हो रही हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अनुभव के अनुसार सहकारी विभाग और उद्योग विभाग दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से जो भी सहकारी विभाग लिख कर भेजता है उस पर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन करके भेज देता है और जो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट लिखता है उसमें सहकारिता विभाग ऑब्जेक्शन करके भेज देता है तो इन दोनों के झगड़े में आज यह असफल हो रहे हैं।

इसी प्रकार श्रमिक सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आज उन श्रमिक सहकारी समितियों में वही ठेकेदार लोग हैं उन्होंने ही श्रमिकों के नाम को सहकारी समितियां बना ली हैं और उनका फायदा वही ठेकेदार लोग उठा रहे हैं। उन्होंने काफी धन बना लिया है। आज वह लोग इन सहकारी समितियों का कोई हिसाब किताब नहीं लिखते हैं और उसका सारा का सारा लाभ वही उठा रहे हैं और वे बारे श्रमिक लोग उससे वञ्चित रह रहे हैं। वह लोग कभी भी मीटिंग तक नहीं बुलाते हैं इस प्रकार वहां पर बोगस श्रमिक सहकारी समितियां बनायी हुई हैं। आज उनका कुछ व्यक्ति ही अनुचित लाभ उठाते जा रहे हैं, तो कुछ ही व्यक्तियों का उन श्रमिक सहकारी समितियों का लाभ उठाना कहां तक उचित है? यह कदापि उचित नहीं है। इस कोऑपरेटिव मूवमेन्ट के बारे में मेरा निवेदन यह है कि आपको गहराई से सोचना चाहिये। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कोई भी इन्डिविजुअल समिति बना कर नाजायज फायदा उठा लेते हैं। सदस्यगण को लाभ नहीं होता और प्रेसिडेन्ट और सेक्रेटरी की ही वे सोसाइटीज होती हैं। आज शक्कर का धन्धा करें तो वे ही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। जिस प्रकार महाजन करप्शन का काम करता है वे सोसाइटीज भी करप्शन का काम करती हैं। सहकारिता के मूवमेन्ट को सफल बनाना है तो मंत्री महोदय जो सहकारिता पर विश्वास करते हैं और प्रगतिशील विचार के हैं उनको चाहिये कि इस सहकारिता मूवमेन्ट को ओवर हाल करके, महत्वपूर्ण परिवर्तन करके, इलेक्शन का सिस्टम चेन्ज करके, इसका जो सिद्धान्त है "एक सबके लिये और सब एक

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के लिये" उस सिद्धान्त पर चल कर कोग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट को सफल बनाने का प्रयत्न करें। हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहकारिता आन्दोलन सफल हो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी सहकारिता के सम्बन्ध में और पंचायत के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव है उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक सहकारिता का प्रश्न है जिला झालावाड़ के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहूंगा। 200 से ऊपर कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज वहां पर हैं। उनकी हालत ऐसी हो गयी है कि उनको यदि भ्रष्टाचार की दुकानें कह दिया जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा। कई सहकारी समितियों में हजारों रुपयों का गबन है। उनके विरुद्ध शिकायतें होते हुए भी न तो अध्यक्ष को बदला गया है और न हीं मंत्री को बदला गया है। न ही चुनाव हुए हैं और न ही गबन से सम्बन्धित मामले पुलिस को दिये गये हैं। कुछ समितियां हैं जैसे ग्रोडिया खेड़ी, हिम्मतगढ़, थोबड़िया, नसीराबाद ये ऐसी सोसाइटीज बनी हुई हैं जो बोगस हैं जिनमें 25 से 50 हजार रुपये तक का गबन है। उनके विषय में वहां के विधायक ने और मैंने भी शिकायतें की लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। जब भी जवाब मिलता है यही मिलता है कि नोटिस दे दिया है और चालान कर दिया है। यदि सहकारी समितियों की यही हालत रही तो सहकारिता पर विश्वास करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। और सहकारिता आन्दोलन ही बदनाम हो जावेगा। कुछ लोग मिल कर सारा पैसा खा जाते हैं। जिला झालावाड़ में 80 सहकारी समितियों में गबन है, भ्रष्टाचार है और इस सम्बन्ध में असेम्बली में भी कई बार सवाल आये हैं। इसलिये मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच करायी जाय क्योंकि आज तक जांच नहीं हुई है। उन लोगों को वैसे का वैसा ही छोड़ रखा है इसका क्या कारण है? यह तो मंत्री महोदय बतायेंगे ही।

सहकारी समितियों में एक बोगस काम यह हो गया है कि जून का महीना होता है, कर्जे को बेबाक करने का मौका आता है, वह रुपया अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष तीनों मिल जमा करा देते है। दो तीन रुपया सैकड़ा का सूद किसानों से ले लिया जाता है और इस प्रकार से दस दस वर्ष से रकम वसूल नहीं हुई है। एक साथ रकम दे दी जाती है और वे लोग उस रकम को अपने काम में ले लेते हैं। काश्तकारों के पास वास्तव में कितनी रकम गयी है और कितनी रही है, कितने बोगस अंगूठे उन पर लग रहे हैं उस सबकी शिकायतें आपके पास आ चुकी हैं और सहायक रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार तक ये शिकायतें पहुंच चुकी हैं। उन लोगों की आज तक जाच नहीं हुई है। आपको यह मालूम होगा कि जो सहकारिता के मेम्बर नहीं हैं उनको वह रकम कैसे दी गयी है? मंत्री महोदय, इस संबंध में जल्दी से जल्दी एक बड़े अधिकारी को लगा कर इसकी जांच करें तो पता लग जावेगा कि को-ऑपरेटिव बैंक की 1 करोड़

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

से ऊपर की रकम थी, आधी रकम बोगस तरीके से हजम कर ली गयी है। जब जांच अधिकारी बैठेंगे, लोगों को सामने खड़ा करेगा तो पता लगेगा कि कितनी रकम लोग खा गये हैं और कितनी रकम सही है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसकी ईमानदारी से जांच करायी जाय यदि कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट में लोगों का विश्वास रखना है तो। लोग वहां छाये हुए हैं, उन्होंने ऐसे गिरोह बना रखे हैं कि वे ही लोग वहां पर चुनाव में जीत कर आते हैं और सहकारिता में लोगों का विश्वास था उसको भी खत्म करते जा रहे हैं।

ग्राम पंचायतों की हालत यह है कि 9 साल से ऊपर का समय हो गया, चुनाव नहीं हुए हैं। न मीटिंग्स होती हैं, न ही तहकीकात शिकायतों की होती है और न ही किसी प्रकार की उनके कार्य की जांच होती है। पंचायतें नाममात्र की रह गयीं हैं। कोई उनका फंक्शन नहीं रहा है। न तो कोई कार्यवाही है, न मीटिंग होती है और न ही गांव वालों का वहां पर भरोसा रहा है। इस प्रकार आज ग्राम पंचायतों की हालत हो गयी है। एक पंचायत रटलाई है 23-8-72 को उसके अन्दर अनियमितताओं की शिकायतें पहुंचायी थीं लेकिन आज तक उसकी कोई जांच तक नहीं हुई है और हजारों रुपयों का गबन है। अवैध तरीके से काफी जमीनों को, जो कि चार-चार हजार की कीमत की थीं, चालीस-पचास में अलॉट कर दिया है। मनमाने तरीके से जमीने दे दी गई हैं। गांव वालों ने भी देखा कि न तो शिकायतें होती हैं और न ही जांच करने वाले आते हैं तो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। गबन और भ्रष्टाचार करके पंच, सरपंचों ने रकम को हड़प लिया। काफी शिकायतें की गयी। 8-10-72 को जिलाधीश ने भी लिखा कि सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जाय परन्तु दो वर्ष के बाद भी सरपंच घूमते रहते हैं और कोई परवाह नहीं करते हैं। गांव में चारों तरफ के रास्ते बन्द हो गये हैं। इस पंचायत के बारे में जांच की जाय और सरपंच को निलम्बित किया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्रीजी का सहकारिता विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सहकारिता विभाग एक बहुत ही आवश्यक विभाग है। सहकारी आन्दोलन के आधार पर ही जनतन्त्र में तरक्की की जा सकती है यह मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से यह चल रहा है इससे कोई तरक्की होने वाली नहीं है इसको सही रूप से चलाना है तो इसके लिये मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, जिसको लागू करके इसके अन्दर अमेन्डमेन्ट लायें। उपाध्यक्ष महोदय, यदि यू. पी. के पैटर्न पर वसूलात की कार्यवाही की जाय तो आज जो स्थिति है उसमें बहुत तरक्की हो सकती है, भ्रष्टाचार और गबन में काफी कमी आ सकती है। यू. पी. के पैटर्न में सबसे अच्छी बात यह देखने को मिली है कि जो सहकारिता के ऑडिटर्स हैं वे सीधे वित्त विभाग से सम्बन्धित हैं इसलिये ऑडिट वहां पर सही होता है और किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो फौरन पकड़ी जाती है।

(श्री अजीतसिंह)

सहकारी समिति के पास जो पैसा आता है उसके हिसाब का ऑडिट होने पर गलती पकड़ी जा सकती है और उसको दुरुस्त किया जा सकता है। इससे यह पता चल जाता है कि समिति को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। हर एक इन्ट्रेस्टेड आदमी उसका पता लगा सकता है। ऑडिटर्स रजिस्ट्रार के नीचे होते हैं यहां पर, इस कारण सही ऑडिट नहीं हो पाता है और दबाव में कई बातें छोड़ दी जाती हैं। इससे सहकारी समितियों को काफी नुकसान होता है, राज्य सरकार के सामने घोटाले नहीं आते हैं और काफी नुकसान होता है।

दूसरी व्यवस्था यह है कि वसूली करने की जो पद्धत्ति है उसमें फोर्स लगा रखी है। अपने यहां तो हालत यह है कि पैसा वसूल ही नहीं होता है। या तो गांव के अन्दर जाने के साधन नहीं होते हैं, चैक नहीं होता है इसलिए वे कोई परवाह भी नहीं करते हैं, पैसा लेते जाते हैं और सोचते हैं कि अपने को वापिस देना नहीं पड़ता है। यदि कोई बात सामने आती है तो कार्यवाही होकर सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और मन्त्री महोदय के पास आती है और वे उसको वापिस रिमान्ड कर देते हैं। वह वापिस चली जाती है और इस प्रकार लौटा-फेरी होती रहती है और वस्तुस्थिति प्रकाश में नहीं आ पाती है। गबन भी खूब किये जाते हैं और शिकायतें भी राज्य सरकार के पास पहुंचती रहती है। इसको रोकने की कोई सही पद्धत्ति अब तक नहीं अपनायी गयी है। वैसे काफी कोशिश की गई थी पहले भी। कई बड़े बड़े घोटाले हैं। प्रभावशाली लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। लाखों रुपयों का गबन है और कोई सुनने वाला नहीं है और बार बार रिमान्ड हो जाती हैं और सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और मन्त्री के बीच में लौटा-फेरी इनकी होती रहती है। और कोई उसका नतीजा नहीं निकल पाता है।

बहुत से केसेज आई. पी. सी के तहत पुलिस की मार्फत कोर्ट में जाते हैं। पुलिस के पैकार ध्यान नहीं देते और इस कारण केसेज सफल नहीं हो पाते हैं। जिसने भी कसूर किया है वह सजा नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को बदल कर जो कोई भी व्यवस्था कीजिये लेकिन कसूरवार को अवश्य सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को सहकारिता में विश्वास जम सके। आज तो लोगों का एक तरीका बन गया है कि सहकारी समिति बनाओ और पैसे का गबन करो। इसलिए इसके मूल रूप में परिवर्तन लाना पड़ेगा तब ही जाकर भ्रष्टाचार कम होगा और सहकारिता से लोगों को लाभ मिलने वाला है वह निश्चित रूप से मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे।

अब मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी टोंक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था और उक्त मन्त्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि होलसेल भंडार को बन्द कर दिया जावेगा, लेकिन माननीय मन्त्री जी, आज तक भी वह होलसेल भंडार लिक्विडेट नहीं हुआ। लाखों रुपयों का उसमें घाटा जा रहा है और शेयर होल्डर्स हैं वे बेचारे गरीब लोग हैं उनका सारा पैसा डूब गया है। आज हालत यह है कि नयी

(श्री अजीतसिंह)
व्यवस्था के तहत उस होलसेल भंडार को कपड़ा और दे दिया गया है। गरीबों को तो मिलता नहीं कपड़ा और ऊपर के प्रभावशाली लोग खा जाते हैं। एक गज भी होलसेल भंडार गरीबों को कपड़ा नहीं देता है। इसलिये इसको बन्द करके उचित व्यवस्था करेंगे तो उचित होगा। वरना स्थिति यह रही तो लाख-डेढ़ लाख का गबन आदि है वह और बढ़ता ही चला जावेगा। इसलिये इसको निजी रूप से इस पर ध्यान देकर बन्द करिये, या लिक्विडेट करिये या कुछ ऐसी व्यवस्था करिये कि जो पूंजी लगी है उससे जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिये वह उनको मिल सके।

मार्केटिंग सोसाइटीज की हालत यह है कि उनमें कपड़ा, खाद वगैरह नहीं रखते हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज के जो सदस्य हैं, नियम यह है, उनको खाद दिया जावेगा, कपड़ा दिया जावेगा तो यह अनुचित है। मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा ये उपभोक्ता वस्तुएं तो सबको मिलनी चाहियें, हां उससे होने वाला मुनाफा सदस्यों को चला जाय। इसलिये मन्त्री महोदय ध्यान देकर इस व्यवस्था को भी ठीक करें।

अब जहां तक इन सोसाइटियों की बैठकों का सवाल है नियमानुसार कभी कोई बैठक नहीं होती। साल भर में बैठक होती है और रस्म पूरी कर दी जाती है। हिसाब वगैरह लोग देखना चाहें तो वह नहीं दिखाया जाता। जवाब मांगते हैं तो उत्तर नहीं मिलता। आखिर इसमें पूरा स्टाफ है मैनेजर रहता है, हिसाब किताब प्रोफार्मा के अनुसार रखना होता है, नियम-कानून-कायदे हैं फिर हिसाब क्यों नहीं दिखाते हैं?

मैं टोंक की अर्ज करूंगा। बार बार मांगने पर भी न हिसाब-किताब दिखाया जाता है और न कोई जानकारी दी जाती है। मांगते हैं तो जवाब टाल देते हैं। सिवाय इसके कि हैरान होकर आपसे निवेदन करूं और कोई रास्ता नहीं है। आज यह सोसाइटियां बिना लगाम के घोड़े की तरह हैं। आप इस सहकारिता पर किसी तरह से लगाम लगावें और इसे ठीक तरह से चलावें। इसमें मूलभूत परिवर्तन करें। सहकारी विभाग अगर ठीक तरह से नियमानुसार चले तो जनता का बहुत हित हो सकता है। पर आज तो भ्रष्टाचार का यहां बोलबाला है।

एक माननीय सदस्य : इस बेलगाम के घोड़े को सरकार लगाम कब तक लगा देगी?

श्री अजीतसिंह : ऑडिट रिपोर्ट जो पेश करते हैं। ये यहां तक हिम्मत कर जाते हैं कि उस ऑडिट रिपोर्ट तक को बदल देते हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है। बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट में भी गोलमाल कर दिया जावे इससे बढ़कर और बात क्या होगी तो आप इस विभाग को तत्परता से और बारीकी से देखें और दृढ़ता से इन बुराइयों को रोकने का प्रयत्न करें।

अब थोड़ा मैं पंचायत समितियों और पंचायतों पर निवेदन करना चाहूंगा। हड्डी ठेका, मछली ठेका, चरागाह में तेंदू पत्ते आदि के ठेके आदि से इनको आय होती है। इस आय से शिक्षा का खर्चा ये चलाते हैं, पर आज हालत यह है कि इस पैसे को और कामों में ही खर्च कर दिया जाता है। शिक्षा का सीगा अछूता ही रह जाता है। मेरे जिले की पंचायत समिति के लिये मैं कह सकता हूं कि

(श्री अजीतसिंह)

शिक्षकों की तनख्वाह में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक-डेढ़ लाख जो था वह भी खर्च कर दिया। आपने शिक्षा पर खर्च करने के लिये इनको शिक्षा सैस के रूप में यह पैसा दिया था और वह इसलिये दिया था कि वे स्कूलों के लिये मकान बनायेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और दूसरी देखभाल के लिये खर्च करेंगे। पर हुआ इससे उल्टा है। यह कौनसी व्यवस्था हुई ? इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षा के लिये जो सैस वसूल हुआ है उसको शिक्षा के मद में ही खर्च किया जाय. ऐसी व्यवस्था आप करें और जैसी इसके लिए योजना बने उसी के मुताबिक खर्च हो तो उचित होगा। हड्डी ठेका के लिये मैं निवेदन करता हूं. हड्डी ठेका की हालत यह है कि टुकड़ों में आप नीलाम करें तो ज्यादा आमदनी हो सकती है। छोटे-छोटे बोली देने वाले कॉन्ट्रैक्टर उसमें हो सकते हैं। पूरी पंचायत समिति का ठेका देते हैं तो वह 25-30 हजार तक पहुंच जाता है और कोई छोटा आदमी दे नहीं पाते हैं और बड़े आदमियों ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। छोटे ठेकेदार पनप नहीं रहे हैं इसलिये टुकड़ों में दें तो अच्छा रहे। छोटे वर्ग के लोग है उन्होंने समिति बना रखी है। जैसा मीठालाल जी ने कहा, कोई ठेका पंचायत समिति नहीं देती है, छोटा आदमी बोल नहीं सकता है पैसे वाले उसको दबा देते हैं इसलिए आप जब तक सही व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उन्हें ठेका देने वाले नहीं हैं। यह हड्डी ठेका कीमती है। मोनोपोली कर रखी है पैसे के जोर से और छोटे आदमियों को बोली नहीं लगाने देते हैं। डण्डे के जोर से कर रखा है, राजनैतिक कारणों से दबा रखा है इसलिए टुकड़ों में यह व्यवस्था हो जाय, नीलाम करने की और मोनोपोली को खतम कर दिया जाय तो अच्छा रहे।

चरागाह में तेंदू पत्ते का पंचायतें देती थीं किन्तु अब इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे है। तेंदू पत्ते चरागाह में होते हैं अतः इसका शेयर पंचायत समितियों को मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। दूसरे चरागाह प्रॉपर्टी है पंचायत की लेकिन कोई काश्त कर लेता है, खेती कर लेता है। इसके उपर अतिक्रमण करता है तो आप जब्त कराइये। यह प्रॉपर्टी तो आपके विभाग की है। मैं यह चाहूंगा कि उनकी खेती को कुर्क किया जाना चाहिये, क्योंकि पंचायतों में चरागाह भूमि का अतिक्रमण होता जा रहा है। लोग जबर्दस्ती काश्त करते जा रहे हैं। सरपंच को वहां से वोट लेना है, इसलिये वह बोलता नहीं है बल्कि कई स्थानों पर सरपंच मिलकर ही काश्त करवा रहे हैं और खा रहे हैं। इसका हर गांव में उदाहरण मिलेगा। चरागाह की प्रॉपर्टी को पंचायत की मानते हैं तो इसकी उचित व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके साथ ही सिंचाई के बारे में निवेदन करूंगा। छोटे छोटे तालाब पंचायत समितियों के पास हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, मेन्टीनेन्स के लिए पैसा नहीं है। टूट जाते हैं, बिना मरम्मत पड़े रहते हैं। ग्राम सेवक पैसे खा जाते हैं। इसलिये यह चाहूंगा, कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये तालाब दे दें और यदि आप यह उचित समझते हैं कि पंचायत समिति के पास रहें तो उनकी मेन्टीनेन्स के लिये फन्ड्स की व्यवस्था कराई जाय ताकि पंचायतें छोटे छोटे तालाब आदि की मरम्मत करा सकें। और अगर

(श्री अजीतसिंह)

गांव वालों को ही कहें तो वे भी व्यवस्था कर सकते हैं। उनमें नालियां नहीं है, मोरियां नहीं हैं इसलिए उपज में भी नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पाईन्ट पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु!

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामेरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम दो ऐसे मुर्दों का पोस्टमॉर्टम कर रहे हैं जिनको सरकार ने खतम कर दिया है। एक तो खुद की नीति से और दूसरे को खास लोगों को प्रोत्साहन देने की नीति से। सबसे पहले मैं उस सड़े-गले मुर्दे विभाग की बात करता हूं जिसकी मांग आज मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत की है।

जो सरकार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करा सकती है और जो एग्जिस-टेन्स में नहीं हैं और उसके खर्चे के लिये मांग करें, सबसे ज्यादा शर्म की बात है। लेकिन आपने बेशर्मी से मांग रखी है। आज पंचायतों की दुर्दशा हो गई है—सरपंच, पंच, प्रधान, जिला प्रमुख जिनको कि तीन साल के लिए जनता ने चुना था आज सरकार कानून के डण्डे, अपनी स्वार्थी भावनाओं से और निकम्मेपन से उनके कार्यकाल को बराबर बढ़ा रही है और सरकार ख्वामख्वाह उनकी लाश को सिर पर लिये फिर रही है। आज जनता में सरपंच के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। तीन साल के चुनाव 9 साल तक नहीं हों तो जनता में कैसे विश्वास हो ?

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे समय में निर्वाचित लोगों को प्रतिद्वन्दियों को कुचलने का और अपने लोगों को जायज-नाजायज लाभ पहुंचाने का अवसर मिला है। खासतौर से राहत इन संस्थाओं को पहुंचती है तो जो मदद मिलती है वह उन्हीं लोगों तक सीमित रहती है जो राजनैतिक तरीके से ग्रुप बना कर बैठे हैं। पंचायत राज के मामले में मुख्य मन्त्री महोदय ने एक सुन्दर घोषणा की कि चुनाव अवश्य होंगे और बड़ी दृढ़ता से करेंगे और चुनाव न कराने का कोई प्रश्न ही नहीं है, चुनाव अवश्य होंगे। अब बहाना बना रहे हैं कि अगस्त में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इसके लिये तीन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, जब गुजरात में विधान सभा भंग हो गई और चुनाव नहीं होते हैं और फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कानूनी तरीके से यह अवश्य पुनः देख लें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कॉन्स्टीट्यूशन के तहत इसके लिए लाजमी है ? अगर लाजिमी है तो आज की परिस्थितियों में सम्भवतः पूर्ति हो सकती है और यह पूर्ति जल्दी से की जानी चाहिये जिससे प्रक्रियां चालू रहें। परन्तु इन झूठे बहानों से जिस राजस्थान ने पंचायती राज को जन्म दिया, पंचायत राज सिस्टम को जन्म दिया, वह जन्म देने वाली राजस्थान सरकार ही उसको खतम करे अपने हाथों से तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है और मेरी समझ में यही आता है कि चुनाव न कराने के पीछे राजनैतिक कारण हो सकते हैं और साथ ही सरकार का दिवालियापन भी हो सकता है, क्योंकि पंचायत राज चुनाव में 60-70 लाख का खर्चा हो सकता है। लेकिन

60

(श्री मूलचंद सामरिया)
मुख्य कारण यह नहीं बताया गया है। मुख्य कारण बताया गया है बाई इलेक्शन रिक्त स्थानों का करवाना है और कहते हैं और कोई कारण नहीं है। मैं कहता हूं यह कॉमनसेन्स वाले आदमी के गले उतरने वाली बात नहीं है।

मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जो नक्शा जनता के सामने जाता है वह बहुत बेहूदा है। अगर सरकार मनन करेगी तो शर्म आयेगी और इस प्रकार की मांगें रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। पंच, सरपंच, प्रधान व प्रमुखों की मृत्यु हो गई लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं होती है तो क्यों नहीं सरकार इन बैठे हुये जागीरदारों को रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर के मुताबिक प्रधान, प्रमुख, सरपंच, पंच को स्थायी बनाने का अधिकार क्यों नहीं दे देती है? जिससे मुकम्मिल तौर पर चुनाव कराने का सरदर्द खतम हो जाय और साथ ही इतना संशोधन कर दिया जाय कि किसी सरपंच, पंच, प्रधान या जिला प्रमुख की मृत्यु हो जाय तो उसके रिक्त स्थान पर नियम के मुताबिक उसके उत्तराधिकारी से ही सीट फिलअप की जायगी और उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ला औलाद फौत होता है तो उसके मरने के पहले उसके द्वारा जो वसीयत लिखी जावे उसके आधार पर ही रिक्त स्थान की पूर्ति करा दी जायगी। मैं समझता हूं सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये....

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरपंच की मृत्यु हुई है, पंचायती राज की नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इतने समय तक पंचायत राज के चुनाव न करवाने का मतलब है, प्रेक्टिकल रूप में तो मृत्यु ही हो गई है और उसकी लाश इतनी सड़ गई है कि उसमें बदबू आने लग गई है, और बदबू के कारण दूसरे लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने हाई पॉवर कमेटी बनाई, उस हाई पॉवर कमेटी की रिपार्ट आई और उस कमेटी ने सजेशन दिये कि चुनाव जल्दी से जल्दी होनी चाहिये, क्योंकि जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। उसके रिवर्स काम हो रहा है। उसकी इन्टरिम रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है और इस कमेटी को बनाने का सरकार ने सिर्फ इसलिए ढोंग रचा था कि कुछ समय के लिए चुनाव को टाला जा सके ..

इस तरह से कमेटी के ऊपर खर्च करना और सिफारिश को नहीं मानना, मैं समझता हूं कि धृष्टता है और जनता के साथ उसके पैसों का दुरुपयोग करके खिलवाड़ करना कहां तक शोभाजनक है, उपाध्यक्ष महोदय?

इसी तरह से आज इन संस्थाओं में, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत घोटाले होते हैं उनके बारे में भी मैं कहूंगा कि यह एक तरह से घोटाला डिपार्टमेंट है। मैं अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। दौसा मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं वहां के बी. डी. ओ. के बारे में निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय थोड़ा भी समझें और पायें कि यह बात सही है तो उसकी जांच कर लें। काला बाजारी में उनका हाथ है, इसकी आप जांच करें। उपाध्यक्ष महोदय, एक नैनू मीणा है जिसकी दस साल पहले मृत्यु हो गई और हमारे बी डी. ओ. साहब ने उसके नाम से सीमेन्ट के 60 कट्टे लेकर उसके कुए का निर्माण

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कराना दिखाया। यदि वह आज से पांच साल पहले तक भी जिन्दा हो तो आप समझ लेना कि मेरी यह बात गलत है। लेकिन आज उसको मरे हुए 10 साल हो गए हैं और इस साल उसके नाम से 60 कट्टे लिए हैं और बी.डी.ओ. ने खुद ने उस व्यक्ति के नाम से लेकर बेचे हैं और लाभ कमाया है। इस तरह की पचासों मिसालें मैं दे सकता हूं लेकिन मैं जानता हूं इनके देने से इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देगी। आप चाहें तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी करा सकते हैं। उनका ट्रान्सफर भी हो गया था लेकिन हमारे वहां के कुछ नेता उनसे खुश हैं, उनके इस तरह के कारनामों से खुश हैं, उनकी इस तरह की बातों को अच्छा समझते हैं इसलिए वह ट्रान्सफर कैंसिल करा कर ले गए। वहां के नेताओं की उनके ऊपर दया है इसलिए उनका ट्रान्सफर कैंसिल हो गया।

दूसरा एक प्रश्न इसमें यह भी था हाई पॉवर कमेटी के सामने कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिए। आप यह देखें कि राजस्थान में कितनी पंचायत समितियों के प्रधान शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, उनके भी आप आंकड़े ले लें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बिना रिजर्वेशन के कितने सदस्य बन सकते हैं। तो इसके अन्दर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसकी वजह से ही कुछ लोग आ सकते हैं अन्यथा मैंने पहले भी चुनौती दी थी कि जब तक आप रिजर्वेशन नहीं करेंगे यह लोग उनमें नहीं आ सकते। जनरल सीट के लिए इलेक्शन है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग नहीं आ सकते क्योंकि आपने जनता के दिमाग में यह बैठा रक्खा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग इस तरह के हैं। इसलिए सही मायने में आप समझें कि पंचायती राज संस्थाओं में इनका भी रिप्रेजेन्टेशन हो तो सिवाय रिजर्वेशन के किसी कीमत पर वह डाइरेक्ट फाइट में नहीं जीत सकते और जब जीत नहीं सकेंगे तो इनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो सकेगा और इस तरह से वह अपने अधिकारों के लिए या अपने विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे और अपने सुझाव नहीं दे सकेंगे। इसलिए आप उचित समझते हैं, आपको कुछ पीड़ा है तो आप इनका रिजर्वेशन करें। इसके ऊपर भी आप गम्भीरता से विचार करें।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहूं तो ठीक नहीं होगा। जिस व्यक्ति का भी दाव लगता है वह दस-पन्द्रह नाम लेकर सहकारी समिति का गठन कर लेता है और फिर उससे अनुचित लाभ उठाता है। इसी आशंका से मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी ने और हिन्दुस्तान के वयोवृद्ध नेता श्री राजाजी ने कह दिया था कि सहकारी समितियों के द्वारा देश का विकास होना मुश्किल है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नहीं रहता है और आज प्रेक्टिल तरीके से उनके कहने की पुष्टि हुई। यह सहकारी समितियां पूरी तरह से हर क्षेत्र में असफल रही हैं। इसी तरह से जो लोग होशियार होते हैं वे उसका फायदा उठाते हैं। मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि गृह निर्माण सहकारी समिति, किसी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सहकारी समिति के जनरल सदस्य को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि किसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए है और देखा जाए तो जनरल सदस्य को उसका कोई लाभ नहीं होता है। अभी इससे पूर्व वाले सेशन में ऋण मुक्त ब्याज देकर गृह निर्माण सहकारी समितियों का काफी स्पीड से निर्माण हुआ लेकिन इस समय शायद उस घोषणा को वापिस ले लिया गया है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को धोखा देकर उनके सैंकड़ों और हजारों रुपये बैंक में जमा करा लिए और उस योजना को अब वापिस ले लिया। मैं समझता हूं कि उन रुपयों को वह वापिस ले सकें इसका तरीका भी आप कोई निकालें और डींग मारने वाली आदत को आप छोड़ दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

लोगों के लाखों रुपये बैंक में हैं और आपने इस योजना को इम्प्रेक्टीकेबल कर दिया। उसमें सहकारी विभाग का सहयोग है और तहसीलदार का भी सहयोग है, सरपंच का भी है और मेम्बर का भी। मैं आपको कहता हूं कि अच्छे से अच्छे पढ़ा-लिखा आदमी भी इस प्रक्रिया को पूरा करके सहकारी समिति गृह निर्माण का गठन नहीं कर सकता था। किसी तरह से किसी ने यह सारी फार्मेलिटीज पूरी कीं तो उस पर ताला लगा दिया। इसलिए मेरा निवेदन करना इतना सा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उनका रुपया वापिस हो जाये ऐसी व्यवस्था आप करा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के चुनावों के बारे में एक अजीबोगरीब स्थिति होती है। जो लोग पद पर होते हैं वह चुनाव करायें या नहीं। कालाडुंद में ऐसी पंचायत समिति है जिसके लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत टाईम निकल चुका लेकिन आज तक उसके चुनाव नहीं हुए। उसकी आप सही जांच करें तो लोग दोषी मिलेंगे। गबन के केसेज हैं। आप राजनैतिक दबाव मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप सहकारी समितियों से लोगों का भला नहीं कर सकेंगे और आप खुद भागीदार होंगे इसको खत्म और इसका कत्ल करने में और इसकी आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसलिए आप ऐसे लोगों की इन्क्वायरी करा कर जो दोषी हों उनको आप सजा दें। अगर यह पता लगे कि अमुक व्यक्ति ने गबन किया है और गबन करने वाले व्यक्ति को समिति से निकाला जा सकता है तो आप इतनी भी पॉवर दिखा दे तो लोगों को विश्वास होगा, नहीं तो आज लोग यह समझते हैं कि सबसे ज्यादा लूट की जा सकती है तो वह सहकारी विभाग में की जा सकती है।

इसी तरह से कुछ बोगस सहकारी समितियां हैं उनके लिए भी आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। कानून में हो सकता है, लेकिन प्रेक्टिकल कुछ नहीं होता है। हड्डी सहकारी समितियों के बारे में मीठालालजी का एक प्रश्न था और इसके बारे में सरकार ने कहा था कि इसके बारे में हम गम्भीरता से विचार करेंगे। उन्होंने एश्योरेन्स दिया और कहा कि अगर पंचायत समितियां चाहें तो ठेका दे सकती हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जहां अगर और मगर का आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कानून बना दिया तो उससे

(श्री मूलचन्द डामरिया)

उनको लाभ नहीं मिल सकता । जहां दो हजार रुपया रिश्वत देकर कोई आदमी ठेका लेगा तो अगर मगर वाले को नहीं दे सकता इसलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए आप उनको पाबन्द करें कि पंचायत समिति 3 साल के पिछले रेकर्ड के अनुसार उनको अवश्य ठेका दिया जाये । मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि बलाई यह काम नहीं करते हैं इसलिए सिर्फ भंगी, सांसी, कन्जर और बावरी जो कि समाज से बिलकुल ही अलग हैं उन्हें आपके नल और बिजली से ताल्लुक नहीं, आपकी सड़कों से ताल्लुक नहीं और वह सरकार से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं उठाते हैं ऐसे लोगों के लिए कम्पलसरी कर दें तो कम से कम ठेका लेकर वह फायदा उठा सकते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनिट और, उपाध्यक्ष महोदय, Only one minute.

अगर कोई ठेकेदार ठेका लेता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उसका फायदा उसी को मिलता है, लेकिन उसका काम भी उन्हीं लोगों को करना पड़ता है । जो लोग फर्जी सहकारी समितियां बना कर बैठे हैं वे उन लोगों के नाम पर नाजायज लाभ उठाते हैं । आप समझ सकते हैं कि जो काम करे उसी को फायदा मिलना चाहिये, यह सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिले ताकि वे लोग भी अपने बच्चों को दो टाइम की रोटी दे सकें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह कम्पलसरी कर दीजिए कि इनकी सहकारी समिति को अनिवार्य रूप से ठेका दिया जाएगा और अगर नहीं देते हैं तो उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा संतोषप्रद । नहीं तो प्रधान लोग इसी प्रकार से नाजायज फायदा उठाते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंतसिंह नाहर !

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी !

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी !

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास योजना की मांग पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं सरकार से कुछ निवेदन करना चाहूंगी । भारत में सहकारिता का आरम्भ हुए लगभग 70 वर्ष हो गए हैं । और मैं समझती हूं कि भारत विकासशील देशों में सबसे आगे रहा है इसी सहकारिता के माध्यम से पंजाब में गेहूं क्रांति, महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में क्रांति तथा गुजरात में कपास में क्रांति हुई है । राजस्थान में भी यदि हम देखें तो 30 जून, 73 तक 94 प्रतिशत गांव और 48 प्रतिशत किसान जो हैं इन सहकारी समितियों के अंतर्गत आ चुके हैं । परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, ऊपरी तौर पर यह चित्र हमें बहुत ही सुन्दर प्रतीत होता है । इस चित्र को यदि हम नजदीक जाकर देखें तो हमें बहुत अधिक धब्बे दृष्टिगोचर होंगे । आज ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में सहकारिता का लाभ अधिकांश, कहना यह चाहिए कि 90 प्रतिशत जो है उन्हीं लोगों को मिला है, जो समृद्ध किसान हैं । उन्हीं समृद्ध

Page No 64

64

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

किसानों को मिला है, उन्हीं बड़े व्यापारियों को मिला है और बड़े कारोबार करने वाले हैं उन्हीं को मिला है। एक साधारण किसान एक गरीब किसान, एक अशिक्षित समाज या उपभोक्ता के पास सहकारिता का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। आज हम देखें कि ऋण संस्थाओं की स्थापना की गई किसानों को ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए-तीन प्रकार के ऋणों को सहकारिता के माध्यम से व्यवस्था की गई, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण। परन्तु ये ऋण जो दिए गए हैं इनसे उनका विकास नहीं करके उनके पतन का रास्ता खोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी समितियों की भी कमी नहीं है, ऐसी ग्राम सभा सहकारी समितियों की संख्या कम नहीं है, जहां पर गलत तरीके से या फर्जी तरीके से लोगों के अंगूठे लगा कर बहुत अधिक मात्रा में धन-राशि उठा ली गई और फिर जो वसूली का फंदा है वह अशिक्षित, भोले और उन असंगठित किसानों के गले पर आकर पड़ा है। इस प्रकार की सहकारी समितियों के नाम यदि मैं गिनाऊं तो मैं समझती हूं कि इससे सदन का समय व्यर्थ जा सकता है। मैंने पिछली बार भी सदन में निवेदन किया था और एक प्रश्न भी पूछा था मेरे क्षेत्र की एक ग्राम सेवा सहकारी समिति सभवली (सादड़ी) के बारे में जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें इस प्रकार के गबन के घोटाले हैं। इस प्रकार की राजस्थान में हजारों सहकारी समितियां कायम कर दीं गई जहां पर फर्जी अंगूठे लगवा कर लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सहकारी आन्दोलन जो है उसके शरीर का विकास हुआ है परन्तु हमें डर है कि कहीं उसकी आत्मा समाप्त नहीं हो जाय। इस प्रकार की अवस्था में यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी जिसका हम मुकाबला नहीं कर पायेंगे। प्रबन्ध व्यवस्था को भी हमें मूल रूप से परिवर्तित करना होगा। सैद्धान्तिक रूप से परिवर्तित करना होगा। जो अकुशल प्रबन्धक हैं उनके स्थान पर प्रशिक्षित और योग्य प्रबन्धक लगाने होंगे।

चुनाव पद्धति के बारे में मुझे अधिक कहना नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि चुनाव की प्रणाली ऐसी बनी है कि जिसमें निडर होकर घोटाले किए जाते हैं। निडर होकर चुनाव लड़े जाते हैं और कुछ स्वार्थी व्यक्ति ही पुनः उस समिति में आना चाहते हैं और पुनः अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस चुनाव प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह चुनाव इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा ही कराये जावें तो अधिक उपयुक्त होगा।

कृषि सहकारी समितियां बनती हैं इसलिए कि को-ऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में तथा इसके साथ जो इसकी अच्छाइयां हैं उसकी कृषकों को कुछ जानकारी हो। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो को-ऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उन्होंने गरीब लोगों का बहुत अधिक शोषण किया है। ऐसी समितियां भी प्रभावशाली व्यक्तियों ने, सरपंच और प्रधानों ने बना लीं और भूमि का आवंटन भी उन्हीं लोगों को कर दिया गया जबकि सामान्य कृषक, सामान्य जो मजदूर है, वह इन सब समितियों से अछूता रहा।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

उपाध्यक्ष महोदय, क्रय-विक्रय समिति की स्थापना की गई और ऐसी समितियां बनाई गई इस उद्देश्य से कि, किसान, जो है, अपनी फसल का विक्रय कर सके और आसानी से क्रय भी कर सके। परन्तु क्रय-विक्रय समितियों पर भी कब्जा उन्हीं व्यापारियों, उन्हीं समृद्ध, व्यक्तियों का है और कहीं पर भी किसानों को या उपभोक्ता को या अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। आज भी किसान को उसी प्रकार से आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ता है जिस प्रकार से पहले करना पड़ता था। सही बात तो यह है कि सहकारिता का मूल सिद्धान्त क्या है इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सम्बन्ध में एक मात्र यही सुझाव देना चाहती हूं कि प्रारम्भिक स्तर पर अर्थात् प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहकारिता की शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सहकारिता क्या है, सहकारिता के लाभ क्या हैं, इसको सही रूप में जान सके। इसके बारे में जानकारी कर सके। आज चावल मिल, दाल मिल, शुगर मिल आदि बड़े बड़े व्यापारियों की बहुत अधिक संख्या में समितियां हैं। हमें युवकों को, उन बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए सहकारी समितियों की संख्या बढ़ानी होगी।

आज उपभोक्ता भण्डारों के बारे में भी हम यदि दृष्टिपात करें तो हमें इसमें भी बहुत अधिक अनियमिततायें दिखाई देती हैं। आज जिन उपभोक्ता भण्डारों को कपड़े का, नियंत्रित मूल्य के कपड़े का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपने की बात उन्हें कही है, उन्हें यह अधिकार दिए हैं परन्तु उसके जो सेंटर हैं वे केवल तहसील हैडक्वार्टर या जिला मुख्यालयों पर हैं, जहां पर कि आम व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जो कार्य कर रही हैं, उन्हीं को यह नियंत्रित मूल्य की जो वस्तुएं हैं, कपड़ा है, खाद्य पदार्थ हैं, उनका आवंटन कर दिया जाना चाहिए जिससे कि किसानों को आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो सकें। आज उपभोक्ता, जो शहरों में रहते हैं, उनको भी नियंत्रित वस्तुओं को प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके सामने दो समस्यायें आकर खड़ी होती हैं। एक तो कार्यालय का समय और दूसरा राशन। वह कार्यालय समय पर पहुंचें या राशन लायें, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से मिलिट्री एरिया में कैंटीन होती है उसी प्रकार से हर कार्यालय में अनिवार्य रूप में उपभोक्ता भण्डार होना चाहिए जहां पर कि नियमित रूप से इन सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में नियंत्रित मूल्य पर वस्तुएं मिल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति से दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह होगा कि उन सरकारी कर्मचारियों का समय व्यर्थ बर्बाद नहीं जाएगा और दूसरा लाभ यह होगा कि आज कल हम देखते हैं कि फर्जी राशन कार्ड बहुत अधिक बनाए जाते हैं, उनका चैक आसानी से हो जायगा क्योंकि कार्यालय का हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को सामने सामने अच्छी तरह से जानता है। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो उपभोक्ता को कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

गृह निर्माण के क्षेत्र में भी सहकारिता एक वरदान सिद्ध हो सकती है। क्योंकि देश की बहुसंख्यक जो जनता है उनको सिर छुपाने को स्थान नहीं है। इस प्रकार का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कुछ राज्यों में हुआ है जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तामिलनाडु में हुआ है परन्तु राजस्थान इस क्षेत्र में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है जब कि राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. के जरिए मकान बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं परन्तु उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। हमने गृह निर्माण सहकारी समितियां बनायीं परन्तु अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा, मैं भी यही कहूंगी कि इसकी सफलता के सामने एक प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है। मैं सहकारिता के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगी कि राजस्थान में अभी सहकारिता एक सुन्दर और बेजान मूर्ति है जिसमें जान फूंकने के लिए शिक्षा का प्रसार करना होगा। शिक्षा ही वह प्रकाश है जिससे कि इस बेजान मूर्ति में जान आ सकती है। इसके माध्यम से व्यक्ति सहकारिता को सही रूप से समझ सकता है।

सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। इसका आरम्भ हमने 35,305 पिछड़े हुए गांवों में विकास का श्रीगणेश करके किया और श्री बलवन्त राय मेहता की सिफारिश मान करके हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की त्रिस्तरीय व्यवस्था कायम की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में हमने 26 जिला परिषदें, 232 पंचायत समितियां तथा 7300 ग्राम पंचायतें स्थापित की। इनमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया गया है जिनको हटाने के बारे में हम नहीं सोचते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के स्वस्थ शरीर को बनाये रखने के लिए निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निरन्तर नये रक्त का प्रवाह बहाना आवश्यक है। परन्तु हमने इस नये रक्त के प्रवाह को रोक दिया है। इसकी वजह से प्रजातन्त्र का स्वरूप विकृत होता जा रहा है। क्यों एक गांधीजी का स्वप्न मिट्टी में मिलता हुआ देख रहे हैं? इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच पाये हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सैद्धान्तिक रूप से सामुदायिक विकास योजना से बढ़ कर ग्राम विकास की कोई योजना नहीं हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से, चहुंमुखी विकास की दृष्टि से, यह सैद्धान्तिक रूप से बहुत अच्छा आधार है परन्तु सामुदायिक विकास योजना कहां तक सफल हुई है, इसका मूल्यांकन करें तो एक अस्पष्ट चित्र हमारे सामने आएगा। यह कहना चाहूंगी कि सामुदायिक विकास योजनाएं आंशिक रूप से सफल हुई हैं, पूरी तरह से सफल नहीं कही जा सकती हैं। इसके अन्दर कुछ खामियां हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनिट और लूंगी।

पहला कारण यह है कि उनके पास साधनों का अभाव है और इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से जो अंशदान दिया जाता है वह कम है जिसके जरिए आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। खण्ड स्तर पर विकास की जो इकाई है, वह मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित लोगों के पास है जो गांव में पहुंचते

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

हैं, पर गांव की परिस्थितियों से कतई अनभिज्ञ होते हैं। दूसरा कारण जो मुझे दिखाई देता है- यह चहुंमुखी विकास के कार्य को हमने ग्राम सेवक को सौंप दिया है जो अल्प आय समूह में होने के कारण, कार्य में निपुणता बनाये रख सकेगा, यह संभव नहीं दिखाई देता है। इसके बारे में हमें सोचना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने खास तौर से ग्राम सेवकों की जो नियुक्ति की है वह सामान्यतः पुरुष वर्ग से ही की है जब कि राजस्थान में 1,000 पुरुषों के पीछे 911 स्त्रियां हैं, अतएव महिला ग्रामसेवक के बारे में भी हमें सोचना जरूरी हो जाता है। इस क्षेत्र में इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिये। महिला मण्डल, जो कि ग्रामों में एक तरह से स्त्रियां ही चलाती हैं, की संख्या करीब 61 है। इसलिए इसकी संख्या बढ़ाई जाये ताकि इसके जरिये हम आगे बढ़ सकें तो यह एक हमारे सौभाग्य की बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पेय जल का कार्य भी सामुदायिक विकास योजनाओं को सौंप दिया गया है परन्तु कूप निर्माण की जगह यह फर्जी बिल निर्माण में बहुत अधिक होशियार हो गये हैं। अतएव ऐसी स्थिति में यह कहना चाहूंगी कि कूप निर्माण के बनिस्पत हेण्ड पम्प ग्रामीण स्थानों पर लगाये जाने चाहिये और यह कार्य जलप्रदाय योजना या उसके विभाग के माध्यम से किया जाना चाहिए जिससे कि पीने के पानी की सुविधा आसानी से मिल सके।

कुपोषण से छुटकारा पाने के लिए सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत पोषाहार के विशेष प्रकार के केन्द्र खोल कर दुग्ध चूर्ण, सोयाबीन तेल आदि के लिए कुछ धनराशि का प्रावधान किया गया है परन्तु यह उन बाल बच्चों के मुंह या भावी माताओं के मुंह में न पहुंच कर बाजार में उन व्यक्तियों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है और ये व्यक्ति बाजार में बेचकर इससे लाभ कमाते हैं। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने जो प्रयत्न किये हैं वे अपर्याप्त हैं। इन युवक मण्डलों के बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगी। इनकी संख्या इस समय 56 के करीब है। जब कि युवक मण्डल के माध्यम से ग्रामीण शिक्षित, अर्द्ध शिक्षित जो युवक हैं, उनकी शक्ति को एक सही दिशा दे सकते हैं, उनको एक सही मार्ग बता सकते हैं। इसके लिए वाचनालय और खेलकूद का विशेष प्रावधान होना चाहिये। इसका सम्बन्ध यदि राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल से जोड़ दिया जाए तो उपयुक्त होगा ताकि समय समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अल्प रोजगार के सम्बन्ध में भी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसके सम्बन्ध में संक्षेप में ही कहना चाहती हूं। आज हम विश्वविद्यालय में ऐसे विषय पढ़ाते हैं जैसे सोशियोलॉजी। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का ध्यान सैद्धांतिक अध्ययन से हटा कर एक व्यवहारिक अध्ययन की ओर मोड़ दें तो अधिक उपयुक्त होगा। यह विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में बैठ कर जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसके स्थान पर गांवों को अपना विषय वस्तु बनायें। यह विषय पढ़ावें तो उपयुक्त होगा। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)…. इस शिक्षा का एक लाभ यह होगा कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन

Page No 68

(68)

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

का एक सही चित्र आ सकेगा। जो कुछ भी आज वे पढ़ाते हैं वह सैद्धांतिक आधार पर होता है और वे पुस्तकें विदेशी व्यक्तियों के द्वारा लिखी होती है। दूसरा लाभ यह होगा कि ग्रामीण व्यक्तियों से इन नवीन व्यक्तियों का सम्पर्क होगा। तो इस रूरल सोशियोलोजी, खासतौर से प्रेक्टिकल के सम्बन्ध में हमें सोचना होगा। नई व्यवस्था, नया स्वरूप लाने के लिए हमें नये खून को आने का रास्ता देना होगा। यह तब होगा जब कि हम जो रास्ता है चुनाव का उसको रोके नहीं रखेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करना चाहूंगी जब तक नये खून को इस क्षेत्र में आने का मौका नहीं देंगे तब तक हमारे सिद्धांत केवल सिद्धांत ही रह जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री किशन मोटवानी !

(अनुपस्थित)

श्री देवालाल !

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रामनारायण चौधरी : याने सब कोई पंचायती राज से खुश हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग की जो मांग है उसके बारे में मैंने कटौती के प्रस्ताव पेश किए हैं, उनके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तो मानना पड़ेगा कि को-ऑपरेटिव संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हो गई है और जो अभी चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है प्रथम योजना से चतुर्थ योजना तक समय समय पर जो टार्गेट फिक्स किये गये हैं, उनकी संख्या के रूप में एचीव इस विभाग के द्वारा कर लिया गया है। परन्तु कुछ वर्षों के बाद जब इसका सिंहावलोकन किया गया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, वे वैड डेब्टस में हैं और उनके कार्य को सुचारु-रूप से चलाने के बारे में, उनको वायेबल यूनिट बनाने के बारे में वापिस हमको सोचना पड़ेगा। जब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जितनी भी सहकारी संस्थायें हैं उनका सुचारु रूप से कार्य नहीं चल रहा है। पहले यह विभाग के अध्ययन दल की रिपोर्ट से मालूम पड़ा। उसके बाद राज्य सरकार के निर्णय के बाद मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा, कटमोशन्स के जरिये मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जिला जालौर में जितनी सहकारी समितियां हैं, जो आपके यहां दर्ज हुई हैं उनके बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था अतारांकित उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर प्राप्त हो जाती तो विस्तृत ब्यौरा रखता, लेकिन मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जिले में जितनी सहकारी समितियां हैं,—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सेवा सहकारी समितियां है, को-ऑपरेटिव बैंक, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, एग्रीकल्चर क्रेडिट सहकारी समितियां या और तरह की सहकारी समितियां हैं—उनकी किस तरह की आपकी प्रोग्रेस हो रही है? और आपने जो निर्णय लिया था उनको वायेबल यूनिट बनाने के बारे में, उसमें आपने क्या प्रोग्रेस की है? कितनी सोसाइटीज पंचायत को एक इकाई मान कर यानी एक पंचायत में एक ही सोसाइटी रहे ताकि वह एक आर्थिक इकाई के रूप में वहां के सारे लोगों को, सारे परिवारों को उससे फायदा मिल सके, आपने बनाई हैं? एक तरफ तो हम सहकारी आन्दोलन को प्रगति देना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं और समाजवाद का एक मात्र तरीका हिन्दुस्तान में विशेष रूप से यह सहकारी आन्दोलन है और इसी के जरिये हम समाजवाद ला सकते हैं। जिन देशों में समाजवाद आया है वह इसी के जरिये से आया है। चीन में कम्यून्स बने हुए हैं, रशिया में काम्युनिटी ब्लॉक्स बने हुए हैं, और उनमें इस तरह का सिस्टम है। हमारे प्रान्तों में महाराष्ट्र को ही लेलें। वहां पर सहकारी आन्दोलन किस तरह से पनपा है, गुजरात में किस तरह से पनपा है। वहां पर जो उनकी इकाइयों में और दूसरे सहकारी उद्योगों में जो प्रगति हुई है उस रूप में हमारे राज्य में क्योंकि माननीय मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पिछड़े हुए हैं, और बहुत से जिलों को आपने पिछड़े हुए जिले घोषित कर दिये हैं ताकि सेन्टर से कुछ विशेष अनुदान मिले, इसमें क्या प्रगति हुई है? अगर अपने प्रान्त में इस रूप में प्रगति करनी है तो इस बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। किसी रूप में एक विषम समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। माननीय स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू बिल्कुल कमिटेड कोपरेटर थे। यहां पर जिस समय ए. आई. सी. सी. का सेशन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि सहकारी आन्दोलन को जन-आन्दोलन बनाकर इसी के जरिये से हम इस देश में समाजवाद ला सकते हैं। यह एकमात्र वह आर्थिक इकाई है, जो हमारा आर्थिक ढांचा है उसमें हमने सहकारी आन्दोलन के जरिये कितनी प्रोग्रेस की है और आगे जो करने की आवश्यकता है उस बारे में निरीक्षण करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इसके बारे में पुनर्विचार किया भी है और उसके करने के बाद में कितनी प्रोग्रेस की है यह हम जानना चाहेंगे।

दूसरी जगहों का तो दूसरे माननीय सदस्य पूछेंगे, मैं तो अपने कटमोशन्स के जरिये जालोर के बारे में पूछना चाहूंगा कि कितनी संख्या है सेवा सहकारी समितियों की? उनमें कितनी कार्य कर रही हैं और कितनी डिफन्क्ट हैं? सहकारी बैंक को जब से स्थापना हुई है तो उसका कितना ऋण देने का रोल रहा? इतना छोटा सा बैंक क्यों रहा? रिकवरीज क्यों नहीं हुई, और प्रोग्रेस क्यों नहीं की गई?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल शिक्षा की मांग पर कटमोशन्स के जरिये विचार होने वाला है, और आज दो बजे तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट नहीं है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दूसरी बात मैं व्यवस्था के प्रश्न पर यह उठाना चाहूंगा कि जितनी रिपोर्टें आई हैं वह मैं आपके पास लाया हूं, किसी भी एक्सपर्ट को उनकी साइक्लोस्टाइल्ड रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाने को कहें। 80 पर्सेन्ट कागज ऐसे हैं कि जिनको पढ़ते हुए सर के आधे बाल रह जायं। कृपा करके इन विभागों को आदेश दें कि कम से कम दो या तीन दिन पहले विभाग अपनी रिपोर्ट हमको दे दे ताकि हम कुछ तथ्यपूर्ण आंकड़े रख सकें, और इस सदन में जो रिपोर्ट भेजी जाय वह ऐसी रिपोर्ट भेजी जाय जो कि कम से कम पढ़ी तो जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, इसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री केदारनाथ : बात तो ठीक है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आज तो सर्क्यूलेट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बुलाया है। उसके बाद में अर्ज करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, चाहिए तो यह कि चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया है तो चौथी योजना का अप्रेजल इस सदन में रखा जाय। उसके साथ साथ पांचवीं योजना की प्रगति रिपोर्ट आनी चाहिए। कहीं चौथी योजना का अप्रेजल का नामोनिशान इस सदन में नहीं है। पांचवी योजना की रूपरेखा इस सदन के पास नहीं है। हम सदन के जितने माननीय सदस्य हैं वे अन्धकार में धूल में लट्ठ मार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने शिक्षा मंत्रीजी को बुलाया है। उनके सामने आपके प्रश्न को रखने के बाद इस प्रश्न पर निर्णय दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में किसी सूचना के अभाव में जनरल रूप में कुछ न कुछ इन्फार्मेशन के आधार पर एक ही जिले की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरी जगहों के सदस्य भी अपनी अपनी जगहों के बारे में ध्यान आकर्षित करेंगे। जो सोसाइटीज इतने अर्से से वर्क कर रही हैं और आपका वहां पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार मौजूद है, इन्सपेक्टर्स हैं, और तरह के को-ऑपरेटिव एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स हैं, यह सब हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में काम नहीं है, तो काम क्यों नहीं है ? दूसरे धन्धों में लगे हुए हैं। इसलिए जो भी हम जनता के प्रतिनिधि आपके जरिये अगर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वहां से कागज लिखते हैं तो जिनकी गलती है उनको दण्डित करने में क्यों हिचकिचाते हैं ? एक्शन लेने की प्रवृत्ति क्यों नहीं रखते ? आपस में पार्टीबाजी के आधार पर इधर-उधर बचाने की कोशिश की तो हमारे समाजवाद का जो मेन मुद्दा है, सहकारी आन्दोलन के जरिये जो हम लाना चाहते हैं वह सारा फेल हो जायगा। अधिकारी लोगों का प्रश्न है, आपके रजिस्ट्रार महोदय से बात होती है तो वह कहते हैं कि सहकारी विभाग का बहुत बुरा हाल है। मैं 24 घन्टे मनन करता हूं फिर भी विभाग काबू में नहीं आ रहा है। उसके बाद भी यही हालत है। हम कहना चाहते हैं और हर समय इस सदन में प्रश्न उठाते हैं, और सूचना आपके पास से प्राप्त होती है। आप बार बार आश्वासन देते जाते हैं और बार बार प्रश्नों के जरिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आपसे पूछते हैं, और आप मानते हैं कि यह बात ठीक है, हम कार्यवाही कर रहे हैं, तो कार्यवाही करने में मुसीबत क्या है ? पार्टी-बाजी के आधार पर कतई पनिश नहीं होना चाहिए, यह मेरी मान्यता है। परन्तु जहां पर गम्भीर रूप में, मोनोपोली के रूप में सारी गड़बड़ियां करें, सरकारी आदेशों की अवहेलना हमेशा करते जायें तो आपकी जो नीति है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य चलता है चाहे बैंकों का ही मामला ले लें। राज्य की नीति किसी ऑफिसर को भेजने की है लेकिन बैंकें उनको नहीं लेती हैं तो दूसरी जगहों पर उनको भेजना पड़ता है। इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में यह मामला नहीं चला तो उन्होंने उन संस्थाओं को खत्म कर दिया। उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था न करें और उनकी मनोवृत्ति को चेन्ज न करें तो आज आप जिस स्थिति में आकर बैठे हैं उससे बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति होने वाली है। इस बारे में जो भी वहां कर्मचारी किसी रूप में काम कर रहे हैं उनको कार्य बराबर बांटा जाना चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। आपके विभाग में ऑडिटर हैं, उन ऑडिटर की रिपोर्ट बाकायदा आती रही है लेकिन उन ऑडिट रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर एक व्यक्ति ले लेता है तो दूसरा उसको रोक देता है, दूसरा लेता है तो तीसरा रोक देता है। ऑफिसर यह कहते हैं कि गवर्नमेंट इन्टरफियरेन्स करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन्टरफियरेन्स का मकसद क्या है ? या तो यह है कि को-ऑपरेटिव मूवमेंट को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, या इसकी प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो मन्शा है, वह साफ है। हमें इस बारे में कार्य करने की आवश्यकता है। आज जो को-ऑपरेटिव मूवमेंट में को-ऑपरेटिव की संख्या बढ़ी है, उनको सुचारु रूप से चलाना चाहिए, उनको वाइएबल रूप से चलाना चाहिए, हर इकाई पर को-ऑपरेटिव काम करें, पंचायत की इकाई पर काम करें, और सारी फेमिली उसमें इन्वाल्व्ड हों। सोसाइटी कहती हैं कि कंट्रोल्ड कमोडिटी जो हैं, ग्रेन है, शुगर है, इनके अन्दर क्रय-विक्रय संघ और को-ऑपरेटिव सोसाइटी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। राज्य सरकार जानती है, उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इस कारण वह अच्छी तरह काम नहीं कर सकती हैं, उनमें एम्बेजलमेंट के केसेज बनेंगे और लोग जेल जायेंगे। इस तरह से हमारी मन्शा की पूर्ति कभी किसी रूप में नहीं होती है। इसलिए हमें उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि आज उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि काम कर सकें। वह लोग करते क्या हैं, जो वह धन्धा कर रहे हैं कपड़े का, सीमेन्ट का, उसमें किसी आदमी से, किसी बिजनेसमैन से उधार लेकर काम चला रहे हैं। यह स्थिति अधिक टिकने वाली नहीं है। इससे प्रोग्रेस भी होने वाली नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय विशेष रूप से सक्रिय होकर इस पर गम्भीरता से विचार करें। हम जो भी तथ्य आपके सामने लायें, वैसे ज्यादा एन्युमरेट करना अच्छा लगता नहीं है, वैसे भी विभाग के नोटिस में सारी बातें आ गई हैं, मेरा निवेदन है कि जो फर्जी काम नोटिस में आ जाय, जो पकड़ में आ जाय,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उनको आप छोड़े मत, चाहे कोई भी हो, ताकि इसका असर दूसरे रूप में लोगों पर हो। राजाओं के जमाने के अन्दर दोषी व्यक्ति को ओपन में फांसी लगाते थे, लोगों को दिखाते थे कि इस व्यक्ति को फांसी लगी है। यहां पर मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि कालाबाजारी करने वाले को, अडल्ट्रेशन करने वाले को, होडिंग करने वाले को काला मुंह करके बाजार में घुमायेंगे। यह क्यों घोषणा की है इस प्रजातंत्र के राज्य में ? क्योंकि यह आवश्यकता महसूस हुई कि यह बात निभने वाली नहीं है, एक तरफ पब्लिक परेशान करती है, दूसरी तरफ आन्दोलन से गवर्नमेंट फेल की जा सकती है, जैसा कि आन्दोलन गुजरात में चला था इसलिए पब्लिक के सामने जो समस्याएं हैं, उनको घोषणा करके हम सेटिसफाई नहीं कर सकते हैं। यह बात ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। इसलिए आपको अवश्यम्भावी रूप से घोषणा करनी पड़ेगी और घोषणा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब मंत्रियों को अण्डर ग्राउन्ड बंगले में चला जाना चाहिए। मेरे ख्याल में एम. एल. एज. को भी चले जाना चाहिए.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिहार में भी आन्दोलन शुरू हो गया है। बहुत जल्दी राजस्थान में शुरू होने की सम्भावना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बराबर यहां पर जनता का कोपरेशन मिला है, ऐसी स्टेज नहीं है। लेकिन जो काम करने की आवश्यकता है, वह किये जाने चाहिएं।

इसके अलावा इलेक्शन की प्रणाली सहकारी विभाग की है, वह दोषपूर्ण है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ख्वामख्वाह आप मन्त्री जी में दम्भ करके उनको मरवा देना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इलेक्शन सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है। बैंक के अधिकारी ही इलेक्शन करवायें और जो चेयरमैन आ जाय वह रिटेलिएशन करे। यह वास्तव में अध्यक्ष की मुसीबत है, दूसरा आ जायगा, उसको खत्म करने की वह कोशिश करेगा, किसी को बनाने के लिए और कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। चाहे जैसा करेंगे, चाहे जैसा ढांचा चलता रहेगा। क्या इसके लिए राज्य सरकार को ध्यान देने की जवाबदारी नहीं है ? जहां पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, वहां पर एक्शन लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पाली का बैंक घोटाले की वजह से भंग किया गया। जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स था, वही के वही डाइरेक्टर और वैसे का वैसा ही केस जालोर का था, वहां रोक दिया गया और बोर्ड भंग नहीं किया। रीजन वही के वही हैं लेकिन फिर भी रोक दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा समझा। इस प्रकार आप को-ऑपरेटिव मूवमेंट का विकास नहीं करना चाहते हैं। वहां पर वही इर्रेगुलेरिटी थी फिर क्यों बचाया गया ......

श्री सुखलाल सेंणचा : पाली बैंक में घोटाला नहीं हुआ था। वह आम सभा की वजह से भंग किया गया। 31 तारीख को आम सभा होने को थी,

(श्री सुखलाल सैणचा)
उसके बाद वह हुई नहीं। 16 तारीख को रजिस्ट्रार ने पहुंच कर उसको भंग किया था। उसके पॉलिटिकल रीजन थे, इसलिए था

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को देखने की आवश्यकता है।

इसके बाद को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। पहले इसके लिए उचित बजट प्रावधान होता था। लेकिन आज यह दुर्भाग्य है कि इतने बड़े घोटाले होते हैं, अनियमिततायें होती हैं फिर भी सहकारी समिति के सारे सदस्यों को और ऑफिसरों को कमिटेड बनाने के लिए पहले जो ट्रेनिंग की प्रथा थी, वह भी जारी नहीं रही है मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दीजिये, प्रशिक्षण के द्वारा जब तक आप लोगों की मनःस्थिति तैयार नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। यह जन आन्दोलन है, इसमें लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और जो ट्रेनिंग की प्रथा है इसका विकास करने की आवश्यकता है।

आज हाउसिंग सोसाइटी को जिलों के अन्दर दर्ज करने की आवश्यकता है। सांचोर की हाउसिंग सोसाइटी को दर्ज कराने के लिए मैं एक साल से कोशिश में लगा हुआ था। ए. आर. ओ. ऑफिस के अन्दर करीब बीस बार फाइल गई और लौट कर आई। हर बार एक ऑब्जेक्शन लगा देते, इस प्रकार बीस बार में बीस ऑब्जेक्शन लगाये। यह बीस ऑब्जेक्शन एक बार में लगा देते तो फाइल इधर उधर नहीं लटकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीस ऑब्जेक्शन एक साथ में क्यों नहीं किये ? एक साथ करते तो उनकी एक साथ पूर्ति हो जाती और एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाते। राज्य सरकार हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को फैसेलिटी देना चाहती है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी को दर्ज कराने के लिए हम थक जाते हैं लेकिन वह दर्ज नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार पहले टार्जेट फिक्स किया था और उसको पूरा करके, सोसाइटी को दर्ज करके लक्ष्य अचीव किया है, उसी प्रकार यह एक नया मामला है, यह सेन्टर की स्कीम है, इसके लिए भी टार्जेट फिक्स करें और कोई पूरा नहीं करे तो उसको चार्ज शीट दी जाय। इस ओर भी माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

जो बैड डेट की बात है, यह इतना बढ़ा हुआ है। मैं अपने जिले की बोगस सोसाइटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपके विभाग के पास ऑडिट रिपोर्ट है उसके जरिये मालूम होगा कि पहले पहले ऐसी सोसाइटी दर्ज हो गई जो बोगस थी। एक आदमी ने पचास आदमियों का नाम लेकर शेयर मनी जमा कराया और पैसा उठाता रहा और काम में लेता रहा। बोण्ड फर्जी बना कर दूसरों के नाम लिख दिये। अब उसकी रिकवरी कैसे हो—यह प्रॉब्लम है। इस कारण से रिकवरी में डिफीकल्टी होती है। वास्तविक डिफीकल्टी यह है कि सोसाइटी बोगस है. एक आदमी ने पचास आदमियों के नाम लेकर पैसा जमा करा दिया। खुद पैसा लेता है, खुद काम में लेता है, खुद ने खर्च कर दिया। बाद में दूसरों के नाम लिख दिया। जब उन आदमियों से रिकवरी करने जाते हैं तो कहते हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कि मैंने लोन लिया नहीं। ऐसे मामलों की तरफ ध्यान देना चाहिए और हाई लेवल पर जांच करा कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं जिला जालोर की, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में मुझे सूचना दी गई कि जिला जालोर में ज्यादातर सोसाइटी बोगस हैं। इसके बारे में एक्शन ले रहे हैं। अब उस बात को पांच साल हो गये, आप क्या एक्शन ले रहे हैं—यह समझ में नहीं आया। यहां पर यह नोटिस में आ गया कि एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से सांचोर में तीन सौ, पांच सौ, छः सौ बीघा जमीन ले लो और एक आदमी उस पर काश्त करता है। और दूसरे लोगों का नम्बर नहीं आने देते हैं। इस तरह जमीन पर कब्जा करके एक लैण्ड लार्ड जिसके पास दो हजार बीघा जमीन है, उसने सोसाइटी दर्ज करा ली। यह आपके नोटिस में आ गया है और मंत्री महोदय की जानकारी में है तो इस बारे में आपने क्या एक्शन लिया और आगे क्या एक्शन ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा, यहां पर पी. ए. सी., जन लेखा समिति की रिपोर्ट आई। हमारे को वह कल वितरित हुई है। इसके जरिये जयपुर होल सेल भण्डार की आर्थिक स्थिति, घोटाले—ऐसा बड़ा भयकर चीजें जनलेखा समिति ने हमारे सामने रखी है। यह जबर्दस्त मामला है। इससे सहकारी आन्दोलन को बड़ा जबर्दस्त खतरा पैदा होने वाला है। इसका उदाहरण देख कर दूसरी जगह काम करने की लोगों की हिम्मत नहीं पड़े इसके लिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। पी. ए. सी. की रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाये गये हैं, जो रिकमन्डेशन की गई हैं, हम चाहते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक दिया जाय। इसमें यह कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की बड़ी भारी गफलत रही है। वहां अच्छे अच्छे ऑफिसर इसमें मौजूद थे, उनके सामने साल साल इसके अन्दर लॉसेज बढ़ते गये लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह गम्भीर मामला है, सहकारी आन्दोलन पर एक भारी धब्बा है। यह होल सेल भण्डार के द्वारा आप वितरण प्रणाली को सुधारना चाहते हैं क्रय-विक्रय संघ और होल सेल भण्डार के द्वारा आप को-ऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यह बड़ा भारी लांछन है। इसको क्लीयर करके, जो दोषी हैं उनको पनिश करके इस धब्बे को दूर किया जाना चाहिए। ताकि इसमें आगे दूसरों को प्रोत्साहन नहीं मिल सके। सरकारी धन का दुरुपयोग हो और किसी को चिन्ता नहीं। 5-5 रुपये के लिए काश्तकार पर कुर्की होती है और उसके बर्तनों पर कुर्की होती है, यहां दनादन पैसे का दुरुपयोग होता है। यह तो हुआ सहकारिता विभाग।

अब मैं विकास विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। मैंने 9 कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। शिक्षा मन्त्री आ गए हैं, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि वार्षिक रिपोर्ट्स नहीं मिली।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वार्षिक रिपोर्ट्स बहुत देर से दी जाती हैं, शिक्षा की कल डिमांड है, आज तक वार्षिक रिपोर्ट नहीं आई उसके बाद पुलिस की डिमांड है उसकी भी वार्षिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। दूसरी बात जो साइक्लोस्टाइल्ड रिपोर्ट्स दी जाती हैं, वे हमसे नहीं पढ़ी जातीं, पढ़ने में काफी कठिनाई होती है।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : मैंने शिक्षा विभाग की रिपोर्ट प्रेस में भेजी है वह प्रिन्ट होकर नहीं आई, इस वजह से देरी हुई है। मैंने एक बड़े अधिकारी को लगा दिया है, आज शाम आपको मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : शुद्ध कापियां दें ताकि माननीय सदस्य आसानी से पढ़ सकें।

श्री खेतसिंह : प्रिन्ट की हुई तो पढ़ने में आएगी।

श्री केशरीमल : साइक्लोस्टाइल्ड तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते।

श्री खेतसिंह : शिक्षा की रिपोर्ट तो आपको प्रिन्ट की हुई मिलेगी, बाकी विभागों के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं।

श्री केदारनाथ : आप अपने दल के मुख्य सचेतक भी हैं।

श्री खेतसिंह : दूसरे मन्त्रियों से भी मैं कह दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौथी योजना समाप्त हो चुकी है, उसका एप्रेजल भी सदन की मेज पर रखें, वह बहुत आवश्यक है उसके बिना रिलेटिव डिबेट इस सदन में नहीं उठा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन्स के लिए आज एक बजे तक का समय था। अब आप 4 बजे तक भेज सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसका चिराग जलाया था। इसके लिए राजस्थान को गर्व है कि विकेन्द्रीकरण की योजना सर्वप्रथम हमारे राज्य में लागू की गई।

श्री पी. के. चौधरी : ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष : I could not follow you.

श्री पी. के. चौधरी : ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही आती है, हर साल बजट के डिसकशन के समय पेश की जाती है, वह अभी तक नहीं आई है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री खेतसिंह से) : आप वित्त मन्त्री को बुला लीजिए (श्री हांडा से) मैं वित्त मन्त्री की उपस्थिति होने का आदेश दे रहा हूं उस समय आप कहना।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मुख्य सचेतक नोट कर लें ऑडिट रिपोर्ट, एन्युवल रिपोर्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंचायत राज की जो संस्थायें चालू की गई और वह भी स्वर्गीय जवारलाल नेहरू के हाथों से, उसमें कितनी भारी उपस्थिति थी और हम आशा लेकर चलते थे जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैंने लाइट जलाई है, राजस्थान सबसे पहला प्रांत है जिसने पंचायती राज

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

लागू किया है। 1959 से लेकर आज तक पंचायतों का गठन हुआ, समय समय पर चुनाव हुआ, उसका अध्ययन हुआ है। लेकिन आज उनकी हालत है, उस बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पंचायती राज के अध्ययन के लिए पहले तो सादिक अली कमेटी बनी, उसने विस्तृत अध्ययन किया, हमारे सामने लम्बी चौड़ी रिपोर्ट आई। उसका क्या हुआ? उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर आपने क्या एक्शन लिया? चुनाव प्रणाली में माइनर संशोधन करके खानापूर्ति कर दी, वह दूसरी बात है लेकिन जो मुख्य सिफारिशें थीं और जो उसमें कमियां थीं, वास्तव में जनशक्ति को काम में लेने की बात थी। पंचायत समिति विकास के लिए एक मात्र इकाई है, क्योंकि जनता का राज है, जनता के लिए है और जनता के फायदे के लिए काम करना है इसलिए इन संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। समय समय पर प्रश्न आता है कि कि इन्हें समाप्त कर दें। राज्य सरकार कहती है कि समाप्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पहल हमने की है। जब पहल आपने की है तो वास्तव में वापिस सक्रिय करने के लिए क्या आप पहल कर पायेंगे? जो भी उस में संशोधन करने की आवश्यकता है, वह आप करें क्योंकि हमारा उदाहरण लेकर दूसरे राज्यों ने अपने यहां यह कानून इम्प्लीमेंट किया और आज हमको स्टडी करने के लिए वापस गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, यह हमारा दुर्भाग्य है। हमारी कमियों को दूर करके दूसरे राज्यों ने अपने यहां यह राज लागू किया। गुजरात की पंचायत इकाई में और ब्लॉक इकाई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओवरसियर और जिला परिषद् में तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक सीनियर आई. ए. एस. केडर का होता है तो अपन भी उसी तरह की व्यवस्था लागू करें। पटवारी वहां का सैक्रेट्री होता है हमने यहां पंचायतों को म्यूटेशन के अधिकार दिए लेकिन पटवारी सरपंच की थोड़े ही मानता है? 3 महीने लगाकर वह रिपोर्ट करेगा कि पंचायत की बैठक नहीं बुला रहे हैं इसलिए तहसीलदार म्यूटेशन के केसेज को लें। पंचायतों को बिल्कुल मानते ही नहीं। उनके आबादी के मामले, गोचर डिमार्केशन के मामले में पटवारी सहयोग नहीं देते। गुजरात में तो इसका हल निकल गया तो यहां पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

उसके बाद दूसरी कमेटी बनी श्री गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में उसने सारी पंचायतों का अध्ययन किया, अन्तरिम रिपोर्ट दे दी। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बात लिख दी कि आप इमीजिएट इलेक्शन तो करायें। उस सिफारिश पर सरकार ने क्या किया? मुख्य मंत्री ने इस सदन में समय समय पर घोषणा की है कि चुनाव करायेंगे। जब पंचायती राज को लागू करने की पहल हमने ही की है तो चुनाव को बार बार स्थगित करें और 10 साल तक अवधि बढ़ायें, यह हालत ठीक नहीं है। पहल करने में हम होशियार हैं और करनी भी चाहिये। जब दूसरे चुनाव हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते? इसलिये जनता व पंचायती राज के हित में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप निश्चित घोषणा कर दें ताकि विरोधी पक्ष वाले लांछन नहीं लगायें। हम जनता से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

डरने वाले नहीं हैं और बराबर चुनाव करवायेंगे।

हमने न्याय पंचायतों को खतम करने का निर्णय लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में जो उसका ढांचा था और जो उसकी दुर्गति थी, उस दृष्टि से उनको खतम किया तो ठीक किया। जो मंशा थी न्याय पंचायतों का अलग रखने की यदि उसकी पूर्ति नहीं हुई तो देर शायद दुरुस्त शायद इन्हें खत्म कर दी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनको मजबूत बनाया जाय। यह हमारे पंचायती राज की इकाई है और अगर हम पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें हमारी इन ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना चाहिये। आज जिस तरह से तहसील लेवल पर पटवारी रेवेन्यू एजेन्सी को एक्जीक्यूट करता है उसी प्रकार आप पंचायत सैक्रेट्री हो या कोई पटवारी, उसके लेवल पर इस काम को करायें। क्योंकि जो हमारे पंचायती राज का मेन एक्जीक्यूशन हैं वह ग्राम पंचायतों के मार्फत होगा। आज आपके ग्राम पंचायतों के पास कोई काम नहीं है वह क्या करें। इसलिये हमारी ग्रामीण जनता को जो पंचायती राज का फायदा होना चाहिये था वह वास्तविक फायदा नहीं हो रहा है। इसलिये मैं आपके मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इन ग्राम पंचायतों पंचायत, समितियों को और जिला परिषदों को एक्टिव करने की जरूरत है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पंचायती राज में ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले पहले तो उन्होंने कुछ काम किया लेकिन बाद में ऐसी स्थिति बन गयी कि इन ग्राम सेवकों के पास कोई काम नहीं रहा। आजकल वह बेकार बैठे रहते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। वह सिर्फ गांव में पार्टीबाजी करते हैं। दूसरे धन्धे करते रहते हैं। और करेंगे भी क्योंकि Idle mind is devils workshop. पार्टीबाजी में नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे। यह ग्रामसेवक फालतू बैठे हैं। और आजकल ऐसा भी सुना है कि वह लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो ग्राम विकास के लिये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम खोले जाते हैं उन्हें अधिक से अधिक खोलें ताकि ग्रामीण जनता का विकास हो सके। इसके अलावा यह काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से होना चाहिये। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सरपंच हैं वे मनमानी करते हैं उन्होंने अपने घर ही में ऑफिस खोल रखा है। कोई इन्सपेक्शन करने वाला नहीं वास्तव में आज सरपंचों की यह हालत है कि वह मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और इस प्रकार उनसे काफी अनियमिततायें हो रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक मिनिस्टर होता है वह दस्तखत कर देता है और रुपयों का कोई हिसाब किताब नहीं रखता है सैक्रेट्री रखता है। उसी प्रकार सरपंच रुपयों पैसे के मामले में दस्तखत कर देते हैं और इस प्रकार कई टैक्निकल क्लॉज रह जाते हैं जिससे कि उन पर गबन के मामले चल सकते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचा जाय।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आज उनको कोई चैक करने वाला नहीं है इसलिए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इनके चैक के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा जो इन पंचायतों की और पंचायत समितियों की ऑडिट रिपोर्ट होती है वह जिला परिषदों को ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं हमारे जिला हैड-क्वार्टर्स पर डिप्टी डेवलपमैन्ट ऑफिसर जो होते हैं वह उनकी तरफ आज कोई तवज्जह नहीं देते हैं जिसके कारण यह होता है कि उन ऑडिट रिपोर्ट्स में कई लोगों के खिलाफ गम्भीर आरोप एम्बेजलमैन्ट वगैरह के होते हैं उन पर एक्शन नहीं होते है और बार बार उसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज बार बार रिपीट होती हैं तो अगर आप उन्हें एक बार सजा दे दें तो यह मामले बन्द हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस ओर गवर्नमैन्ट ऐसे कदम उठाये कि यह एक्टिव हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लोन की रिकवरी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने एक प्रश्न भी उठाया था सदन में। उपाध्यक्ष महोदय, एक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डवलपमैन्ट ऑफिसर एक जगह इन्सपेक्शन करने गया तो उन्होंने बी. डी. ओ. को चार्ज शीट दी और उसके चार्ज शीट की कॉपी विकास विभाग द्वारा सभी विकास अधिकारियों को भेजी गयी इससे भी काफी फर्क पड़ता है अगर आप इस प्रकार के एक्शन लें तो। आज पंचायत समितियों के द्वारा समय समय पर लोन दिये जाते हैं उसके अनुसार पंचायत समितियां मतालबा बनाती हैं वह फिर बाद में तहसील में जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, उन पर कई प्रकार के इन्ट्रेस्ट लगते हैं और अगर एक बार भी फसल ठीक हो गयी तो जिन जिन लोगों में ऋणों की बकाया होती है उनसे एक साथ ही वसूली कर ली जाती है। इससे किसानों को काफी दिक्कत होती है क्योंकि जब अकाल होता है तो वसूलियां स्थगित कर देते हैं पर बाद में एक साथ ही वसूली करते हैं। उस मूल रकम पर पीनल इन्ट्रेस्ट तक लग जाता है और इस प्रकार काश्तकार को बहुत तकलीफ होती है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनकी इन्स्टालमैन्ट में वसूली होनी चाहिये। इसमें कोई ऐसा रीकन्सीलियेशन कर दें कि उसमें दुबारा वसूली का भय नहीं रहे अन्यथा कई बार दुबारा वसूली का खतरा बना रहता है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से सोच कर अमल करने की व्यवस्था करें। इसमें जो दुबारा से वसूली करते हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज राज्य सरकार द्वारा एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम्स चलते हैं उसके बारे में भी मैंने इस सदन में एक प्रश्न उठाया था। आज हमारे वहां पर हजारों पम्पिंग सैट लगाये हुए हैं तो वहां पर भी तो व्यवस्था होनी चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे यहां पर एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम लागू करें।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ माइनर इरीगेशन के बारे निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायत समितियों के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आज लोगों को गांवों में पीने को पानी नहीं मिलता है। पानी की कमी से गांवों में खेती पूरी तरह से नहीं हो सकती है। इसके बारे में मैंने पहले सवाल दिया था। आज वहां की व्यवस्था है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रोब्लेम है तो इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी माईनर इरिगेशन स्कीम रखें ताकि ग्रामीण जनता का विकास हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी पंचायतों में प्राईमरी स्कूल्स हैं उनके भवन नहीं हैं। उनके लिये जल्दी से जल्दी भवन बनाये जायें। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना-पत्र करूंगा कि इसके लिये जल्दी से जल्दी इसी साल में व्यवस्था करायी जाय। अब हम पंचायतों के चुनाव भी कराने जा रहे हैं। इसके अलावा आज ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग खोलने का भी प्रावधान रखा जाय और जो लोग लघु उद्योग खोलते हैं उन्हें पंचायत लेवल से ग्रान्ट इन एड व लोन भी दिये जाने चाहिये ताकि उन लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो टीचर्स हैं, जो कि राज्य सरकार की स्कूलों के अधीन हैं उनका तो करीब करीब सभी का फिक्सेशन हो गया है लेकिन पंचायत लेवल के नीचे जो स्कूल हैं उनके टीचर्स के अभी तक फिक्सेशन नहीं हो पाये हैं और वह अभी तक पेण्डिंग पड़े हैं। इसके लिये शिक्षा मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करावें ताकि उनको अपने एरियर के पैसे मिल सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को सदन के सम्मुख रखते हुए मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर जवाब मुझे उपलब्ध करावें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संस्थाओं की आज जो स्थिति है वह मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की अनिष्ठा के कारण खराब हो रही है। आज हमारे सदन में भी कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। आज राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव निरन्तर टालती जा रही है और अब जो राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराने का बहाना ढूंढा है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है वह अर्थहीन है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह है कि राज्य सरकार का पंचायत राज में विश्वास ही नहीं है तो फिर सवाल आता है कि यह पंचायती राज क्यों बनाया गया है। मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिये किया है। बाकी गांवों के विकास के लिये राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया ऐसी मेरी मान्यता है। आज ग्राम पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर, जिला परिषद लेवल पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज सभी लोग चुनावों के बारे में कह रहे हैं। आज दस दस साल से सरपंच और प्रधान व प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी खराब हैं और न यही कहता हूं कि सभी अच्छे हैं पर एक व्यक्ति जब एक ही पद पर दस दस साल तक रहे तो उससे कोई न कोई प्रकार की इर्रेगुलेरिटी हो

(श्री रामकिशन)

सकती है। तो यह राज्य सरकार के लिये जरूरी हो जाता है कि इसमें चुनाव कराये। राज्य सरकार ने इसके लिये कि पंचायती राज में क्या क्या और संशोधन जरूरी है, कई कमेटियां बार बार गठित की हैं। मैं समझता हूं कि इन कमेटियों पर जितना खर्च हुआ उससे आप पूरे ऐशिया का चुनाव करा सकते हैं। पहले तो आप कमेटियां गठित करते हैं फिर वह सिफारिशें देती हैं फिर आप उनको लागू नहीं कराते हैं और दूसरी कमेटी और गठित कर देते हैं, जैसे आपने पहले सादिकअली कमेटी का गठन किया, उसके बाद गिरधारीलालजी व्यास की कमेटी गठित की। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यह कमेटियां गठित इसलिये तो नहीं करती है कि उन लोगों को, जो कि बेकार बैठे रहते हैं, रोजगार मिलता रहे। मैं भी इस समिति का मेम्बर रह चुका हूं, श्री खेतसिंह जी भी इस समिति के मेम्बर थे····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो गऊशालायें हैं। कमेटियां नहीं हैं।

श्री रामकिशन : तो आप ये जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो चुनाव में, हार जाते हैं उनको मेम्बर बना देते हैं। फिर जो कमेटियां रिकमन्डेशन्स करती हैं उनको आप लागू नहीं करते हैं। तो फिर इससे क्या मतलब निकालें ? क्या जो सिफारिशें करते हैं वह ठीक नहीं है ? जैसे खेतसिंह जी थे अब मिनिस्टर बन गये वह भी उसके सदस्य थे जो इन्होंने रिकमन्डेशन दी क्या वह ठीक नहीं थी तो फिर इनके मन्त्री बनाने का क्या औचित्य है ? तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं सबसे पहले यह चाहूंगा कि पंचायतों के चुनावों को जल्दी से जल्दी कराये जाय और अगर आप पंचायतों के चुनाव नहीं कराते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका इनमें विश्वास नहीं है, तो फिर इन्हें समाप्त कर दिया जाय। और अगर इसको समाप्त नहीं करते हैं तो क्या कारण है ? क्या लगाव है ? आज हमारे खेतसिंह जी, जो मिनिस्टर भी हैं, प्रमुख पद पर अड़े हुए हैं। उसे छोड़ना नहीं चाहते।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो हैं।

श्री रामकिशन : मेरी बात दूसरी है। मैं तो मजबूरी में हूं। मैं तो दम के आधार पर हूं। पर मैं यह अर्ज करना चहता हूं कि इसकी आखिर उपयोगिता क्या है ? आज अगर कोई जिला प्रमुख किसी पंचायत समिति में घुसना चाहे, और वहां का प्रधान किसी पंचायत में घुसना चाहे तो वहां का सरपंच अगर नहीं चाहे तो जिला प्रमुख उस पंचायत में घुस नहीं सकता। पंचायत समिति में जिला प्रमुख घुस नहीं सकते। उनको कोई अधिकार नहीं है। खेतसिंह जी की प्रोसिडिंग्स देखी है। पांच-छः वर्ष पहले मीटिंग बुलायी थी। सम्पतराम जी उसकी मीटिंग खुद ही कर लेते हैं। मैं जब बुलाता हूं तो कोरम ही नहीं होता है। राज्य सरकार को कई बार लिख चुका हूं कि कोई मेम्बर आने के लिये तैयार नहीं है। हम कहते हैं तब भी आने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रेय की बात नहीं है वे कहते हैं कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार दुबारा उनका चुनाव करायेगी। तो आखिर इस हालत में इनकी उपयुक्तता क्या है ?

राज्य सरकार ने व्यास कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है। राज्य सरकार

(श्री रामकिशन)
चुनाव कराती है, इस सम्बन्ध में व्यास कमेटी की रिकमन्डेशन्स हैं। मैं भी एक मेम्बर था उसका। मैंने पहले ही कहा था कि आपको बना दिया गया अध्यक्ष और मुझे बना दिया मंत्री। केवल महाराष्ट्र का पैटर्न रख देने से काम नहीं चलेगा। हम यह चाहते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार इनके अधिकारों का विभाजन हो। जिला प्रमुख हो वह सरकार का सबोर्डिनेट न हो। कानून में अधिकार दिया जाय कि वह जिला परिषद् का काम चला सके। पंचायत राज की कल्पना को सार्थक बनाना है तो छोटे कार्यों के लिये छोटे अधिकारियों को अधिकार देना होगा। पंचायत समिति को कोई अधिकार ही नहीं है। पंचायत समिति के पास अधिकार थे वे धीरे धीरे सरकार ने वापिस ले लिये।

आज मुझे ताज्जुब है पंचायत राज संस्थाओं पर जो खर्चा हो रहा है उसका उपयोग क्या है ? आप किसी दिन इन संस्थाओं के कार्यालयों में चले जाइये। सारे लोग क्लर्क वगैरह बैठे गप्पे मारते दिखाई देंगे। न जिला परिषद् के दफ्तर में कोई काम है, न पंचायत समिति के दफ्तर में कोई काम है। मुश्किल से दिन भर में चार-छः चिट्ठियों को डिस्पोज ऑफ करते हैं। कुछ चिट्ठियों का काम इसलिये निकाला जाता है कि लोग कहीं यह न समझ लें कि इनके पास कोई काम है ही नहीं। तो वास्तव में उनके पास काम नहीं है। ऐसी स्थिति में खर्च तो सरकार ने यह बान्ध लिया पर इसके बदले में मिल कुछ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा कम से कम इस सरकार से यह कहना है कि समिति की रिपोर्ट लागू करते वक्त स्थानीय संस्थाओं की स्थिति जैसी इंगलैंड वगैरह में है उस तरह से यहां भी उनको अधिकार प्रदान करे, वैसी स्थिति यहां भी कायम करे। नहीं तो इनका रखना निरर्थक है।

कमेटी की रिपोर्ट में मैंने एक अजीब बात पढ़ी। एम. एल. ए. और एम. पी. जिले के सीनियर आदमी होते हैं। क्योंकि चुन कर आये इसलिये सीनियर हो गये। मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं। मेरे यहां से जो चुन कर गये हैं वे किसी तरह से सीनियर नहीं हो सकते। अगर एम. एल. ए. बन जाने से सीनियर हो जाते हों तो क्या खेतसिंहजी कोई सीनियर हैं जोधपुर के। जिला प्रमुख हैं, इसलिये सीनियर हो गये, कोई मिनिस्टर हो गया तो वह सीनियर हो गया ऐसी बात नहीं है। चुने हुए लोगों का अपना अपना स्थान है। यह तो कार्यों का विभाजन है। जूनियर सीनियर इससे नहीं होते। तो इस रिपोर्ट को पढ़ कर खेतसिंह जी की बुद्धि पर मुझे तरस आया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खेतसिंह जी तो काफी सीनियर हैं।

श्री रामकिशन : इन संस्थाओं की स्थिति और भी कारणों से बड़ी दयनीय है। जहां तक टीचरों का सवाल है सरकार ने कुछ निर्णय किये हैं। जब इन लोगों की सर्विस वापिस होगी तो 75 प्रतिशत को सरकार ले लेगी। पर एल. डी. सी. हैं, यू. डी. सी. हैं या दूसरे क्लर्क हैं इनको राज्य सरकार तैयार नहीं है लेने को अगर ये वहां से सरप्लस हो जावें तो। इनको अगर लिया भी गया कुछ को तो नये सिरे से इनकी सेवाओं को माना जायेगा। चार साल से अगर वहां कोई क्लर्क है और उसे

(श्री रामकिशन)

राज्य सरकार अगर नियुक्ति देगी वहां से सरप्लस हो जाने के बाद तो वह चार साल की सेवा को नहीं मानेगी। इसका अर्थ क्या है ? जब टीचर्स को आप ले रहे हैं तो क्लर्क को क्यों नहीं ? सरप्लस के बारे में ये नियम भी बड़े अजीब हैं। अब नये सिरे से भी सरकार तब लेगी जब जिला परिषद् कहेगी। तो पंचायत समिति और जिला परिषद् के क्लर्कों के बारे में भी निर्णय कर लिया जाना चाहिए। भेद-भाव की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

इसके अलावा बीमारी हो तो मेडिकल बिल के पेमेन्ट का प्रबन्ध भी करना होगा पंचायत समितियों की ओन इन्कम में से। यह सहूलियत भी कुछ को है कुछ को नहीं। फिर सरकारी कर्मचारी को जहां और अनेक प्रकार की सहूलियतें हैं, मकान का लोन और दूसरे प्रकार के लोन मिल जाते हैं, पर पंचायत संस्थाओं में इस तरह के नियम नहीं होने से नहीं मिलती ये सहूलियतें। इससे असन्तोष पैदा होता है। इस बारे में भी नियम एक से होने चाहियें।

इसी तरह से दूसरे कर्मचारियों की स्थिति इससे भिन्न है। जो डेपूटेशन पर आते हैं, जैसे ब्लॉक अधिकारी हैं, विकास अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल इनका होते हुए भी कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर सीधा इनका नियन्त्र नहीं है। जैसे कि पी. डब्ल्यू. डी के इन्जीनियर, ओवरसीयर हुए, कोऑपरेटिव विभाग के असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार आदि हुए, इनमें कहीं कोई समन्वय नहीं है। ये सभी अपने अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं। पंचायत संस्थाओं का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं हालांकि काम उनके तहत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति आपने चालू रखी तो इसके अच्छे परिणाम आने वाले नहीं हैं। इनका कन्ट्रोल नहीं होने से इनके काम के बारे में कोई स्टेप ये संस्थाएं नहीं ले पातीं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहनी है। निर्वाचन के लिए एक कमीशन अलग से बना हुआ है। इसकी क्या आवश्यकता है ? इसमें जिला प्रमुख बैठता है, कमीशन का एक मेम्बर बैठता है। मैं जिला प्रमुख की नीयत पर शक नहीं करता। पर इसमें दिक्कत क्या आती है कि प्रधान की चिट्ठी उसके पास आती है कि इसे मास्टर लेना है, इसे ग्राम सेवक लेना है। अब उसकी हालत बड़ी खराब है। अब उसे नाराज करे या न करे, यह समस्या पैदा हो जाती है। एक आदमी मैरिट वाला है फर्स्ट डिविजन पास है, अच्छा योग्य व्यक्ति है पर सिफारिश वाला आदमी थर्ड डिविजन वाला है, कम योग्यता वाला है उसको लेने की कोशिश की जाती है। अब यह सर्विस वाला नहीं करता ऐसा भी मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं इससे सरकार को अच्छे योग्य व्यक्ति सेवाओं में नहीं मिल सकते। हमारे सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। सरकार को इन पर सोचना चाहिये और कमीशन के सिलेक्शन के पेटर्न को चेन्ज करना चाहिये। मैं सोचता हूं कि कमीशन का सिलेक्शन जिले में किया जावे। आज हालत यह है कि चार चार साल तक वेकेन्सी रहती हैं और ये सिफारिश नहीं करते। पंचायत समितियां टेम्प्रेरी लोगों को लगा लेती हैं। फिर सिलेक्शन करते

(श्री रामकिशन)

वक्त दिक्कत आ जाती है कि आया योग्य व्यक्ति को, जो फर्स्ट डिविजन भी है, लिया जावे या जिसने टेम्प्रेरी उस जगह काम कर लिया है उस आदमी को, चाहे वह थर्ड डिविजनर हो, लिया जावे। तो ये सारे झगड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह काम कलेक्टर पर छोड़ दिया जाय। इसमें बड़े केडर के लोग तो आते हैं नहीं। ग्राम सेवक हुए, मास्टर हुए, वेटेनरी कम्पाउण्डर हुआ ऐसे छोटे छोटे केडर के लोगों का चुनाव करना होता है तो इनके चुनाव का अधिकार जिले में ही दे दिया जावे तो उपयुक्त रहेगा। फिर इसमें भी प्रमुख वगैरह के दबाव की सम्भावना समाप्त की जानी हो तो टीचर्स और इन दुसरे केडर के सभी लोगों के लिए एक निश्चित फार्मूला तय कर दिया जाय कि इसके लिए यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे टीचर्स के लिए शिक्षा विभाग में होना है और वह लिस्ट निकाल दी जानी चाहिए और उसके अनुसार भर्ती कर ली जाया करे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग हैं उनका कन्सीडरेशन भी हो तो उनका पर्सेन्टेज भी तय कर दिया जाना चाहिये। अन्यथा तो जिला परिषद् और पंचायत समितियों की सेवा में बीसियों प्रकार के लोग आ सकते हैं और कई कारणों से योग्य व्यक्ति नहीं आ सकेंगे। हमारे सामने ये दिक्कतें हैं। इनको स्वीकार करने में दिक्कत पड़ती मुझे नजर नहीं आती,

इन संस्थाओं के साथ दूसरी दिक्कत और है। डी. सी. होते हैं। पर उनका हुक्म कोई नहीं मानता। अब हुक्म नहीं माने तो उसे सजा कौन दे? मैंने इस तरह के कई केस भेजे। मुझे पता नहीं उनका क्या हुआ। चिट्ठियों का जवाब भी नहीं मिलता। फिर विकास विभाग का उपयोग क्या है? मन्त्री जी जरूरत हो नहीं समझते इस तरफ देखने की। अब किस किस मामले में मन्त्री जी की दिलचस्पी होती है और किस किस में उनका कितना दबाब पड़ता है यह हम सब जानते हैं। तो मैं तो यह भी कहूंगा कि इस दबाव का भी एक पर्सेन्टेज बान्ध लें कि इतने मामले में दबाव माना जावेगा. बाकी में नहीं। तो कुछ तो तय हो जाना चाहिये। डी. सी. के आदेश मानने को तैयार नहीं, चुन कर आदमी भेजें तो उनको लेने को तैयार नहीं। जब हम सलेक्ट करके भेजते हैं तो दो दिन पहले प्रस्ताव पास करके भेज देते हैं कि हमें इन पोस्टों की जरूरत नहीं, समाप्त कर दिया है। केण्डीडेट नहीं लेने हैं। अब ये कण्डीडेट वापिस आ जाते हैं। फिर तीन मास बाद रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि इन इन लोगों की आवश्यकता है। हमने इनको रख लिया है। आपने भेजे नहीं। अब सरकार के पास सहमति के लिए भेज देते हैं।

लोग कहते हैं कि पंचायत राज्य संस्थाओं की बड़ी ऊंची हैसियत है आप कैसे कहते हैं कि कोई हैसियत नहीं। आपके अधिकार तो कलेक्टर से भी ज्यादा हैं। जब कि हालत यह है कि तहसीलदार भी चाहे तो नजदीक नहीं आने दे। खेतसिंह जी ने निकाल दिया। वे भी महत्व नहीं देते क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जिला परिषदों को और पंचायत समितियों को अगर आपको रखना है तो इनको सक्षम बनाओ, अधिकार दो। नहीं

(श्री रामकिशन)
तो समाप्त करो। इसके कई दूसरे तरीके भी हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत, जिला परिषद् के बारे में मेरी काफी जानकारी है। काफी नजदीक का सम्बन्ध इससे रहा है। इस कारण मैं कह सकता हूँ कि आज जो स्थिति इनकी है उसको देखते हुए यह स्पष्ट है कि इनकी कोई उपयोगिता नहीं है राजस्थान में। गिरधारीलाल जी व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने ईमानदारी से स्पष्ट स्वीकार किया है कि इस संगठन में कोई जीवन के लक्षण शेष नहीं रहे हैं। रिपोर्ट भी दी उन्होंने। चुनावों की सिफारिश भी की। पर अब आगामी चुनाव कब होंगे पता नहीं क्यों नहीं हुए ? एक तो बहाना ले लिया, उप चुनाव असेम्बली के कराने हैं। दूसरा अकाल की परिस्थिति का बहाना बना बनाया है। निश्चित तौर से अगले साल किसी न किसी जिले में अकाल की स्थिति रहेगी। राजस्थान की स्थिति तो यह है कि अगर इस मसले को अकाल की स्थिति से जोड़ दिया गया तो कोई साल ऐसा नहीं आवेगा जिस साल राजस्थान के किसी न किसी कोने में या जिले में अकाल की स्थिति न हो। लोकसभा का चुनाव होगा, और चुनाव होंगे तो कह देंगे बाडमेर में, जैसलमेर में, जालौर में, शेरगढ़ में अकाल की स्थिति है। फिर इन चुनावों में वे जल्दी कर सकते हैं क्योंकि अकाल अगर नहीं पड़ेगा तो इनको वोट नहीं मिलने वाले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अकाल से खुशी नहीं है। परेशान हैं हम भी।

श्री रामकिशन : पर वोट लेने में आनन्द आ जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वोट तो वैसे ही आ जावेंगे।

श्री रामकिशन : राजनैतिक अकाल नहीं पडा तो प्राकृतिक तो जरूर पड़ेगा। आखिर कब तक आप चुनाव नहीं करावेंगे ? सरकार की इन बार बार बदलती हुई घोषणाओं के पीछे अब लगता है कोई दर्शन छिपा हुआ है। कोई फिलासफी इसके पीछे इस सरकार की, कांग्रेस की है। इस देश में लोकतन्त्र समाप्त करना चाहते हैं ये। इसके दो तरीके हैं। लोगों की इच्छाओं को पहले तो जगा दो, फिर उनको निराश कर दो। जनता जब निराश हो जाती है तो उस समय देश में लोकतन्त्र समाप्त हो जाता है। तानाशाही आती है। यह प्रकृति है। नियम है। जहां जहां तानाशाही आई वहां यही रहा। जनता निराशा में डूबी और फिर तानाशाही आई। यहां भी यही हालात पैदा करने का इनका इरादा है।

जिला परिषदों की स्थिति क्या है, जनता इनके बारे में निराश है, आज विधान सभा और लोक सभा में यही स्थिति पैदा होने जा रही है। लोक सभा में एक नई स्थिति आज खड़ी हो गई है। विरोधी पक्ष के लोग बोलने खड़े होते हैं तो हल्ला गुल्ला करके उनको बोलने नहीं देते। कुछ संसद के मित्रों से मैं मिला, कांग्रेस वालों से मिला। वे भी यही बात कर रहे हैं कि आज इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। किस लिये ? इसलिये कि आगे चल कर लोगों में निराशा घर कर जाय और वे कहने लगें कि लोकसभा, विधान सभा और ये पंचायतें सब बेकार हैं। जब इस तरह से निराशा का वातावरण बन जावेगा तो तानाशाही लाद दी जावेगी। राजस्थान सरकार के

(श्री रामकिशन)
कदम भी जाने अनजाने में तानाशाही का रास्ता साफ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर नहीं, तो आज सदन में घोषणा कर दी जानी चाहिये कि पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से फलां तारीख को करा देंगे।

नये मुख्य मन्त्री बने। दो तीन भाषण किये। आश्वासन दिये, चुनावों के बारे में भी आश्वासन दिये। पर बदल गये। आज मानस यह बन गया है जनता का कि कांग्रेस की घोषणाए सुनते हैं तो उन पर विश्वास नहीं होता। उनकी भाषण करने की आदत है। किसी ने माला पहनाने या उद्घाटन करने, खिलाने पिलाने के लिये बुला लिया तो पहुँच गये और वहां जाने अनजाने में कर दी घोषणाएं। इसी तरह से अभी अभी घोषणा की कि चुनाव करायेंगे, हरिजनों को अधिकार देंगे। रेडियो पर मुख्य मन्त्रीजी का भाषण का ब्राडकस्ट सुना। हरिजनों के लिये, उनके बाल बच्चों के लिये बड़ा दुःख-दर्द प्रकट कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे कि जैसा अपने बाल बच्चों के लिये भी दर्द न होता होगा कभी। पर आज हो क्या रहा है? सांवरियाजी सदस्य थे। वे कह रहे थे कि रिजेवशन करना चाहिये। यह मांग उनकी कोई नई नहीं थी। कई साल पहले से चली आ रही है। प्रधान, सरपंच आदि के लिये जब तक रिजर्वेशन आप नहीं करेंगे तब तक इन जगहों पर वे लोग चुन कर नहीं आ सकते। मूलचन्दजी कह रहे थे कि बिना रिजर्वेशन के अगर जगजीवनरामजी को भी इन जगहों के लिये खड़ा कर दें तो वे भी एक ब्राह्मण के मुकाबले में हार जावेंगे। अगर जगजीवनरामजी हार जावें तो हार सकते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कोई काम नहीं किया न उनमें इतनी बुद्धि ही है। पर अम्बेडकर सरीखे लोग हार गये जिन्होंने अपना जीवन इस जाति के लिये लगा दिया जो अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले बड़े योग्य व्यक्ति थे। बम्बई से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत नहीं पाये। बम्बई जैसी जगह से अम्बेडकर सरीखे लोग हार जायं जहां जाति पाति का असर नहीं रहना चाहिये, जहां की जनता शिक्षित है। तो इसलिये मेरा कहना है कि प्रधान, सरपंच, प्रमुख इन जगहों के लिए आबादी के अनुपात से संरक्षण और रिजर्वेशन इनको दिया जाना चाहिये। आपने पंचों के लिये सीटें रिजर्व की हैं। यहां तो वैसे भी आ सकते हैं। ऐसी जगहों के लिये करना चाहिये जहां ये आ नहीं सकते। इससे लगता है राजस्थान सरकार की मंशा भी इनको अधिकार देने की नहीं है। इस संशोधन को स्वीकार किया जाय तब तो इसका कोई उपयोग हो जावेगा, नहीं तो इसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है।

इसके अलावा पंचायत सर्विसेज के लिये राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह अलग से एक केडर होना चाहिये। विकास अधिकारी अलग। डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट अलग। अब इन सारी पोस्टों पर लोग प्रोमोशन से पहुँच सकें इस तरह का सिस्टम रखा जावे। निष्ठापूर्वक अगर आप इस तरह का संगठन बनावेंगे तो कुछ काम इस में हो सकेगा। बाकी जो लोग इस तरह से डेपूटेशन पर भेजे जाते हैं उनकी इसके प्रति कोई निष्ठा नहीं होती, न वे दिल लगा कर यहां काम करते हैं। न वे लोग इन संस्थाओं में रह कर लोगों में इस पंचायत राज के प्रति निष्ठा पैदा करने की कोशिश करते हैं।

(श्री रामकिशन)

ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक लगे हुए हैं। मेरा अनुभव है इनके बारे में। इनके शेरगढ़ में कोई काम नहीं है। आबादी वहां कम है इसलिये। मेरे जिले में काफी आबादी है। पर ग्रामसेवक के पास यहां भी काम नहीं। बीज, खाद आता है वह बांट देते हैं अगर कभी आ जावे तो। नहीं तो दिन भर बैठे रहते हैं। कोई काम उनके पास नहीं है। अब यदि सरकार का दृष्टिकोण केवल एम्प्लॉयमेन्ट देने का ही रहता है और अनप्रोडक्टिव एम्प्लायमेन्ट ही लोगों को देती गयी तो हमारे संकटों की समाप्ति नहीं होने वाली है, हमारी समस्याओं का हल इससे नहीं होने वाला है। जिले का विकास अधिकारी है, विकास का एक लक्ष्य स्थिर हो जाना चाहिये। अगर अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसने विकास का वह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो उसको निश्चित ही उसे सजा मिलनी चाहिये। यह सरकारी नौकरी कोई धर्मादा या देवस्थान नहीं है कि एक बार घुस गये तो हरामखोरी करते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं।

मैं जानता हूं इस विभाग के अधिकारी किस तरह से सरकारी पदों का और साधनों का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी जीपों का किस तरह से दुरुपयोग होता है। सरकारी धन का किस तरह से धुआं लगाया जाता है। सब जानते हैं। किसी से छिपा नहीं है। वृद्धिचन्द्रजी कहते है हमारे जिले से जीप यू. पी. में गई, भरतपुर आई। भरतपुर बोर्डर जिला है। यहां जितने अफसर आयेंगे, जिला परिषद और पंचायत समितियों की जीपें आवेंगी, 14 मिनिट ठहरेंगी और फिर मथुरा वृन्दावन के दर्शन करने जावेंगी वहां वे कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। जो मथुरा वृन्दावन जाते हैं उनके लिए यह जरूरी नहीं कि उनको कोई वैराग्य या योग के भाव पैदा हो गये हों। दर्शन करने के भाव से जाते हों यह जरूरी नहीं है। पर एक प्रवृत्ति ऐसी पैदा हो गई है कि सरकारी धन पर आनन्द करो, ऐश मनाओ। अब चाहे सरकारी अधिकारी हो, राजनेता हो, चाहे छोटे मोटे कर्मचारी हों, चाहे चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार हो। भरतपुर, यू. पी. के चुनाव हुए वहां पंचायत समिति और जिला परिषद की जीपों का खुलकर दुरुपयोग हुआ। विश्नोई साहब नहीं चाहेंगे कि मैं इस बारे में अधिक कहूं। भरतपुर की जीपों के लिये यह कह सकता हूं। पर क्या अर्थ निकलने वाला है यह सब कहने का। कहूं भी दूं तो भी अर्थ तो निकलने वाला नहीं है। जिनको न्याय करना है, जिनको मर्यादाओं की रक्षा करनी है वे भी अन्याय करने पर और मर्यादाओं को सामाप्त करने पर तुले हुए हैं तो किससे शिकायत करनी है मुझे। कह सकता हूं और उससे लोकमत बना सकता हूं केवल। उससे तत्काल कोई परिणाम निकलने वाला नहीं इनसे कोई आशा नहीं। अगर पंचायत समितियों की जिला परिषदों की जीपों के दुरुपयोग की स्थिति को सुधारना है तो मंत्री जी को पहले स्वयं की कार के दुरुपयोग रोकना पड़ेगा। अगर गंगोत्री गन्दी हो जावेगी तो गंगा कैसे पवित्र हो सकती है। ऊपर की गड़बड़ियां पहले दूर करनी होंगी, वे नहीं होंगी तो नीचे की हालत नहीं सुधर सकती। मंत्री कारों और जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, दुराचार और भ्रष्टाचार करते हैं

(श्री रामकिशन)

तो फिर उनके नीचे के अधिकारी कमिश्नर और सैक्रेटरी, कलेक्टर क्यों पीछे रहेंगे ? कमिश्नर, सैक्रेटरी और कलेक्टर भ्रष्टाचरण करेंगे तो फिर प्रधान, प्रमुख और पंच-सरपंच क्यों पीछे रहेंगे, नीचे के कर्मचारी और छोटे छोटे कर्मचारी क्यों पीछे रहेंगे ? उनका मौका लगते ही वे भी उसी रास्ते पर चलेंगे।

अगर सारी स्थिति को सुधारना है तो ऊपर से सुधारना होगा। ऊपर वाले सुधर जायेंगे तो नीचे सुधरना सम्भव होगा। ऊपर वाले नहीं सुधरेंगे तो नीचे किसी तरह से सुधार नहीं आ सकता, यह निश्चित है, सनातन सत्य है। कई तरह की इन्क्वायरी पंचों, सरपंचों के खिलाफ, प्रधानों के खिलाफ चलती रही हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनका सरपंच को ज्ञान ही नहीं है। मामूली पढ़ा-लिखा है। इरादा बुरा नहीं है। पर फिर भी पढ़ाई की खामी से लोग गड़बड़ी उनके मत्थे मढ़ देते हैं। इन मामलों में मैंने सजा मिलते देखा है। पर गम्भीर से गम्भीर अपराध लोग करें, धन का दुरुपयोग करें, भ्रष्टाचार करें, दुनिया भर के जघन्य से जघन्य अपराध करें, सरकारी जमीनों को हड़प जावें पर उनकी इन्क्वायरी तक नहीं होती है तो पहले तो वहीं दबा देते हैं। जिलों में ही। अगर किसी तरह से वहां से कागज यहां आ जावे तो डवलपमेंट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। अगर यहां से भी मामला मिनिस्टर के पास चला गया तो फिर उनकी मर्जी की बात है। वह और नहीं पूछेगा, यह पूछेगा अपराध करने वाला कौन है, उसका नाम क्या है ? उसका निर्वाचन क्षेत्र कौनसा है ? एम. एल. ए. के चुनाव में मदद की है या नहीं ? अगर की है तो उसके सौ ही गुनाह माफ हो जावेंगे नहीं तो इन्क्वायरी के स्टेप ले लिये जावेंगे। यह स्थिति जहां बनी हुई हो और ऊपर से समाजवाद का उपदेश देते रहें तो चिन्ता का विषय है यह।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर आरोप की दृष्टि से यह सब नहीं कह रहा हूं। मैं तो पिछले दस सालों से सम्पर्क में हूं इससे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज इसकी अत्यन्त दयनीय स्थिति है। इस संस्था में सुधार होना तब तक सम्भव नहीं जब तक कि मन्त्रीगण ऊपर वाले नहीं सुधर जाते हैं और वे इस संस्था को सुधारने का सही दिमाग नहीं बनाते हैं। इनका दिमाग बन जावेगा तो इस संस्था में सुधार होना सम्भव है। पर अगर केवल अपने प्रचार के लिये ही इसको समान बनाये रखना चाहते हैं तो यह संस्था लड़खड़ावेगी।

इन सब बातों को ध्यान में रख कर अगर चुनाव कराना चाहते हों तो इससे पहले पहले कमेटी की रिकमण्डेशन्स पर विचार किया जावे। और साथ ही साथ इस सदन में आज निश्चित तौर से घोषणा करें केवल जीवन में एक बार सच बोलना है और जीवन में एक बार सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है। जो कहते हैं आप निश्चित कर दीजिये चाहे माननीय खेतसिंह जी कर दें, चाहे माननीय रामनारायण जी कर दें और चाहे मुख्य मन्त्री जी कर दें लेकिन उसके बाद लक्ष्मण रेखा जैसी सीमा बन जाय और चुनाव निश्चत समय पर अवश्य हो जायं—ऐसी आस्था जनता में पैदा होगी तो लोकतन्त्र जीवित

(श्री रामकिशन)

रहेगा, अन्यथा नहीं। चाहे गुजरात का मामला हो और चाहे कहीं का मामला हो। कल शिक्षा मंत्री बिहार में घसीट लिये गये। घसीटना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन जनता में अब आपके प्रति विश्वास नहीं रहा है। घसीटने का क्रम शुरू हुआ है तो पहले शिक्षा मंत्री घसीटे जायेंगे, उसके बाद विधायक घसीटे जायेंगे—कांग्रेस पक्ष के और उसके बाद विरोधी दल के सदस्य घसीटे जायेंगे। इसके लिये कौन जिम्मेवार है? सरकार का आचरण जिम्मेवार है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में इतना दम्भ है और अविवेक है और फट से कह देती है तुम्हारी बात सच होती तो 144 हम कैसे आ जाते। हम मानते है कांग्रेस में बड़े बड़े सन्त हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। बड़े बड़े युद्धिष्ठर हैं। आप में कोई सन्त है, कोई ज्ञानी है, कोई युधिष्ठर है? बता दीजिये। केवल जनता के साथ धोखा किया गया है और अगर ऐसी भी बात है कि आप बड़ी संख्या में जीत कर आये हैं तो उसमें कोई दम्भ नहीं होना चाहिये। परिस्थितियों को समझना चाहिये। पंचायत राज संस्था के बारे में इतना ही मुझे कहना है।

कर्ज के सम्बन्ध में आप पंचायत समितियों को देखेंगे तो जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है, उनके नाम कर्जा लिख दिया गया है और जिन पंचायत समितियों ने कर्जा लिया है उनको नोटिस भी नहीं दिये जा रहे हैं। आप किसी तरह की जांच करवा लीजिये, कभी कर्जा लिया ही नहीं उनके नाम कर्जा लिखा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये सारी स्थिति का गहराईसे अध्ययन करें तो आपको स्वयं को पता लग जायेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं। पंचायत समितियां अनुदान ले रही हैं कुओं के नाम पर, सड़कों के नाम पर तो ओवरसियर उनको सर्टीफिकेट नहीं देते हैं और कहीं कहीं स्थिति यह है कि सरपंच पैसा ले गये लेकिन राजनैतिक दबाव से यह नहीं कहा जा रहा है कि पैसे जमा करा दो। इस पूरे ढांचे को बदलने के लिये कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठायेंगे तब तक सुधारा नहीं जा सकता है।

पंचायत राज के सम्बन्ध में विस्तार में न जाकर यही निवेदन करूंगा, सरकार चुनाव की घोषणा करे, नये पैटर्न स्वीकार करे, गांवों और देहातों को अधिकार दे। अगर इस संगठन के सही रूप को लेकर चलाया गया तो मैं समझता हूं पंचायत राज की कोई उपयोगिता है, कोई निष्ठा है अन्यथा पंचायत राज में जनता का कोई विश्वास नहीं रहने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री हैं, वे काफी निष्ठावान हैं और मुझे निष्ठा इसलिये जान पड़ी कि भरतपुर चुनाव में जगीना गांव के लिये इन्चार्ज बनाया गया। अब इन्होंने अपने कार्य को बहुत निष्ठा से निभाया काम करने की निष्ठा भी थी और लगन भी। जब गांव वालों से वोट लेने के लिये सारे तरीके अपनाये और सब विफल गये तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया और वह तरीका यह अपनाया कि तुम्हारे लड़के-लड़कियों को सगाई करना चाहता हूं इसलिये मुझे लिस्ट दे दो। चुनाव जीतना है इसलिये सगाई का बहाना कर लिया। जगह जगह कहते फिरे मैं तुम्हारे लड़के-

(श्री रामकिशन)

लड़कियों को सगाई करवा दूंगा। इसलिये, वोट लेने के लिये जब ये सगाई करा सकते हैं तो मुझे विश्वास है पंचायत राज संगठन को सफल बनाने के लिये उसी तरह का कोई पर्चा देंगे। मेरे उनसे अच्छे सम्बन्ध हैं, मित्रवत् सम्बन्ध हैं। इसलिये आप निष्ठा रखें तो पंचायत राज संगठन का भविष्य बहुत उज्वल हो जाएगा और अगर निष्ठा नहीं रखें और वही दकियानूसी विचार आपके हैं तो कोई अर्थ नहीं है। जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना अगर कोई उत्पादन करने में खर्च करें तो ज्यादा उपयोगी हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

सौभाग्य से सहकारिता के भी ये ही मंत्री हैं। हमारी केवल एक धारणा है, सोसायटी बन गई और यह पता है ऋण बांटती है लेकिन सहकारी आन्दोलन का जन्म किस लिए हुआ है, यह पता नहीं। समाज का जो शोषित वर्ग है उनको ऋण वगैरह देकर दूसरों के मुकाबले लायें।

आज राजस्थान की सहकारिता में कौन लोग बैठे हैं? बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े राजनेता लोग सहकारी संगठनों के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। हम क्या नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? हालांकि कॉन्स्टीट्यूशन का सवाल हो जाएगा लेकिन एक सम्पत्ति की सीमा निश्चित कर सकते हैं कि अमुक अमुक आदमी सहकारिता के पदाधिकारी नहीं बनें। मैं देखता हूं, छोटी मोटी शिकायत आयेगी, आप उसका निराकरण कर देंगे, एक सोसायटी के लिये जो दण्ड देना चाहेंगे वह आप दे देंगे लेकिन जो सारे आन्दोलन की स्थिति बन गई है उस और आपका कतई ध्यान नहीं है। यह शोषितों का अशोषितों के प्रति आन्दोलन है। सहकारिता में आज चाहे किसी को चुनाव में ले लें, कोई नियम नहीं है। चुनाव से एक दिन पहले सदस्य बना लेते हैं। चुनाव में कोई जीतता है, कोई हारता है। अब जीतने वाले को सदस्य बना लेते हैं इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है। आमतौर से पदाधिकारी एक साल को निकाल कर दूसरे साल चुनाव के लिए कहते हैं। हारने जीतने का कोई असर नहीं पड़ता है। मन चाहे जब करवा लें उनको चार्ज देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रक्रिया में काफी गोलमाल है, इसको सुधारा नहीं जाएगा तो अव्वल तो जनता की आस्था आप में रही ही नहीं है और जो कुछ बाकी आप समझते हैं वह भी खतम हो जाएगी।

जो पुराने पदाधिकारी सहकारी समितियों में हैं उनको किसी प्रकार आप हटा सकें और सम्पूर्ण रूप से नहीं हटा सकें तो कम से कम 25-30 पर्सेन्ट को हटा दें तो सहकारी समितियों में कुछ प्राण आ सकते हैं नहीं तो सहकारिता भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बनी हुई है। अभी आपने शायद 6 साल का नियम बनाया रजिस्ट्रार साहब का फिर प्रधान मंत्री की चिट्ठी मुख्य मंत्री के नाम आ गई अच्छा आप ऐसा कर रहे हैं तो सारे नियमों को रद्द कर दिया गया। उसका कोई औचित्य नहीं था लेकिन आपका दिमाग बन चुका है मौजूदा अधिकारी गड़बड़ी करते हैं तो उनको हटाने की कोई न कोई व्यवस्था करें, नियमों में संशोधन कर दें जिससे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके।

(90)

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन में कई प्रवृत्तियां चल रही हैं। एक वन श्रमिक सहकारी समिति बन गई जिसमें गरीब, हरिजन, आदिवासी लोग हैं। इनका धन्धा वन से लकड़ी चुनकर लाना और बेचना है। इस प्रकार का धन्धा करने वालों का रूप वन श्रमिक सहकारी समिति का हो गया। अब वन विभाग और सहकारी विभाग में कोई सामंजस्य नहीं है। उनमें भी गलत तरीके के लोगों को बिठा दिया। अभी जो सरकार ने नई घोषणा की स्टेट ट्रेडिंग की उसमें वन मंत्री और सहकारिता मंत्री मिलकर देखें तो स्थिति यह है कि बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्हीं को सहकारिता का काम दिया जा रहा है और जो छोटे मोटे ठेकेदार हैं उनको सहकारिता का कोई काम नहीं दिया जा रहा है। जो ठेकेदार पर पहले बंदिश थी वही आज भी है। वहां कुछ घोषणायें की गई, पत्थर के काम में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अगर निष्ठा है तो उसको प्रेक्टिकल रूप दीजिये। केवल हरिजनों का मन जीतने के लिये नारा दें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनके मन में आपके प्रति कोई निष्ठा रखनी है तो जो घोषणा करें, सोच समझ कर घोषणा करें और उस घोषणा का सख्ती से पालन करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग सोसायटियां बहुत बन गई। मैं भरतपुर जिले की कह सकता हूं। 3-3, 4-4 हजार रुपये कर्ज देकर सोसायटियां बनाई और आज यहां उनकी दरख्वास्तें रद्दी के टोकरे में डाल दी गई हैं। किसी के लिये ऋण मंजूर नहीं हुआ है। इसी तरह औद्योगिक सहकारी समिति हैं, गृह निर्माण सहकारी समिति हैं उनको भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। केवल एक आस्था का प्रदर्शन कर दिया जाता है।

उसी प्रकार से हम जयपुर शहर के आस पास देखते हैं कई प्रकार की गृह निर्माण समितियां बनी हैं। हर दिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम अखबारों में एडवरटिजमेन्ट देखते हैं गोविन्द गृह निर्माण समिति के नाम से। इसके आप सारे कार्य कलापों को देखें तो आप इसमें बहुत बडा धोखा पायेंगे, बहुत बडा गबन पायेंगे। को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट का एक अधिकारी है उसने यह सोसाइटी बना ली, वह उसका अध्यक्ष बन गया और आज आप उसके बारे में जितनी जानकारी चाहें आप देख लें। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि दो साल में एक काम तो आप अच्छा कर दो। अगर एक भी काम आप अच्छा कर दोगे तो मैं भी समझूंगा कि आप में काम करने की दिलचस्पी है। गोविन्द गृह निर्माण समिति की सारी ऑडिट रिपोर्ट को आप देखें कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं जमीन हडपने की बात कही गई, गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां की गई, सिवाय चक जमीन थी और जो रास्ते थे उनको इस गोविन्द गृह निर्माण समिति ने अपने नाम पर लिया और बेच दिया, पुलिस में केसेज दर्ज हुए हैं लेकिन इस सोसायटी के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता। उपाध्यक्ष महोदय, जब बड़े बड़े लोग ही अपराध करते हैं तो छोटे लोगों को भी अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और वह समझते हैं कि उस सोसायटी का ही कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो उपाध्यक्ष

(श्री रामकिशन)

महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह पहले पहल मन्त्रिमण्डल में आये हैं और उनके अपने लिए भी जरूरी है कि उनके विभाग का सम्मान हो तो इसमें एक दो मामलों में आप मजबूती से हाथ डाल कर देखें। आप चाहें किसी भी एक सोसाइटी को पकड़ लें और ऐसी सोसाइटी को पकड़ लें कि जिसमें कांग्रेस का या उसका कोई रिश्तेदार नहीं हो। जिसमें कहीं भी कोई कांग्रेस वाला नहीं मिले उसको पकड़ लें। लेकिन एक को पकड़ लेगें तो मैं समझूंगा कि आज जनता के मन में सहकारी आन्दोलन के प्रति निष्ठा बन सकती है। न तो आज निष्ठा सहकारी विभाग के प्रति है और न पंचायती राज के प्रति है। अनिष्ठापूर्वक काम किया जा रहा है और इससे लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सुझावों के साथ और इन संशोधनों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार इस निर्णय पर जल्दी आये। एक बात बहुत कम समझ में नहीं आती है कि हमारे देश के जीवन में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वाणी में कुछ और कर्म में कुछ है आखिर इसका क्या कारण है? लोग कहते हैं कि राजस्थान सरकार चुनाव नहीं कराती। उपाध्यक्ष महोदय, यह रोग कोई नया नहीं है यह इतना पुराना है कि वाणी से कुछ और कर्म से कुछ और। यह तो हमारे दर्शन का दोष है। राजस्थान सरकार ने भी दर्शनों को पढ़ लिया है कि मुंह से कुछ कहते जाओ और आचरण से कुछ करते जाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक चिट्ठी लिखी माननीय मन्त्री जी को कि हमारे यहां टीचर्स का सलेक्शन हुआ। मैंने मन्त्री जी से कहा और मैंने अपने पैसे से टेलीफोन किया। जब मेरा जैसा गरीब आदमी अपने पैसे से टेलीफोन करता है तो थोड़ा दुःख होता है। मैंने कहा कि आप पहले पहल मन्त्री हो गए हैं और हमारे यहां टीचर्स का जो सलेक्शन हुआ है वह नहीं ला पाए हैं और क्योंकि उनके 6 महीने खत्म हो गए हैं इसलिए आप ऐसा कीजिए कि इनका टाइम एक्सटेण्ड कर दीजिए। उन्होंने कहा कि करा दूंगा और फिर मन्त्री महोदय के यू. पी. से लौटने के बाद यहां आया और मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आदेश हो गए। मैं इसके लिए फिर विभाग में गया तो वहां कहा गया कि आदेश ही नहीं हैं। अब इसके लिए क्या किया जाये? मेरी, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जो से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वह मेरे पड़ौस में रह चुके हैं और उनके ऊपर मेरे पड़ौस का अच्छा प्रभाव रहा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें विरोधाभास कहां है? दफ्तर कहता है कि जानकारी नहीं है और मन्त्री जी कहते हैं कि आदेश कर दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह आदेश कहीं अपने देश से बाहर देश में न चले गए हों। मैं समझता हूं कि छोटे-छोटे कामों के लिए जब दस-दस बार कहना पड़ता है और मन्त्री जी के आदेशों को विभाग नहीं मानता है तो फिर उनको मन्त्रिमण्डल में बैठने की जरूरत नहीं है। जब तक विभागाध्यक्षों को आप नहीं कसेंगे तब तक लोकतन्त्र में सफलता संदिग्ध है और सफलता नहीं हो सकती है। जब तक

(श्री रामकिशन)
राज्य सरकार के अधिकारी और मन्त्री महोदयों में समानीकरण नहीं होगा तब तक इस सारी स्थिति से हम नहीं निकल सकते। अब छोटे-छोटे सवालों के लिए मन्त्रियों को तकलीफ देनी पड़े, बहुत ताज्जुब होता है। परसों मैं अचानक माननीय रामनारायण जी के यहां घर गया तो देखा कि वहां बड़ी भारी भीड़ थी तो जब इतने लोग पहुंचे तो निश्चित रूप से कुछ लोग नाखुश होंगे। मैं यह वास्तविकता के आधार पर कहता हूं। जब एक बार बात हो जाये और मन्त्री महोदय कह दें कि आदेश निकल गए तो निकल ही जाने चाहिए और नहीं निकलते हैं तो फिर काम का डिस्पोजल नहीं होगा। अगर राज्य के अधिकारी आपके आदेशों को नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर लेना चाहिए। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इन सारी बातों के ऊपर विचार करे।

।

एक बात कहना चाहूंगा कि आप फिर टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं और आपका सलेक्शन का इस प्रकार का रद्दी पैटर्न है कि आप सलेक्शन नहीं करा सकते। 26 जिलों के लिए दो अधिकारी हैं। उनकी भी कुछ स्थिति हो सकती है यह वह जानें। उनके पास वर्कलोड है या नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन जब अभी से बात कह दी है तो सलेक्शन के लिए पहले ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आज सारे राजस्थान में चले जाइये, एक एक स्कूल में 80 और 100 के करीब छात्र हैं और केवल एक मास्टर है। एक तरफ टो ट्रेण्ड टीचर्स बैठे हुए हैं लेकिन उनके सलेक्शन और पोस्टिंग के आर्डर्स नहीं निकाल रहे हैं। आज फिर वही स्थिति आ सकती है। आप जब नयी भर्ती करेंगे तो नये लोगों के लिए अभी से व्यवस्था कर लेनी चाहिये और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगले सैशन के शुरू होने तक सारी नियुक्तियां हो कर चले जायें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो शिक्षा का प्रसार है वह नहीं होगा। आज पंचायत समितियों के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण यह है कि समय पर टीचर्स नहीं पहुंच पाते। इसकी व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थिति इस सम्बन्ध में और निवेदन करनी है। यह जो तरह तरह के सरकार नियम बना देती है टीचर्स के सलेक्शन के लिए इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि जो सीमावर्ती जिले थे उनमें यह नियम बना दिया कि हम इस प्रकार के टीचर्स को लेंगे जो कि अनट्रेण्ड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दूसरे जिले हैं भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जहां कि काफी ट्रेण्ड टीचर्स हैं। मैं यह नहीं कहता कि सीमावर्ती जिलों के लिए कोई रोजगार नहीं मिले लेकिन मेरा निवेदन है कि जो ट्रेण्ड हैं उनको आप पहले लगा दो। हमारे यहां यह चर्चा चल रही है कि जब अनट्रेण्ड लगा सकते हैं उन सीमावर्ती जिलों में तो हमारे यहां अनट्रेण्ड क्यों नहीं लगा सकते? अगर राजस्थान में एक भी टीचर आपको ट्रेण्ड नहीं मिले तो अनट्रेण्ड को छूट दे सकते हैं लेकिन एक इलाके में काफी ट्रेण्ड टीचर्स हैं और दूसरे में अनट्रेण्ड टीचर्स को लगा दें तो इससे आज के नौजवानों में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके टीचर्स बाड़मेर और जैसलमेर नहीं जाना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : आप भी जाते जरूर हैं। क्यों नहीं जायेंगे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जगह खाली पड़ी होती हैं और सिर्फ ट्रान्सफर्स के लिए चक्कर लगाते रहते हैं।

श्री रामकिशन : मेरे जिले से बाड़मेर और जैसलमेर में आज आठ आठ और दस दस साल से टीचर्स हैं। पाली में हैं, सिरोही में है, जोधपुर में हैं। मैं मानता हूं कि वह ट्रान्सफर्स के लिए कोशिश करते रहते हैं लेकिन उस स्थिति में आप भी नहीं रह सकते। एक 250 रुपये पाने वाला आदमी भरतपुर से 400 मील दूर रहता है क्या वह ट्रान्सफर के लिए कोशिश नहीं करेगा ? क्या इतनी दूर रहना यों सम्भव है ? मैं तो तब तक यह व्यवस्था चाहता हूं जब तक कि ट्रेण्ड टीचर्स उपलब्ध हैं। जब आपके यहां भी ट्रेण्ड टीचर्स उपलब्ध हो जायें तो आप उनको लगा लें।

इसके अलावा फिर एक काम और कर सकते हैं कि इधर के जिलों में ट्रेनिंग बन्द कर दीजिए और सिर्फ उन जिलों में ट्रेनिंग दिलावें जिससे हमारे जिले के ऊपर दबाव नहीं पड़े। मैं इन सुझावों के साथ सहकारी मन्त्री और पंचायत मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह सक्षम होकर काम करें और निष्ठा-पूर्वक इन सारे सवालों को हल करने की कोशिश करें।

आप एक निश्चित वायदा और करें कि चुनावों की तारीख अब नहीं टाली जायेगी। यह आज सदन में जरूर घोषणा करें और कहीं ऐसा बहाना नहीं करें कि दल के नेता आज नहीं हैं यह मान कर चल रहे हैं कि आज सदन में घोषणा करेंगे। अगर आज भी सदन में नहीं घोषणा की तो यह सम्भावना रहेगी कि भविष्य में कभी चुनाव नहीं हो सकेंगे, । बरसात आ जायेगी, इसके बाद अकाल की रिपोर्ट आ जायेगी, रिपोर्ट आने के बाद फिर चुनाव नहीं हो पायेंगे। इसलिए माननीय मंत्रीजी को आज सदन में घोषणा करनी चाहिए कि पंचायतों के चुनाव कब कराये जा रहे हैं। आपके अपने दल के लोगों से जानकारी करनी हो तो वह भी कर लें लेकिन आपको आज घोषणा करनी चाहिए। यह मेरी ही मांग नहीं है आपके दल के माननीय सदस्यों की भी यही मांग है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ कि मैंने सुझाव दिए हैं उन पर मंत्रीजी कोई ठोस आश्वासन देंगे ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल जोशी !

(अनुपस्थित)

श्री गुरदयालसिंह संधू !

(अनुपस्थित)

श्री भैरोलाल !

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल !

श्री जयकिशनलाल : (फागी)। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के ऊपर, सहकारी समितियों के ऊपर जो

Page No 94

(94)

(श्री जयकिशनलाल)

आज मांगें रखी हैं उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। आज हमारे इस प्रान्त के अन्दर सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि दिन प्रतिदिन पंचायतों के चुनाव आगे से आगे बढ़ाये जा रहे हैं। चाहे पंचायत समितियों को देखिये, चाहे पंचायतों को देखिए, चाहे जिला परिषदों को देखिये उसके अन्दर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां रुकी हुई पड़ी हैं। और विकास की दृष्टि से यदि हम सही रूप से उनका अवलोकन करें तो सही रूप से विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि कई प्रकार की ऐसी नीतियां रीतियां रुक गई हैं कि जिनके कारणवश हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि इन सारी की सारी गतिविधियों को देख कर यदि जितना शीघ्रातिशीघ्र हो सके पंचायतों के चुनाव करवा दिया जावे तो जो लोग निराश हो गए हैं जिनकी विकास कार्य करने की क्षमता मृत प्रायः सी हो गई है उनके अन्दर पुनः चेतना आकर, हमारे प्रान्त की उन्नति की ओर उनके विचार और उनकी कर्मण्यशीलता फिर से जागृत होकर वे लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। पंचायतों के चुनाव न होने के कारण आज हर पंचायत क्षेत्र को आप उठा कर देखिये, उस पंचायत क्षेत्र के अन्दर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार होते हुए आपको नजर आयेंगे। करीब 9 वर्ष की लम्बी अवधि के कारण पंचायत चुनाव रुक जाने से आज कुछ क्षेत्रों के पंच और सरपंच अपनी मनमानी से जो भी कार्य करना चहाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वह पूर्णरूप से करते हैं। जनता की धारणाएं इधर नीरस हो गई, यह सोचने लगे हैं कि अब शायद ये चुनाव नहीं होने वाले हैं और एक प्रकार से हम समाजवाद की घोषणा करते हैं। लेकिन इस प्रकार की बार बार रुकावट आ जाने से अब जनता यह सोचने लगी है कि यह तानाशाही के समान सरकार है जिसके अन्दर हम ढंग से अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के पंच या सरपंच या प्रधान या प्रमुख एक प्रकार से जागीरदार बन गए हैं। आप यदि अच्छी तरह से उनको देखेंगे तो वह अपने सम्बन्धी, अपने मित्र और अपनी ही सारी भावनाओं को लेकर सब प्रकार के कार्य करते हैं। साधारण जनता वहां तक पहुँचती नहीं। साधारण जनता वहां तक पहुंचे भी कैसे? एक लम्बा समय होने के कारण उनमें भय हो गया है, वे सोचने लगे हैं कि यदि हम किसी पंच, सरपंच या प्रधान का विरोध करेंगे तो एक साल की और उनकी अवधि बढ़ जाएगी और हमारे साथ उसी प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे जिस प्रकार की पहले होता आया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि हम समाजवाद कि सच्ची रचना इस प्रदेश में और इस देश के अन्दर स्थापित करना चहाते हैं तो उस गरीब जनता जो साधारण लोग हैं, उनका मत लेना चाहिए। उनका मत लेकर पंच सरपंच चुने जाते हैं, जिला प्रमुख और प्रधान चुने जाते हैं और हम भी यहां चुन कर आते हैं, ताकि उस जनता की सही मंशा का मूल्यांकन हो सके और उनको लाभ हो सके। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र इन चुनावों का करवा दिया जावे। केवल मात्र हम सामुदायिक विकास की भावना को लेकर यदि आज सोचें कि वास्तव में हमारे

(श्री जयकिशनलाल)

प्रान्त के अन्दर उनके द्वारा कितना विकास होता जा रहा है, तो मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर क्षेत्र में आज यदि हम देखें तो सामुदायिक विकास केवल मात्र सामुदायिक विकास है, न किसी प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, न किसी प्रकार से उनको कार्य रूप में परिणित किया जा रहा है। आज पंचायतों की स्थिति देखें कि उनके पास किसी प्रकार की ताकत नहीं रहीं। पंचायत समितियों के पास केवल मात्र अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री महोदय को और मेरा निवेदन है कि कई प्रकार की जो योजनाएं हैं, हमारे बांध हैं, कई प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जो कि साधारण जनता और साधारण गांवों के विकास करने के एक आधार हैं, यदि इस प्रकार के प्रोजेक्ट पंचायत समितियों के अधीन दे दिये जायं तो उनके द्वारा हमारे उन साधारण लोगों का पूर्णरूप से विकास हो सकता है। चाहे वह कृषि सम्बन्धी हों या चाहे वे किसी नवीन योजना के सम्बन्ध में हों, चाहे वह किसी सिंचाई विभाग से सम्बन्धित हों, यदि ऐसी छोटी छोटी योजनाएं बना कर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पंचायत समितियों के अधीन दे दिए जावें और एक पंचायत समिति का क्षेत्र यदि छोटा भी होता है तो भी उसके सारे क्षेत्र की सारी की सारी शक्ति उसमें निहित कर दी जाय तो उस क्षेत्र का आसानी से विकास हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रोजेक्ट हमारे सामने बनते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट को एक दूसरे के क्षेत्र में ले जाने के बारे में खींचातानी होकर वह एक जगह से दूसरी खिसक जाते हैं और जिस क्षेत्र का सही रूप में विकास करना चाहते हैं उस क्षेत्र का सही रूप में विकास नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट प्रत्येक पंचायत समिति के अधीन कर दिये जावें और यदि ऐसे प्रोजेक्ट उनके अधीन कर दिए जावें तो वह अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास करना चाहें कर सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम का अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष : काल बेल बजाइये।

(गणपूरक-सूचक-घंटी)

(गणपूर्ति होने के पश्चात्)

शुरू कीजिए अब।

श्री जयकिशनलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की योजनाएं अलग अलग पंचायत समितियों के हिस्से में कर दी जावें तो वह आसानी से उस क्षेत्र का विकास कर सकती हैं।

दूसरा सुझाव उनके लिए यह भी है कि जिस प्रकार से सामुदायिक विकास के अधीन विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे शिक्षा की दृष्टि से, कई पंचायतों में कुए निर्माण कराने की दृष्टि से, स्कूल भवन बनाने की दृष्टि से, छोटी छोटी सड़कें एक ग्राम के अन्दर, छोटे कस्बों के अन्दर स्थापित कर देने की दृष्टि से, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके द्वारा ही उनको पूर्ण सक्षम बना देना चाहिए। हालत क्या है आज कि हमारी सरकार कुछ मामूली पैसे पंचायत समितियों को देती है और वह पैसे कुछेक क्षेत्र के हिस्से में ही बंट जाते हैं। साधारण गांवों के अन्दर कई तरह तरह की दिक्कतें

(श्री जयकिशनलाल)

हैं, ग्रामवासियों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले ऐसे गांवों का सर्वे कराया जाय कि कौन से ग्रामों के अन्दर किस चीज की कमी है और पंचायत समितियों को इस प्रकार के आदेश दे दिए जावें कि जिन गांवों के अन्दर इस प्रकार की कमी है, उन गांवों को सबसे पहले इस प्रकार की धनराशि दे दी जावे और वहां की सारी की सारी कमियां दूर कर दी जावें ताकि आसानी से उस ग्राम की जनता का भला हो सकता है।

शिक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो पंचायत समिति क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र के अन्दर कई जगह ऐसा स्थिति पैदा करें. जहां पर प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना कर दी जाय। ग्रामीण लोगों को जो ऋण देने वाले हैं, वे मामूली पढ़े लिखे लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय करते हैं। यदि प्रौढ़ शिक्षा की योजना बना दी जाए तो जो प्रौढ़ व्यक्ति, है, वह शिक्षित होकर कुछ चन्द व्यक्ति. जो उनके साथ अत्याचार करते हैं, के चुंगल में न फंस कर अपना विकास कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह युवक मण्डल हैं। कई जगह जो खेल की योजनाएं हैं वे ठीक ढंग से स्थापित कर दी जाएं तो ग्रामीण जो नवयुवक हैं उनके मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से हो जायगा। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अशिक्षित वर्ग बहुत ज्यादा रहता है इसलिए उनका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है छोटी छोटी योजनाएं हैं, चाहे वे खेल-कूद की हों, चाहे किसी नवयुवक मण्डल की हों, वे स्थापित कर दी जाएं तो आसानी से उस क्षेत्र का विकास हो सकता है।

पंचायतों के बारे में मेरा एक निवेदन है। श्री गिरधारीलाल व्यास समिति का निर्णय भी आ गया है। पंचायत, पंचायत समितियों के अन्दर रिजर्वेशन अवश्य होना चाहिये। अभी वहां पर केवल मात्र मेम्बर लिए जाते हैं और उन को कोऑप्शन के अन्दर लिया जाता है और उन्हीं को लिया जाता है जो कि सरपंच, पंचों के पक्ष में हों। जो व्यक्ति होशियार होते हैं, या शिक्षित होते हैं, जो अपने विचार रखने के क्षमता रखते हैं, उनको दूर हटा दिया जाता है। केवल मात्र वोटों की गिनती करने के लिए, अपने पक्ष के व्यक्तियों को ही कोऑप्शन के अन्दर लिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों के लिए सीधे रूप से इस प्रकार के वार्डस बना दिए जाएं और इन वार्डों को जनसंख्या के आधार पर रिजर्व कर दिया जाय ताकि वे सीधे ही नेता के द्वारा चुन कर वहां पहुंच जाएं और पंचायत समितियों के अन्दर अपने विचार रख सकें। इस प्रकार की योजना बननी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन सहकारी समितियों के बारे में है। हमारी सहकारी योजना बड़ी अच्छी है। यदि हम इसका अध्ययन करें, यदि यह योजना चले तो वास्तव में साधारण जनता के लिए, समस्त देश की जनता के लिए, यह सहकारी योजना बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। परन्तु सहकारी योजनाओं से सही रूप से जो शक्ति मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है। केवल नाम मात्र के लिए सहकारी समितियां बना दी गई हैं और उनको छोड़ दिया गया है। इन सोसायटियों में किस प्रकार की कमी है, उसको देखने के लिए कोई योजना होनी चाहिये।

(श्री जयकिशनलाल)

(3.25 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

इस की ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। समय समय के ऊपर सहकारी विभाग द्वारा जांच की जाए और जांच के आधार पर वहां पर जो कमियां मिलें उन कमियों को दूर किया जाए तो यह योजना आसानी से चल सकती है, सफल हो सकती है। सहकारी समिति बनने के बाद यदि कभी कोई जांच करने की बात होती है तो उसके अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष से मिल कर उसकी अच्छाई, बुराई की बात कर ली जाती है, उनके साथ बैठकर बात कर ली जाती है और उसकी क्या गतिविधियां चल रही हैं, उसको नहीं देखा जाता है। मेरा एक सुझाव है, जितने भी इन्स्पेक्टर हैं, उनको आदेश दे दिया जाए कि जब जब भी वे जांच करने को जावें, सहकारी समिति के समस्त सदस्यों को बुलाकर राय ली जाये और पूछा जावे कि वास्तव में यह योजना किस प्रकार से चल रही है। किस सदस्य के सामने किस प्रकार की दिक्कत है और सदस्य अपनी आपत्तियां रखें व उन्हें सरल की जावे तो आसानी से सहकारी समितियां चल सकती हैं। वास्तविकता को देखा जाए और जो जो कमियां मिलें वे दूर की जाएं। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मन्त्री मिलकर बैंक से धन/रकम ले जाते हैं और उसको वितरित न करके जो सदस्य हैं उनके नाम बकाया निकाल देते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं। इस प्रकार की स्थितियां करीब करीब सभी सहकारी समितियों में मौजूद हैं। इनकी अच्छी प्रकार से जांच की जाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि किन किन अध्यक्ष, मन्त्री और कोषाध्यक्ष के ऊपर कितना लोन बकाया है। हजारों रुपयों की संख्या में आज इनमें लोन बकाया है। लेकिन हमारी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। दस-बारह साल से इन व्यक्तियों में बकाया चली आ रही है। उनके ऊपर किसी प्रकार का आदेश नहीं चलता है और न किसी प्रकार की सूचना दी जाती है और बेचारे गरीब सदस्य इस प्रकार से इनके अन्याया में फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पंचायत समिति वाईज या जिले के आधार पर एक इस प्रकार की समिति बना दी जाए जिसके अन्दर कुछ जनप्रतिनिधि हों, कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी हों और वहां के सरपंच, या वहां का पटवारी हो और वह समिति पंचायत समिति के अन्दर जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनकी जांच करें। उसको इस प्रकार के आदेश दे दिये जाएं कि एक महीने के अन्दर सब प्रकार की सूचना सरकार को पहुंचा दें ताकि वे उसको देख करके उसकी वास्तविकता को जान सकें। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सहकारिता इस ढंग से चल सकती है। कल एक प्रश्न पूछा था फागी और चाकसू क्षेत्र के अन्दर लाखों रुपयों की बकाया चली आ रही है। यह लिस्ट बड़ी भारी है। इसको देख कर ताज्जुब होता है। सरकार की इस प्रकार से रकम लोगों में बकाया चली आ रही है। न तो व्याज ही लिया जा रहा है और न सरकार को इसका लाभ मिल रहा है। इस प्रकार की यह जो धन-राशि है, इसको एकत्रित किया जाए और जितना भी बकाया है उसको वसूल करके इस योजना में लगा दिया जाए तो हमारे

(98)

(श्री रूपकिशनलाल)

क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन इस रकम को वसूल करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह वहीं पर रुक गयी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की योजना बनावें और तुरन्त ही रकम एकत्रित की जाकर बैंक में जमा कर दी जाय और बैंक के द्वारा जो समितियां ईमानदारी से काम कर रही हैं, उनको विशेष रूप से रकम दी जाए तो उस क्षेत्र का विकास हो सकता है और जहां बेईमानी हो रही है, उनकी सहायता रोक दी जाए ताकि वे आइन्दा गल्तियां न करें तब तो सहकारिता आसानी से चल सकती है और जो कमियां हैं वे दूर हो जाएंगी वरना लोन लेने के लिए ही यह समिति रह जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की स्थिति यदि देखें, तो पूर्णरूप से सारे राजस्थान की सहकारी समितियों को देखें, चाहे सामुदायिक विकास योजनाओं को देखें, जिला परिषद् की ओर से जो समितियां हैं उनमें इसी प्रकार की कमियां पायी जाएंगी। इसलिए सरकार इनका अध्ययन करने के पश्चात् सही रूप से आदेश प्रसारित करे और जो आदेश प्रसारित करे उनका सही रूप से इनसे पालन करावे तो सारी की सारी जो योजना है वह ठीक ढंग से चल सकती है, नहीं तो इस प्रकार की गड़बड़ी चलती रहेगी और हम यहां पर इसी प्रकार से बोलते रहेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इसको किसी न किसी रूप से क्रियान्वित किया जाए तब तो समाज का भला हो सकता है अन्यथा नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव की तारीख निश्चित की जाए और पंचायत समितियों, या ग्राम पंचायतों या जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र करवाये जाएं जिससे ग्रामीण जनता, जो बहुत दुखी है और जो यह सोच रही है कि यह समाजवाद की धारणा नहीं है और तानाशाह की धारणा है, तानाशाहों के चंगुल से निकल कर आराम की सांस ले लें।

दूसरा मेरा निवेदन सहकारिता के बारे में है कि सहकारी समितियों में जो विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार छाया हुआ है उसके लिए यदि आप सच्चे रूप से आदेश देकर उसकी पालना करवायेंगे तो सारी जनता को राहत मिलेगी। इस प्रकार से निवेदन करता हुआ मैं मेरे विचारों को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री करनसिंह ?

(अनुपस्थित)

श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने जिन

(श्रीमती उषा प्रकाश)

विभागों के ऊपर अपना विचार कर रहे हैं या विचारणीय जो मांगें हैं उन दोनों विभागों का सम्बन्ध ग्रामीण इलाकों में बसी हुई हमारी मेजोरिटी आॅफ पापूलेशन के साथ है। सहकारिता और पंचायतों को, दोनों को, ग्रामीण विकास की बुनियाद मानकर, ग्रामीण विकास का आधार मानकर इन दोनों संस्थाओं को शुरू किया था, और ग्रामीण जनता में एक आशा और एक सुनहरा स्वप्न इस कार्य को सफल देखने के लिए था, इस रास्ते को पकड़ कर चलने को ग्रामीण जनता उतावली थी। लेकिन, आज दुर्भाग्य है, सभापति महोदय, मुझे यह कहने में थोड़ी शर्म अनुभव हो जाती है, क्योंकि जिस कांग्रेस ने ग्रामीण विकास और ग्राम जनता के विकास के लिए शपथ खाई थी उसी कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण विकास के जो आधारभूत स्तम्भ हैं उनको महत्व नहीं दिया या सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब हमें आशा है, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य मन्त्री बने हैं इन दोनों विभागों के तो आज जनता उनकी ओर आशा की दृष्टि से देख रही है, आज नई कैबिनेट की तरफ हमारी आंखें लगी हुई हैं कि इन दोनों संस्थाओं, जो कि मृत प्राय: हैं, को पुनर्जीवित करके और उनमें जान डाल कर ग्रामीण विकास की जो संभावनाएं रुकी हुई पड़ी हैं और लोगों की आशाएं कुंठित हो रही हैं उनको यह नई कैबिनेट या नई सरकार नया रास्ता दिखायेगी।

सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव नहीं होने से आज की तारीख में क्योंकि इन चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, इसलिए ग्राम जनता को एक निराशा इस सरकार से भी हो गई है कि यह सरकार भी चुनाव नहीं करायेगी। मौजूदा मुख्य मंत्रीजी से लोगों को यह उम्मीद थी कि यह जल्दी चुनाव करवायेंगे, परन्तु लोगों की उम्मीद उम्मीद ही रह गई। मंत्रि मण्डल ने फैसला अभीतक कुछ नहीं लिया चुनाव कराने का और न ही भविष्य में दिख रहा है कि चुनाव हो जायेगा। मैं जानती हूं कि इस सरकार के सामने और राजस्थान के सामने दुविधायें भी आती रही हैं, परन्तु सबके बीच में सरकार को एक रास्ता अपनाना पड़ेगा कि या तो चुनाव करवाये या इन पंचायतों को भंग कर दे, और सरपंच और प्रधान और प्रमुख और ग्राम सेवक, इनका जो एक गुट बन गया है लोकल लेवल पर उस गुट से आज की जनता को बचाये।

पंचायत समितियों में अलग अलग विभागों के अलग अधिकारी पहुंचते हैं; सभापति महोदय। को-आॅपरेटिव का भी एक पहुंचता है और एग्रीकल्चर का भी होता है और इस डिपार्टमेंट के जो कार्यक्रम होते हैं और उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें किसी तरह का तालमेल नहीं है। आज हम यह कहते हैं को-आॅपरेटिव सेक्टर में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए उद्योग धन्धे चलाने की हम कोशिश करें परन्तु दूसरी तरफ जो हमारे को-आॅपरेटिव एक्स्टेन्शन आॅफिसर्स हैं वह मदद नहीं करते हैं, मैं अपनी पंचायत समिति का बताती हूं कि वहां के लोगों की एक चर्म उद्योग सहकारी समिति बनाकर काम करने की इच्छा थी, लेकिन उन लोगों ने वहां एक सहकारी समिति बनवा कर नहीं दी। वहां सोशियल वैलफेयर आॅफिसर, को-आॅपरेटिव एक्स्टेन्शन आॅफिसर और ए. आर. बैठे हुए हैं, लेकिन

(श्रीमती उषा प्रकाश)

यह सब मिल कर भी एक चर्म उद्योग सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये यह हमारी पंचायत समिति वैर का उदाहरण आपको मिलेगा और दूसरी जगहों पर भी मिलेगा।

वहां पर सरकार की जमीन पड़ी हुई है उसको वहां का सरपंच बेच रहा है। पब्लिक पुकारती है, चीखती है, चिट्ठियां लिखती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उस सरपंच की आमदनी दुगनी, चौगुनी बढ़ती जा रही है और पंचायतें वहीं की वहीं रह गई हैं।

एक पंचायत हेलना है। वहां पर प्राईमरी स्कूल बिलकुल भी नहीं है। सरकारी जमीन अनापशनाप बिक रही है। सरपंच किसी से मिलकर उसको बांटकर अपने खुद का भला कर रहा है। उस सरपंच को सरकार को अलग करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता इस सरकार से क्या आशा करेगी ? ऐसे छोटे-मोटे दो-ढाई हजार के गबन तो चलते ही रहते हैं, सभापति महोदय, इसका बयान करना और इनको गिनाना भी मैं नहीं चाहती। सरपंच को दी हुई राशि का कोई हिसाब नहीं है और उनका क्या होता है। इन सब बातों पर मैं नहीं जाना चाहूंगी, परन्तु एक स्पेसिफिक इन्स्टान्स देना चाहती हूं कि वहां पर जो सरकारी जमीन है उसको सरपंच बेच रहा है और उसको सरकार नहीं रोक रही है। उस सरपंच के खिलाफ सरकार कदम नहीं उठा सकती है तो, सभापति महोदय, बड़ा अफसोस होता है।

सभापति महोदय, यह जो पंचायती राज है हमारे ग्रामीण विकास के लिए एक इकाई है। इसमें सरकार ने दो भेद रखे हैं। शहरों और गांवों का भेद रखा है। शहरों में मिडिल स्कूल बनाने हैं तो सरकार वहां पर मदद दे सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल के लिए भी पैसा मिलता है क्रेश प्रोग्राम से तो उसमें भी यह कन्डीशन होगी कि अनुदान से बराबर करलें। क्यों भेद हो गांवों और शहरों के बीच में ? क्यों मांगते है आप 50 पर्सेन्ट अनुदान ? एक तरफ तो क्रेश प्रोग्राम का पैसा आये वह लैप्स हो रहा है, जिलों के लिए अनुदान लैप्स हो रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसी इकाई जो अनुदान इकट्ठा नहीं कर सकती है उसके लिए यह कन्डीशन कि 50 पर्सेन्ट अनुदान हो। उसको आप रिलेक्स नहीं कर सकते हैं ? आज हमारी प्राथमिक शालाओं की दयनीय स्थिति है, जिसमें बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, खेलने की जगह नहीं है, बरसात अगर आ जाय तो कहीं पर छिपने की जगह नहीं है। यह स्थिति अगर इसी प्रकार बनी रहेगी, सभापति महोदय, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकेगी। इसके लिए हमें देखना होगा कि अनुदान दे सकते हैं तो बिना शर्त दें और खुले दिल से दें ताकि प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधरे। हमारी पंचायत समिति में, सभापति महोदय, एजूकेशन टैक्स लगाया गया है, शिक्षा शुल्क लगाया गया है। यह भी एक बड़ा विषय है अध्ययन करने का, सभापति महोदय, कि शिक्षा शुल्क जो पंचायत समिति ने लगाया है उसमें से कितना रुपया कब कब और किस किस तरह शिक्षा के विकास के लिए पंचायतों को दिया गया है। बहुत से उदाहरण ऐसे आते हैं कि पब्लिक दुःखी होकर कहती है कि

(श्रीमती उषा प्रकाश)

हमारे बच्चे दुःख पा रहे हैं, और जो एजूकेशन टैक्स हम दे रहे हैं वह काम में नहीं आ रहा है। यह स्थिति क्यों है जबकि अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से शिक्षा प्रसार अधिकारी रखा जाता है, ब्लॉक डवलपमेंट आॅफिसर भी वहां रहता है। उसके बाद क्यों यह स्थिति बनती है कि जो शिक्षा शुल्क इकट्ठा होता है वह हाथ के हाथ शिक्षा के विकास के लिए, बच्चों के लिए खर्च नहीं होता है ? मेरी समझ में यह कतई नहीं आता। अब यह प्रश्न खड़ा कर दिया रोड़ा डालने के लिए जो प्राथमिक शाला है, वह अपग्रेड हो जायेगी। यह विचारने का प्रश्न है, अगर वह उच्च प्राथमिक शाला में परिवर्तित हो जायेगी तो उस उच्च प्राथमिक शाला को प्राथमिक शाला से इकट्ठा किये गये शिक्षा शुल्क में से पाने का अधिकार नहीं है। क्या जो प्राथमिक शाला उच्च प्राथमिक शाला में अपग्रेड हो गई है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वह क्या कहीं बाहर से आ रहे हैं? जो प्राथमिक शाला से शिक्षा शुल्क का धन इकट्ठा हुआ था, वह वहां की पब्लिक बराबर देती रही है, इसके अलावा शिक्षा शुल्क का पैसा है; उसमें पंचायत का नाम होते हुए भी वहां पंचायत समिति नहीं देती है और कहती है कि हम उच्च प्राथमिक शाला को यह पैसा नहीं दे सकते हैं। यह स्थिति भी तब है जबकि जो कि प्राथमिकशाला पंचायत में थी, वही उच्च प्राथमिक शाला में अपग्रेड हो गई है। आप बतायें कि जब वहां की प्राथमिक शाला उच्च प्राथमिक शाला में अप ग्रेड हो गई तो वहां अब कौनसी प्राथमिक शाला है जिस पर इन्वेस्ट करेंगे ? यह ऐसा प्रश्न है कि शिक्षा के प्रसार के लिए धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आज कितने ही स्कूल हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि लोकल कन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा नहीं होने के कारण उनके भवन नहीं बन पाए हैं, जबकि एक जो समिति बनी थी उसने हर स्कूल के लिए एक हजार का अनुदान दिया है। लोकल कन्ट्रीब्यूशन और जो एजूकेशन टैक्स इकट्ठा किया जाता है उनमें सामंजस्य बैठाया जाता तो यह असम्भव नहीं था कि सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ था उसका वहां पर उपयोग नहीं हो सकता, या जो आज शिक्षा की दयनीय स्थिति है, जो ऐसे स्कूल थे, उनमें आप इससे सुधार नहीं कर सकते थे। अफसोस है कि एक मौका हमारे हाथ से निकल गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में सोचे।

खास करके जो स्त्री शिक्षा का स्तर है, और स्त्री शिक्षा का पर्सेन्टेज है, वह बहुत लो है। जब स्कूल समिति में हम गये तो वहां उच्च प्राथमिकशाला बनाने की बात आयी। उस जिले में महिला सदस्या एक है। हमारे और सदस्यों ने कहा कि महिला उच्च प्राथमिकशाला को छोड़ दें, और जो अनुदान देने की बात है उसमें महिला प्राथमिक शाला को अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था कि बजट में महिला शिक्षा के लिये प्रावधान करना चाहिए। बच्चियों के लिए जो शालायें हैं उनके लिए पुरुष जमात में बिल्कुल शाफ्ट कार्नर नहीं है। इसलिए महिला प्राथमिकशाला और महिला उच्च प्रा. शालाओं के लिए जो भी एलोकेशन हमने किया था, उसमें से बहुत सा लोकल कन्ट्रीब्यूशन की वजह से लेप्स हो गया जब कि स्त्री शिक्षा

(श्रीमती उषा प्रकाश)

के लिए काफी डिमाण्ड उठ रही है। पंच-वर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा को काफी फैलायें—इस प्रश्न पर हमें विचार करना पड़ेगा। आज ग्राम जनता में तो स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं है....

श्री रावत राम : कैसे नहीं है ?

श्रीमती उषा प्रकाश : नहीं साहब। यह वास्तव में अनुभव की बात है। इसलिए सरकार पहल करे और स्त्री शिक्षा की संस्थायें हैं उनको अनुदान दे, और जो पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन की पाबन्दी लगायी है वह हटा दी जाय। मैं समझती हूं कि आप नियमों में अमेंडमेंट करेंगे और बच्चियों के जो स्कूल हैं उनको अनुदान देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मेम्बर हैं कमेटी की।

श्रीमती उषा प्रकाश : लोकल कन्ट्री-ब्यूशन नहीं हो पाता है।

इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में महिलाओं की बहुत सी समस्यायें हैं, उन पर हमें विचार करना पड़ेगा। अडल्ट एजूकेशन के लिए या महिलाओं की एक्स्ट्रा एक्टीविटीज के लिए हम प्रावधान रखते हैं लेकिन हमने महिलाओं के ग्राम विकास के लिए जो प्रावधान रखा है वह नाकाफी है। मुझे सबसे ज्यादा दुःख तब होता है, जब अभी भी मैं पुराने जमाने के चूल्हे को जलाते देखती हूं, यह जो पुरानी प्रथा है वह प्रथा आज भी चल रही है। एक जो रमण चूल्हा निकला था, जिसमें एक चूल्हे में दो तीन चूल्हे होते थे और धुआं बाहर चला जाता था, उसमें एक साथ दो तीन चूल्हे काम करते थे। सामुदायिक विकास के अन्दर उस ओर ध्यान दें तो महिलाओं के स्वास्थ्य का विकास और ग्राम विकास हो सकता है। इस ओर काम किया है, और मैं आशा करती हूं कि आगे भी काम होगा। महिलाओं के ग्राम विकास के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए मेरा ख्याल है, काम सामुदायिक विकास के मार्फत अच्छा हो सकेगा।

दूसरी ग्रामों में फैली हुई संस्था है वह सहकारी संस्था है। इनके चुनाव में और इसके वर्किंग में जो भी दिक्कतें खड़ी की हैं, जो भी बाधायें उत्पन्न की हैं, उनका विवरण अलग अलग माननीय सदस्यों ने, सभापति महोदय, अलग अलग दिया है। मैं निवेदन करूं, भरतपुर जिला सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव जिला को-ऑपरेटिव सेक्टर में हो सकता है। वहां की एक एक विस्तृत जानकारी देकर मैं सदन का समय जाया नहीं करूंगी। परन्तु आज सरकार की तरफ से बोल्ड स्टेप उठाने की आवश्यकता है, यह हर एक महसूस करता है। आज प्रश्न काल में कोटा की बैंक का सवाल आया था। इसके अलावा अलग अलग सदस्यों को अलग अलग मौकों पर अलग अलग जिलों के बारे में चर्चा करते मैंने सुना है। भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने भरतपुर की कोऑपरेटिव के साथ इन्दिरा गांधी की चिट्ठी में दी गई हिदायत जोड़ दी। मुझे ताज्जुब होता है, क्या इन्दिरा गांधी ने उस चिट्ठी की कापी रामकिशन जी के पास भेज दी थी ? क्या इन्दिरा गांधी को मालूम है कि भरतपुर कोऑपरेटिव बैंक में क्या हो रहा है? क्या यह मालूम है कि भरतपुर में चुनाव

(श्रीमती उषा प्रकाश)

हुआ, उसमें जो परिणाम आया वह कैसे आया ? उनको सब कुछ मालूम है ? सभापति महोदय, कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका नाम लेकर प्रचार करें, तो मुझे लगता है, किसी माननीय सदस्य को इतनी बड़ी प्रधान मंत्री के नाम को छोटी सी कोआपरेटिव के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अफसोस है। मैंने जानकारी चाही थी सरकार से प्रश्न के मार्फत, लेकिन वह प्रश्न नहीं आया है। लेकिन सरकार ने यह तय किया था, आज की बैंक की हालत देखते हुए, सहकारिता की हालत देखते हुए कि कोई भी पदाधिकारी छः साल से ज्यादा नहीं रहे। क्या किसी सहकारी संस्था को हमारे रजिस्ट्रार साहब ने अपनी एजेंसी के मार्फत इस निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए आदेश दे दिया है ? मुझे यह नहीं मालूम है, इसलिए ठोस तरह से मैं माननीय मंत्री को इसकी जानकारी दे दूं कि बहुत सी संस्थाओं और बहुत से जिलों के लिए यह बात कही गई है लेकिन भरतपुर का दुर्भाग्य यह रहा है, जहां तक मैं समझती हूं, सहकारी समिति या बैंक के लिए यह छः साल की सीमा लगायें भी, तो भी आपको मालूम होना चाहिए, सभापति महोदय, अभी अभी वहां की जो बैंक है, वहां ए. आर. के लड़के को नौकरी दी गई है। कितना बड़ा अहसान है, उस अहसान को वह अधिकारी कैसे भूल सकता है। इस अहसान से मुझे लगता है, ऐसा कानून लागू नहीं होता है। यह छः साल का कानून भरतपुर की बैंक में लागू होना मुश्किल है। यह भरतपुर की बैंक और सहकारी संस्था में लागू नहीं हुआ है। यह मेरा ज्ञान है। मैं चाहूंगी कि मन्त्री महोदय इस पर ज्यादा प्रकाश डालें। इसके अलावा सहकारी बैंक है भरतपुर की, रिजर्व बैंक अपनी ऑडिट इन्सपेक्शन रिपोर्ट में इसके बारे में भयंकर अनियमिततायें सामने लायी है। उसके ऊपर भी सरकार को गौर करना चाहिए और उसकी तरफ सरकार को ध्यान देकर उचित कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि सहकारी आन्दोलन में आने वालों और सहकारी आन्दोलन के मालिक बनने वालों की आंख खुले और उनको पता लगे कि सहकारी आन्दोलन में जनता की सेवा करनी है, मेवा खाने से काम नहीं चलेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे सामने जो तथ्य हैं, क्या विभाग ने भी इनकी जांच की है ? रिजर्व बैंक ने जो भी रिपोर्ट दी है, इस पर क्या कार्यवाही की है ? और अगर नहीं की है और शिथिलता बरती है तो लोग हम पर अंगुली उठा कर कहेंगे कि इसमें सरकार की साजिश है, हमारे नेताओं की बदनामी होगी कि उन्होंने कहा इसलिए कार्यवाही नहीं करो। हमारी नेता इन्दिरा गांधी सहकारिता और सामुदायिक विकास को इन तत्वों के शिकंजों से छुड़वाना चाहती हैं, और इसमें वह कहीं भी बाधक नहीं होंगी—यह मेरा विश्वास है। उनके नाम से सस्ती पापुलेरिटी गेन करने का ऐसे तत्वों का काम है। मैं निवेदन करूंगी, सरकार से, ऐसी घोषणा करे कि आज तक हमारे सामने जो जांच हुई है, उनकी जो रिपोर्ट आई हैं उन पर हम कुछ एक्शन लेंगे.......

मैं आखिर में अपने क्षेत्र के संबंध में निवेदन करूंगी और मैंने विभाग को पत्र भी भेजा है। हमारे यहां तीन तहसील, वैर, बयाना और रूपवास तीनों पंचायत समितियां

(श्रीमती उषा प्रकाश)

ए. ग्रार. धौलपुर के ग्रंतर्गत हैं, धौलपुर ग्राने जाने में 20 रुपए का किराया खर्च हो जाता है। यह ग्राप जनता का सहकारिता का ग्रान्दोलन है, इस प्रकार ग्राप ग्राम जनता को इन्वाल्व करना चाहते हैं ? डेयरी उद्योग भी चालू होने जा रहा है, इसके लिए कई सोसायटियां स्थापित होंगी। तो इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। यदि सहकारिता को ग्रागे बढ़ाना है तो इस कमी को दूर करें ग्रौर मैं बयाना सब-डिवीजन के नागरिकों की तरफ से ग्रापसे निवेदन करूंगी कि हमारे लिए धौलपुर यू. पी. से भी दूर पड़ जाता है। इसको देखते हुए ग्राप उचित कार्यवाही करें। ए. ग्रार. का ग्रॉफिस या तो भरतपुर में ग्रा जाए या बयाना में हो तो मैं ग्रापकी ग्राभारी रहूंगी।

मैंने सामुदायिक विकास ग्रौर सहकारिता के प्रश्नों पर सरकार का कुछ चंद बातों की तरफ ध्यान दिलाया।

श्री सभापति : श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, इन दो विभागों का राज्य की जनता से बहुत बड़ा ताल्लुक रहता है। सहकारिता पर जोर देने की बात कही गई थी, इसके पीछे बड़ा लक्ष्य था वह था कि देश में ऐसे जो बहुत से कामों में बिचोलिये ग्रादमी हैं उनको बीच में से विलोपित करके ग्रपना काम ग्रपने हाथ से, ग्रपना रोजगार ग्रपने हाथ से करें। इस तरह का इसके पीछे विचार था। इसी तरह से पंचायत विभाग के पीछे भी यही विचार था। पंचायती राज का मतलब यह था कि ये काम, धंधे, योजना ग्रौर इस तरह की बातें स्थानीय स्तर पर हों ग्रौर वहीं पर विचार किया जाए ग्रौर इसके पीछे यह भी उद्देश्य था कि वहां जो झगड़े हों, वह वहीं निपटा लें ग्रौर इस तरह से यह साधारण किसान ग्रौर मजदूर इन सबके वाद-विवाद जो हैं, उनका रास्ता निकालने के लिए इन दो विभागों के जरिए प्रयत्न किया गया था। लेकिन, सभापति महोदय, इन दोनों विचारों पर इस सरकार की मशीनरी ने पानी फेर दिया। ऐसी हालत पैदा कर दी कि लोगों को इन दोनों विभागों से नफरत होने लगी ग्रौर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोग कहते हैं, माननीय सदस्यों को भी कहते सुना है, कि क्या जरूरत है पंचायत राज रखने की। इसी तरह से सहकारिता विभाग के बारे में कहा जा रहा है कि यह सारा विभाग भ्रष्ट है ग्रौर एक तरह से यह बेकाबू हो गया है। इस विभाग में जो खामियां घुस गई हैं उनकी वजह से वे लोग मजे करते हैं ग्रौर इसके सिवाय कुछ नहीं, दूसरे लोगों को इसकी छाछ भी नहीं मिलती, गोबर, छाना भी नहीं पा सकते। ऐसी स्थिति में लाकर इसको पटक दिया है। जहां कर्ज देने के मामले हैं, हर सोसाइटी में उसमें खुला पक्षपात होता है। कर्जा तब दिया जाता है जब उन ग्रधिकारियों को कुछ भेंट चढ़ाई जाती है ग्रौर जिन सोसाइटीज को कर्जा मिल जाता है वह कर्जा ऊपर का ऊपर बांटा जाता है। इन समितियों में ऐसे लोग घुस गए हैं कि नीचे के तबके के लोगों, पिछड़ी जाति के लोगों, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वह उनको नहीं मिलती। उदाहरण के लिए एक सोसाइटी का कर्जा मंजूर हुग्रा, वहां की कार्यकारिणी लाई ग्रौर ग्रपने ग्राप में वितरित कर लिया ग्रौर उस पैसे का खुद इस्तेमाल

(श्री केशरीमल)

किया । 5-6 साल बाद वसूलियां हुई तो नहीं हुई, जिन्होंने कर्ज की रकम हड़प कर ली, वे मजे कर रहे हैं। विभाग में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं।

कई सोसाइटीज हैं जिनमें चुनाव नहीं होते और आपाधापी होती है। सहकारिता मंत्री से मैंने कुछ शिकायतें की थी। उस समय मंत्री और थे और अब दूसरे हैं। लेकिन कागज तो कभी न कभी वर्तमान मंत्रीजी के पास आते होंगे। नहीं तो मेरी बात तो उनके कानों में पड़ ही रही है।

बीकानेर में एक सोसाइटी है जहां कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए, बहुत से लोग उस सोसायटी के पदाधिकारी नहीं रहे फिर भी वह सोसाइटी चल रही है, वह रेलवे की सोसाइटी है, वहां के मजदूरों ने बताया कि किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार है, लूट मच रही है लेकिन ये जांच करने वाले नहीं। अधिकारी गया, देखा अनियमिततायें पाई, जांच की, मंत्री को लिखा लेकिन न मालूम क्या बात है, सरकार इतनी कमजोर हो गई है या अकर्मण्य व शक्तिहीन हो गई है। राज्य का छोटे से छोटा कर्मचारी भी कोई गलत काम करे और ऊपर वाले देखें कि बराबर वह गलती कर रहा है फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। सरकार में क्षमता नहीं है कि अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवा ले। इसलिए स्थिति ऐसी गंभीर होती जा रही है कि सोसाइटीज की हालत बुरी है। इन सोसाइटीज की अगर आप जांच करायें तो आपको पता लगेगा कि स्थिति क्या है।

ऐसी भी सोसाइटीज हैं जिनमें एक ही आदमी सब सदस्यों के दस्तखत करता है। सबके पैसे खुद भर लेता है, सोसाइटी रजिस्टर करवाता है, सोसाइटी जल्दी रजिस्टर होती है, पैसा भी जल्दी मिलता है और उस पैसे से चाहे जिस तरह का भी धंधा करे, नाम सबके चलेंगे और इस तरह से खुद लूटेंगे। कई सोसाइटी ऐसी हैं जो पैसा लेती हैं लेकिन वास्तव में सच्ची सोसाइटी नहीं हैं। पैसा लेती हैं और नाम की इंडस्ट्री लगाते हैं और कच्चा माल जो मंगाया जाता है, उसको ब्लैक में बेचा जाता है। पैसे का दुरुपयोग किया जाता है तथा उस कच्चे माल को लोग आज ब्लैक में बेच रहे हैं। आज जिस कच्चे माल की देश में जरूरत है उसका लोग ब्लैक कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसी को-ऑपरेटिव सोसाईटीज का जिक्र करना चाहूंगा कि जिनको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। कुछ सदस्यों ने मिलकर मकान बनाने के लिये को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनायी। सभापति महोदय, वह को-ऑपरेटिव सोसाइटी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने बनायी थी। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसे मकान बनाने के लिये पैसा नहीं मिला। इसी प्रकार गंगापुर को-ऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें करीब 50 सदस्य थे। उन्होंने मकान बनाने के लिये को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनायी थी, उन्हें को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट से दो किश्तें तो मिलीं लेकिन आगे उन्हें कोई किस्त नहीं मिली। सभापति महोदय, वह दो किश्तें करीब 1,200 रुपये की थीं और बाकी 2,800 रुपये बचते हैं वह नहीं मिले। सभापति महोदय, उन्होंने देखा कि हम अभी तक कहीं से पैसा मांग कर, उधार ब्याज पर लाकर मकान बना लेते हैं और जब मकान बना लेंगे तो हमें पैसे

(106)

(श्री केशरीमल)

जल्दी मिल जायेंगे। सभापति महोदय, उन गरीब लोगों ने 3 प्रतिशत ब्याज से रुपया लाकर मकान बना लिया लेकिन इधर हाउसिंग फाईनेन्सिग सोसाइटीज से कुछ भी नहीं मिला। अब यह स्थिति हो गयी है कि उन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो गयी है उन्हें 15-20 रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं और इधर जो दो किश्तों के रुपये मिले थे वह रुपये को-ऑपरेटिव डिपार्टमैंट मांग रहा है। तो इस प्रकार बेचारे गरीब बड़े ही परेशानी में फंस गये। अब हाउस सोसाइटीज, जो कि फाइनेन्स करती हैं, यह कह रही कि तुमने मकान का आग के लिये बीमा करवाया या नहीं ? अगर नहीं करवाया तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कई अड़चनें उनमें डाली जा रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वकीलों की फीस लाओ। मुझे ऐसा दिखायी देता है, सभापति महोदय, मकान के लिये अग्नि बीमा करने वाली कम्पनी और इन हाउसिंग फाइनेन्सिग सोसाइटीज की सांठ गांठ है। अब कोई व्यक्ति अपने मकान का बीमा नहीं कराये तो क्या। सभापति महोदय, आज ब्यावर में इस तरह कई लोगों को कर्जा नहीं मिला जिन्होंने कि मकान बनाने के लिये को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनायी थीं। आज उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। और इसका परिणाम यह हुआ कि वहां जनता में काफी असन्तोष है। वहां की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में जो सदस्य हैं वह कहते हैं कि जब तक आप इन्हें 15-20 पर्सेन्ट रिश्वत नहीं दोगे तब तक लोन नहीं मिलेगा। तो मैं आपके मार्फत सहकारिता मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था को ठीक करें। आज भ्रष्टाचार का आपके यहां बोलबाला है, इसे समाप्त करिये अगर आप सही मायने में सहकारिता का लाभ जनता को दिलाना चाहते हैं।

इसके अलावा आज ठेके के लिये भी जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गयी हैं उनके अन्दर भी बहुत ही धान्धली है। उन्हीं ठेकेदारों ने अपने ही 15-20 सदस्य बना लिये हैं और पैसे भी सदस्यों के अपने पास से जमा करा दिये हैं। और होता यह है कि ठेका भी वह लोग ले लेते हैं। आज न टेण्डर होता है न और कोई बात सिर्फ ऊपर की ऊपर ही लोगों से यह ठेकेदार मिले हुए हैं और जो उनकी पर्सेन्टेज होती है वह उन्हें दे देते हैं। तो मैं यह आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस ढीली नीति के कारण यह दुष्परिणाम निकल रहे हैं। आज कई को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को आपने कर्जा दिया उन्होंने लोन ले लिया लेकिन वह पैसा वापिस नहीं लौटा कर देते हैं। पैसे देने के नाम पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। फिर इन्हीं लोगों में से ऊपर के ऑफिसरों के पास जाकर, पैसा देकर इन सोसाइटीज को, यह कह कर कि इनकी हालत खराब है, कर्जा माफ कर दिया जाय, ऐसे आदेश करवा लेते हैं। इस प्रकार के कई लोगों के कर्ज माफ हो गये हैं। अभी थोड़े समय पहले एक सहकारी समिति थी जो कि लैण्ड एण्ड बिल्डिंग का कर्जा लिए हुए थी उसका कर्जा माफ किया गया। तो लोग ऐसा करते हैं कि फर्जी सोसाइटीज बना कर माल खा जाते हैं और सरकार को धोखा दे रहे हैं। तो इसके लिये मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना

(श्री केशरीमल)

चाहूंगा कि आप जांच करें कि ऐसी कौनसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने इस प्रकार के फर्जी काम किये हैं, जो राज्य सरकार का पैसा खा गये ? इसके लिये एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इन सहकारी समितियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सोसाइटी बना ली और पैसा अपने घर पर ही लाकर बांट लिया है। आज एक तरफ गरीब किसानों को कर्जा नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ इस प्रकार लोग कर्जा लेकर पैसा खा जाते हैं। ऐसा भी किया जाता है कि सहकारी समितियों के सदस्यों के दस्तखत कराने के बाद भी पैसा उनके पास पहुंच ही नहीं पाता और बीच में जो लोग उनसे पैसा मांगते हैं या बनिये हैं वह खा जाते हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। ऐसी सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को जो पैसा मिले वह बैंक के जरिये चैक द्वारा मिलना चाहिये या उन्हें मनीऑर्डर द्वारा मिलना चाहिये ताकि लोग उनका पैसा खा नहीं सकें। वरना कई सदस्य उनका पैसा खा जाते हैं। अगर सही व्यक्ति को पैसा मिलेगा तो ही उसका उपयोग हो सकेगा। सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे यहां पर एक व्यक्ति भेड़ लेने के लिये गया एक पन्नासिंह हमारे ही उधर के आस-पास के गांव का है वह 1,600 रुपयों की भेड़ें लेने गया। सभापति महोदय, वहां पर जो डॉक्टर था और जो भेड़ें देने वाला था उनकी दोनों की ऐसी सांठ-गांठ है कि वह लोग बताते तो कोई अच्छी भेड़ें हैं और बाद में देते हैं तो दूसरी भेड़ जो कि कमज़ोर होती हैं, उन्हें दे देते हैं। इस पन्नासिंह को दिखायी तो बहुत ही अच्छी भेड़ें थीं लेकिन ऐसी भेड़ें दीं, कुछ तो वहां जाते ही दी और वह लेने से इन्कार हो गया। लेकिन वह लोग पहले ही दस्तखत करवा लेते हैं। वह व्यक्ति चूंकि दस्तखत कर चुका था अतः उन्होंने भेड़ें तो वापिस अपने यहां रख लीं और उसे पैसा नहीं दिया। तो, सभापति महोदय, ऐसी स्थिति है, अब वह व्यक्ति पैसे किससे वसूल करे ? मैं खुद वहां पर मौके पर गया। उन्हें कहा, वहां के अधिकारियों और डॉक्टर से बात-चीत की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले में जांच करके दोषी व्यक्ति को सजा दिलाने की कृपा करें। अगर इस तरह की पोजीशन रही तो इन सहकारी समितियों में अर्थ का अनर्थ हो जायेगा। और मैं इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसी व्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो गांव के लोग उन लोगों की बुरी तरह से पिटाई करेंगे। राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसे गम्भीर आरोपों पर गम्भीरता से विचार करके खिलाफ एक्शन ले। सभापति महोदय, वास्तव में डॉक्टर और उस भेड़ अधिकारी के ही षड़यन्त्र से ऐसा हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, हमारी तरफ से तो कोई बोल नहीं रहा है। मैं ही बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : यह हांडा साहब बैठे हैं, नहीं बोलेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : क्या आपकी तरफ से हांडा साहब वगैरह नहीं बोलेंगे ?

श्री केशरीमल : सभापति महोदय, मैं ही बोलने वाला हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह हांडा साहब का कौन प्रेमी आ गया है। मेरी इतनी चिन्ता क्यों है ?

श्री केशरीमल : सभापति महोदय, एक ऐसी ही को-ऑपरेटिव सोसाइटी का मैं और निवेदन करना चाहता हूं एक रघुवरपुरा में ऐसी ही सोसाइटी है जो कि अलवर जिले में है। एक मनी लेण्डर भी उस को-ऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है। सभापति महोदय, सहकारिता विभाग के कानून के अनुसार मनी लेण्डर को आप सदस्य नहीं बना सकते हैं। इसके लिये रोष प्रगट किया गया लेकिन वहां के असिसटेन्ट रजिस्ट्रार ने उस मनी लेण्डर वाली सोसाइटी को रिकोनाइज कर दिया। उसकी अपील की, उसमें भी यह था कि उसको नहीं रखा जाय लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज तक वह मेम्बर है और वह सोसाइटी के पैसे खा रहा है। आजकल तो यह है कि खूब खाओ और पैसा लेकर मत दो। ऐसे ही आज जो कृषक विकास ऐजेन्सी को कर्जा मिलता है उसमें वन फोर्थ सहायता दी जाती है। उस सोसाइटी के लिये भी लोगों को पैसा नहीं मिला। कृषकों ने सहकारी समिति बना ली है लेकिन जब तक उन लोगों को भेट पूजा नहीं चढ़ायेंगे तब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। आज कोई पैसा देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता उसका नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि नियमानुसार निश्चित है, फिर क्यों जबर्दस्ती दिखाते हैं।

को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के मामले में बहुत ज्यादा देर की जाती है जान बूझ कर। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दो दिन में ही रजिस्टर हो जावेगी तो कोई दो-दो तीन-तीन वर्षों में भी नहीं होगी। जब उनको मुआवजा मिलेगा तब ही वे करेंगे।

जयपुर सहकारी बाजार का तो घोटाला इतना सामने आया है, सभापति महोदय, कि ये अधिकारी लोग बैठे हुए हैं इन्होंने तो यह सोच लिया है कि हमें कोई कहने वाला नहीं है। सरकार में क्षमता ही नहीं है तो हम भी क्यों सुने सरकार की। सारी रिपोर्ट में आपको अजीब तरह का माहौल मिलेगा। जयपुर में बैठ कर किस प्रकार से इतनी बड़ी सोसाइटी में घपले किये हैं और कोई भेदभाव करने वाला नहीं है, न ही कोई कहने वाला है। लाखों रुपये के घोटाले हुए हैं।

माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा और देखा होगा। कल ही यह आया है। अभी पूरी तरह से मैंने इसको पढ़ा नहीं लेकिन जो कुछ भी सरसरी तौर से देखा है उसके अनुसार 1968-69 ही के बाद इसकी सदस्यता बढ़ायी ही नहीं गयी और किश्तें लेनी चाहिये थी वह भी नहीं ली। वे सदस्य वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। जो सदस्य हैं उनको हिस्सा प्रमाण-पत्र दिये ही नहीं। जब रिकार्ड देखने गये और पूछा कि सदस्यता का रजिस्टर कहां है तो अधिकारियों ने कहा कि रिकार्ड का पता नहीं और किसके पास रिकार्ड है यह भी नहीं

(श्री केशरीमल)

बता सके। जब काफी कहा गया और कोशिश की गयी तो फिर भी कहा कि पता नहीं।

सन् 1970 से भंडार का ऑडिट नहीं हुआ है। इतना बड़ा भंडार है जिसमें लाखों रुपयों का काम होता है और एक अफसर तो हमेशा के लिये नियुक्त होता है, उसका ऑडिट न हो तो जरूरी बात है कि वहां पर कई घपले चलते होंगे। कभी बजट नहीं बनाया जबकि हर साल जो पैसा खर्च करना चाहते हैं उसका बजट बनाना लाजमी होता है। 30 हजार का फर्नीचर। फर्नीचर बनाया नहीं और काम में ले लिया। 50 हजार के गोदाम बनाये नहीं और काम में ले लिया। छुआरे आये उसमें 12 हजार का घोटाला हुआ। सड़ गये, कहा गया। यदि छुआरे के बजाय पिंडखजूर कहते तो मान भी सकते थे कि सूख गई होगी। 20 हजार का कपड़े के लेने देने में घपला हुआ। स्टाक रजिस्टर बना हुआ नहीं। 38 हजार की कीमत का एक मामला। 24 हजार का एक घपला और 11 हजार का एक। जनरल मैनेजर हैं उनके रिश्तेदार की दुकान से कपड़ा खरीद लिया। अपने लड़के की दुकान है होजरी की उसका सामान बिकता नहीं था वह खरीद लिया। दिल्ली का और कोई रिश्तेदार था उसके यहां से सामान खरीद लाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से घपले सामने आ रहे हैं और जयपुर में बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी आंखों के नीचे यह हो तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि गांव में क्या होता होगा। यह आप जान सकते हैं। इससे पता लग सकता है, चांवल या खिचड़ी जब बनाते हैं तो एक चांवल देख कर पता लगा लेते हैं कि चांवल पका या नहीं। बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे इतने बड़े घपले हों, लाखों रुपये के घोटाले हों तो छोटी जगहों पर तो ऐसी बातें होती ही होंगी।

क्या सरकार इसको अभी भी चलने देगी? हमें यह पूरा समझ में आता है कि यह बिमारी उनके काबू की नहीं है। इसको यह सरकार नहीं रोक सकती। रोकने के लिये तो बड़े झगड़े मोल लेने पड़ेंगे अपने से और परायों से। ब्यावर में एक सोसाइटी थी, एक नेताजी आये उसका पैसा साफ कर गये। एक दूसरी सोसाइटी बनी गरीबों की उसमें भी एक नेता जी आये और तीन चार हजार का कर्जा लेकर चले गये। इस प्रकार से ऊपर का ऊपर पैसा ले जाते हैं। बेचारे गरीब लोगों के हाथ पड़ता नहीं। इससे यह सरकार बदनाम ही नहीं होगी, लेकिन आगे इसके लिये यह बहुत महंगा भी पड़ेगा।

पंचायत समितियों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं, जिस पंचायत समिति में आमद न हो वह क्या काम करेगी? 8-9 साल से तो उनके चुनाव हुए ही नहीं। यह आपने सोच लिया है कि इसके चुनाव कराके क्या करेंगे। सरकार बराबर झांसा देती जा रही है। पहले कहा कि मार्च के आखिर में चुनाव करायेंगे। फिर कहा कि यू.पी. के इलेक्शन के बाद करायेंगे, उसके बाद कहा कि 13 तारीख तक अधिवेशन असेम्बली का करके फिर करायेंगे। फिर कहा जा रहा है कि चुनाव असेम्बली के

(श्री केसरीमल)

अधिवेशन के बाद करायेंगे। लेकिन चुनाव असेम्बली के अधिवेशन के बाद भी करायेंगे या नहीं ? कहावत है मारवाड़ की कि धीरे धीरे एक एक करके पंक्तिया उतार देते हैं। यही हाल यहां होगा कि असेम्बली का अधिवेशन समाप्त हो जायगा और फिर जब आवेगा तब हल्ला करेंगे तो फिर देखेंगे। सरकार दरअसल चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। उसको डर भी है कि यदि चुनाव करायेंगे तो स्थिति भिन्न होगी। इसलिये सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। फिर यह रोज रोज के झांसे क्यों ? आप कह दीजिये कि चुनाव नहीं कराते हैं। किसी की काम करने की इच्छा नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के द्वारा गांवों में न सड़कों के काम, न सिंचाई के कार्य, न ही कोई विकास के काम हों तो फिर इस विकास विभाग को रखने की ही क्या आवश्यकता है ? क्यों नहीं इस पर सरकार को विचार करना चाहिये ? सरकार यह समझती हो कि नहीं, इसकी वास्तव में जरूरत है तो साल के साल निश्चित तौर पर कुछ पैसा दे जिससे काम हो और ऐसे रास्ते निकाले जायें जिससे आमद के जरिये हों। क्या पंचायत समितियों को या पंचायतों को ऐसी मशीनरी नहीं दी जा सकती जैसे ट्रेक्टर है, थ्रेशिंग मशीन्स हैं, ताकि किसानों को वे किराये पर दी जा सकें। ट्रेक्टर हैं किराये पर दिये जा सकें। बीज, खाद वगैरह उन सोसाइटीज के जरिये से जायं और उससे किसानों को फायदा हो। किसान कोस्टली मशीनें ले नहीं सकते। फसल के समय उनसे किराया उसका वसूल कर लिया जाय। ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स बनानी चाहिये जिससे पैदावार बढ़े और काम हो।

मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे तो वहां कोई विकास होने वाला नहीं है। सरपंच लोग जाते हैं मीटिंग में और वहां एक एक चाय का प्याला मिल जाता है। बाकी और कुछ नहीं मिलता। वे बेचारे भटकते हैं। गांवों में स्कूलों के लिये पैसा नहीं मिलता। अजीब सा सरकार का रवैया है। गांवों में स्कूलों का जब सवाल आता है तो कहा जाता है कि वे श्रमदान करें, अपने पास से पैसा इकट्ठा करके लगादें, जबकि शहरों के लिये सारा पैसा सरकार लगाती है। यह पक्षपात क्यों ? जिनके पास पैसों का जरिया नहीं, साल भर काम नहीं है उन गांव के लोगों से आप कहते हैं पैसा स्वयं लगाओ। वे गरीब पैसा कहां से लावेंगे ? अब श्रमदान के लिये उनको कह दिया जाता है कि अगर पैसा नहीं है तो श्रमदान करो। पीने के पानी के लिये कुआ खोदना हो तो कहेंगे, श्रमदान करो। कहां तक वे श्रमदान करेंगे ? कहीं ये भी तो अपनी रोजी-रोटी कमाने जावेंगे ? अब आप श्रमदान की बात ही करते हैं तो ब्यावर, अजमेर के लोगों को पीने के पानी की जरूरत है। कह दें आप ब्यावर वालों को कि वे राजसमन्द से ब्यावर तक नहर खोद दें। 60-70 हजार लोग हैं। सबके हाथ में गैंती-फावड़ा दे दें। चालीस-पचास मील का टुकड़ा है। महीना भर में खोद देंगे और पानी आ जावेगा। ऐसा हो जावे तो बड़ी खुशी की बात है। पर आप उनसे काम नहीं ले सकते। श्रमदान के लिये उनसे नहीं कह सकते। तो गांव वालों में और शहर वालों में जो

Page No 111

(श्री केशरीमल)
आप भेदभाव की बात लेकर चलते हैं यह ठीक नहीं है।

आपने सड़कें फेमिन के समय बनवाई। अधूरी पड़ी हैं। वे गांव वालों के लिये आफत हो कर रह गई हैं। आज बैलगाड़ी से किसान खेत से अपना गल्ला और चारा लेकर घर आए तो कठिनाई पैदा हो गई है। रास्ता नहीं है। सड़कें आधे रास्ते में खराब पड़ी हैं। अब इस स्थिति पर कौन विचार करेगा? सरपंच अधिकारियों की चापलूसी में लगे रहते हैं। तनख्वाह का झगड़ा होता है। दवाइयों वगैरह का भत्ता वहां काम करने वालों को नहीं मिलता। शहरी लोगों में और गांव में काम करने वाले दफ्तरों के क्लर्कों में भी यह भेदभाव क्यों? जो सहूलियत आप शहरों में दफ्तरों के बाबुओं को देते हैं वही यहां भी दीजिये।

कई गांवों में मेरे इलाके में पीने का पानी नहीं है। पानी की बड़ी भारी समस्या है। फिर गांवों में जातिवाद आज भी जड़ जमाये हुए है। वहां रेगर, भांभी आदि छोटी जाति के लोगों को पीने के लिये कुओं पर घण्टों खड़ा रहना पड़ता है। बड़ी शर्म आती है कहने में भी कि उनको किस तरह से जलील करके पानी पीने का लोग लेने देते हैं। मैं अभी हरिपुरा की तरफ गया था। सौ-दो सौ किसान कार्यकर्त्ता इकट्ठे हुए थे। वहां स्थिति यह है करीब-करीब सभी इलाकों में कि गांवों में महिलाओं को शौच जाने के लिये, हाथ मुंह धोने के लिये कहीं जगह नहीं है। या तो वे रात को जावें या प्रातः चार बजे से पहले उठकर जावें। तो ऐसी जगहों पर शौचालय भी बनाने चाहिये। पानी का प्रबन्ध करना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। सरकार को उस पर जैसे अमल करना होगा करेगी। मैं एक बात कहकर बैठना चाहूंगा।

परसों यहां हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि अब तो उनका 200 साल तक पट्टा हो गया है। वे हिल नहीं सकते यहां से पर समय जिस रफ्तार से चल रहा है उसे देखते हुए कोई घमण्ड करके नहीं चल सकता। हमारी तरफ भी इशारा था। आप वहां चले जाओ। ऐसी स्थिति है नहीं। यह सही है। गवर्नमेंट में तो हम आने वाले नहीं। ऐसे आने वाले नहीं हैं।

श्री शंकरलाल : डिमाण्ड से सम्बन्धित कहिये।

श्री केशरीमल : गवर्नमेंट इस दम्भ में न रहे। समय के साथ अगर वह व्यवहार करेगी ठीक तरह से जनता के साथ तो ठीक है, नहीं तो गुजरात में हम सोच रहे थे कि वहां भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनकी है, इनको कम से कम पांच साल तो कोई हटा नहीं सकता। पर एक साल आराम से नहीं बीता और आज उनको वहां से हटना पड़ा है। विधान सभा भंग हो गई। अब बिहार की बारी है। आप भी यह घमंड करके मत रहिये कि आप जनता को दबा कर रख लोगे। खाने-पीने की आप सही ढंग से व्यवस्था नहीं करेंगे और इन जमाखोरों और मुनाफाखोरों से हाथ मिला कर चलते ही रहेंगे, इन पर सख्ती से हमला नहीं करेंगे तो जनता आप पर हमला कर देगी।

(श्री केशरीमल)

इन जमाखोरों और मुनाफाखोरों को शील्ड करते करते आप की खाल भी खिंच जावेगी। आप अगर जनता को सही तरीके से राहत नहीं देंगे अगर आपका यही रवैया रहा, आप अगर इन जमाखोरों के साथ मिलकर चलते रहे तो आप भी बचने वाले नहीं हैं। कहते ऊपर से बहुत हैं, अपने भाषणों में इनको खुलकर गालियां भी देने से नहीं चूकते पर जहां सख्त एक्शन इनके खिलाफ लेने का प्रश्न आता है वहां ऐसा लगता है जैसे ये आपके सगे भाई-बन्धु हों। आखिर इनकी थैलियों के बल पर आप भी चल रहे हैं पर ये थैलियां भी जनता के कोप से आपको बचा नहीं सकेंगी। आपको भी गुजरात के रास्ते जाना होगा। और एक दिन आवेगा कि सड़कें नापते आप फिरेंगे। तो अपने व्यवहार के बारे में विचार करें। बाकी अगर आप यह सोच कर चल रहे हैं कि आपका बिगड़ने वाला नहीं है तो मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह सोचना आपकी गलतफहमी होगी। ताज्जुब नहीं अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो कल आपकी सरकार भी बिखरती नजर आवेगी। इतना ही निवेदन करके बैठता हूं।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। कांग्रेसी सरकार ने गांवों में लोगों को जीवनोपयोगी चीजें ठीक तरह से मुहय्या हों इस बारे में सहकारिता के द्वारा वितरण की ठीक ही नीति अपनाई थी। रास्ता आपका ठीक था। गांवों में पंचायत एक ही इकाई हो, उसे अधिकार हो। हर गांव में एक सहकारी समिति हो, भंडार हो, क्रय विक्रय संघ हो, मार्केटिंग सोसायटी हो और इन संस्थाओं के मार्फत गांवों में सारी चीजों की सप्लाई ठीक होती रहे। तो नीति अच्छी थी। रास्ता बुरा नहीं था। इन संस्थाओं के जरिये आप जनता को राहत दे सकते थे। पर जिस तरह से इन संस्थाओं का कार्यकलाप रहा और जिस तरह से इन संस्थाओं के कार्य-कलाप की तरफ से आप आंख मूंद कर बैठ गये इससे स्पष्ट हो गया कि ये जनता की रक्षक नहीं भक्षक बन कर रह गई हैं। अनाज, कपड़ा, सीमेन्ट, खाद तथा जीवन की और किसान की आवश्यक वस्तुओं में इन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार, बेईमानी, गड़बड़ी आदि की और जो घोटाले इन संस्थाओं में हुए उन्होंने हमारी आंखें खोल दीं। जब गांवों में जाने का मेरा काम पड़ता है और किसानों से बात होती है और उनसे इन संस्थाओं के बारे में सुनता हूं तो मन में दुःख होता है और तड़प जाता हूं। आश्चर्य होता है कि जिन मन्त्रियों ने, जिन समाज के सेवा भावी ठेकेदारों ने इन समितियों की स्थापना की आगे बढ़ कर उन्हीं के लोग आज अनाप-शनाप भ्रष्टाचार, घोटाले आदि कर रहे हैं और इन संस्थाओं को बदनाम करके छोड़ दिया है। सहकारिता के नाम पर कलंक लगा दिया है। मेरे क्षेत्र की बात बताऊं। मेरे यहां की मार्केटिंग सोसाइटी में बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे पता नहीं सरकार ने उसकी जांच की या नहीं। सरकार के पास जानकारी थी, यह मुझे पता है। पर जहां रुपयों के गबन की बात आती है वहां के व्यवस्थापकों के बारे में चर्चा होती है तो क्यों नहीं उनकी जांच की जाती ? वे खुले क्यों घूम रहे हैं ?

(श्री सांवरमल मोर)

आज इस पक्ष वाले और उस पक्ष वाले सारे लोग इस बात को जोरों के साथ कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। सभी ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हैं। मैं झूठ कहूं या सही फिर भी आपको हमको सबको एक रवैया अपनाना होगा। यह गन्दगी आपके घर में है। इस घर की गन्दगी को आपको साफ करना होगा। चाहे उस गन्दगी में कितने ही आदमियों का हाथ हो, उनको छोड़ मत दीजिये। उनको जनता के सामने लाकर खड़ा कर दीजिये।

इन सहकारी समितियों के भण्डारों में हजारों हजारों रुपयों के घोटाले हैं। हमारे मन्त्री जी का सीधा सम्बन्ध गावों से है और उनकी जानकारी भी है। हमें उनसे आशा है और उनके अनुभव के आधार पर शायद सही दिशा मिले। आप उन भण्डारों के व्यवस्थापकों से यह तो पूछिये कि जो हिस्सा पूंजी है वह सुरक्षित है या नहीं? जो क्रय-विक्रय संघ है, मार्केटिंग सोसायटीज हैं उनमें कितना लाभ हुआ है और क्या उस लाभ को शेयर होल्डरों में बांटा है? मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, लाखों और करोड़ों रुपये सरकार के इसमें खर्च होते हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई जायजा नहीं लिया जाता है। इसे आप गम्भीरता से लीजिये और गम्भीरता से लेकर जो लोग इस सहकारी समिति के माध्यम से चोरी करते हैं, जनता के सामने झूठी बातें करते हैं उनको नंगा तो कर दीजिये जिससे कांग्रेस की सरकार बदनाम न हो।

माननीय सभापति जी, चोरी करने वाला चोरी करता है लेकिन चोर की मदद करने वाला भी उतना ही दोष का भागीदार होता है, उसको भी मैं सही नहीं मानता इसलिए आज आप बहुत गहराई से देखकर चलें जिस किसी सोसायटी में, जिस किसी भण्डार में गड़बड़ी है, उसको तुरन्त ठीक करवाने का इन्तजाम कीजिये।

मैं भूमि विकास बैंक के बारे में निवेदन करूं, लोन देने का तरीका है, इतना लम्बा तरीका है कि प्रार्थना-पत्र देने से पहले यह अन्दाज लग जाता है छः महिने से कम समय नहीं लगेगा। आप सब कुछ करने वाले हैं और लोन किसान को देना है, बिना किसी परेशानी के देना है तो कम से कम नियमों को सीधा बना दीजिये जिससे किसान को सही ढंग से और सीधे तरीके से लोन मिल जाय।

मैं निवेदन करूं, लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत श्री माधोपुर में दो साल पहले अधिकारी भेजे गये थे लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन मैं समझता हूं जितना खर्चा हुआ है उन किसानों को उस माध्यम से उतना ऋण नहीं मिला है। इन अधिकारियों को मैं आपसे कहूं 67 लाख रुपया वितरण करना था, कृषि सहकारी समिति के माध्यम से लेकिन मेरे ख्याल से दो, चार पांच लाख रुपया ही वितरण किया होगा। मैंने क्वेश्चन भी किया था, जवाब नहीं आया। वह अफसर जरूर आया था कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या बात करनी है, गवर्नमेंट ने आपको ऋण देने के लिए, सुविधा देने के लिए भेजा है तो क्यों नहीं भलाई करते हैं? जीपें वगैरह लेकर घूमते फिरते हैं। कभी कहां का चक्कर लगाते हैं तो कभी कहां का

(श्री सांवरमल मोर)

चक्कर लगाते है। किसानों का कोई भला नहीं होता है। सभापति महोदय, इसका कोई अन्त नहीं आता है। यह द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता ही रहता है, इनकी ज्यादतियों का अन्त नहीं आता है।

जो नियम सरकार बनाती है, जिन नियमों के अन्तर्गत अधिकारी तय करते हैं कम से कम उनका लेखा-जोखा तो रखिये। आज विरोधी दलों की सबकी पुकार है, उनमे कहीं न कहीं तो सार है सारा का सारा तो झूठा साबित नहीं हो सकता है। आज जो सरकार बताती है कि लाखों रुपया किसानों को दिया जा चुका है लेकिन, सभापति महोदय, लाखों रुपया गया ही नहीं इसीलिए विरोधी दल आलोचना करते हैं। आपकी कथनी और करनी में जनता को कोई विश्वास नहीं है। अगर आप इस स्थिति को नहीं सम्भालेंगे तो जमाना पुकार कर रहा है और आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा।

हाउसिंग सोसायटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं गांवों में गया हूं, हरिजन भाइयों से बात की है। किसी भी हरिजन भाई के पास पैसा हो, ऐसी बात नहीं है। किसी ने नेवली रखी है, किसी ने कुछ रखा है। कोई 10 पर्सेन्ट पर लाया है तो कोई 20 पर्सेन्ट पर लाया है, मैं कह नहीं सकता हूं उनकी क्या हालत है और अगर इस प्रकार पैसा लाकर यहां जमा करा देते हैं तो आप उनकी स्थिति का अन्दाजा लगा लीजिये। आखिर क्या होता है, कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिये कि इतने दिन में दर्ख्वास्त आती है तो तय कर देंगे और अगर दर्ख्वास्त गलत है या किसी प्रकार की कोई कमी है तो कह दें खामियां हैं, पूरी करके लाओ। जब तक आप क्राइटेरिया तय नहीं करेंगे तब तक मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बढ़ता ही रहेगा। जो योजना सरकार की है और सरकार चाहती है कि हम कमजोर वर्ग की मदद करें लेकिन कमजोर वर्ग की मदद करने के लिये जो आदमी आपका नियुक्त है, उसके आचरण को आप कम से कम देख तो लीजिये कि उसके मन में उनके प्रति कितना लगाव है, कितनी हमदर्दी है। जनता खास तौर से कमजोर वर्ग के लोगों की मदद चाहती है, उसका पूरा दायित्व आप ले लें।

मकान बनाने का और सहायता आदि कार्य आपने किया लेकिन इसका रिजल्ट कितना रहता है, यह आपने नहीं देखा। सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इन बातों को गहराई से देखें। जितना है उसका क्राइटेरिया फिक्स करके जिस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये, उस क्राइटेरिया के आधार उन्हें निपटायें।

इसी प्रकार पंचायतों के बारे में निवेदन करूं। सारे माननीय सदस्यों ने एक मत से दोहराया है कि चुनाव कराने चाहियें। आज गावों में सरपंच, पंच, प्रधान, जिला प्रमुखों की क्या हालत है, यह आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। सारे सदस्य चाहते है, अगर आप चुनाव करवाते हैं तो अच्छा है, बुरा नहीं है। मैं निवेदन करूं, कई जगह सरपंच नहीं, पंच नहीं, प्रधान नहीं, उप प्रधान नहीं, जिला प्रमुख नहीं ऐसी जगह पर जहां पंच नहीं, सरपंच नहीं, प्रधान नहीं, उप प्रधान नहीं, अगर मज-

(श्री सांवरमल मोर)
ठीक में आप पंचायतों के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो कम से कम इन जगहों पर तो चुनाव जल्दी से जल्दी करवा दीजिये।

हमारे मुख्य मन्त्री जी ने, जो उस समय स्वयं पंचायत मन्त्री थे, बताया था ऐसे जो चुनाव वाले स्थान होंगे उनका जल्दी चुनाव करवा देंगे। आज उस बात को भी 12 महीने से ऊपर बीत गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप पंचायतों के चुनाव करवा रहे हैं तो जिस हिसाब से माननीय सदस्यों की इच्छा है चुनाव करवा दीजिए और अगर देर कर रहे हैं तो जो रिक्त स्थान हैं, उनका तो अवश्य करवा दीजिये। पंचायतों की जो स्थिति है ग्राम सेवकों के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कहा कि सारे के सारे ग्राम सेवक पार्टी पॉलिटिक्स में इनवाल्व्ड हैं। कम से कम आप उनको इतना काम तो दे दीजिए जितनी तनख्वाह सरकार उनको देती है, उतना काम उनसे करवाना है। अगर कोई और काम उनको नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना काम तो दे दीजिये कि जितने भी ग्राम सेवक पंचायत समितियों में हैं, एक, दो या तीन पंचायतें उनके जिम्मे कर दीजिए और उनको सेक्रेटरी बना दिया जाये जिससे कम से कम उनका जो पहला कर्त्तव्य है वह तो उनका पूरा हो जायेगा। आज वह गांवों में फिरते हैं। खेती के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये जाते हैं वह सारे के सारे गलत तैयार किये जाते हैं। मकानों के लिए तो आंकड़े दे दिये जाते हैं कि इस पंचायत समिति में इतने मकान बने लेकिन किसने बनाया, कैसे बनाया यह कोई जानकारी नहीं है। आखिर यह क्या है? पैसा सरकार का लगता है और हजारों रुपया टी. ए., डी. ए. का खर्च होता है, माननीय सभापति महोदय, यह जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में आता है और इधर बैठने वाले आलोचना करते हैं जो बहुत दिक्कत से पैसा आता है उसको खर्च करने में आपके और हमारे मन में दर्द होना चाहिये कि मुश्किल से आने वाला पैसा इस तरह से बर्बाद हो जायेगा। अगर ऐसा होता है तो जनता जो आलोचना करती है वह सही करती है और आपकी और हमारी- सबकी जिम्मेदारी है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ कहा उस पर मन्त्री महोदय विचार करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया!

श्री उम्मेदीलाल : माननीय सभापति महोदय ....

श्री सभापति : आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री उम्मेदीलाल : हमारा समय है।

श्री सभापति : आसन की ओर से कहा जाये तब आप बोलें। बाद में टाइम रहा तो जरूर दिया जायेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया!

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, आज हम सदन में दो ऐसी मांगों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कटौती प्रस्तावों के जरिये विचार कर रहे हैं जिनका काफी महत्व है। सभापति जी,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बहुत से माननीय सदस्यों ने पंचायतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। आप जानते हैं कि राजस्थान की ग्राम पंचायतों की जो हालत है वह हिन्दुस्तान में किसी भी प्रान्त को देखें और वहां की उनकी स्थिति को देखें तो राजस्थान की पंचायती राज की हालत बहुत ही दयनीय है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत चाहूंगा कि राजस्थान सरकार पंचायतों के बारे में अपना दिमाग साफ रखे और उनमें कुछ संशोधन करे।

मैं जानता हूं कि राजस्थान की पंचायतों में खासतौर से हरिजनों के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं रखा है। पार्लियामेन्ट में और विधान सभाओं में हरिजनों के लिए रिजर्वेशन रखा है परन्तु खासतौर से गांव के लोगों के लिए और ग्रामीण जनता में खासतौर से हरिजनों के लिए और राजस्थान सरकार कुछ भला चाहती है तो ग्राम पंचायतों में उनका रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देकर ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर या और किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर सरपंचों के लिए रिजर्वेशन करे इसी तरह से, सभापति जी, मैं चाहूंगा पंचायत समिति और जिला परिषदों में भी हरिजनों के लिए रिजर्वेशन चाहे जनसंख्या के आधार पर हो या चाहे किसी भी आधार पर हो हरिजनों के लिए रिजर्वेशन होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान में नया परिवर्तन चाहते हैं और खासतौर से ग्रामीण जनता को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आप इस तथ्य को स्वीकार करके नया परिवर्तन लायें और रिजर्वेशन करके हरिजनों में जागृति पैदा करें।

आप जानते है कि राजस्थान की पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को आपने कुछ भी पावर्स नहीं दे रखी हैं। ग्राम पंचायतों को यदि आप ऊंचा उठाना चाहते हैं और ग्रामीण जनता का विकास करना चाहते हैं तो मेरी मांग है कि आप ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक पावर्स दें। ग्राम पंचायतों के बारे में, सभापति जी, मैं चाहता हूं कि पटवारी को उनका सेक्रेट्री बनाया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों को बैठा रखा है जो कि एक फालतू पोस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि पंचायतों में लैण्ड रेवेन्यू की वसूली पटवारी के जरिये उसको ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी बनाकर करना चाहिए। इसी तरह से पंचायत समिति में तहसील लेवल पर तहसीलदार पंचायत समिति का सेक्रेटरी होना बहुत जरूरी है ताकि यह जो डबल महकमा चला रखा है और पैसे भी अधिक खर्च करने पड़ते हैं और विकास अधिकारी और तरह तरह की पोस्टें बना रखी हैं उनकी जरूरत नहीं रहे। पंचायत समिति में तहसीलदार हो तो वह आराम से काम चला सकता है? जैसे ग्राम पंचायतों को प्राइमरी स्कूल दे रखी हैं उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि जिला परिषदों के नीचे आप मिडिल स्कूल तक का काम अगर शिक्षा का दे दें तो गांव के लोगों को अधिक से अधिक पावर्स मिल जायेंगी। इसी तरह से जिला परिषदों के क्षेत्र में जो निर्माण के कार्य हैं, सड़क निर्माण के कार्य हैं और जो भी राज्य सरकार पैसा खर्च करके काम कराती है वह जिला परिषदों की मार्फत होने चाहिएं और जिलाधीश जिला परिषद का सचिव होना चाहिए ताकि जिले में काम सन्तोषजनक और सही ढंग से हो सके।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

इसी प्रकार से आपने जो पंचायत समितियों और विकास विभाग को पैसे दे रखे हैं उनका बहुत ही दुरुपयोग होता है। सभापति जी, जहां विकास कार्य चालू किये गये खासतौर से मैं बीकानेर जिले का उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां पर किसी भी काम को पूरा नहीं किया गया और आज भी वह अधूरे पड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा, राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान देकर उन अधूरे कार्यों को पूरा कराये ताकि कुछ काम हो सके। आज गांवों में कुओं के निर्माण कार्यों के लिए धन दिया और कुए अधूरे पड़े हैं। वह अधूरे कुए किस काम के हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे अधूरे कामों के लिए जल्दी से जल्दी धनराशि देकर उनको पूरा कराया जाना चाहिए।

सभापति जी, मैं थोड़ा सा जिक्र सहकारिता के बारे में भी करना चाहता हूं। सहकारिता का अगर किसी ने भट्टा बैठाया है तो वह हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने बैठाया है। कहीं चुनाव नहीं होते। अगर होते हैं तो मनमाने ढंग से। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति जैसरासर की बात करता हूं। वहां पर चुनाव के लिए एक छोटे से कर्मचारी को नियुक्त किया। वह कर्मचारी वहां नहीं गया। वहां पर उसका 1,500 आदमी इन्तजार करते रहे और कुछ लोगों जिन्होंने प्रोपर्टी पर कब्जा कर रखा है और जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया है, ने गांव में बैठकर चुनाव करा दिये। इसकी इन्क्वायरी हुई, रिट भी हुई लेकिन रिजल्ट जीरो। आप ताज्जुब करेंगे कि जिले के चार विधायकों में से तीन एक साथ बार बार को-ऑपरेटिव विभाग के ऑफिस में गए और बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी से मिले लेकिन बाद में नतीजा कुछ नहीं। और आज को-ऑपरेटिव विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जिम्मेदारी जैसे बड़े अधिकारियों पर है मैं मानता हूं कि आज राजस्थान में जिस महकमे में भी भ्रष्टाचार है अधिकारियों के बजाय कोई जिम्मेदार है तो राज्य सरकार है। अगर राज्य सरकार में थोड़ा बहुत भी दम है तो मैं मानता हूं कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की भ्रष्टाचार की तरफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन दुःख है कि राजस्थान सरकार आज ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो नहीं देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार इस तरह से गलत होने वाले कामों की तरफ ध्यान दे और इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है।

सभापति जी, को-ऑपरेटिव ऐसा जरिया है कि जो गांवों के काश्तकारों को आगे बढ़ा सकता है। खेती के लिए और हर तरह के काम के लिए दोनों ही ऐसे महकमे हैं कि अगर इनको सही ढंग से चलाया जाये तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है कि आज गांव के लोगों को आगे बढ़ने से रोक सकें। लेकिन दुःख है कि सरकार बहुत ही ढीली नीति से चल रही है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार है।

मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें बहुत भारी गबन है उनका उल्लेख करूंगा।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक देसलसर गांव है और वहां पर हरिजनों के नाम पर सोसायटी है। बेचारे हरिजनों को कोई लोन नहीं देकर उनके नाम पर उन्हीं मठाधीश और उन्हीं सोसा-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

यटी के मैम्बरों ने, उन गरीबों के नाम से लोन ले लिया। अब उनके घर नीलाम हो गए, खेत नीलाम हो गए और आज उन बेचारों की हालत बहुत ही खराब हालत है। हमने इसके लिए मांग की है कि इन्क्वायरी होनी चाहिए कि बेचारों के खेत बिक गए, घर बिक गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

इसी तरह से बीकानेर में हरिजनों की बुनकर सोसायटी ग्राम नापासर में है उसको कोई पैसा नहीं दिया गया है। इन हरिजनों की सोसायटी को तो पैसा नहीं मिलता लेकिन दूसरे लोगों की सोसायटी को कैसे धन मिल जाता है, यह समझ में नहीं आता है। यह सही बात है कि अभी तक इस तरह को सोसायटी को लोन नहीं दिया गया है। मैं खास तौर से राजस्थान के बहुत ही जिम्मेदार मन्त्री श्री रामनारायण जी चौधरी से यह आशा करता हूं कि हरिजनों की सोसायटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे।

सभापति जी, गृह निर्माण हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम से खास तौर से राजस्थान में अगर किसी का शोषण हुआ है तो वह गृह निर्माण सोसायटी के द्वारा राजस्थान में हरिजनों का शोषण हुआ है। यह बहुत ही चिन्ताजनक है। आप जानते हैं कि हरिजनों के पास पैसा नहीं है। बेचारे हरिजनों ने कर्जा उठा उठा कर सौ सौ रुपये निकाल निकाल करके, अन्य लोगों से लोन ले करके जमा कराए। लेकिन आज कागजों का पता नहीं, रजिस्ट्रेशन का पता नहीं, बड़ी दुर्गति हो रही है। मैं चैलेंज करता हूं कि बीकानेर जिले और चूरू जिले में किसी भी सोसायटी को हाउसिंग सोसायटी से लोन नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जाँच करे और हरिजनों की सोसायटी को लोन दिया जाए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनको आपकी मार्फत सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय, यह जो सहकारिता और पंचायत का विषय चल रहा है इसके बारे में मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए जो एक घोषणा की थी कि इन लोगों को मकान के लिए चार हजार रुपये राज्य सरकार से बिना सूद दिये जायेंगे और उस घोषणा पर उन लोगों ने सौ सौ रुपयों से अधिक, 110 या कुछ रुपये जमा कराये। हर ग्राम पंचायत में या हर गाव में सोसायटी बनी और उन सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद नतीजा क्या निकला ? आज तक उनको चार पैसे भी नहीं मिले।

सभापति महोदय, मेरे ग्राम पंचायत महुवा की हालत आपको बता दूं। हरिजनों के 45 परिवारों से 4,400) रुपये) लिए गए और उसमें से 1,800) रुपये तो बैंक में जमा हुये और बाकी 2,600) रुपये सरपंच की जेब में हैं। उन लोगों ने मांग की कि हमारे जो पैसे हैं वह वापस दिलाये जावें। मैंने सरपंच से कहा कि सरपंचजी, इन

(श्री उम्मेदीलाल)

हरिजनों के पैसे वापिस दे दीजिए क्योंकि न तो इनके पैसे जमा हुए और ना इनकी सोसायटी मंजूर हुई, इसलिए इनके पैसे लौटा दें। तो सरपंच कहता है, अजी, मैंने तो पैसे जमा करा दिये, आपको क्या पता बैंक में पैसे जमा हैं। मैंने बैंक में जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि 1800) रु. बैंक में जमा है और बाकी 2600) रु. सरपंच की जेब में हैं। जब दुबारा सरपंच से कहा कि सरपंच महोदय, इन चमारों के पैसे वापस कर दो वरना ठीक नहीं होगा। तो वह कहता है कि अरे भइया, तेरे जैसे हजारों घूमते हैं, तुमको कौन पूछता है। मैंने चमारों से बात करली है। अर्ज यह है कि जिन लोगों ने पैसे जमा कराए न तो कहीं बैंक में खाता है उनका, न कोई उनके पास रसीद है और सरपंच की जेब में पैसे हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि राजस्थान के अन्दर जो सोसायटी हाउसिंग के नाम पर बनी हैं और हरिजनों के पैसे जमा हुए हैं, उनके पैसे वापस देने की व्यवस्था करें ताकि जिनके पैसे हैं उनको आसानी से वापस दिए जा सकें, क्योंकि आपने जो वायदे किए हैं वह जनता के सामने हैं।

अब नम्बर दो, पंचायतों के बारे में सवाल यह है कि आप बार बार घोषणा करते हैं कि पंचायतों के चुनाव अगले साल करवा दिए जावेंगे। भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इसी प्रकार की घोषणा गत वर्ष की थी और यह कह कर कि इस वक्त तो एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जावे और अगले साल में चुनाव करा दिये जावेंगे लेकिन चुनाव नहीं कराये गए। तो मैं आपसे अर्ज करू कि जो लोग नौ नौ बर्ष से मठाधीश बने बैठे हैं और उन लोगों को जो जागीर दी है मेरे ख्याल से यह जागीर ऐसी है कि जो स्टेट के टाइम में दी जाती थी। हरिजनों के बारे में जितने भी काम सरपंच के जरिये होते हैं उनमें एक तो है नामान्तरणकरण का। एक जमीन किसी से ली है या अलॉट हुई है तो नाम बदला जाता है और सरपंच को नामान्तरण करना होता है लेकिन वह नहीं करता और लटकाये रखता है, यह कह कर कि पंचायत के चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्दी, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, मैं तो तुम्हारा ही हूं। लेकिन माफ करना, सरपंच आज उन लोगों को इतना परेशान करता है कि जिसकी नजीर आपके सामने है। इसलिये पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवा दिए जावें तो मेरे ख्याल में ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर पंचायतों के चुनाव आपने नहीं कराये तो जनता आपसे इन बातों का जवाब लेगी। आपने जो वायदे किये हैं वे सब झूठ गए और जनता को मुगालते में रख कर आप इन चुनावों को सन् 1977 तक ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव इलेक्शन के बाद यानि 1977 के बाद कराये जायेंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, सभापति महोदय, कि पंचायतों के चुनाव के बारे में माननीय मन्त्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र घोषणा करें ताकि जनता में संतोष हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव द्वारा सहकारिता के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं कि कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता

(श्री शंकरसिंह रावत)
एक आर्थिक आन्दोलन है। मेरी मान्यता है राज्य सरकार ने जो वायदे किए चाहे वह खाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में हों, चाहे वह रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में हों......

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय। छः बजे तक माननीय सदस्य बोल लें और छः से साढ़े बजे तक माननीय मंत्री जी का जवाब हो जाय क्योंकि 7 बजे हमारी मीटिंग है।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े छः बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री शंकरसिंह रावत : तो सभापति महोदय, पहनने के लिए कपड़ा, इस प्रकार सरकार ने तीन वायदे किए हैं और उनको पूरा करना है तो मेरी मान्यता है कि सहकारिता के जरिये ही पूरा कर सकती है। आपने ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया, ऋणदात्री सहकारी समितियां, श्रमिक सहकारी समितियां, बुनकर सहकारी समितियां, कृषक सहकारी समितियां आदि, इनका गठन किया और सरकार ने यह उचित समझा कि गांव के स्तर पर एक सहकारी समिति हो, एक ग्राम पंचायत हो, एक स्कूल हो और इन बातों को लेकर सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया। उसमें भी बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां थीं जिनका पंचायतों के हैड क्वार्टर पर होने की वजह से, पंचायत समितियों का हैडक्वार्टर होने की वजह से विलीनीकरण कर दिया गया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही उद्देश्य से किया गया है। यह होना चाहिए था लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि यह जो सहकारी आन्दोलन है यह आज से नहीं है, 60-70 वर्ष पहले से है जबकि हमारे यहां पर असली जनतन्त्र था, उस समय ये सहकारी समितियां काम करती थीं। तो सबसे पहले जनतन्त्र इन सहकारी समितियों में था। आज सभी इनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सहकारी आन्दोलन समाप्त हो रहा है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर बल दिया था कि सहकारी समितियां ऐसी न हों कि ये सरकारी समितियां बन जायें। धीरे धीरे निश्चय ही ये सहकारी समितियां इस ओर पहुँच रही हैं और आज ये सरकारी समितियां बन चुकी हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति इसलिए बनायी गयी थी कि इसके जरिए राशन की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था की जायगी। मोटा कपड़ा इसके जरिए वितरित होगा। आर्थिक ऋण, जो कि उत्पादन में लाभदायक होगा, की व्यवस्था इसके जरिये होगी। परन्तु इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिये राशन का वितरण न हो कर, जो कि सारे गांव की सहकारी समिति है, उसकी इज्जत न समझते हुए किसी व्यक्ति विशेष को राशन वितरण का काम सौंप दिया जाता है। यदि यही काम ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिए कराया जाय तो अनियमितता नहीं होगी जो कि व्यक्ति विशेष कर सकता है।

(श्री शक्तिसिंह रावत)

इस प्रकार यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना है। सहकारी समितियों के जरिये ही सारे काम होने चाहिएं। इसी प्रकार से जो केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, मार्केटिंग सोसायटी है, उनके तहत सारी व्यवस्था करनी चाहिए परन्तु आज उनके जरिए नहीं की गयी है। जहां तक भूमि विकास बैंक का सवाल है, मैं निवेदन करूं, बहुत से सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि लोन विलम्ब से प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं उनको कम कर दिया जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। अभी भूमि विकास बैंक में गया था, पहले भू-जल मण्डल से सर्टीफिकेट लेना पड़ता है और उसके बाद वह कुए के लिए ऋण देता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि काश्तकार को समय पर पैसा मिलना चाहिए और काश्तकार अच्छी तरह से जानता है कि किस जगह पर पानी मिलेगा परन्तु उसे भू-मण्डल से प्रमाण-पत्र लेना होता है और यह स्वार्थ समझिये या कुछ और किसी प्रकार से 10-20 सर्टीफिकेट ऐसे ही बन जाते हैं जो कि उचित नहीं है और इसीलिए विलम्ब होता है। या तो सर्वे करवाइये ताकि पानी का मालूम हो और बिना सर्वे के सर्टीफिकेट देते हैं तो काश्तकार को वैसे ही ऋण दे देना चाहिए।

इसके अलावा निवेदन करूं कि सहकारी आन्दोलन के असफल होने का मूल कारण यह है कि इसमें नौकरशाही, बड़े बड़े जागीरदार, और कहीं कहीं जातिवाद हावी हो गया है। जहां तक जातिवाद का सवाल है, यह सब जातियों की संस्था है परन्तु बहुत से इसमें जातिवाद के आधार पर आ जाते हैं और फिर वहां से हटना नहीं चाहते हैं। कुछ इसमें नौकरशाही के भरोसे बैठे हैं और उसी पर जिन्दा है। गांव की सहकारी समिति को चलाना चाहते हैं तो कोआपरेटिव की भावना को रखना होगा। जब कोआपरेटिव के चुनाव होवे हैं, केन्द्रीय सहकारी बैंक की कार्यकारिणी, या प्रबन्धकारिणी का चुनाव होता है, तो सोसाइटी अपने प्रतिनिधि को भेजती है, वहां एक सचिव होता है कोई मत देने आवे या नहीं आवे, वह अपनी मर्जी से नाम लिख देता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन समितियों के चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और कम से कम इनके चुनाव विभाग न करावे क्योंकि विभाग संचालक मण्डल से जुड़ा रहता है। सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से सहकारी समितियों के चुनाव होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव की अपील करने की गुंजाइश हो। विभाग की गलती की विभाग के सामने ही अपील करें, यह नहीं होना चाहिये, इसके लिए कोई ज्युडिशियल पॉवर होनी चाहिए। कोई अलग से संस्था हो जो कि अपील को सुने। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव होते हैं। जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां है उनकी लिस्ट प्रकाशित की जाती है परन्तु उसके साथ उनके प्रतिनिधि का नाम नहीं होता है इस कारण इसमें हेर फेर की गुंजाइश रहती है। यदि एक महीने पहिले प्रतिनिधियों के नाम आ जाएं तो जो संचालक मण्डल के लिए खड़े हों वे मतदाता से सम्पर्क कर सकें। यह प्रणाली चेन्ज कर दी जाए तो चुनाव ठीक ढंग से होंगे परन्तु धीरे धीरे इस पर नौकरशाही हावी होती जा रही है।

(श्री शङ्करसिंह रावत)

मैं अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के बारे में अर्ज करूं—किस प्रकार वहां पर नौकरशाही संचालक मण्डल पर हावी हो रही है। जीप का दुरुपयोग हो रहा है, वसूली के नाम पर और काम हो रहा है चुनाव प्रचार का। एक एक्जीक्यूटिव ऑफिसर है वह इतना छाया हुआ है कि संचालक मण्डल के सदस्य यह समझते हैं कि इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। यह संस्था आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिए बनायी गयी है, यह संस्था सरकार के वायदे को पूरा करने वाली संस्था है परन्तु इस पर भी नौकरशाही हावी होती जा रही है जो जनतन्त्र के उचित नहीं है। हम इसके जरिए गरीबों को आर्थिक समस्या को हल करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। परन्तु आज यह भावना जड़ पकड़ रही है कि यदि संचालक मण्डल में हमारा आदमी नहीं आया तो हमें लोन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार की स्थिति ऊपर से नीचे के स्तर तक ग्राम सेवा सहकारी समिमियों में है। भूमि विकास बैंक हैं, केन्द्रीय सहकारी बैंक है, मार्केटिंग सोसाइटी है—इनकी चुनाव प्रणाली को बदलना पड़ेगा और नहीं बदलेंगे तो चाहे कितना ही हम कर लें, कोई सुधार नहीं होगा। आशा है, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और कदम उठायेंगे। एक लोन देने का काम नही हो। इसमें गवनमेन्ट का शेयर मनी है और लाखों रुपयों के शेयर हैं। बैंक वसूली किस तरह से करते हैं, यह भी देखना चाहिए। आजकल लोन में से ही वसूली एडजस्ट की जा रही है। अगर मंत्री महोदय लेन देन के आंकड़े बतायें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे एक जिले के आंकड़े बता देवें कि कितनी तो लेनदारी है और कितनी देनदारी है, तो उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि वह बैंक घाटे में चल रहा है या नफे मे चल रहा है। ठीक तरह से चल रहा हैं तो उसको प्रोत्साहन दीजिए और नहीं तो उसको रोक दीजिए। दूसरा मैं सरकारी मशीनरी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा (समय-समाप्ती-सूचक-घंटी) मार्केटिंग सोसाइटी, सामुदायिक विकास योजनाओं और पंचायती राज में सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। बैंकों से यह स्पष्ट है कि वहां ये डाइरेक्टर नहीं बन सकते हैं। वास्तव में अजमेर में जो मार्केटिंग सोसाइटी है उसका चेयरमैन एक मास्टर है अब वह अपना कर्त्तव्य कैसे पूरा कर सकता है। वह नेतागिरी के चक्कर में फंस जाता है। इस प्रकार वह अध्यक्ष बना हुआ है इससे स्तर गिर रहा है। अधिक न कह कर, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के अन्दर जो असिसटेन्ट रजिस्ट्रार 16 वर्षों से काम कर रहा है, 10 साल से उसके नीचे जो इन्स्पेक्टर काम कर रहा है उनका रिवर्सन किया जा रहा है। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। हर साल डी. पी. सी. की मीटिंग बुलानी चाहिए और जिसका प्रोमोशन वाजिब हो उसको अवसर मिलना चाहिए। दस साल तक काम करता है, और उसका रिवर्सन हो जाए और उसको दूसरे काम में लगाया जाए तो यह ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मेरे पास एक केस है, 8 मास से को-ऑपरेटिव का एक कर्मचारी सस्पेन्ड है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक मास के अन्दर निर्णय कर

(श्री शङ्करसिंह रावत)

दिया जाएगा। वह एक महीना कहां गया। मेरा यह निवेदन करना है कि सस्पेन्ड करना है, टर्मनिट करना है तो जल्दी से जल्दी निर्णय करिये ताकि मालूम हो जाए करना वह बाद में फिर सर्विस में आ जाएगा और उसको एक साथ तनख्वाह मिलेगी और दूसरा काम भी करेगा।

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक कारणों से ऐसा किया गया है।

श्री शंकरसिंह रावत : दो मिनिट सामुदायक विकास योजनाओं के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। जिला परिषदों और पंचायत समितियों की अवधि बढ़ा दी गई है। अभी बहुत से प्रमुख साहब बता रहे थे। उन्होंने भी काफी स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अमेंडमेंट तो कर दें। एक विधायक के लिए तो 1964 में यह अमेंडमेंट कर दिया कि जो एम.एल.ए. बनेगा वह प्रधान नहीं रह सकता है, लेकिन प्रमुख रह सकता है। यह दोनों बात नहीं होनी चाहिएं। यही मेरा मतभेद है।

एक तो यह करें और दूसरा यह है कि जब जनता के सारे प्रतिनिधि इस बात को चाहते हैं कि चुनाव करायें तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो पंचायत समितियों और अन्य पंचायती संस्थाओं को भंग कर दें तो उससे आपको मालूम हो जाएगा और गांव वाले सोचेंगे और उनके सारे कारनामे सामने आ जायेंगे। लेकिन अगर आपको चुनाव कराना है तो मैं निवेदन करूंगा कि गिरधारीलाल व्यास की रिपोर्ट, जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है, को लागू करके चुनाव करायें। कभी कभी दबाव आता है तो कहते हैं कि जल्दबाजी हो रही है इसलिए पुरानी कार्यवाही से चुनाव करायेंगे। चुनावों के बारे में टालमटोल कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि आश्वासन उतना ही देना चाहिए जितना पूरा हो सके। झूठे आश्वासनों से गिरावट हो जाती है। आपके सामने चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? 9-10 साल हो गये चुनाव नहीं कराये। अगर उनको आजीवन मेम्बर बनाना है तब यह कह दें कि जब तक चुनाव नहीं करायेंगे यह सदस्य रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनतन्त्र में जनता की चुनी हुई सरकार को जनता जो चाहती है जो उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति करने की बात करनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

ग्राम सेवक का रोल अभी कुछ नहीं है.......

श्री सभापति : समय को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जितना आपने कहा है उसके अलावा और अवसर मिलेगा तब कह लें और जो बोलने वाले हैं उनको भी मौका मिले।

श्री शंकरसिंह रावत : जहां तक ग्राम सेवक का सवाल है उनके पास काम नहीं है। पंचायतों की हालत वन विभागों जैसी हो गई है। वन तो कट चुके हैं लेकिन वन विभाग खड़ा हुआ है। पंचायती राज के सामने कोई काम नहीं है तो भी विभाग को खड़ा रखें तो कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। मैं आपका समय अधिक न

(श्री मङ्गलसिंह रावत)
लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव करायें। अगर चुनाव नहीं करा सकते हैं तो उसका आप समाप्ति समारोह कर दें।

दूसरे सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जो मैंने सुझाव दिये हैं चुनाव-प्रणाली के सम्बन्ध में उसको स्वीकार किया जाय। यहां तक ही नहीं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खुद ने घोषणा की थी कि सहकारिता यदि विफल हो गई तो इसका भी राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत हो जाएगी। हम बड़े बड़े आदर्शों की तो बातें करते हैं लेकिन नतीजा निकलता कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि चुनावों के सम्बन्ध में, सहकारी आन्दोलन को जिन्दा रखने के सम्बन्ध में और पंचायती संस्थाओं के चुनाव कराने के सम्बन्ध में आज ही सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त होगा।

श्री सभापति : हाजी जान मोहम्मद !

हाजी श्री जान मोहम्मद (पिड़ावा) : सदरे मोअज़्ज़िम ! परेशान हो गये सुबह से सहकारिता की चर्चा सुनते सुनते और पंचायती राज के बारे में सुनते सुनते मैं पिड़ावा से आता हूं और वहां पर सहकारिता की हालत के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। मैं जहां से आता हूं वहां पर ओड़ियाखेड़ी एक गांव है सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं जगन्नाथ पटेल और उनके उसके सेक्रेट्री ने 19,874 रु 15 पैसे का गबन किया था 3-4 साल पहले। 3 साल की इन्क्वायरी के बाद में यह नतीजा निकला था। यह केस पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस में इस केस को दिये हुए 2-3 साल हो गये लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सारी जनता कहती है कि कैसा राज है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मुलजिमान को सजा नहीं मिली। मुलजिमान को सजा कैसे मिले इन्साफ तो है नहीं। 19,874 रु. जनता के चुने हुए प्रतिनिधि खा गये.......

एक माननीय सदस्य : आपकी बात तो मैं भी मानता हूं कि इस राज्य में इन्साफ तो नहीं है।

हाजी श्री जान मोहम्मद : हम ऑफिसरों और सरकारी मुलाजिमों के लिए तो कहते हैं कि वे रिश्वत खाते हैं लेकिन क्या ये जनता के लोग रिश्वत नहीं खाते हैं। अध्यक्ष और सैक्रेट्री 19,874 रुपये खा गये। उसकी आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। पता चला कि वहां पिड़ावा की पुलिस ने इसकी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पैसा खा गये और फाइनल रिपोर्ट कैसे लगा दी ? जहां पर ऐसी हालत हैं कि जनता के चुने हुए लोग पैसा खाते रहे और हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन न ले तो क्या हाल होगा ? पुलिस ऐसी नाकारा.........

(5.15 सायं)

(श्रीमती मदन कौर, सभानेत्री, पदासीन)

है कि उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अगर इस किस्से को कोई झूठा साबित कर दे तो मैं जुर्माना देने को तैयार हूं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह मन्त्रीजी के सोचने का विषय है। कोई संस्था बाकी नहीं।

हाजी श्री जान मोहम्मद : मुझे उम्मीद है कि लोग पैसा खा चुके हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जल्दी होगी। यह पूरी पूरी आशा है। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे एरिया की सहकारी समितियों की अगर इन्क्वायरी कराई जाय तो कितने ही घोटाले मिलेंगे। पिड़ावा में सहकारी समिति है उसका पैसा खाया हुआ है। ओडियाखेड़ी और हिम्मतगढ़ का मैं जिक्र कर चुका हूं। और भी कई समितियों का पैसा खाया हुआ है। यह पैसा आता कहां से है कि हर कोई खा जाता है। उसका कोई वारिस ही नहीं है। कोई भी इसका धनी या मालिक है? कोई ऑफिसर नहीं, कोई पुलिस नहीं। रायपुर-पिड़ावा के लोग क्या कहते हैं। हमारे वहां पर किसानों की तो कोई सहकारी समिति नहीं है। जनता के प्रतिनिधि बन कर जो होशियार लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे एरिया के अन्दर किसान सहकारी समितियों में नहीं हैं। जो धन्धा करने वाले या अधिकारी लोग हैं उन लोगों की सहकारी समितियां हैं। वे ही लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल से तो आज मौका मिला है दो केस आपके सामने रखे हैं। इनकी फौरन इन्क्वायरी होनी चाहिए। जिसने फाइनल रिपोर्ट बनाई है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिये। मैंने यह रजिस्ट्रार साहब को कहा, मिनिस्टर साहब को कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। वह 19 हजार रुपये खा गया, तीन साल हो गये, फाइनल रिपोर्ट मौजूद है, और इसने पॉलिस पार्टी ने भी पैसा निकाला है। फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है। यह मैं सहकारिता के बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

पंचायती राज के लिए कहना चाहता हूं, यह किस किस्म का किस्सा है—समझ में नहीं आता। जनता हमसे पूछती है कि इलेक्शन कब होंगे? हमने पंचायत मन्त्री से कहा, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देना चाहता है। हमारे वोट डलवा लो। लेकिन हमारे वोट भी नहीं डलवाना चाहते हैं। जनता इन पंचों, सरपंचों और प्रधानों से तंग आ गई है। नौ-नौ साल हो गये हैं, इलेक्शन हुए। आज जनता पंचों, सरपंचों और प्रधानों से तंग आ गई है और वह इनको बदलना चाहती है, इनके इलेक्शन करवाना चाहती है। राजस्थान के अन्दर पंचायतों में कांग्रेस नहीं आयेगी—यह कहा जाय, तो क्या हम जीत कर नहीं आये हैं, दूसरे सूबों में लोग जीत कर नहीं आये हैं। आज जनता इन पंचों, सरपंचों को बदलना चाहती है। यह किसानों की आवाज है, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। शहरों के एम. एल. एज. को तकलीफ नहीं है। लेकिन हम गांवों से आये हैं, हमें तकलीफ होती है, जब गांव वाले पूछते हैं, इन पंचों और सरपंचों को क्यों नहीं हटाते हैं, यह थानेदार और तहसीलदार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यह कब हटेंगे? इनका कब इलेक्शन होगा......

श्री सुखलाल सेनचा : जितना पंचायतों का टाइम बढ़ा है उतना टाइम एम. एल. एज. का बढ़ा दिया जाय।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : आप यह ज्योतिषी ढूंढ ले आये, जिन्होंने मुहूर्त निकाला था।

हाजी श्री जान मोहम्मद : तहसीलदार और थानेदार इन पंचों और सरपंचों के मालिक है.......

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ज्योतिषी भी यहां बैठे हुए हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद : आपने इनको इतने अधिकार दे रखे हैं, इन्तकाल का अधिकार दे रखा है। आज किसान इनसे तंग आ चुके हैं, इन्तकाल का सरपंच पैसा खाता है, इन्तकाल का तहसीलदार पैसा खाता है। तो किसान कहां जाय। इन्तकाल हुए 20 वर्ष हो गये, किसान इनकी तस्दीक कब करायेगा। इसलिए पंचायतों के इलेक्शन जरूर होने चाहिएं और जल्दी होने चाहिएं। इसको टाल नहीं दिया जाय। या फिर हमारे वोट डलवा लिये जायं। आप डरते क्यों हैं? सारा हाउस, हर पार्टी यह चाहती है कि इलेक्शन हों। फिर आप इसको क्यों टालते हैं? पंचायतों के इलेक्शन जल्दी कराये जायं ताकि जनता की मांग पूरी हो।

मैंने दो बातें रखी हैं, एक तो सहकारी समितियों में यह चोर बैठे हैं, उनमें से आप दो को तो सजा दे दें। और दो को भी सजा मिल जायगी तो इसका बहुत फायदा होगा। अगर आप सजा नहीं देना चाहते हैं, आप इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि मुलजिम को माफ करना चाहते हैं। जो इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते हैं वह खुद मुलजिम हैं। इसलिए इसको नहीं टालें और महरबानी करके इनकी इन्क्वायरी करायें ताकि इनको सजा मिल सके। इसके साथ ही पंचायतों के इलेक्शन बहुत जरूरी हैं। जनता हमसे पूछती है, इलेक्शन क्यों नहीं होते हैं। इतनी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर विचार करेंगे। आप नये नये मिनिस्टर बने हैं, कुछ काम आपको करना है, ताकि जनता में यह विश्वास हो कि आपने कुछ काम किया है। आप भी टाल सकते हैं लेकिन जनता आपको टालने वाली नहीं है। जनता पंचों और सरपंचों से तंग आ चुकी है, पंचायत राज से तंग आ चुकी है। इसलिए वह इलेक्शन चाहती है। ईमानदारी की बात है। शहर वाले यह नहीं जानते कि इलेक्शन हो या नहीं। मेरी अर्ज है कि दो मुद्दे रखें हैं, इनकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रावतराम !
(विराम)

श्री हनुमान सहाय !

श्री रावतराम : मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदया, आज सहकारिता और पंचायती राज के बारे में माननीय सदस्य यहां विचार कर रहे हैं। सहकारिता के सम्बन्ध में जो यहां विचार प्रकट किये गये हैं। राजस्थान में आज हमारा सहकारी आन्दोलन जिस स्थिति में पहुंच गया है, वह बहुत ही चिन्ताजनक है। इसके लिए माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त करते हैं तो स्वाभाविक बात है क्योंकि सहकारिता के पीछे जो उद्देश्य और जो भावना थी, जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे, वह हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति यह है, सहकारिता एक दल दल बन कर रह गई है, कीचड़ बन कर रह गई है। उससे निकलने का ज्यों ज्यों प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं त्यों त्यों दल दल में और फंसते जा रहे हैं। इसलिए कोपरेटिव सोसाइटी, कोपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक के लिए कहा जाय

(श्री रावतराम)

कि या तो इलेक्शन ठीक नहीं हुए या सही ढंग से ध्यान नहीं दिया। आज जो शिकायतें हैं वह शिकायतें एक जगह की नहीं हैं, सारे राजस्थान में व्याप्त हैं। वह इसलिए हैं कि इनमें ऐसे तत्व घुस गये हैं जो इन संस्थाओं से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, और जो दूसरे सदस्य हैं, वह सीधे सादे हैं और अनपढ़ हैं, उनका वह शोषण करते हैं। इसलिए इस पर हमें अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए। हम सहकारिता के बारे में नये ढंग से, नये तरीके से सोचें और नये तरीके से राजस्थान में सहकारिता का काम करें तो उसका लाभ करोड़ों लोगों को पहुंचा सकते हैं। मैंने पेपर में दो रोज पहले पढ़ा था कि राज्य सरकार सहकारिता के बारे में सोचती है और सहकारिता का मूल्यांकन करने के लिए, सहकारिता के अन्दर हम क्या सुधार कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं—इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है, और उसके चेयरमैन शोभाराम जी हैं। हम उनसे उम्मीद लेकर चलते हैं कि अच्छे सुझाव देंगे और अच्छी तरह से अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, जिनकी गवर्नमेंट कद्र करेगी।

श्री सुखलाल सेणचा : यह कमेटी वैसे ही न रह जाय, जैसी व्यास कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट वैसी ही रह गई।

श्री रावतराम : कमेटियां रिपोर्ट देती हैं, वह रिपोर्ट सही देती हैं। उसके बाद उस रिपोर्ट पर ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कमेटियां गऊशाला हैं।

श्री रावतराम : लेकिन गऊशाला में कई अच्छी चीजें आती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ज्यादातर लूले-लंगड़े, लुंज-पुंज जानवर होते हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : अच्छी नस्ल के भी मिलते हैं।

श्री रावतराम : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, आप किसान तबके के आदमी हैं, प्रेक्टिकल आदमी हैं, हर बात को समझते हैं, आपके मंत्री काल में इन बातों पर विचार करें और प्रोग्राम लेकर सामने आयें, यदि आप लाखों करोड़ों रुपये की पूंजी, जो को-ऑपरेटिव में लगी हुई है, का आम जनता तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आज फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है और बिचौलिए और दलाल सहकारिता से फायदा उठा रहे हैं। आज एक भी सोसायटी का सहकारिता से ताल्लुक नहीं है, पूरे राजस्थान में मैं यहां तक कह सकता हूं कि पांच परसेन्ट भी ऐसी सोसाइटी नहीं हैं, जो बिलकुल को-ऑपरेटिव मूवमैंट के पीछे बेसिक थ्योरी है, उसके मुताबिक काम करती हों। अगर आप कहते हैं कि हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, जो साल दो साल में राजस्थान में बनी है, का बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार ने पिछले साल की थी कि हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत, राजस्थान में जो

(श्री रावतराम)

शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, उनको मकान बना कर देंगे। उन सोसाइटी का निर्माण होना शुरू हुआ। माननीय मंत्री जी, राजस्थान की ऐसी स्थिति है, हाउसिंग सोसाइटी हजारों इस प्रकार की बनी हैं, उन सोसाइटी में एक पर्सन, एक मेम्बर के लिए सौ रुपये का शेयर रखा है, उसके साथ तीन सौ रुपये सोशल वैलफेयर देता है। सौ रुपये के शेयर का भी उनके लिए एक भार था, और उन्होंने कर्ज लेकर शेयर खरीदे और सोसाइटी में शामिल हुए। क्योंकि आज आर्थिक स्थिति उनकी काफी खराब है. आज वह सोसाइटी बनी हुई पड़ी हैं, आज बारह महीने हो गये, न तो उनको कर्ज मिलता है, न वापिस हट सकते हैं। यह आम एम. एल. ए. के सामने विधान सभा के मेम्बर के सामने दिक्कत है क्योंकि बहुत जोर से हमने पब्लिसिटी की थी और सोसाइटी का निर्माण कराया। आज यह उस स्थिति में चली गई हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इन सोसाइटी के बारे में सोचा था, कि इनसे फायदा करायेंगे। तो या तो उनका रजिस्ट्रेशन बन्द करिये, यदि आप पैसा नहीं दे सकते हैं। या आपके पास पैसा नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जितनी सोसाइटी बन चुकी हैं पहले जब तक उनको डिस्पोज आफ नहीं करेंगे, जब तक उनको कर्ज नहीं देंगे तब तक दूसरी सोसाइटी नहीं बनायेंगे। या तो ऐसी व्यवस्था करिये, या ऐसी व्यवस्था करिये कि सोसाइटी को कर्ज मिले। अगले बजट में देखने में आया है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, सोसाइटी को कर्ज देने का। इसलिए अब एक विषम परिस्थिति सामने आने वाली है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल एरिया में इस तरह की सोसाइटी बनी हैं, जिन लोगों के पास ज्यादातर पट्टे क्राउन एक्ट के तहत दिये हुए पट्टे हैं। वह क्राउन एक्ट का पट्टा एक रुपए का होता और ज्यादा से ज्यादा 120 मीटर्स का होता है। उन लोगों ने सोसाइटियां बनाई हैं और यह राजस्थान स्टेट फाइनेन्सिंग हाउसिंग सोसाइटी उनका कर्जा मंजूर नहीं कर रही है क्योंकि एक रुपए वाले पट्टों को वे रहन नहीं कर सकते। तो यह समस्या पैदा हुई है। सैकड़ों सोसाइटीज के कागज इस फाइनेन्स सोसाइटी में पड़े हैं जिनको उसने मंजूर नहीं किया, आये दिन वे लोग परेशान करते हैं। वे कहते हैं कि इससे बेहतर था कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रतिबंध को आप हटायें।

मैं पंचायती राज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से अपने विचार प्रकट किए हैं। आप इस पंचायती राज में आमूलचूल परिवर्तन करें क्योंकि 2 अक्टूबर, 1959 को जब विकेन्द्रीकरण हुआ और पंचायती राज में थ्री टायर सिस्टम लागू हुआ उसके बाद जब हमने मूल्यांकन किया तो हमने देखा और हम उस नतीजे पर पहुंचे कि हम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और इसमें परिवर्तन की जरूरत है। उसके लिए आपने हाई पावर कमेटी का निर्माण किया। मेरे पूर्व वक्ता श्री शंकरसिंह रावत ने जो कहा वह वाजिब है, हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, उसने लगातार 12 महीने कोशिश करके, सब जगह जाकर राज्य

(श्री रावतराम)

के बाहर भी जाकर बहुत सोच समझ कर रिपोर्ट तैयार की। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उस रिपोर्ट पर आपको विचार नहीं करना था तो क्यों हाई पॉवर कमेटी का निर्माण किया और उसकी रिपोर्ट ली? विधान सभा सदस्य और अन्य लोग इस बात की उत्सुकता से प्रतीक्षा में थे कि इस रिपोर्ट में जो कमेटी ने सुझाव रखे हैं उस पर राज्य सरकार विचार करेगी और वर्तमान प्रणाली में काफी लम्बा चौड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन उस रिपोर्ट को ताक पर रखा दिया और कहा गया कि पंचायतों के चुनाव कराने हैं इसलिए पुराने सिस्टम के हिसाब से चुनाव कराने चाहिएं। वे चुनाव भी आप टाल गए। यह सही है कि राजस्थान की जनता चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों लेकिन नहीं हो सके। अब कैसे हो सकेंगे? अप्रेल तक विधान सभा में बैठे हैं, उसके बाद भयंकर गर्मी आ जाएगी, बच्चों की परीक्षायें हैं। यदि मई में नहीं हो सकेंगे तो सरकार फिर 6 महीने के बाद कराएगी। इसलिए हम बार बार कहें कि पंचों, सरपंचों और प्रधानों से जनता परेशान है तो उसका कोई इलाज नहीं। जनता तो मन्त्रियों से नाराज रहती है लेकिन सवाल यह है कि इतना लंबा समय चला गया इसलिए चुनाव होने जरूरी थे। इस साल सरकार चाहेगी कि मई या जून तक करा देगी तो मई-जून इतनी भीषण गर्मी हो जायेगी कि गांव के लोग कमाने खाने के लिये कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा। उस स्थिति में चुनाव मुश्किल होंगे ... ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसीलिए तो है कि चुनाव आगे ले जायेंगे।

श्री रावतराम : यही तो कहता हूं कि आप मई में चुनाव नहीं करा सकेंगे इसलिए जब चुनाव आगे ले जा रहे हैं तो राज्य सरकार को यह समझाने की कोशिश करें और उस पर दबाव डालें। अब हाई पॉवर कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सदन में डिस्कशन किया जा सकता है, उस पर हम विचार कर सकते हैं और चुनाव जो आगे ले जा रहे हैं तो कैसी चुनाव प्रणाली हो, इस पर विचार करने के लिये विधान सभा के सामने वह रिपोर्ट आनी चाहिए। उस रिपोर्ट में कई अच्छाइयां हैं, कुछ सिफारिशें ली जा सकती हैं कुछ छोड़ी जा सकती हैं। उस रिपोर्ट को विधान सभा में न रखें और ऊपर ही ऊपर आप निपटा लें, यह मजाक का विषय है। इसलिए निश्चित तौर से उस रिपोर्ट को सदन में रखें और माननीय सदस्यों को उस पर विचार करने का मौका दें।

दूसरी बात, कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायत समितियों और जिला ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

प्रशासन के बारे में, ग्राम सेवकों के बारे में कुछ चिन्ता व्यक्त की है, वह उचित है। आज पंचायत समितियों की हालत खराब है। पंचायत समिति में न कोई रहना चाहता है, न उसका कोई फंक्शन है, पंचायत समिति के पास केवल बी. डी. ओ. है, जीप है, वह मीटिंग अटेंड करता है बाकी पंचायत समिति के पास कोई काम नहीं है। या तो गांव में जाकर तनख्वाह दे आयें, इतनी फौज रखी है सरकारी कर्मचारियों की जैसे ग्राम सेवक, कृषि प्रसार अधिकारी। कृषि प्रसार अधिकारी जो गांव में बैठा है उसको यह मालूम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं कि कहां सिचाई का कूआ है, बीज, खाद कहां देना है, वह कभी जाता नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

अन्त में मुझे एक जो बात निवेदन करनी है वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंचायत मन्त्री पहले भी नाराज थे कि यह बात नहीं आनी चाहिए लेकिन मैं कहूंगा वह बात यह है कि आज पंचायत राज के जरिए गांवों का समुचित विकास करना चाहते हैं, आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं चाहे पानी का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह को संस्थायें हैं जिनको सारा बजट देना चाहते हैं, उनके विकास के लिए खर्चा करना चाहते हैं, वहां बड़ी संख्या में शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आबाद हैं। वे लोग अपना प्रतिनिधि गांवों में नहीं भेज सकेंगे, तो उनका भला नहीं होगा। इसलिए सदन को सोचना है कि पंचायत राज संस्थाओं में इनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था के तहत राजस्थान में किसी भी पंचायत में कोई हरिजन शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब का आदमी सरपंच नहीं है। इसलिए सरकार इस तरह की व्यवस्था कर सकती है कि जनसंख्या के अनुपात में पंचायत समिति में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें सरपंच के पदों का रिजर्वेशन करना चाहिए और वह इसलिए कि पंच का चुनाव डाइरेक्ट होता है। इन्डाइरेक्ट जहां चुनाव होता है जैसे प्रधान और जिला प्रमुख उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं लेकि यह तो सरल तरीका है जिस तरह से संसद और विधान सभा में किया है जनसंख्या के अनुपात में हर जिले की एक दो सीटें हर पंचायत समिति एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करें। जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जनसंख्या के अनुपात से सरपंच के पद रिजर्व करने चाहिएं. जैसे एक पंचायत समिति में 15-20 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या है और उसमें 40 पंचायतें हैं तो उसका 20 प्रतिशत अर्थात् 5 पंचायतें हैं तो 5 स्थान रिजर्व करें। इसमे यह होगा कि हर पंचायत समिति में शिड्यूल्ड कास्ट के 4-5 सरपंच होंगे और वह बैठकर अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे। क्योंकि जिला प्रमुख के चुनाव उनके जरिए होंगे आगे चलकर तो वे जिला परिषद् में भी अपना प्रतिनिधि भेजने में समर्थ हो जायेंगे। इसलिए आप इस तरह की व्यवस्था करायें। मंत्री और माननीय सदस्य यह न सोचें कि हमारा क्या भला होगा। आपको सोचना चाहिए कि आज भी विधान सभा में और संसद में यदि रिजर्वेशन न हो तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग संसद और विधान सभा में नहीं जा सकते हैं। इस तरह अगर पंचायत समितियों में आप सरपंचों में रिजर्वेशन करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अपने लिए कार्य करने के लिए बढ़ावा देंगे। इससे एक समाज में नयी लीडरशिप इनमें से पैदा होगी। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रणाली को पंचायती राज में लागू करने व्यवस्था करावें। इससे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को काफी फायदा हो सकता है और वह अपनी समस्याओं को पंचायतों और पंचायत समितियों में रख सकेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, आज सदन में को-ऑपरेटिव की डिमान्ड चल चल रही है उसमें मैं सिर्फ एक पॉइन्ट ही डिसक्स करना चाहूंगा। मान्यवर, जयपुर में एक सहकारी बाजार है उसकी ओर आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सन 1961 में एक ऐसी स्कीम पाइलट की थी जिससे कन्ज्यूमर्स को अपनी रिक्वायरमेंट सस्ते ढंग से इन को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से प्राप्त हो सकें। यह को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया जिससे लोगों को सस्ते दामों में आर्टिकल्स उपलब्ध हो सकें, ब्लैक मार्केट जो करते हैं उन्हें बढ़ावा नहीं मिले और समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा किया जा सके। यहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने सन् 1966 में एक सहकारी बाजार की स्थापना की और उसी तरह के बड़े बड़े शहरों में, 10-15 शहरों में सहकारी बाजार की स्थापना की गयी। जयपुर के इस सहकारी बाजार की दस शाखायें खोली गयीं थीं। इसमें 14 हजार शेयर होल्डर्स ने करीब 1 लाख 90 हजार रुपये के शेयर लिया। इसमें सरकार ने 4 लाख 50 हजार रुपये लगाये और इस प्रकार कुल 6 लाख 22 हजार 500 रुपये से इसका काम स्टार्ट किया। मान्यवर इसमें हर साल घाटा ही घाटा हुआ। उसके मैनेजमेंट के लिए एक असिसटेन्ट रजिट्रार को-ऑपरेटिव विभाग को ओन डेपूटेशन मैनेजमेंट इन्चार्ज की हैसियत से रखा गया। मान्यवर स्थिति ऐसी थी कि उससे घाटा ही घाटा होता गया। उसमें जो सदस्य थे उनको कभी भी विश्वास में नहीं लिया गया और पिछले सात सालों से आज तक उसका चुनाव नहीं कराया गया। इसके अलावा जो घाटा हुआ उसका मेन कारण यह था कि ऐसी चीजें पर्चेज की गयीं जिनकी डिमान्ड्स नहीं थीं और वह पड़ी रहीं। इसके अलावा इसका मिस-मैनेजमेन्ट ऐसा रहा कि उसमें घाटा ही घाटा होता गया। मान्यवर, इस सहकारी बाजार की सन् 66-67 में 47 लाख की सेल हुई और घाटा 80 हजार का हुआ। 67-68 में 44 लाख सेल हुई 1 लाख 9 हजार घाटा हुआ। सन 68-69 में 18 लाख की सेल हुई 2.17 लाख का घाटा हुआ। 69-70 में 15 लाख की सेल हुई, एक लाख 40 हजार का घाटा हुआ। इसी प्रकार 70-71 में 11 लाख रुपये की सेल हुई और लॉस हुआ एक लाख 80 हजार रुपये का 71-72 में 10 लाख की सेल हुई, 1 लाख 15 हजार का लॉस हुआ। सन् 72-73 में 12 लाख की सेल हुई और घाटा हुआ 60 हजार का, मान्यवर, आप देख रहे हैं कि सिन्स 66 से लेकर 72-73 तक लगातार लॉस हो रहा है। अब पोजीशन ऐसी हो रही है कि इसका लिक्वीडेशन हो जायेगा। अब इसकी लायबिलिटी तो है 15 लाख की और एसेट्स इसके हैं 3 लाख के। अब राज्य सरकार अगर इसका लिक्वीडेशन करती है तो वहां जो एम्प्लाइज हैं उनका क्या होगा ?

(5.46 बजे सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

तो मेरा निवेदन है, मान्यवर, इसका लिक्वीडेशन करने के बजाय जो आपने फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के फर्स्ट इयर में दो सुपर-बाजार एस्टेब्लिश करने के लिये व्यवस्था

(श्री केदारनाथ)

रखी है तो उन नये सुपर बाजार खोलने से अच्छा तो यही है कि आप इस जयपुर के सहकारी बा ार को वापिस खड़ा करने की कोशिश करें। आज उनके एम्प्लाइज को निकालने से प्रॉब्लम पैदा होगी, वह नहीं होगी। वरना आपको पैसा देना पड़ेगा तथा साथ में आपको उन्हें एम्प्लायमैन्ट देने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप इसे वाइन्ड अप नहीं करें। नया बाजार खोलने के लिये आपको एक नया मकान लेना पड़ेगा जिसमें आपको पांच हजार रुपये किराया देना पड़ेगा। करीब ढाई लाख रुपये के फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा और भी खर्च करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ, मान्यवर, चाहे तो आप ख़ुद इसके मैनेजमैन्ट को अपने हाथ में ले लें या चाहें तो वहां के एम्प्लाइज इस बाजार को चलाना चाहते हैं, आप उन्हें मौका दें। या चाहें तो जो उस सहकारी बाजार के सदस्य हैं उनको आप मौका दें। या आप चाहें तो इसके लिये एडहॉक कमेटी बनाकर उसको चलायें। इसके अलावा एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इसके अन्दर घाटा क्यों हुआ? इसकी जांच करायी गयी। उसके इन्चार्ज नायर साहब थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। मैं समझता हूं शायद गवर्नमैन्ट ने उसे देखा नहीं या उस पर क्या एक्शन लेना है वह तय नहीं किया। वैसे इसके बारे में हमारे विधान सभा की पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी ने भी काफी डिटेल्स स्टडी की और उसने अपने फाइन्डिग्स में कहा लास्ट पेज में कि सारा का सारा को-ऑपरेटिव डिपार्टमैन्ट के डेपुटेशन पर आये व्यक्तियों की गलती से ऐसा हुआ। तो इसके लिये आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं? आप को-आपरेटिव डिपार्टमैन्ट के ऑफिसरों के खिलाफ क्यों नहीं इन्क्वायरी कर रहे हैं? लेकिन अगर आप को-ऑपरेटिव डिपार्टमैन्ट के ऑफिसरों के खिलाफ को-ऑपरेटिव डिपार्टमैन्ट के ऑफिसरों से ही जांच कराते हैं तो क्या फायदा? तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अब उस सहकारी बाजार में जो काम कर रहे हैं उनकी सेलेरी देनी मुश्किल हो रही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वापिस शुरू करें। पहले इसके पास अभी गेस का काम भी था वह भी अब बन्द हो गया है। तो कम से कम गैस सप्लाई का काम तो रहने दो ताकि उनके एम्प्लॉइज को तन्खवाह तो मिलती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर हो गया है अतः मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस सहकारी बाजार को वापिस खड़ा किया जाय।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर आज हमारे जयपुर की पॉपूलेशन बढ़ती जा रही है इससे जयपुर के आसपास के छोटे एग्रीकल्चरिस्ट की काफी जमीनें आ गयी हैं मेरा निवेदन है कि अब चूंकि इधर दूसरे टैक्स की लग रहे हैं और उन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हैं तो इसके लिये मेरा सुझाव है कि इनकी को-ऑपरेटिव बनाकर इसमें बी. एस. सी. एग्रीकल्चरिस्ट्स को लेकर खेती करायी जाय। को-ऑपरेटिव बेसिस पर या एक्स मिलट्री पर्सनल्स की को-ऑपरेटिव्ज बना कर इन्टैसिव खेती करायी जाय अन्यथा उन लोगों को बहुत ही मुसीबत होने वाली है। अन्त में मान्यवर मैं यही कहूंगा कि फिफ्थ

(श्री केदारनाथ)
फाइवडयर प्लान के जो सुपर बाजार खोलने हैं उसमें एक को उसी जयपुर के सहकारी बाजार को लेकर शुरू किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं निवेदन करना चाहूंगा सिर्फ दो तीन मिनट ही लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये। श्री सुरेशचन्द्र !

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : महोदय, आज सदन में सहकारिता विभाग और पंचायत तथा डेवलेपमेन्ट डिपार्टमेन्ट की मांगों के संबंध में चर्चा चल रही है। इस संबंध में मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं बहुत अधिक नहीं बोलकर थोड़े ही में निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि और भी माननीय बोलने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज हिन्दुस्तान में सर्व प्रथम राजस्थान में ही शुरू हुआ है। और अब मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज उसी प्रदेश के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर उसके कार्यकलापों का अध्ययन करते है। देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस सालों में हमारे यहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए और लोगों में इसकी आस्था ही उठ गयी। मैं तो ऐसा कहूंगा कि हमारे यहां से पंचायती राज का जनाजा ही निकाला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंचायती राज में जनता का विश्वास उठ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश विश्व में डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला सबसे बड़ा देश है जहां पर हम विधान सभा के चुनाव कराते है, पालियामेन्ट के चुनाव कराते हैं तो क्या हम पंचायतों के चुनाव नहीं करा सकते हैं ? यह बड़े दुःख की बात है आप पंचायतों के चुनाव टाल रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के चुनावों को लेकर सदन में भी काफी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की और कहा कि पंचायतों की हालत खराब है। आज आप उनके लिये कमेटी गठित करते हैं, वह अपनी रिपोर्ट देती है पर आप कुछ नहीं करते है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इन पंचायतों को सक्रिय नहीं करेंगे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय आज आपकी पंचायतों के पास क्या काम है या तो सीमेन्ट के परमिट दो, या टयूब्य टायर बांटो या अध्यापकों को तनखवाह दे दें। मेरा निवेदन यह तो कोई काम नहीं है। अगर आप इसे शक्ति से चलाना चाहते हैं तो आपको इसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। अभी आपने श्री गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी एपॉइन्ट की उसने अपनी रिपोर्ट दी। अब अभी चूंकि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर मुक्कमिल तरीके से विचार कर उन्हें लागू करें मुझे ऐसा लगता है कि वह रिपोर्ट भी आगयी है न तो राज्य सरकार ने कुछ कहा है उसके बारे में न मन्त्री महोदय ने ही उसके बारे में इतने दिनों कुछ कहा तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार पंचायती राज को समाप्त करना

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

चाहती है और अगर आप वास्तव में पंचायती राज को बढ़ावा देना चाहते है तो आपको अपने प्रजेन्ट पचायती राज के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। लेकिन अभी तक शायद मन्त्री महोदय की समझ में यह बात नहीं आती हैं। इस प्रकार इस पचायती राज में कोई भी अधिकारी चाहे वह शिक्षा प्रसार अधिकारी हो चाहे वह शिक्षा अधिकारी, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो और कोई हो, कोई भी जिम्मेदारी से काम नहीं करता है। न ही अलग अलग विभाग हैं। न सरपंच मीटिंग में भाग लेते हैं, न ही कोई नियन्त्रण है। न ही कोई मीटिंग होती है। महीनों तक मीटिंग नहीं होती है। और इस पंचायती राज की जो दुर्दशा हो रही है वह हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पंचायतों की हालत तो इस रूप में कर दी है कि कोई पटवारी रिपोर्ट करता है, कोई ग्राम सेवक रिपोर्ट करता है वह तो सही है किन्तु यदि सरपंच रिपोर्ट करता है उसको कोई मान्यता ही नहीं दी जाती है।

एक ग्राम पंचायत के लिए निवेदन करना चाहूंगा। 2 बीघा सब्जी मण्डी के लिये जमीन एक्वायर की। सब्जी मंडी के नाम से पचास हजार की जमीन थी उसको एक्वायर किया। आज वहां चाय की दुकानें हैं, उस जमीन पर सब्जी की कोई भी दुकानों नहीं है। प्रश्न के जवाब में मन्त्री महोदय कहते हैं कि दुकानें बन गयी हैं। मंत्री महोदय सब्जी मण्डी के लिए एक्वायर की गयी जमीन में कोई भी एक भी सब्जी की दुकान हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। सदन के अन्दर इस प्रकार मुगालता नहीं दिया जाना चाहिये। आप अधिकारियों से जवाब तलब कीजिये। एक भी सब्जी की दुकान नहीं है जबकि सब्जी मण्डी के लिए सब्जी की दुकानों के लिए जमीन एक्वायर की गयी। यह क्यों नहीं कहते हैं कि आपको गलत सूचना दी गई है अधिकारियों की ओर से ? आपको चाहिये कि आप कृपया इसको पुनः देखें।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष जी, सहकारिता के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों की ओर से बहुत सी बातें कही गई हैं। यह सही है कि सहकारिता को जो महत्व दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि सहकारी आन्दोलन में जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है वे ही आज भी वहा पर बरकरार छाये हुए हैं। 6 साल के लिये कानून बनाया लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। सहकारिता के आधार पर वितरण आदि की इन्टरनल व्यवस्था आप करना चाहते हैं तो इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। सहकारिता के जरिये से वितरण व्यवस्था हो तो व्यापारी वहां बैठे हैं वे नहीं चाहते हैं कि इनके जरिये से वितरण व्यवस्था हो। वे इसको हर तरह से फेल करना चाहते हैं। इन पदाधिकारियों को बदनाम करते हैं ताकि आवश्यक पदार्थ उनके जरिये से न बच जांय। ग्राम सहकारी समितियों के पास कोई चीज नहीं है। इसलिये आपको इनको जिन्दा रखना है तो सही प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। व्यापारियों से कर्जा लेते हैं व्यापारी ही इसका संचालन करते हैं। आपके कागजों में केवल सहकारी समिति काम करती है। वास्तव में प्रेक्टिकल रूप में नहीं हैं। सहकारी आन्दोलन सफल हो तो इसमें परिवर्तन

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

आपको लाना होगा और इनको कुशल बनाना होगा तब ही यह आन्दोलन आगे बढ़ सकता है।

गृह निर्माण समितियों के लिये बहुत कुछ कहा गया है। मकान बनायेंगी और उससे हरिजन और गरीब तबके के लोग फायदा उठायेंगे। अन्य लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रोसिजन आपने बनाया है उससे आम आदमी फायदा नहीं उठा सकते हैं और जो फायदा गरीब तबके को मिलना चाहिये वह न तो आज तक मिल सका है और न ही मिलने वाला है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आप लाभ देना चाहते हैं उनको वास्तव में इनसे लाभ मिले तो आपको उसके लिए उसी प्रकार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

एक ही परिवार के लोग सहकारी समिति के सदस्य बन जाते हैं और इस तरह से पैसे का फायदा उठाते हैं। अनेकों उदाहरण आपको इसके लिये दिये जा सकते हैं।

जयपुर सहकारी बाजार के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लाखों रुपयों का इस बाजार में घाटा है। लाखों रुपया यह हर साल नुक्सान देता रहा है। 66 में शुरू हुआ। 72 में कहा गया कि इसको बन्द किया जाय। 74 आ गया है लेकिन कोई अब तक इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है। आप यह सोच लीजिये कि यह नहीं चलने की स्थिति में है तो आप इसको बन्द कर दीजिये। इसमें लाखों रुपयों का गबन है। स्टॉक का वेरीफिकेशन नहीं। सामान गायब है। ऐसी स्थिति राजधानी में चले, विभाग के हाथ में जिसका नियन्त्रण हो, एक तरह के अधिकारी यहां पर काम करते हों और यह स्थिति जिस सहकार बाजार की हो तो आप ही सोच सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अन्य गांवों में और कस्बों की सहकारी दुकानों की क्या हालत होगी? इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहां पर और यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि इसके लिये क्या कदम उठाना चाहिये। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह खुले आम जनता के धन का दुरुपयोग है। सरकार और उसके अधिकारियों की मिली भगत है। इस कारण इस प्रकार के भयंकर इस बाजार में स्केन्डल होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और न ही इसको बन्द करने का या सही करने का निर्णय लिया गया। यह हालत वास्तव में बड़ी दयनीय हालत है। यही कारण है कि आज सहकारी समितियां बदनाम हैं। सहकारी आन्दोलन इसी कारण से आज बदनाम है। खुल कर सरकारी पैसे का और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इससे समाज को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है और उसका परिणाम यह होता है कि सरकारी संस्थायें पूरी तरह से बदनाम हो गयी हैं। वास्तव में काम करना चाहते हैं, चाहे वितरण की व्यवस्था का काम हो, आम जनता की सेवा करने का काम हो, गृह निर्माण का काम हो, तो उसके लिये आपको समुचित व्यवस्था करनी होगी और ऐसे बाजारों के लिये तो आपको शीघ्र से शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे और आयन्दा के लिये जनता के धन के दुरुपयोग बचायेंगे।

वितरण व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता में बैठे हुए लोग हैं, राशन आदि देने का जिनके हाथ में कार्य है वे उन अधिकारियों को वे राजी

Page No 136

[redacted]

136

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

नहीं कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सहकारी समितियां, जिन्होंने वितरण का काम अपने हाथ में लिया है, अपने काम को सुचारु रूप से नहीं कर पाती हैं और न ही उनसे जनता को लाभ पहुंच सकता है। नतीजा यह होता है कि व्यापारी, जो उनको हर तरह से फेल करने पर तुले हुए रहते हैं, सारा कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और इनकी यह दुर्दशा हो जाती है। इसलिये हम यह चाहेंगे कि सहकारी संस्थाओं को वितरण के कार्यों के लिये आवश्यक पदार्थों में पूरी तरह से प्राथमिकता मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

इस सम्बन्ध में हमको दृढ़ता से निर्देश देने होंगे। जब मंत्री महोदय से पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि आदेश दे दिये गये हैं। किसी से पूछा कि क्या आदेश आये हैं, पालना होती है कि नहीं ? तो वास्तव में यह देखा गया है कि किसी भी तरह की पालना नहीं होती है। माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं कि आदेशों की पालना नहीं होती है। आदेश तो दे देते हैं लेकिन आप साल दो साल में तपाश तो कीजिये कि पालना हुई है या नहीं। सदन में केवल मात्र यह कह देने से कि आदेश दे दिये पालना तो नहीं हो जाती। आपको देखना चाहिये कि पालना हुई है उन आदेशों की या नहीं ?

इसलिये मैं काफी समय न लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं की जो आज खस्ता हालत है वास्तव में यदि इनको आप जिन्दा रखना चाहते हैं तो आपको इनमें ताकत का इन्जेक्शन देना होगा तब ही जाकर ये क्रियाशील हो सकेंगी। यदि दोनों को ही लकवा मार गया है तो फिर हालत सुधरने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सहकारी बाजार के सम्बन्ध में कट मोशन दिये हैं। वैसे तो आज जो मांगें सदन में प्रस्तुत हैं उनकी काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है और उस पर अधिक समय तक बोलना भी नहीं चाहूंगा। मुख्य रूप से कुछ तो पंचायत राज के बारे में और कुछ सहकारी बाजार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

1966-67 में जयपुर का यह सहकारी बाजार खुल गया। और भी दस जगह खुल गये। पर आखिर में वे सब सिकुड़ गये और आज केवल तिलक नगर का एक बाजार रह गया है। सारे भारत में ये सहकारी बाजार खोले गये चाहे सुपर मार्केट के नाम से, चाहे सहकारी बाजार के नाम से। चाहे दिल्ली का बाजार हो, चाहे जालन्धर का, चाहे भारतवर्ष के किसी भी अन्य शहर का। मेरे पास समय थोड़ा है, नहीं तो इन सहकारी बाजारों की मुकम्मिल लिस्ट और आंकड़े प्रस्तुत करता। इस समय मैं केवल राजस्थान के ही एक सहकारी बाजार का जिक्र करूंगा जिसमें 12 लाख का घाटा है और, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सरकार के नोटिस में नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। अब न तो उसका चुनाव हुआ, न और कुछ। यह सीधा को-ऑपरेटिव विभाग

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे रहा और इतना ही नहीं, आज के स्वास्थ्य मन्त्री और उस समय के विधायक श्री मोहन छंगाणी ने शंकरन साहब को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा था जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि The way, this Sahkari Bazar has been run by the management, has brought shame and dishonour to the Co-operative movement.

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी कमेटी भी एक बैठी। इस बारे में सदन में सारी बातें काफी सदस्यों ने स्पष्ट रूप से भी रक्खी हैं। इस सहकारी बाजार के पास इस प्रकार की एजेन्सियां थीं जिनको लेने के लिये अन्य लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं जैसे इण्डेन गैस। इसमें कोई घाटे का प्रश्न नहीं है। इसके साथ शक्कर का कोटा इसे मिला हुआ है। सारे भारत में लोग जानते हैं कि 30 पर्सेन्ट का खुला कोटा सरकार क्यों मिल मालिकों को देती है। अगर गंगानगर शुगर मिल में चुकन्दर शुगर की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, उसके हिसाब से डिस्टिलरी अगर घाटे में रन कर रही है तो यह 30 पर्सेन्ट का चीनी का कोटा ही अकेला ऐसा है जो मिल के सारे घाटे को कवर करता है। इस प्रकार का आइटम इस बाजार के पास होते हुए भी 12 लाख का घाटा समझ में नहीं आता। आज इसके 14 हजार सदस्य पूछ रहे हैं कि हम अपने शेयर इसमें से निकाल लें या क्या करें? इसके स्टॉफ के 35 कर्मचारी अधर में लटक रहे हैं आज। वे कह रहे हैं बाजार बन्द होगा या चलेगा? जरा आप गौर से फरमाइये जो थोड़ा सामान इसने खरीदा और बेचा और जिसमें घाटा उठाया।

इस बाजार ने होजरी 5 हजार की, ऊनी होजरी 20 हजार की, दवाइयां 5 हजार की, अगरबत्ती 2 हजार की, सूती कपड़ा 1 लाख 30 हजार का, चांवल 10 हजार का, लाल मिर्च 5 हजार की, हिंडोलियम 3 हजार का, सूती होजरी 8 हजार की, होजरी पर पूरा जोर है, ऊनी कपड़ा 1 लाख का, पान 10 हजार के, शरबत 30 हजार का, काली मिर्च 30 हजार की, खरीदी।

अब घाटा किस तरह से हुआ यह सुन लीजिये। किशमिश में घाटा 10 हजार का एक साल की खरीद में, चांवल में 85 हजार का, और 70 हजार का एक ट्रक 34 हजार में बेच दिया उसका घाटा, शो केस में 5 हजार लग गये। ऊनी कपड़े में और ऊनी होजरी में हजारों का नुकसान है, 25 हजार का कहीं नहीं सुना हिन्दुस्तान के किसी मार्केट में कि ऊनी कपड़ों में किसी ने नुकसान उठाया हो। भारत में यह पहला मार्केट है जिसने ऊनी कपड़ों की सेल में नुकसान दिया हो। मैदे में 8 हजार का घाटा, सड़ गया था इसलिए गटर में डालना पड़ा, और वकीलों पर 12 हजार का खर्चा अब वकील क्या करते रहे वहां? जबकि एडमिनिस्ट्रेशन था सारा सरकार के हाथ में यह कौनसी व्यवस्था है?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : काफी अच्छे डिटेल में बोल रहे हैं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में यह मामला आया था। वे कर्मचारी जो वहां काम करते हैं सहकारी विभाग के अन्दर, वे विभाग के अधिकारियों को वहां घुसने नहीं देते? क्या यह सच है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बिलकुल सच है। आपस में उनमें भारी कशमकश है। यह किसी हद तक सही है। यह तो सरकार का सहकारी विभाग का प्रशासन है। कैसे सरकार चलती है और सहकारी विभाग चलाती है इसका नाक के नीचे यह उदाहरण है। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां के मैनेजर साहब ने अपने लड़के की दुकान से करीब 6 हजार का होजरी का सामान खरीद लिया। और दूसरे इस प्रकार के अनेकों घोटाले इसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर सरकार इस बाजार को बन्द नहीं करना चाहती तो मैं पूछना चाहता हूं कि इण्डेन गैस की एजेन्सी इस बाजार से छुड़ाकर नवलगढ़ ठाकुर साहब को क्यों दी जा रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाकी तो सब सही मान रहे हैं न ? यह भी सही है। 9 हजार रुपया महीने में यह उनको सौंप दी गई है। यह मेरी सूचना सही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी जानकारी गलत है। जहां तक मेरी जानकारी है चूंकि सहकारी बाजार ठीक प्रकार से इस एजेन्सी को नहीं चला पा रहा है इसलिये राजस्थान स्टेट मार्केटिंग सोसायटी को देने की जरूर बात थी। उसका प्रबन्ध यह सोसायटी ऑन बिहाफ ऑफ बाजार करेगी, खर्चा जो होगा वह बाजार के नाम लिखेगी और आमदनी होगी वह भी उसके नाम से जमा करेगी।

एक माननीय सदस्य : इसका अर्थ यह हुआ कि जो आंकड़े हांडा साहब दे रहे हैं वे सभी सही मान कर आप चल रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं जा रही है तो धन्यवाद के पात्र हैं आप। लेकिन मेरे पास यह सूचना थी कि या तो नवलगढ़ के ठाकुर साहब को दे दी जावेगी या पंडित गैस वालों को या इन दोनों को यह एजेन्सी दी जाने वाली थी।

श्री रामकिशन : पंडित नहीं, पंडिताइन कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंडिताइनों का चक्कर आपके सिर में है। मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। यह अच्छा नहीं है।

35 कर्मचारी इस बाजार में हैं। उनकी तनख्वाह इसी एजेन्सी के प्रॉफिट से चलती रही है। सात हजार की मन्थली सैलेरी इसी से पे होती है। 9 हजार रुपया मासिक आमदनी इससे है। अब इस एजेन्सी को मन्त्री महोदय सहकारी बाजार से शिफ्ट कर रहे हैं। नवलगढ़ के जागीरदार को नहीं दे रहे हैं यह तो खुशी की बात है, पंडितजी को भी नहीं दे रहे हैं यह और भी प्रसन्नता की बात है। पूरा हंगामा बन जावेगा अगर इन पंडिताइनजी का रिश्ता मैं किसी मिनिस्टर से कायम करने लगूंगा तो। इसलिये इसमें मैं नहीं जाऊंगा।

पर एजेन्सी सहकारी बाजार से आप रिमूव कर रहे हैं इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप इस बाजार को क्लोज अप करना चाहते है क्योंकि इसके बाद कोई इनकम इसमें नहीं रहती। अब इन 35 सदस्यों का आप क्या करेंगे यह और बता दें अपने उत्तर में।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक न कहते हुए मैं तो यही कहूंगा कि मोहन छंगाणी ने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जैसे पहले लिखा है बड़ी कट्टरता और कठोरता से आप इसकी छानबीन करें कि कौन इस सबके लिये जिम्मेदार है, इन सारे घोटालों और गबनों के लिये ? पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इस बाजार के हिसाब की जांच करनी चाही लेकिन यह लज्जाजनक बात है कि जांच के नाम पर कोई हिसाब के कागज कमेटी को नहीं दिये गये। समय नहीं है इसलिये डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं सारे रिकार्ड छिपा कर रख दिये गये। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को भी रिकार्ड नहीं दिया गया। उसे घुसने तक नहीं दिया गया। हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश सम्भव हो जाता है लेकिन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी सहकारी बाजार में प्रवेश भी नहीं कर पाई। मैं उस वक्त नहीं था नहीं तो इधर उधर मामला हुआ होता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किशमिश के मामले में पढ़ गये ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गटर में डाल दी गई वह किशमिश।

अन्त में यह कहता हुआ अर्ज करूंगा कि को-ऑपरेटिव मूवमेंट के माथे पर जो कलंक है, उस कलंक को धोना आवश्यक है। इस बाजार को बन्द नहीं किया जाय। कितना गबन हुआ है, कितने घोटाले हुये हैं उनको चैक-अप किया जाय और चैक-अप करके लायबिलिटीज फिक्स करके जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाय और इस सहकारी बाजार को चलाया जाय। बल्कि सहकारी बाजार सारे राजस्थान में चलाये जायं। और मैं यह कहूंगा जो जिम्मेदार हैं उनको एक्जम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए ताकि राजस्थान के अन्य सहकारी बाजारों में इसका सीधा असर पड़े और सहकारी बाजार चलाये जायं। आज बाजार में आमी वस्तुयें दुर्लभ हैं। ब्लैक में मिलती नहीं। सहकारी बाजार का अपना महत्व है, उसके महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे समय में इसकी कार्य प्रणाली को बदलना आवश्यक है।

अगर इस समय इस सहकारी बाजार को ठीक करके जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को उपयोग की वस्तुयें उपलब्ध नहीं कराई गई, तो सरकार की नीति की खामी है।

अन्त में मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुये केवल एक अर्ज करूंगा। पंचायत के इलेक्शन का सरकार का जैसा इरादा है वह इरादा स्पष्ट नजर आ रहा है लेकिन मेरी सिफारिश है 10 साल में जब काश्तकारों को खातेदारी राइट्स मिल गये तो अब 10-10 साल के पंचों को, सरपंचों को खातेदारी राइट्स एप्रूव कर देने चाहिए। 10 साल की इनकी मियाद हो गई.........

एक माननीय सदस्य : 6 महीने कम हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 6 महीने पट्टे देने में लग जायेंगे। और अर्ज कर दूं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
कि XXX होता है। आज के सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख XXX हो चुके हैं। XXX के कान में एक बाली होती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रमुख के लिये सोने की बालो, प्रधान के लिए चान्दी की बाली और बेचारे सरपंच के कान के लिये पीतल की बाली और पंच के लिये ताम्बे की बाली बनवा कर उनके कान में डाल दीजिये और फिर XXX को मुक्त छोड़ दें ...

(कई मा. सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर अश्रव्य) अब XXX जो करेगा वह खुद ही कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य: यह बाली आपको डालनी पड़ेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : खुद चौधरी साहब होशियार हैं, वे कान फाड़ फाड़ कर कर डाल देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

केवल दो मिनिट और लूंगा एक प्रसिद्ध पंचायत समिति है सूरतगढ़। सूरतगढ़ पंचायत समिति का बी. डी. ओ. अमर है जब से पंचायत समिति बनी है वह बी. डी. ओ. साहब की जागीर है। कोई मन्त्रिमण्डल आये, कोई मंत्री जाये, उन बी. डी. ओ. साहब को नहीं बदला जा सकता है। वहां का प्रधान अमर, वहां का प्रमुख अमर तो फिर उनके लिए डबल साइज की बाली बनानी चाहिये ...

श्री केदारनाथ : नाम बता दीजिये

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बीरबल साहब हैं, सब जानते हैं। अभी अभी हाल में कलेक्टर, गंगानगर और बी. डी. ओ. ने बीज की खरीद में 5 लाख का घोटाला किया है। वह मैं अब मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा ...

श्री रामनारायण चौधरी : सूरतगढ़ का है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सूरतगढ़ का यह सारा मामला, सारे रेकार्ड एन्टीकरप्शन में पड़े हुए हैं।

श्री रामकिशन : आप यह बता दें। कौनसे कान में डालनी चाहिये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब आपको जो पसन्द आ जाय। दोनों में ही डलवा दीजिये।

सूरतगढ़ तहसील के 70 अकालग्रस्त गांवों के लिये ज्वार, बाजरा और मोठ के बीज खरीदे गये। स्वयं बी. डी. ओ. ने घोषणा की ज्वार का भाव 130) रु. क्विन्टल, बाजरा 160) रु. और मोठ का भाव 170) रु.। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी टेन्डर्स का एक नाटक किया गया। एक रजियासर के मुखिया के 5-6 टेन्डर्स लिये गये। एक ही स्याही, एक ही दिन और एक ही पैकेट के टेन्डर लिये गये और टेन्डर लेने के बाद 160) रु., 140) और 170) रु. थे वह 173) रु., 180) रु. और 250) रुपये के हिसाब से ज्वार, बाजरा और मोठ खरीदा गया। इस प्रकार 20 हजार क्विन्टल बीज की खरीद में पांच

XXX मा. अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लाख का घोटाला किया गया। बीज की खरीद 30-30 मील दूर रजियासर में की गयी। आज तक नहीं सुना गया। जितने बीज की खरीद की जाती है वह पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर की जाती है लेकिन इसकी सप्लाई 25-30 मील दूर से ली गई और उन्हीं बी. डी. ओ. के भाई तहसीलदार हैं। उनको ढुलाई का काम दिया गया और ढुलाई का 40 हजार का पेमेन्ट दिया गया। अब क्या करें ? रजिस्ट्रार, रेवेन्यू बोर्ड श्री रूपचन्द माथुर हैं। अब उनके भ्राता बी. डी. ओ. उन्हीं के भ्राता तहसीलदार और यह उनकी जागीर है। जब से पंचायत समिति बनी है तब से वहीं पर बैठे हुये हैं। अब तो सुना है सरकार कलेक्टर बना कर भेज रही हैं। वैसे तो राजस्थान केनाल में दो हजार बीघा जमीन दबा रखी है। सारा गंगानगर इस बात को जानता है।

इस बीज के घोटाले के सम्बन्ध में इतनी ही बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, जमीदारों को यह बीज जबरदस्ती दिया गया और ऊंचे भाव पर दिया गया। जब बाजार में इतना सस्ता मिल रहा था तो किसान ने महंगे भाव पर लेने से इन्कार कर दिया। फिर सरकार के आदेश के अनुसार, सरक्यूलर 12-6-73 का है नं. एफ. 2 आर. एग्रीकल्चर / सी. आर.-II, 73, कोई भी बीज है वह बाजार भाव से खरीदा जाय, भारतीय खाद्य निगम से खरीदा जाय और ज्यादातर खाद्य निगम से खरीदा जाय, एग्रीकल्चर फार्म से खरीदा जाय और, उपाध्यक्ष महोदय, हर बीज के जर्मीनेशन के 8 सैम्पिल लेने जरूरी थे लेकिन इन तीनों के सैम्पिल लिये ही नहीं हैं और जर्मीनेशन का टैस्ट कहां कराया गया। गंगानगर की रिसर्च लेबोरेटरी है गंगानगर में हर प्रकार के बीज का रिसर्च का नतीजा मौजूद है लेकिन इसके जर्मीनेशन का टैस्ट, वह भी 8·8 सैम्पिल का, एक, एक, सैम्पिल का सूरतगढ़ के फार्म पर करवाया गया और उसकी रिपोर्ट आज तक सदन में नहीं पहुंची।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने ऐतराज किया, एन्टीकरप्शन ने रेकार्ड सीज किया। ऐडीशनल कलेक्टर ने जांच करनी चाही। उन्होंने घोषणा की थी कि सीधा 5 लाख का गबन है। तो ऐडीशनल कलेक्टर का कलेक्टर ने उनके घर से सामान निकलवा कर सड़क पर फिकवा दिया और एडीशनल कलेक्टर जांच कर रहे थे और गंगानगर के कलेक्टर प्रधान के काम में हिस्सेदार बन चुके थे। आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा एडीशनल कलेक्टर का सामान कलेक्टर निकलवा दें, कई चैनाराम हैं। लेकिन गंगानगर के कलेक्टर ने एडीशनल कलेक्टर का सारा सामान सड़क पर फिकवा दिया।

अंत में मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यह अर्ज करूंगा कि पंचायती राज का इलेक्शन करवा डालिये और जल्दी से जल्दी करवा डालिये क्योंकि यह जो कमेटी बनाने का आपका धंधा है, कमेटी बनाई, रिपोर्ट ली, कमेटी भंग, रिपोर्ट गायब। आज कम से कम इस रिपोर्ट को बनाने वाले सदस्यों में से दो सदस्य मंत्रिमण्डल के अन्दर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट बड़ी एम्बीशस बनी और 50 प्रतिशत रेवेन्यू देने की बात है जिला परिषयों को और दूसरे बहुत से टेम्पटेशन्स हैं और बहुत इकॉनामिक सोर्सेज जनरेट करने के लिए टेम्पटेशन हैं, वह टेम्पटेशन तो पूरे नहीं कर सकते लेकिन चुनाव तो करवा डालिये। और क्यों

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
जनता की आस्था प्रजातंत्र के प्रति समाप्त करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी।

श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक मिनट ही निवेदन करना है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले में लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना है.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !.

श्री योगेन्द्रनाथ-हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो घोषणा की है कि कांग्रेस (ओ.) को भंग करके उधर आ रहे हैं तो इनकी बात तो सुन लीजिए।

श्री झाबरमल सुंडा : माननीय उपाध्यक्ष जी, को-ऑपरेटिव मुवमेन्ट के बारे में दो बातें करना चाहता हूं। पंचायतों के लिए तो हमने देख लिया कि सरकार गांवों की तरफ बिलकुल ध्यान जब तक नहीं देगी जब तक गांव खुद जागरुक नहीं बनेंगे। पंचायतों के चुनाव पचास साल भी नहीं करायेंगे अगर गांवों से मांग नहीं आयेगी आप चुनाव करायें या नहीं करायें, बेमानी बात है। इसलिए पचायत प्रकरण पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे मुख्य हैं क्योंकि गांवों में को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट वित्त का साधन है। तो मैं इसके लिए दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि अगर सरकार वास्तविक रूप से जनता को जिन्दा रखना चाहती है तो को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को सफल बनाने के लिए जो दो लेकुना रह गए जिनसे यह को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट पिछड़ गया, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस मूवमेंट को पुनर्जीवित करें। एक बात यह है कि को-ऑपरेटिव मूवमेंट पर एक पक्ष का कब्जा हो गया और दूसरे पक्ष को उसमें नहीं घुसने देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए चेष्टा नहीं की गयी कि पूरे गांव को ही उसका मेम्बर बनाया जाये इसलिए मैं यह चाहता हूं कि अभियान के रूप में सारा गांव उसमें शामिल हो और सारे गांव की को-ऑपरेटिव सोसाइटी बने इसके लिए डिपार्टमैन्ट को सचेत होना चाहिए।

दूसरा यह है कि जितनी भी सोसाइटीज लिक्विडेशन में आ गयी उन सोसाइटीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए गांव में किसी भी तरीके से को-ऑपरेटिव का जो जरिया है, वित्त का जरिया है वह खुलना चाहिए और इसलिए दूसरी सोसाइटीज उनकी जगह पर कायम की जायें। तो मैं यह चाहता हूं कि को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को सफल बनाने के लिए और पूरे के पूरे मामलों को देखने के लिए यह जरूरी है कि सारा गांव मेम्बर बने और जो लिक्विडेशन में सोसायटीज हैं उनको भंग करके नई सोसोइटीज बनाई जायें जिससे को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट सफल हो। इसके लिए एक चीज और है कि सहकारी संघ, जिसका राजधानी में दफ्तर होता है और सारे राजस्थान को कन्ट्रोल करता है और यहां पर बैठकर विचार करता है; को ज्यादा धन दिया जाये ताकि को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को ज्यादा बल मिले।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री झावरमल सुंडा : एक बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि को-ग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट में जो अनुभवी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको हटाने की बात कही गयी है। केबिनेट ने निर्णय ले लिया कि छः साल जिसको हो गये हैं वह हट जायें। वह नहीं हटे। मैं इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं, को-ग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट का मेरा बहुत नजदीक से अनुभव है, अध्ययन भी है और मैं को-ग्रॉपरेटिव में बहुत दिलचस्पी रखता हूं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। दूसरे देशों में जहां को-ग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट बहुत एडवान्स है, वहां 80 साल तक एक ही आदमी प्रेसीडेन्ट रहा है। तो जिनको अनुभव प्राप्त हो गया है उनको निकाल बाहर करेंगे तो आप को-ग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट को ठप्प कर देंगे। यह मन्शा प्रतीत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस नियम को हटा दिया जाये।

श्री केदारनाथ : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुना था कि इलेक्टेड आदमियों को XXX की तारीफ दी तो एम.एल.ए. भी उसमें आते हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली जिनको मान्यता प्राप्त है—माननीय सदस्य ने कहा, वह ठीक है लेकिन यह शब्द डीसेन्सी में नहीं आते इसलिए इनको एक्सपन्ज कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इनको प्रॉसीडिंग्स से एक्सपन्ज करने के मैं आदेश देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको एक्सपन्ज नहीं किया जाना चाहिए, मुझे सख्त ऐतराज है। यह ठीक है कि हम उनको XXX नहीं कहकर सांड कह दें तो वह माननीय केदार साहब अपने लिए कहलवाना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन मैंने व्यंग्य में कहा है और व्यंग्य में कहे हुए शब्द नहीं निकाले जाने चाहिए और हम तो प्रोफेसर साहब को सांड मानते हैं।

श्री केदारनाथ : पर्सनली तो कह सकते हैं। मैं ट्रिब्यूट देता हूं इसके लिए तो कि जो आपने शब्द कहे लेकिन सारे इलेक्टेड आदमियों को कहना गलत चीज है इसलिये आपने जो आदेश इनको एक्सपन्ज करने के लिए दे दिये हैं वह ठीक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आदेश दे दिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : XXX शब्द को हटाकर XXX रहने दें। व्यंग्य है और बिलकुल सद्भावना से कहे हुए हैं। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। मैं तो अर्ज करूंगा कि इस शब्द को हटाया ही नहीं जाये और यदि हटाना ही चाहते हैं तो XXX शब्द को हटा दें और XXX रहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दोनों को ही हटाने के आदेश दिये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फिर कौन से शब्द आये ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है फिर वाली किनके

XXX माननीय अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कानों में डाली जायेगी ? मैं न तो पच हूं, न सरपंच हूं। या फिर माननीय केदारजी के कानों में डालिये जो शब्द हटाना चाहते हैं। मुझे तो इसमें ऐतराज नहीं है। या तो प्रोफेसर साहब के दोनों कानों में सारी बालियां डाल दें। ××× यदि हटा दें तो ××× रहने दीजिए। इससे तो व्यंग्य ही समाप्त हो जायेगा और विट हम सदन में करते हैं उसकी कोई वेल्यू नहीं रहेगी।

श्री शंकरसिंह रावत : हम पंचों और सरपंचों के बलबूते पर ही तो जीत कर आते हैं उनका इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगों पर सहकारिता और सामुदायिक विकास दोनों पर 52 सदस्यों ने 175 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपका भ्रम है कि आप पंच और सरपंच के बलबूते पर जीतकर आते हैं। गुजरात में जो विधायक आये थे लोगों ने उनको घर के अन्दर बैठा दिया। आप दस पंचों और सरपंचों की बात करते हैं। जिनको जनता बदलना चाहती है, आप छूट नहीं सकेंगे।

श्री शंकरसिंह रावत : बदलना चाहते हैं तो बदलेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चुने हुये लोगों को पकड़ पकड़ कर लोगों ने घोरों में बिठा दिया।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज जनता की भावना चलेगी। इस प्रकार का झूंठा प्रजातन्त्र या इस प्रकार का खोखला प्रजातन्त्र चलने वाला नहीं है। कोई एम.एल.ए. बन जाय या मिनिस्टर बन जाय इससे चलने वाला नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज जनता को सरकार भोजन नहीं दे सके, खाने के लिए रोटी नहीं दे सके तो जनता एम.एल.ए. भी नहीं रहने देगी, मिनिस्टर भी नहीं रहने देगी। गुजरात ने इस बात को साबित कर दिया है। पकड़ पकड़ कर दस्तखत करवा लिए।···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रजातन्त्र की भावना से यदि जीवित रहना चाहें तो जीवित रह सकते हैं। एक ××× शब्द कहा गया तो पंडित जी गड़बड़ा गए। मैंने बिल्कुल उचित कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री जी।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगों पर सहकारिता और सामुदायिक विकास की मांगों पर 52 माननीय सदस्यों ने 175 कटौती प्रस्ताव पेश किए और 20 ने बहस में हिस्सा लिया। मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों और सदस्याओं का, बहस में भाग लेने वाले माननीय सदस्य और सदस्याओं का ...

श्री रामकिशन : सदस्या कहने की जरूरत नहीं है। यह सदस्य ही काफी है। फिर मन्त्राणी कहें ...

श्री रामनारायण चौधरी : आभारी हूं कि उन्होंने उपयोगी सुझाव ...

श्री रामकिशन : यह नारी का अपमान है।

श्री रामनारायण चौधरी : दिए और दोनों विभागों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध की है उसके लिए मैं आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान में पंचायती राज और सहकारी आन्दोलन दोनों के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंचायती राज के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते समय माननीय सदस्यों के दिमाग में चुनाव होने के अन्दर जो अनावश्यक देरी हुई है, वह पृष्ठभूमि रही है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को भूल गए हैं कि राजस्थान का निर्माण देशी रियासतों से आज से 24 वर्ष पूर्व जिन राजनैतिक परिस्थितियों में हुआ और उसके बाद हमने पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में भारतवर्ष में सबसे पहले की। देशी रियासतों में भारत के दूसरे हिस्सों के मुकाबले, जो सीधे अंग्रेजों की सरकार के नीचे थे, अपेक्षाकृत लोकल बॉडीज का विकास बहुत कम हुआ था। यू. पी., मध्य प्रदेश, बम्बई, बंगाल, बिहार और मद्रास, में जहां पर विदेशी शासन का जमाना था, स्वायत्त शासन की तरफ, लोकल बॉडीज की तरफ, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ ध्यान दिया गया था लेकिन राजस्थान में यह पंचायती राज राजस्थान बनने के बाद ही आया और सबसे पहले 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में हमारे देश के महान प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने ज्योति जला कर इसका शुभारम्भ किया था। उसके बाद पंचायती राज की शुरुआत अन्य प्रदेशों में भी हुई। लेकिन इस प्रदेश ने इस क्षेत्र के अन्दर कदम बढ़ा कर देश को एक दिशा दी। यह बात सही है जैसे कि माननीय सदस्यों ने यहां विचार व्यक्त किए हैं कि राजस्थान ने देश के दूसरे प्रदेशों को इस मामले में दिशा, मार्गदर्शन और नेतृत्व दिया है। यहां से लोग अध्ययन करके गए हैं और इस प्रकार अपने यहां पर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की है। फिर उन्होंने कहा कि आज वह समय भी आ गया है कि जब हम दूसरों के यहां देखने के लिए और सीखने के लिए जाते हैं। इसमें कोई अप्रिय बात नहीं है। जो शुरुआत हमने की थी उन हालातों में शुरुआत की थी, उसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में पंचायती राज का विकास हुआ तो जानकारी के लिए, हमारी जानकारी समृद्ध हो, हमारी जानकारी अधिक हो, इसलिए हमारे पड़ोसी राज्यों से हम जानकारी करके यदि अपनी जानकारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

बढ़ाने की चेष्टा करें तो कोई अनुपयुक्त बात नहीं होती है।

जो तस्वीर माननीय सदस्यों ने पंचायती राज के बारे में, पंचायत समिति और जिला परिषद्, ग्राम पंचायत के बारे में रखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के इन विचारों से सहमत नहीं हूं। आज भी राजस्थान के अन्दर जो जन जागृति है, आज भी राजस्थान के उन देहातों के अन्दर जहां पर कि गुलामी थी, आज भी राजस्थान के उन सुदूर दूर दूर बसे हुए छोटे छोटे गांवों में पंच और सरपंच प्रधान का जो महत्व हमारे जन जीवन में है, हमारे राजनैतिक जीवन में जो एक प्रकार का प्रभाव पैदा किया है, जो असर पैदा किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, पंचायती राज के चुनावों में देरी हुई है लेकिन फिर भी ये संस्थाएं, उन कर्तव्यों, को जो कर्त्तव्य इनको सौंपे गए हैं, भली प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार और इस सदन के माननीय सदस्यों की देख रेख में अच्छी प्रकार से पूरा कर रही हैं। आज हमें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम उस समय की बात करें जब कि पंचवर्षीय योजना में काफी धनराशि पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को गांवों के विकास को करने के लिए मिलती थी। वह चहल पहल, रौनक इसलिए नहीं रही कि पंचवर्षीय योजना के निर्माण और खर्चे में, पंचवर्षीय योजना की प्रायोरिटी में फर्क आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए वह कार्यकलाप, वह रौनक, वह चहल पहल पंचायत समितियों में नहीं रही क्योंकि धन का अभाव हो गया। इसलिए यह महसूस करते हैं कि पंचायती राज पिछड़ा है या पीछे गया है, यह बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने जो उपयोगी सुझाव दिए हैं, जो कटौती प्रस्तावों के द्वारा जानकारी उपलब्ध की है, उन सभी कटौती प्रस्तावों के मैंने उत्तर तैयार करवाये हैं। यदि मैं एक एक कटौती प्रस्ताव का उत्तर यहां पढ़ने की चेष्टा करूंगा तो मुझे भय है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अनुमति नहीं देंगे, इसमें काफी समय लगेगा। और सहकारिता के बारे में भी माननीय सदस्यों के जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके भी मैंने उत्तर तैयार करवायें हैं और सहकारिता और सामुदायिक विकास से सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों के उत्तर माननीय सदस्यों के पास अलग से भिजवाने की व्यवस्था करूंगा।

यहां संक्षेप में, और कुछ बातें विस्तार में मैं निवेदन करने की चेष्टा करूंगा। माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जी जैन ने आज की बहस की शुरुआत की और माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री झाबरमल सूंडा ने आज की बहस माननीय सदस्यों की तरफ से समाप्त की। श्री वृद्धिचन्द्रजी जैन ने अपनी बहस के दौरान में न्याय पंचायतों को खत्म करने का विरोध किया। जुडीशियरी के सेपरेशन की भावना का उल्लंघन बताते हुए सरकारी नीति में विरोधाभास का संकेत दिया, जीप्स कलेक्टर द्वारा ले ली जाती हैं आदि आदि बातें कहीं। माननीय उपाध्यक्ष, न्याय पंचायतों के बारे में दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। एक माननीय सदस्य ने विरोध किया और दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि ठीक किया है। बाकी माननीय सदस्यों

(श्री रामनारायण चौधरी)
ने कोई विचार जाहिर नहीं किए। तो मैं यही मानूंगा कि सरकार ने जो निर्णय किया है उसका समर्थन हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद काफी माननीय सदस्यों, श्री रामप्रसाद जी बोहरा, श्री अजीतसिंह, टौंक, श्री मूलचन्द सामरिया, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामकिशन, श्री उम्मेदीलाल, श्री शंकरसिंह रावत, श्री जान मोहम्मद, श्री रावतराम, प्रोफेसर श्री केदारनाथ, श्री सुरेश चन्द्र, कोटपूतली, श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और श्री भावरमल सूंडा ने अपनी बहस के दौरान जो बातें उठाई हैं, वह एक दो बातों को छोड़ कर ऐसी हैं जो जनरल हैं, साधारण हैं, इसलिए उनका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने और माननीय केदारनाथ ने सहकारी बाजार के बारे में विशेष तौर से अपने भाषण में जिक्र किया है। माननीय केदारनाथ जी ने सहकारी बाजार के कार्यकलापों के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था जिसके सिलसिले में माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि आज की बहस में जब मैं सहकारी विभाग की मांग के सम्बन्ध में उत्तर दूं तो उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कुछ बातें कहूं। माननीय सदस्यों ने सहकारी बाजार के बारे में चिन्ता व्यक्त की है और हमारी विधान सभा की पब्लिक अकान्ट्स कमेटी ने भी प्रतिवेदन विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया है उससे सहकारी बाजार की स्थिति का चित्रण हमारे सामने आता है। माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से कहा है। यह सही है कि सहकारी बाजार काफी घाटे में चल रहा है और इस वक्त लगभग 13 लाख का घाटा है। सरकार को सहकारी विभाग को इस घाटे की जानकारी न हो, यह बात नहीं है लेकिन बराबर इस बात की चेष्टा की जाती रही है विभाग की तरफ से कि किस प्रकार से इसको सुधारा जाये और कैसे इसको ठीक प्रकार से चलाया जाये। इस सिलसिले के अन्दर एक कमेटी का निर्माण किया गया था। योजना विकास समन्वय समिति की बैठक 24-9-73 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। सहकारी बाजार की स्थिति पर विचार किया जाकर कृषि उत्पादन सचिव की अध्यक्षता में उप समिति नियुक्त की गई जो इस भंडार के सभी पहलुओं पर विचार करके राय देगी कि कैसे इस भंडार को चलाया जाये या इसको अवसायन में लाया जाये। उप समिति ने विचार विमर्श करके राज्य सरकार को यह सिफारिश की है कि मौजूदा स्थिति में, जब कि भंडार में करीब दस हजार रुपयों की प्रति माह की हानि हो रही है, इसको तत्काल बंद किया जाए और उसके बाद इसको पुनर्जीवित किया जाए या अवसायन में लाया जाए इस पर विचार किया जाए। यह इस कमेटी की राय है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन को और सहकारिता को समाजवादी समाज रचना में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और इसीलिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। तो किसी एक कमेटी की राय पर, किसी एक सब-कमेटी के निर्णय पर हम यह अचानक ही निर्णय कर लें जिसकी वजह से इस मूवमेन्ट को, सहकारी बाजार जैसी जो एक राष्ट्रीय योजना है को धक्का लगे— इस पर गंभीरता

(श्री रामनारायण चौधरी)

से विचार करने की आवश्यकता थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर गंभीरता से सोचा गया और काफी सलाह मशविरा किया गया। इसके बाद यह तय किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सहकारी बाजार को अवसायन में नहीं लाया जाएगा, इसको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा लेकिन जिस रफ्तार से इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, उसे रास्ते पर, इस गाड़ी को किसी पटरी पर लाया जाए-तो इस प्रश्न पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि इस सम्बन्ध में कारगर कदम अविलम्ब उठाये जाएं कि इस घाटे को रोका जाए, कि इस स्थिति को सुधारा जाए और इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही करनी हो वह अविलम्ब की जाए। माननीय श्री हांडा साहब ने गैस की एजेन्सी के बारे में जिक्र किया और एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख इस एजेन्सी को देने के लिए किया। मैंने उसी समय प्रतिवाद के रूप में कहा था कि मेरी जहां तक जानकारी है, आप यह जो सूचना सदन के माननीय सदस्यों को दे रहे हैं, उसमें सच्चाई मालूम नहीं पडती। मैंने जानकारी की है, किसी व्यक्ति विशेष को सहकारी बाजार की गैस की एजेन्सी देने का कोई प्रश्न नहीं है और न ही यह प्रश्न उठ सकता है। हां, अलबत्ता यह बात जरूर है कि सहकारी बाजार की हालत आए दिन बिगड़ रही है और आज के दिन ऐसी है कि गैस जैसी जरूरी सप्लाई में कहीं बाधा न आ जाए। पहले ही जयपुर में ईंधन की कमी है और सहकारी बाजार ठीक प्रकार से अपने उपभोक्ताओं की सेवा नहीं कर पा रहा है। यह एक तथ्य है। अच्छे से अच्छे महानुभाव, अच्छे से अच्छे अधिकारी, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, सहकारी बाजार की गैस के उपभोक्ता हैं ……

श्री रामकिशन : आपका इस 'अच्छे से अच्छे' शब्द से क्या मतलब है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और सहकारिता में रुचि रखते हैं, को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, सहकारिता के काम में दिलचस्पी लेते हैं, वे सब लोग इसके मेम्बर हैं।

तो इनसे मेरा सम्पर्क हुआ और उन सबने एक राय से इस सेवा की शिकायत की। हम बडे तंग हैं। अस्थायी तौर पर सलाह ली गई और यह निर्णय हुआ कि सहकारी बाजार के बिहाफ पर, उसके नाम पर राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ इस एजेन्सी का काम करे और जब सहकारी बाजार की स्थिति ठीक हो जाए तो यह एजेन्सी उनके नाम ट्रान्सफर हो जाए और इसको जो आमदनी होगी वह सहकारी बाजार के खाते में जमा हो और खर्चा उनके नाम लिखा जाए। इसलिए सहकारी बाजार से इसको हटा लेने के प्रश्न पर जो आशंका की गई थी, वह निर्मूल है और इसमें कोई तथ्य नहीं है।

मै समझता हूं कि सहकारी बाजार के बारे में माननीय सदस्यों ने जो बहस यहां उठायी है उसके सम्बन्ध में मैंने जो जानकारी दी है वह कुछ हद तक माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने में मदद देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सहकारी बाजार में एक बात हमारे सामने आयी है। देश प्रदेश में सब जगह हम यह

(श्री रामनारायण चौधरी)

सुनते हैं और कहते हैं कि जहां चुनाव हो जाता है वहां दलगत राजनीति आ जाती है और जिसकी वजह से सहकारी संस्थाओं और पंचायती संस्थाओं का और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनका काम ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है। लेकिन आज दिन तक इस सहकारी बाजार में. जब से इसका निर्माण हुआ, इसका संचालन, इसकी पूरी देख रेख हमारे राज्य की सेवाओं, सहकारी विभाग के हाथ में रही है। अब मैं इसका क्या उत्तर दूं। मैंने अधिकारियों से पूछा कि यदि यहां पर निर्वाचित प्रतिनिधि होते तो निश्चित रूप से यहां पर दलगत राजनीति को दोष दिया जाता। परन्तु यहां पर तो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे। सारा संचालन सरकारी अधिकारियों के हाथ में था। मैंने उनके सामने यह प्रश्न रखा और मैंने कहा भी था। यही बात यहां फिर दोहराता हूं। इस सहकारी बाजार की कार्यकारिणी में किस प्रकार की कमी रही, किसकी जिम्मेदारी रही, मैं इसकी जांच करूंगा और रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करूंगा कि कौन इसके लिये जिम्मेदार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में राजस्थान राज्य हाउस फाइनेन्स सोसाइटी के बारे में जिक्र हुआ था और माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि इस समिति के द्वारा कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है जिनके कारण लोगों को कर्जा मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के सदस्यों को और उनकी सहकारी समितियों को कठिनाई होती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 1972-73 में 4,859 मकानों के शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को 1 करोड़ 93 लाख 37 हजार 437 रुपया दे करके कुछ काम इस साल करवाया गया और वर्ष 1973-74 में 224 मकान के लिए 8 लाख 96 हजार का कर्जा दिया गया। टोटल 2 करोड़ 54 लाख 98 हजार 389 रुपये पहले वर्ष में और चालू वर्ष के अन्दर 43 लाख 49 हजार का कर्जा दिया गया है। इस प्रकार 2 करोड़ 96 लाख 42 हजार 389 रुपयों का कर्जा मकान बनाने के लिए खास तौर से देहातों में दिया गया है। इसमें बहुत कम मात्रा में नगरपालिकाओं का क्षेत्र आता है, अधिकतर कर्जा देहातों के अन्दर है। जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग बसे हुए हैं और इन लोगों को दिया गया है। इनको मकान बनवा कर दिये हैं। इन आंकड़ों से आप देखेंगे कि अधिकांश हमारा काम सोसाइटी के द्वारा हमारे समाज में कमजोर तबके की ओर हुआ है जिनके लिए हम वचनबद्ध हैं और जिनकी तरक्की के लिए हमारे देश की प्रधानमन्त्री ने, देश की नेता ने आह्वान किया है....

श्री रामकिशन : यहां प्रधान मन्त्री की तारीफ क्यों कर रहे हैं ? मन्त्री तो वैसे ही बन गये हो। एक जानकारी दें, यह जो कर्जा दिया गया है इसको आप जिलेवार बता दें। कितनी कितनी धनराशि किन किन जिलों को दी गयी ?

श्री रामनारायण चौधरी : जिलेवार जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। किस किस जिले को कितनी कितनी धनराशि वितरित की गयी है, इसकी जानकारी मैं आपको भेज दूंगा।

श्री उम्मेदीलाल : उपाध्यक्ष, महोदय, सवाई माधोपुर में एक भी सोसाइटी को कर्जा नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : सहकारी मूवमेंट के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस बात की यहां पर शिकायत की गई है कि सहकारी समितियों के चुनावों में बड़ी धान्धली होती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति में निरीक्षक जाता है और बिना चुनाव करवाये ही फर्जी चुनाव रजिस्टर में दर्ज कर देता है। सहकारी विभाग और सहकारी संस्थाओं में ठीक प्रकार का को-ऑपरेशन नहीं है। लोन देने में पक्षपात होता है। अनावश्यक देरी हमारे भूमि विकास बैंक करते हैं। यह सब ऐसी बातें हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी तरफ ध्यान दिया जायगा, और इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि किसी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो, कोई गलत काम न हो किसी सहकारी समिति के चुनाव में। अब तक मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनावों में निरीक्षक जाता है और चुपचाप एक पक्ष से मिलकर उनके घर में बैठ कर फिक्टीशस चुनाव करा देता है, ऐसी बातें अब भी मेरे ध्यान में आई हैं और पहले भी मेरी जानकारी में रही हैं। उस वक्त से मेरे यह बात ध्यान में थी। जब यह प्रश्न आता था तो मुझ से कहा जाता था कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास जाइयेगा और रिप्रेजेन्टेशन करियेगा और वही उसका निर्णय करेंगे, तो मुझे यह बात लगती थी कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। इस बात को मैं, उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर मानता हूं। ठीक है कि चुनाव में कोई भी जीत जाय, लेकिन चुनाव न हो और घर में बैठकर सरकार का एक अधिकारी, जो कि हमारे इस मूवमेंट का सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसको सारी जिम्मेदारी सरकार ने सम्हला रखी है, इस तरह से जाकर हमारे मूवमेंट को आघात पहुंचाये और इस प्रकार की कार्यवाही करे तो यह कार्यवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं यह महसूस करता हूं कि जो विभाग मेरे जिम्मे है आज तो उसको मैं यह आदेश देना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायत अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध में आती है कि उसने घर में बैठकर चुनाव की कार्यवाही की है और चुनाव नहीं करवाये हैं और चुनाव का फर्जी रिकार्डिंग किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मन्त्री महोदय, अधिकारी आपके आदेश मानते कहां है? असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में आपके आदेश के बावजूद भी उसको बहाल नहीं किया है रजिस्ट्रार ने।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, भूमि विकास बैंक की तरफ से और राजस्थान लेवल पर गृह निर्माण सहकारी समिति की तरफ से कर्जा मिलने में जो अनावश्यक देरी होती है कुछ फार्मेलिटीज की वजह से जिनका कोई महत्व नहीं और केवल फार्मों की खानापूर्ति है, उसको मैंने जांच करवाई है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें इस प्रकार की 14-15 बातें ऐसी हैं

151

(श्री रामनारायण चौधरी)

जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जिला परिषदों से परामर्श किया है, और वह भी मेरी राय से सहमत हैं कि इस प्रकार की जो कार्यवाहियां हैं उनको अगर हम हटा दें तो कर्जा लेने वालों पर भार भी कम होगा और जो आज खर्चा उनके ऊपर पड़ता है उसमें कमी होगी। उदाहरण के तौर पर उनसे कानूनी सलाहकार की फीस ली जाती है, और यह हाउसिंग सोसायटी में कानूनी-फीस इतनी ज्यादा है कि वे दे नहीं सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह बहुत ज्यादा है। लोन डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके अन्दर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कम किया जायगा। और मैं सहकारी विभाग और उससे सम्बन्धित विभाग जैसे कृषि और लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर इस बात पर सलाह-मशवरा करके जो छोटी-मोटी बातें हैं जिनका कोई असर नहीं होने वाला है, जो को-ऑपरेटर्स को तकलीफ देने वाली चीजें हैं उनको हटाने की व्यवस्था करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारी विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। सहकारिता के विकास के सम्बन्ध में ....

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय, तो नवाब लोहारू की तरह से जवाब दे रहे हैं कि सब काम हो रहा है और कोई होगा भी नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में जो मूल्यवान सुझाव सदन के अन्दर प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से कुछ के बारे में उत्तर देना मुनासिब समझूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिलाधीश पंचायत समितियों की जीपों के बारे में बिना किसी काम के अपनी मर्जी से प्रधानजी से नाराज होकर या किसी बी. डी. ओ. साहब से नाराज होकर कहीं पर किसी गाड़ी की आवश्यकता होती है तो कह देते हैं कि पंचायत समिति की जीप मंगवा लो। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह महसूस करता हूं कि पंचायत समिति इस प्रकार की संस्था नहीं है, जिला परिषदें इस प्रकार की संस्थाएं नहीं हैं कि जिलाधीश महोदय अपनी इच्छा के अनुसार उनकी जब चाहे गाड़ी पकड़ लें। अभी मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा और राजस्थान सरकार की तरफ से मुकम्मिल आदेश दिलवाऊंगा कि जब तक सरकार की मन्जूरी नहीं ले ली जायगी सामुदायिक विकास विभाग की मन्जूरी नहीं ले ली जायेगी तब तक जिलाधीश गाड़ी नहीं ले सकेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कभी पंचायत समिति की जीप में मंत्री जी चढ़ जाय तो उसकी आज्ञा दिलवा दें।

श्री रामकिशन : यह घोषणा क्या कर दी है ?

श्री रामनारायण चौधरी : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने सूरतगढ़ के विकास अधिकारी और जिले के कलेक्टर दोनों के सम्बन्ध में सीड पर्चेज के मामले में कुछ गड़बड़ होने के

(श्री रामनारायण चौधरी)

बारे में कहा है। मैं नहीं कह सकता कि उनकी शिकायत में कितना वजन है, कितना तथ्य है, लेकिन इस पवित्र सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य के द्वारा गम्भीरतापूर्वक नामजद अधिकारियों के खिलाफ बात कही गई है तो मैं हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से इसकी जांच करवाऊंगा और जो नतीजा होगा उससे माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रधान, विकास अधिकारी और कलेक्टर तीनों।

श्री रामनारायण चौधरी : जो भी इसके अन्दर आयेंगे जांच के अन्दर।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनका रिकार्ड सारा एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के पास में है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी पूरी करके आपको सूचना दे देंगे तो फिर एक और जांच अधिकारी क्यों बैठाते हैं। सारा रिकार्ड एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर रखा है। इसकी कार्यवाही राजनैतिक तरीके से रोकी जा रही है। उनको स्वच्छन्द कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों के द्वारा और भी बहुत सी बातें कहीं गई हैं जो कि जनरल नेचर की हैं जिनके बारे में कोई निश्चित उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए मैं इस अवसर पर यही निवेदन करूंगा कि उनके जो कटौती प्रस्ताव हैं, उनके पास उनके उत्तर जायेंगे उनको देख कर उनको संतोष होगा। भरतपुर से आने वाले....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! बाद में मौका मिलेगा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गाड़ी निकल जायेगी, मैं बैठ नहीं पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब के बाद आपको मौका मिलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामकिशन ने यहां उनके यहां और राजस्थान में विशेष तौर से जो राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन के द्वारा टीचर्स का सलेक्शन होता है, उसके बारे में कहा। मैं स्वयं भी इस बात को मानता हूं कि जितने अध्यापकों की हमें आवश्यकता हो, उतनों का ही सलेक्शन किया जाना चाहिये। लेकिन सलेक्शन कमीशन के द्वारा जरूरत से ज्यादा सलेक्शन हो जाने के कारण केन्डीडेट, जो उम्मीदवार हैं, को अनावश्यक रूप से परेशानी, उपाध्यक्ष महोदय, होती है क्योंकि उनका सलेक्शन हो जाता है और उनको सर्विस मिलती नहीं है। इससे कमीशन और सरकार, दोनों को ही प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि भविष्य के अन्दर उतने ही सलेक्शन किये जायं जितनों की जिला परिषद् से मांग आये। भरतपुर के काफी लोगों का सलेक्शन हो गया है, जो कि नियमों के अनुसार छः महीने के बाद सलेक्शन अवैध हो जाता है, तो इस बात की मैं चेष्टा करूंगा कि उनका सलेक्शन अवैध नहीं हो, जब तक उनको सर्विस नहीं मिले तब तक उनका सलेक्शन वैध रहेगा। यदि भरतपुर में उन्हें नौकरी दे सकेंगे तो बहुत बढ़िया है अन्यथा राजस्थान के दूसरे हिस्सों

(श्री रामनारायण चौधरी)

में, जहां स्थान खाली हैं, जाना पसन्द करेंगे तो उन अध्यापकों को वहां भेजने का प्रबन्ध किया जायेगा।

माननीय सदस्या, भरतपुर जिले से आने वाली ने वैर, बयाना और रूपबास तहसीलों को सहायक रजिस्ट्रार, धौलपुर के क्षेत्र में लगाये जाने के बारे में आपत्ति प्रस्तुत की थी, और इन क्षेत्रों के लोगों को धौलपुर जाने में जो कठिनाई होती है, उसके बारे में यहां कहा था। उनकी दलीलों में, उन्होंने जो कहा उसमें वजन मालूम होता है। इसलिये, उपाध्याक्ष महोदय, इस बात से मैं सहमत हूं कि वैर, बयाना और रूपवास को सहायक रजिस्ट्रार, भरतपुर के कार्य क्षेत्र में रखा जाना चाहिये, और इसमें रखा जायेगा और इनका जुरिस्डिक्शन धौलपुर से हटाकर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, भरतपुर के जुरिस्डिक्शन में दिया जायगा।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम प्रश्न के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने संक्षेप में या विस्तार में, भावना की उग्रता या शांत प्रकृति से अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, वह प्रकरण है हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का। मैं इस बात को मानता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ठीक समय पर नहीं होने के कारण इनके कार्य-कलाप, इनकी गतिविधियों में, और कार्य-कर्त्ताओं में, पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुखों में जो सक्रियता और उत्सुकता बनी रहती है उसमें कमी आयी है। लेकिन यह चुनाव आज तक नहीं कराये जाने के कारण भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे और माननीय सदस्यों से पोशीदा नहीं रहे हैं। राजस्थान की जिस प्रकार की स्थिति है, अकाल की विभीषिका, मध्यावधि चुनाव, उसके बाद आम चुनाव और फिर अकाल....

श्री रामकिशन : फिर लोक सभा के चुनाव।

श्री रामनारायण चौधरी : भरतपुर की बाढ़ और डेजर्ट का भयानक अकाल और....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गुजरात का हंगामा!

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री रामनारायण चौधरी : यह सब समय समय पर परिस्थितियां....

श्री केदारनाथ : लेवी से नाराजगी!

श्री रामनारायण चौधरी : बनती रही हैं, इनके कारण समय पर चुनाव नहीं कराये जा सके और माननीय सदस्यों ने चुनाव का प्रश्न उठाया जरूर है लेकिन उनके दिलों में भी इस बात के लिए शांति थी, उनके दिलों में भी इस बात का संतोष था, माननीय सदस्य, मैं नहीं कह सकता क्यों आश्वस्त थे कि चुनाव नहीं हुए। उनमें उग्रता नहीं थी, और एक तरह से परिस्थितियों से भलीभांति परिचित होने के कारण उन्होंने उग्रता का प्रदर्शन, इजहार नहीं किया जो आम तौर पर होता है। इसका कारण यह था कि सारी परिस्थितियों का ज्ञान है....

श्री केदारनाथ : वही इनसाइट है।

श्री रामकिशन : आप मंत्री के साथ साथ अन्तर्यामी भी हो गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं आप अन्तर्ध्यान नहीं हो जायं, इस बात की चिन्ता है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों को पता है ...

श्री रामकिशन : कहीं वही हाल नहीं हो तो भर्तृहरी का हाल हुआ। कहीं चौधरानी देखती नहीं रह जायं कि क्या हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : अप्रेल के अन्दर हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है। उससे पहले हमारे प्रदेश के तीन उप चुनाव भी, उपाध्यक्ष महोदय, ड्यू हो जाते हैं। यह लाजिमी है, तीन उप चुनाव, राष्ट्रपति महोदय के चुनाव से पूर्व हों ताकि उन सब लोगों को उसमें मतदान का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का आदेश दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, इन उप चुनावों को मई के अन्दर करवाया जाय। राजस्थान सरकार का निर्णय क्या होगा, मैं अभी नहीं कह सकता, यह उप चुनाव इलेक्शन कमीशन के सलाह मशवरे से मई में होंगे या जून में होंगे। यह तो घोषणा करने में मैं असमर्थ हूं, वैसे भी मैं चुनाव की घोषणा करने में इसलिए असमर्थ हूं कि मैं पंचायती राज मंत्री होने के नाते अपने विचार चुनाव मंत्री के पास पहुंचा सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी से वंचित नहीं होना चाहता और सदस्यों के अन्तर में अनिश्चितता की स्थिति बनाये रखना मैं अपना कर्त्तव्य नहीं समझता इसलिए मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चालू वर्ष के अन्दर करवा दिये जायेंगे ...

श्री रामकिशन : चालू वर्ष ?

श्री केसरीमल : यह चालू बात कहां से आ गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चालू वर्ष फिर चालू हो गया तो ?

श्री केदारनाथ : 1974 कहिये।

श्री रामकिशन : चालू वर्ष क्यों ? वर्ष चालू रहता है। साल कौनसा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप स्पष्ट रूप से टालू वर्ष कहिये ना !

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक, तसल्ली और सम्मान के साथ सुना, इसके लिए मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रावतराम : एक मिनिट !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न !

श्री रामकिशन : तारीख तो निश्चित बताइये।

श्री रावतराम :
श्रीमती सुमित्रा सिंह : } माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न !

श्री उपाध्यक्ष : One at time

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भई मैं बोल रही हूं। मैंने शुरू कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपया यह बतायें, जिस प्रकार भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को आपने इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया है कि भरतपुर की सूची है, वह वैध रहेगी,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
तो बाकी के और जिलों के बारे में क्या प्रक्रिया रहेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को—

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य हैं, सदस्या नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : चलो सदस्य सही। यह जो सूची पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विसेज सलेक्शन कमीशन द्वारा चयनित है, यह सम्पूर्ण सूची राजस्थान के सभी जिलों की, जब तक एम्प्लायमेंट केन्डीडेट्स को नहीं मिल जाता है, वैध रहेगी।

श्री रावतराम : एक प्रश्न करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री रावत राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, जब मैं कट मोशन पर बोल रहा था, दो तीन सवाल रखे थे। एक तो यह था, हाउसिंग बोर्ड बनते हैं और म्यूनिसिपल एरिया में बनते हैं, उन लोगों के पास क्राउन एक्ट के तहत दिये हुए पट्टे हैं, उनको लोन नहीं मिलता है, कर्जा नहीं मिलता है। उसके बारे में मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

नम्बर दो, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बारे में निवेदन किया था, क्या पंचायती राज के चुनाव से पहले सदन में हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को विचारार्थ रखने का विचार है या नहीं ?

नम्बर तीन यह था, क्या पंचायती राज के चुनाव से पहले, जैसा मैंने निवेदन किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए पंचायतों के सरपंच के पद हैं, उनमें रिजर्वेशन रखने का विचार रखते हैं ?

इन तीन प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करें।

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव होते हैं उनमें ग्राम वालों के नाम पब्लिश होते हैं लेकिन उनके प्रतिनिधियों के भी पब्लिश होने चाहिये।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान।

(श्री दिनेश राय डांगी के खड़े होने पर)

आप मन्त्री रह चुके हैं, आसन खड़ा है।

प्रश्न यह कि मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,24,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 35 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह कि मांग संख्या 40 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,54,71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 40 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल 19 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7.12 बजे मंगलवार दिनांक 19 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(156)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची)

दिनांक 16-3-74 तक विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर

क्र. सं.	नाम जिला	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लेवी (क्वि. में)	विशेष विवरण
1.	अजमेर	68300	8335	
2.	अलवर	31969	30941	
3.	बाड़मेर	218300	144000	
4.	बूंदी	23500	6580	
5.	भरतपुर	38050	22257	
6.	भीलवाड़ा	32950	11568	
7.	बांसवाड़ा	18700	—	
8.	बीकानेर	55650	5610	
9.	चूरू	78500	7249	
10.	चितौड़गढ़	42300	2987	
11.	डूंगरपुर	10500	—	
12.	श्री गंगानगर	76750	6580	
13.	जयपुर	80150	30910	
14.	जोधपुर	190950	57000	
15.	जैसलमेर	22800	3201	
16.	जालोर	63000	48500	
17.	झुंझुनू	57000	291	
18.	झालावाड़	49000	531	
19.	कोटा	76850	27028	
20.	नागौर	130250	9300	
21.	पाली	66900	5778	
22.	सीकर	60000	1555	
23.	सवाई माधोपुर	46350	18150	
24.	टोंक	42951	10870	
25.	सिरोही	12200	289	
26.	उदयपुर	49950	1092	
	योग:—	16,43,820	4,60,592	

Page No 157

(157)

जिलाधीशों से खाद्यान्नवार सूचना प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य निगम एवं भण्डार व्यवस्था निगम तथा कतिपय जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्यान्नवार अनुमानित स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1)	मक्का	12,593
(2)	ज्वार	31,228
(3)	काला बाजरा	3,055
(4)	बाजरा	4,12,836
(5)	चना	300
(6)	गेहूँ	5701
	योग	4,60,592

चावल के निर्यात के बदले में 19,707.16 क्वि. बाजरा व ज्वार व्यापारियों द्वारा तोला गया है।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

लीज पर दिये गये प्लॉट्स

260. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा आज तक कितने इन्डस्ट्रीयल प्लॉट लीज पर किस किस को, कब कब, किन किन शर्तों पर अलॉट किये गये तथा इनका क्या मूल्य तय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्लॉटों में से कितनों में आज तक इन्डस्ट्री लग चुकी है तथा कितनों में आज तक नहीं लगी है ? प्लॉटवार, अलॉटी का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन प्लॉटों में वर्षों से कारखाने नहीं लगे या जो दूसरों को बेच दिये गये हैं, ऐसे प्लॉटों को केंसिल क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) 21 इन्डस्ट्रियल प्लॉट लीज पर दिये गये हैं व 3 प्लॉट कीमतन बेचे गये हैं। जो भूखण्ड लीज पर दिये गये हैं उनमें कोई शर्त नहीं है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में दी गई सूची में सूचनायें दे दी गई हैं।

(3) लीज पर दिये गये व बेचे गये भूखण्डों में ऐसी शर्त पालिका ने लीज डीड व विक्रय पत्र में नहीं रखी है।

सूची

नाम अलॉटी	आवंटित करने की तिथि	मूल्य जिस पर बेचे गये हैं	लीज पर है	इण्डस्ट्रीज लग चुकी हैं या नहीं
1. श्री शिवरतन रमेशचंद	1-2-65	75600	—	चालू है।
2. श्री हीरालाल रतनलाल	29-3-57	900000	—	चालू नहीं है।
3. श्री धर्मवीर	19-3-67	—	135/-	चालू नहीं है।
4. श्री गुरुमुखसिंह	4-4-58	—	135/-	चालू है।
5. श्री मंगलचंद थानमल	9-9-58	—	1645/-	„
6. कमल ब्रादर्स इन्डस्ट्रीज	18-2-72	—	300/-	चालू नहीं है।
6. महेश्वर ऑयल मिल्स	20-10-72	—	210/-	चालू है।
8. श्री जैसपालसिंह	26-5-58	—	135/-	चालू नहीं है।
9. श्री बृजलाल	20-10-70	—	405/-	चालू नहीं है।

1	2	3	4	5	6
10.	श्री जितेन्द्रसिंह	28-4-72	—	300/-	चालू है।
11.	श्री पवन इण्डस्ट्रीज	31-1-73	—	200/-	चालू नहीं है।
12.	विनोदकुमार इण्डस्ट्रीज	25-7-73	—	120/-	चालू नहीं है।
13.	श्री सत्यनारायण	—	—	300/-	
14.	श्री सीताराम	20-10-73	—	203/-	चालू है।
15.	श्री गोपालचन्द	7-12-73	18720-00	—	चालू नहीं है।
16.	श्री हरिराम	7-12-73	—	468/-	
17.	श्री रामस्वरूप	7-12-73	—	468/-	
18.	श्री वृजमोहन	7-12-73	—	468/-	
19.	श्री आत्माराम	7-12-73	—	468/-	
20.	श्री मनोहरलाल	7-12-73	—	947/-	
21.	श्री कृपाल ऑयल मिल	7-12-73	—	1945/-	
22.	दी राय को-ऑपरेटिव सोसायटी	7-12-73	—	6345/-	
23.	श्री जुगलकिशोर राठी	29-3-57	900-00	—	
24.	श्री सांवरमल अग्रवाल	18-11-56	—	120/-	चालू है।

लेवी की वसूली

261. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में लेवी वसूली का कितना लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से कितना अनाज अलग अलग किस्म का वसूल हुआ ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें एवं प्रति बोरी राज्य सरकार तथा एफ. सी. आई. का कितना खर्चा हुआ ?

(2) राज्य सरकार का किसानों से कम कीमत पर लेवी वसूल करने का क्या उद्देश्य रहा है और जो लेवी वसूल हुई उसमें राज्य सरकार ने कितना क्विन्टल बाजरा किस दर पर खरीदा व एफ. सी. आई. ने कितना बाजरा किस दर पर लिया ?

(3) काला व पीला बाजरे में क्या फर्क है तथा काला बाजरा कितने दिनों में खराब हो जाता है व एफ. सी. आई. व राज्य सरकार के पास आज पुराना बाजरा कितना स्टाक में है मगर एफ. सी. आई. के पास पुराना काला बाजरा स्टाक में नहीं है तो क्या वजह है कि एफ. सी. आई. काला बाजरा नहीं खरीदती ?

(4) जोधपुर जिले में लेवी वसूली के कितने केन्द्र है वे ज्यादा से ज्यादा दूरी वाले गांवों के किसानों को लेवी केन्द्र पर

(160)

(श्री रामसिंह बिश्नोई)
अनाज लाने में किस साधन का उपयोग करना पड़ा जिस पर कितना खर्च आ सकता है ?

(5) क्या यह सच है कि जिस सस्ती दर पर लेवी वसूली हुई और जो प्रति बोरी बाजरा खरीद मे खर्चा आता है दोनों खर्चों को मिलाने से जो कीमत होती है वह बाजरा की खुली रेट से ज्यादा होती है ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो बाजारा सन् 1971-72 में खरीदा था उसे नीलामी से बिना वजह बेच दिया गया और उससे राज्य सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा ? यदि हां तो किन परिस्थितियों में नीलाम करना पड़ा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में खरीफ लेवी वसूली का लक्ष्य 1.5 लाख टन निर्धारित था। इसके अन्तर्गत अब तक 4,15,891 क्विन्टल बाजरा, 31,228 क्विन्टल ज्वार तथा 12,593 क्विन्टल मक्का वसूल हुआ है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। एफ. सी. आई. का लगभग 10 रु. प्रति बोरी का खर्चा आता है। लेवी वसूली में राज्य सरकार का प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं होता।

(2) राज्य सरकार कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित कीमत पर खाद्यान्न भंडार बनाने के लिये खाद्यान्न का क्रय करती है ताकि उक्त खाद्यान्न सस्ते मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक निश्चित कीमत पर वर्ष भर उपलब्ध कराया जाता रहे। सरकार ने बाजरा खाद्य निगम व भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से 72 से 67/- रु. प्रति क्विन्टल की दर से क्वालिटी के आधार से क्रय किया गया है। काला बाजरा राज्य सरकार के खाते 65/- रु. प्रति क्विन्टल की दर से क्रय किया जाता है। दिनांक 16-3-74 तक अच्छा बाजरा 4,12,836 क्विन्टल व काला बाजरा 3,055 क्विन्टल खरीदा गया है।

(3) साधारणतया अच्छी तरह से पकने वाला बाजरा पीला होता है तथा दाना पड़ते समय अथवा खलिहान में अधिक वर्षा होने के कारण बाजरा काला पड़ जाता है। काला बाजरा अच्छे बाजरे की अपेक्षा कम समय तक रखा जा सकता है। खाद्य निगम के पास पुराना काला बाजरा स्टॉक में नहीं है। काला बाजरा 65/- रु. प्रति क्विन्टल की दर एफ. सी. आई. द्वारा राज्य सरकार के खाते अब भी क्रय किया जा रहा है।

(4) जोधपुर जिले से लगभग 50 क्रय केन्द्रों पर खरीददारी की गई। उत्पादक अपना खाद्यान्न लाने हेतु साधारणतया ऊंट, ऊंट गाड़ियों अथवा बैलगाड़ियों आदि का प्रयोग करते हैं। इस पर उसे कितना खर्चा पड़ता है इस का राज्य सरकार ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगा सकती है।

(5) जी नहीं।

(6) राज्य सरकार ने 71—72 में भी कृषकों को राहत देने के लिये काला

Page No 161

(184)

(खाद्य मन्त्री) :

बाजरा क्रय किया था। वह यदि ज्यादा समय तक रखा जाता तो खराब होने का अन्देशा था, अतः नीलामी द्वारा बेचने का निश्चय किया गया।

ग्राम उमर की खानें

262. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डोली) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उमर ग्राम में मारबल की कुल कितनी खानें हैं तथा इनके मालिक कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार की खानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए रक्षित आंवटन का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कितना कितना रखा गया है ?

(3) क्या उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारों की इन प्रकार की मारबल खानों के लिये प्राथमिकता दी जाने की आज्ञाएं हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी खानें इन्हें दी गई हैं ? यदि नहीं दी गई हैं तो क्या भविष्य में इन्हें निश्चित रूप से दी जावेंगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि श्री रमनपति शर्मा पुत्र श्री कल्याणमल शर्मा को जो प्लॉट प्रावंटित हुआ है या होने वाला है, वह देवस्थान की जगह पर है ? यदि हां, तो ऐसे स्थान को क्या ग्रामवासियों की धर्म में श्रद्धा हेतु आवंटित नहीं किया जावेगा ?

(5) क्या उमर ग्रामवासियों की ओर से इस स्थान को धर्म स्थान ही बनाये रखने के लिए खनिज मंत्री, अभियन्ता खनिज विभाग, कोटा एवं जिलाधीश, बूंदी को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उमर ग्राम में मारबल की सात खाने हैं। मालिकों के नाम की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं, फिर भी अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है और जो हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है तो नियमानुसार प्राथमिकता निर्धारण करते समय विचार किया जाता है व कुछ क्षेत्रों के लिये ऐसे राज्य सरकार के निर्देश हैं।

(4) जी नहीं। लेकिन इनके पिता के नाम एक खान रजिस्टर्ड है व एक की स्वीकृति 26-12-73 को हुई लेकिन अभी एग्रीमेन्ट ऐक्जीक्यूट नहीं हुआ है।

(5) जी हां। उमर ग्रामवासियों की ओर से क्षेत्र के धर्म स्थान पर खान नहीं देने का एतराज प्राप्त हुआ है इस मामले की जांच की जा रही है।

(162)

उमर ग्राम में मारबल की खानों के मालिकों की सूची

मालिक का नाम	खान संख्या
1. श्री गौरी शंकर धूत	1
2. श्रीमती कंचन देवी काला	1
3. श्री सीताराम नाहटा	1
4. श्री श्रवण कुमार काला	1
5. श्री कल्याणदास	1
6. श्री रामकिशन मिशन	2
कुल	7

भारत सरकार से प्राप्त राशि का व्यय

263. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः भारत सरकार से सड़कों सम्बन्धी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत कितनी धनराशि का कहां कहां के लिये क्या प्रावधान था उसमें से कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

(2) उपरोक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत जयपुर नगर में कितना व्यय हुआ है ?

(3) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर के लिये लगभग 35 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था और जोधपुर नगर के लिये बिल्कुल नहीं ?

(4) क्या यह सत्य है कि जोधपुर जिले के देहाती खोज के लिये ही केवल ड्रॉउट-प्रोन-एरियाज-प्रोग्राम लागू किया गया था न कि नगरीय क्षेत्र के लिये, अतः यह कारण बता कर नहीं टाला जा सकता कि जोधपुर जिले में उपरोक्त प्रोग्राम होने से जोधपुर नगर में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लागू नहीं किया गया ?

(5) वित्तीय वर्ष 1974-75 में जोधपुर नगर की सड़कें व नालियों के आवश्यक निर्माण एवं मरम्मत के लिये जयपुर की तरह अलग से धनराशि का आवंटन कर किस तरह उसके साथ न्याय किया जायगा ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 में भारत सरकार द्वारा संचालित स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों के लिए क्रमशः 80.00 लाख

Page No 163

(163)

(आयोजना मन्त्री)

एवं 63-00 लाख रुपये का प्रावधान था। इसमें से 89·64 लाख रुपये 1972-73 में व्यय हुआ एवं 63-00 लाख रुपये 1973-74 में व्यय होने का अनुमान है। प्रावधान एवं व्यय का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया हुआ है।

(2) उपरोक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत जयपुर नगर में जनवरी, 1974 तक 31.47 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

(3) जी हां।

(4) यह सही है कि ड्रॉउट-प्रोन-एरियाज-प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र में ही चल रहा है परन्तु राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी जिले में सड़कों के लिए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू नहीं किया है जहां ड्रॉउट-प्रोन-एरियाज-प्रोग्राम चल रहा है।

(5) भारत सरकार द्वारा चालू किया गया स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम 1973-74 में ही समाप्त हो जायेगा।

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	जिलों के नाम	विशिष्ट नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान व व्यय (स्पेशल एम्पलायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत)			
		वर्ष 72-73 हेतु प्रावधान	वर्ष 72-73 में हुआ व्यय	वर्ष 73-74 हेतु प्रावधान	वर्ष 73-74 का अनुमानित व्यय
1.	अजमेर	1.98	2.17	3.00	3.00
2.	अलवर	4.26	4.32	—	—
3.	भरतपुर	2.69	2.92	—	—
4.	बूंदी	0.80	2.49	—	—
5.	भीलवाड़ा	3.16	3.12	—	—
6.	चित्तौड़गढ़	4.25	4.50	—	—
7.	गंगानगर	6.95	7.02	—	—
8.	जयपुर	23.31	27.76	22.50	22.50
9.	झुंझुनु	1.00	0.94	4.80	4.80
10.	झालावाड़	2.50	2.52	7.20	7.20
11.	कोटा	4.00	4.75	4.40	4.40
12.	सिरोही	1.50	1.76	6.50	6.50
13.	सीकर	2.23	2.41	4.80	4.80
14.	सवाई माधोपुर	4.55	4.47	—	—
15.	टोंक	0.70	0.65	1.30	1.30
16.	उदयपुर	5.07	6.06	—	—
	प्रोरेटा चार्जेज	11.05	11.78	8.50	8.50
	योग :—	80.00	89.64	63.00	63.00

पद का दुरुपयोग

264. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री बंशीलाल बालदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करके श्री मदनलाल ग्राम सेवक को पंचायत समिति सुमेरपुर की 148 क्विन्टल 41 किलो 300 ग्राम गेहूं व 23 क्विन्टल 3 किलो 300 ग्राम जौ की चोरी के मुकदमे पंचायत समिति के अधिकारियों से गलत बयान दिलवा कर बरी करवाया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मदन लाल ग्राम सेवक जो 2-5-67 से निलम्बित था श्री बंशीलाल ने अपने पद का दुरुपयोग करके पंचायत समिति मुख्यालय से अनुपस्थित रखा ? और 9-2-73 को पुनः पदस्थापित किया और अनियमित वेतन भुगतान करवा दिया ?

(3) क्या यह सही है कि श्री बंशीलाल बालदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करके श्री मदनलाल के विरुद्ध आज दिन तक कोई विभागीय जांच नहीं होने दी और न ही पंचायत समिति की चोरी किये गये गेहूं और जौ की रकम की जिम्मेवारी निर्धारित करवाई और न ही उक्त रकम की वसूली होने दी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सुमेरपुर के स्टोर से रबी बीज का गबन हुआ था। पंचायत समिति द्वारा मामला पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा मामला मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बाद ट्रायल न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्री मदनलाल को बरी घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात् उच्च न्यायालय में अपील दायर करने हेतु विधि परामर्श को इस सम्बन्ध में जरिये पंचायत समिति, सुमेरपुर के पत्र संख्या 1997, दिनांक 30-12-71 द्वारा निवेदन किया गया। उसके बाद विधि सहायक, जयपुर द्वारा जरिये पत्र संख्या एफ. 14/512 ए-71, दिनांक 31-12-71 द्वारा वापिस लौटा कर यह निर्देश दिये कि सरकार अपनी तरफ से इस केस को अपील करना उचित नहीं समझती है। ऐसी सूरत में अपील दायर नहीं की गई। अतः प्रधान द्वारा गलत बयान दिलाकर बरी कराने का आरोप निराधार है।

(2) श्री मदनलाल ग्राम सेवक को दिनांक 1-5-67 को पंचायत समिति द्वारा गबन के मामले में निलम्बित किया गया था। न्यायालय से बरी होने के पश्चात् पंचायत समिति की साधारण सभा दिनांक 25-1-72 के प्रस्तावानुसार न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालनार्थ उन्हें पंचायत समिति के आदेश दिनांक 9-2-72 के द्वारा कार्य पर ले लिया गया। दिनांक 1-5-67 से 9-2-72 तक निलम्बित अवधि का उन्हें नियमानुसार केवल निर्वाह भत्ते का ही भुगतान किया गया। अतः अनियमित भुगतान किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) श्री मदनलाल ग्राम सेवक को विभागीय जांच करने हेतु पंचायत समिति की साधारण सभा दिनांक 26-1-73 द्वारा कमेटी का गठन किया जा चुका है, जिसकी जांच प्रगति पर है। जांच होजाने के पश्चात् ही जिम्मेवारी निर्धारित की जा सकेगी।

विश्व बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे

265. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में कोई सर्वे किया था ? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों में किन किन तारीखों को और किस किस स्थान का ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि विश्व बैंक ने सर्वे के बाद राज्य में कुछ योजनायें स्वीकृत की हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी तथा उनके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की ? स्वीकृत राशि किन शर्तों पर प्राप्त होगी और उस पर क्या ब्याज लगेगी ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में राज्य सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के अध्ययन एवं मूल्यांकन के लिये समय समय पर आते रहे हैं अप्राइजल मिशन 30 अक्टूबर, 1973 से 24 नवम्बर, 1973 तक राजस्थान के दौरे पर था और उसने गंगानगर, बीकानेर, कोटा व बूंदी जिलों में विभिन्न स्थानों पर दौरा किया। तारीखवार एवं स्थानवार सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों की पदोन्नति

266. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत कई सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों को पद अवनत कर इन्सपेक्टर बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस कानून और नियमों के तहत किन किन को पद अवनत कर कितने वर्षों के पश्चात करके ऐसा किया गया है ? सूची कारणों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे पद अवनति किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में न रख कर उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाहक सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी के पद पर कार्य करने का अवसर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस कानून और नियमों के तहत ऐसा किया गया है ? ऐसे अधिकारियों का स्थाई पद बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम 1974 के नियम 5 (4) के तहत उक्त पद पर योग्य नहीं पाये जाने के कारण एवं नियम 19 (3) में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत पदावनत किये गये हैं। ये पदावनतियां 6 वर्ष से 11 वर्ष बाद की गई हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी स्क्रीनिंग में अयोग्य पाये गये थे। कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाहक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर कार्य करने का अवसर केवल तब तक दिया गया है जब तक कि उनके मामले उक्त नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत नियमित न कर दिये जावें। ऐसे अधिकारियों का स्थाई पद वाणिज्यिक कर निरीक्षक का है।

सूची उन सहायक वाणिज्यिक अधिकारियों की जिन्हें पदावनत किया गया।

	नाम	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के पद पर नियुक्ति की दिनांक
1.	श्री नन्दलाल मोंगरा	9-8-51
2.	श्री दुर्गालाल माथुर	7-8-61
3.	श्री बी. एस. माथुर	4-11-63
4.	श्री तेजचन्द मुकुट	31-8-64
5.	श्री जगदीशलाल माथुर	31-8-64
6.	श्री आर. के. थानवी	31-8-64
7.	श्री एन. के. शाह	31-8-64
8.	श्री बांकेबिहारी सक्सेना	10-12-64
9.	श्री एस. सी. भार्गव	10-12-64
10.	श्री एम. डी. सत्त्वा	10-12-64
11.	श्री विष्णुप्रसाद	10-12-64
12.	श्री रामचन्द्र चौहान	10-12-64
13.	श्री हरिराम शर्मा	22-7-66
14.	श्री मदनलाल मित्तल	7-8-61
15.	श्री जमील अहमद	20-4-67

नोखा तहसील क्षेत्र में लगाये गये पेड़

267. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील नोखा हैड क्वार्टर से लेकर बीकानेर रोड पर वन विभाग द्वारा 1 जनवरी, 1973 से कितने पेड़ लगाये तथा इसमें से कितने पेड़ मौजूद हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग नोखा के इन्चार्ज ने इस सड़क पर कोई पेड़ नहीं लगाया और लाखों की तादाद में सरकारी धन का गबन करके झूठे पेडों का आंकड़ा प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा इस सड़क पर पेड़ों के चारों ओर कांटेदार बाड़ बनाने का ठेका दिया गया ? यदि हां, तो यह ठेका कब और किस ठेकेदार को कुल कितनी धनराशि का दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि नोखा से बीकानेर जाने वाली सड़क पर वन विभाग द्वारा मजदूरों व विभाग के कर्मचारियों को रहने के लिये कच्चे झोपड़े व पक्के मकान बनाये गये थे ? यदि हां, तो कितने तथा इसका ठेका कब और किस ठेकेदार को कितनी धनराशि में दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस सड़क पर मजदूरों के रहने के लिये झोंपड़ा व मकान नहीं बनाये गये और लाखों को

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

तादाद में सरकारी धन का गबन हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सरकार जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 48,000 वृक्ष लगाये गये लगभग 941 पौधे जीवित अभी मौजूद हैं।

(2) जी नहीं अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां, दो पक्के गार्ड हट तथा आठ झौंपड़े बनाये गये, ये आवास ठेके से नहीं बनाकर विभागीय तौर पर बनाए गए।

(5) जी नहीं, अन्य प्रश्न नहीं उठते।

लेवी निर्धारित करने का आधार

268. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में खरीफ की फसल पर लेवी किन आधारों पर लगाई गई है और अब तक लेवी वसूली में किस प्रकार का कितना खाद्यान्न राज्य सरकार ने वसूल किया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मोटे अनाज के बाजार भाव वर्तमान में क्या हैं और जब लेवी लेने का निर्णय लिया गया था तब खुले बाजार में मोटा अनाज किस भाव मिलता था ?

(3) खरीफ की लेवी से राज्य सरकार ने कितना खाद्यान्न वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और अब तक कितना खाद्यान्न वसूल कर लिया गया है ?

(4) क्या लेवी वसूली का जो लक्ष्य राज्य सरकार ने निश्चित किया था, उतना खाद्यान्न वसूल किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में खाद्यान्न का भंडार बनाने के लिए खरीफ की फसल पर जिस आधार पर लेवी लगाई गई उसकी सूची एवं राजस्थान खरीफ खाद्यान्न प्रोक्योरमेन्ट (लेवी ऑन प्रोड्यूसर) आदेश 1973 संलग्न है एवं भिन्न भिन्न खाद्यान्न की जो लेवी वसूल की गई है उसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा लेवी वसूली का लक्ष्य 1.35 लाख टन निर्धारित किया गया था, जिसमें से दिनांक 16-3-74 तक 46,059 टन लेवी वसूल हो चुकी है।

(4) लेवी के विरोध में कतिपय राजनैतिक दलों द्वारा अपनाये गये असहयोगपूर्ण रवैये तथा कई जिलों में अतिवृष्टि एवं अन्य कारणों से कहीं कहीं फसल में नुकसान होने से लेवी के लक्ष्य की पूर्ति में बाधा उपस्थित हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम राजपुर की नल योजना

269. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राजपुर पंचायत समिति शाहबाद जिला कोटा की नल योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और यह कितनी लागत की योजना है ?

(2) क्या उक्त नल योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना को शीघ्र ही पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने समय में ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम राजपुर की जल प्रदाय योजना 2.29 लाख रु. की लागत की दिनांक 4-5-73 को स्वीकृत की गई थी।

(2) जी हां। स्वीकृति उपरान्त योजना प्रारम्भ की गई।

(3) जी हां। योजना वर्ष 74-75 में पूर्ण करने की आशा है।

जयपुर नगर का मास्टर प्लान

270. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर का मास्टर प्लान किस तारीख को आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था ?

(2) क्या प्रस्तुत आपत्तियों पर समय पर सुनवाई करके प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक अंतिम रूप दिया जावेगा ?

(3) क्या बिना मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिये भूमि अधिग्रहण की वैध रूप से कार्यवाही की जा सकती है ? यदि नहीं, तो जयपुर नगर में कार्यवाही क्यों तथा किस कानून के अन्तर्गत की जा रही है।

(4) क्या भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को वापिस करने का आश्वासन विधान सभा में राजस्व मंत्री द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान दिनांक 20-12-72 को आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था।

(2) समस्त आपत्तियों पर मुख्य नगर नियोजक द्वारा विचार कर लिया गया है तथा पुनः सुझाव के साथ जयपुर नगर मास्टर प्लान की सलाहकार समिति के सम्मुख अप्रेल, 74 तक करना सम्भव है जिसके उपरान्त राज्य स्तर पर विचार किया जायेगा।

(3) नगर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही (U I.T. Act) 1969 के अन्तर्गत की जा सकती है।

(4) नगर आयोजन विभाग की जानकारी में नहीं है।

जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था

271. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ व झालरापाटन में जलाऊ लकड़ी की कोई टाल (दुकान) वन विभाग की ओर से नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस अत्यन्त मंहगाई एवं सर्दी में जनता को लकड़ी प्राप्त होने में काफी कठिनाई है जबकि राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लकड़ी जगह जगह बेची जाय ?

(3) क्या यह सही है कि लकड़ी वन विभाग द्वारा जंगलों में काटी जा रही है इसको शहरों में बेचने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

उत्तर

(1) जी हां। इन कस्बों को जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति सरबोझों वालों द्वारा लाई जाने वाली लकड़ी से पूरी हो जाती है इस कारण वहां राजकीय डिपो लगाना मितव्ययी नहीं है।

(2) राज्य सरकार के ऐसे आदेश नहीं है।

(3) जी हां। लकड़ी वन विभाग द्वारा जंगलों में कटाई जा रही है। और जिन शहरों में राजकीय डिपो मितव्ययिता पूर्वक चल सकते हैं वहां जलाऊ लकड़ी के सरकारी डिपो से बिकवाने की व्यवस्था की गई है।

सरड़ा ग्राम की पेय जल की योजना

272. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अकलेरा क्षेत्रान्तर्गत सरड़ा ग्राम की पेयजल योजना का निर्माण कार्य योजना में ले लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में जन-सहयोग की सम्पूर्ण रकम ग्राम पंचायत सरडा द्वारा दो साल पूर्व ही सम्बन्धित विभाग में जमा करा दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हो चुका है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस योजना का अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब इस योजना के निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया जाने में ढिलाई क्यों बरती जा रही है ? और अब इस योजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी हां। 5114 रु. दिनांक 30-9-70 व 1100 रु. दिनांक 2?-6-72 को ट्रेजरी में जमा कराये गये थे।

(3) जी हां।

(4) जी हां। योजना की तकनीकी जांच की जा रही है वह धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही कि जावेगी।

वन विकास का कार्य

272. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान मुख्य नहर एवं लिफ्ट केनाल क्षेत्रों में वन विकास हेतु क्या क्या कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ?

(2) अब तक उपरोक्त कार्यों पर कुल कितना खर्चा हुआ तथा उसके भौतिक लक्ष्यों की कहां तक उपलब्धि हुई है ?

(3) लिफ्ट कैनाल के दोनों किनारों एवं उसके अन्य सिंचित क्षेत्रों के वन विकास कार्यक्रम हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा अब तक कुल कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) (1) नहरों के किनारे रेतीले टीलों का स्थिरीकरण,

(2) नहरों के किनारे वृक्षारोपण,

(3) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण,

(4) आबादी के पास वृक्षारोपण,

(5) ब्लोक वृक्षारोपण,

(6) पौधशालाओं का निर्माण तथा विकास ।

(2) वर्ष 1966-67 से जनवरी, 1974 तक का कुल व्यय राशि 85,23,547 रुपये ।

वर्ष 1966-67 से जनवरी 1974 तक उपलब्ध भौतिक लक्ष्य

28 5 हैक्टर में रेतीले टीलों का स्थिरीकरण, 6859 पंक्ति किलोमीटर में नहरों के किनारे वृक्षारोपण ।

1020 पंक्ति किलोमीटर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण,

304 हैक्टर में आबादी वृक्षारोपण,

467 हैक्टर में ब्लोक वृक्षारोपण,

24 पौधशालाओं का निर्माण एवं विकास ।

(3) नहरों के किनारे वृक्षारोपण 115 पंक्ति कि. मी. टिब्बा स्थिरीकरण ।

206 हैक्टर पौधशालाओं का निर्माण व विकास । पौधशाला इन कार्यों पर 1966-67 से जनवरी, 1974 तक 2,16,770) रुपये व्यय हुए हैं ।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

274. श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फागी तथा चाकसू तहसील में कितनी चरागाह भूमि पर सन् 1973 में अतिक्रमण किया गया ? गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अतिक्रमण की गई चरागाह भूमि पर कितनी फसल को नष्ट किया गया तथा कितनी को नहीं ?

(3) यदि किसी फसल को नष्ट नहीं किया गया तो क्या कारण है ? और अब उसे कब तक नष्ट कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सन् 1973 में तहसील फागी में 593 बीघा 16 बिस्वा तथा तहसील

(श्री राजस्व मन्त्री)
चाकसू में 740 बीघा 10 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हुआ। गांववाइज सूची संलग्न है।

(2) अतिक्रमण की गई चरागाह भूमि में तहसील फागी में 262 बीघा 7 बिस्वा एवं तहसील चाकसू में 346 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर से फसल को नष्ट करवाया गया था। तहसील चाकसू में 393 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर से फसल नष्ट नहीं कराई जा सकी है।

(3) यथा सम्भव चरागाह पर हुये अतिक्रमण को नष्ट करने के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं व अभियान के रूप में इस कार्य को सम्पन्न किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह कार्यवाही समय के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सकी। अतः अब नष्ट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के मामले

275. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से पैंडिंग हैं ? नामावली देते हुए तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सभी मामले पटवारियों एवं ग्राम पंचायतों के पास कितने दिन तक पेंडिंग रहे ? प्रत्येक मामले की देरी का विवरण देते हुए सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भर कर पंचायतों में पेश करने के कारण किस 2 पटवारी के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाये गये ?

(4) क्या जिला प्रशासन की ओर से उक्त म्यूटेशन के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिये कोई अभियान सन् 72-73 और सन् 73-74 में चलाया गया ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(5) क्या राज्य सरकार विभिन्न जिलों में म्यूटेशनों के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिये इस वर्ष कोई विशेष कदम उठा कर किसानों को राहत पहुंचावेगी ?

उत्तर

(1) सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो सूची "क" सदन की मेज पर रखी गई है उसमें ब्यौरा अंकित है।

(3) ब्यौरा संलग्न सूची, "ख" में अंकित है।

(4) सन् 1973-74 में काम निपटाओ अभियान चलाया गया था, जिसके अन्तर्गत उस समय के म्यूटेशन के समस्त मामले निपटा दिये गये थे।

(5) जिले में अप्रेल, 1974 से विशेष अभियान लिया जा रहा है।

सूची (क)

पेंडिंग नामान्तरकरण की स्थिति जनवरी, 74 तक (जिला बाड़मेर)

तहसील	पेंडिंग नामान्तरणकरण की संख्या	बकाया रहे मामलों का विवरण: 2 माह से कम	2 माह से अधिक 6 माह से कम	6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक	प्रमाणीकरण से शेष नामान्तरणकरण का विवरण: पटवारी के पास	और. आई. के पास	तहसील अधि. के पास	योग	पंचायत के पास	पंचायत के पास ना. का. ब्यौरा: 20 दिन से कम	20 दिन से अधिक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बाड़मेर	कोई नामान्तरणकरण पेंडिंग नहीं है।													
शिव	423	123	300	—	—	—	413	—	—	413	10	4	6	—
चौहटन	603	421	166	16	—	—	435	14	—	449	153	—	154	—
पचपदरा	85	85	—	—	—	—	—	—	—	—	85	85	—	—
सिवाना	75	48	27	—	—	—	49	—	4	53	22	22	—	—
योग...	1186	677	493	16	—		897	14	4	915	271	111	160	—

सूची (ख)

पचपदरा, बाड़मेर व सिवाना की तहसीलों में नामान्तरकरण के कार्य पटवारी द्वारा समय पर प्रस्तुत किए गये हैं, बाकी दो तहसीलों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची

दर प्रति क्वि.

	चीनी कारखानों के नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीद की निर्धारित न्यूनतम दर	फैक्टरी द्वारा गन्ना खरीद की दर	
			फैक्ट्री गेट पर	गेट के बाहर
		रु.	रु.	रु.
1.	केशोरायपाटन शुगर मिल केशोरायपाटन (जिला बून्दी)	9.60	13.50	13.25
2.	मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर (जिला चित्तौड़गढ़)	8.30	12.00	11.50
3.	श्री गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर	8.00	12.00	11.68

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूची)

जिला चित्तौड़गढ़

जिला विकास समिति, चित्तौड़गढ़ की बैठक दिनांक 21-11-73 में लिए गए निर्णयों की पालना निम्न प्रकार की गई:—

1. जिला विकास समिति को स्थानान्तरित लेनदारियां व देनदारियां:—

अध्यक्ष जिला चिकित्सालय कमेटी, चित्तौडगढ़ के नाम पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक एकाउन्ट नम्बर 80137 था। जिसे निर्णयानुसार क्लोज कराया जा चुका है और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, चित्तौड़गढ़ में सेविंग बैंक एकाउन्ट नम्बर 2037 उसमें तथा पोस्ट ऑफिस के खाते में बचत रकमों पर ब्याज दिनांक 4-1-74 को जुड़वा दिए गए हैं। तथा दिनांक 4-1-74 को होस्पिटल कमेटी, चित्तौड़गढ़ के नाम के लेखे जिला विकास समिति, चित्तौड़गढ़ के नाम पर हस्तान्तरित करा दिए गए हैं।

2. बैंक व पोस्ट ऑफिस से रकम निकालने के क्रम में :—

इसमें रकम निकालने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी सूरत में इस प्रस्ताव की कहीं अलग से पालना नहीं होनी है।

3. पुराने बकाया बिलों का भुगतान :—

पुराने बकाया बिलों का भुगतान रु. 1257.46 पैसे व रु. 2469.69 दिनांक 22-11-1973 को किया जा चुका है।

4. पार्ट-टाइम अलाउन्स का भुगतान :—

स्वीकृति के अनुसार श्री नारायणसिंह लेखा लिपिक को रु. 10) माहवार से पार्ट टाइम अलाउन्स का भुगतान किया जा रहा है।

5. धन संग्रह पर विचार-विमर्श :—

(1) पुरानी रसीद बुकों को एकत्रित करने की कार्यवाही जारी है।

(2) चिकित्सालय प्रतापगढ़, बेंगू व निम्बाहेड़ा में एक्स-रे प्लेट विक्रय की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों से विवरण मांगे गए हैं।

(3) धन संग्रह हेतु विस्तृत योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।

6. गरीब व्यक्तियों को औषधियों का वितरण

स्वीकृति के अनुसार औषधियां वितरण करने की कार्यवाही जारी है।

7. रैफरल होस्पिटल, चित्तौड़गढ़ के निर्माण-कार्यों के क्रम में :-

(1) मैसर्स बिरला सीमेन्ट वर्क्स चित्तौड़गढ़ द्वारा अपूर्ण कार्य को काफी मात्रा में पूरा करा दिया गया है। थोड़ा कार्य बकाया चल रहा है। जिससे कि पत्र व्यवहार जारी है।

(2) कोटेज वार्ड के अपूर्ण कार्य को पूरा कराने हेतु रु. 2,000) की राशि अधिशासी अभियन्ता भवन एवं पथ निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 22-1-74 को भुगतान की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ है।

(3) सम्बन्धित पदाधिकारियों को कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

(4) निर्माण कार्य सम्पादन कराने हेतु नगर विकास प्रन्यास को निवेदन किया जा चुका है।

(8) अस्पताल चित्तौड़गढ़ में अहाते में समतल क्षेत्र करने व लॉन लगाने हेतु रु. 5,000) का भुगतान दिनांक 22-1-74 को किया जा चुका है।

(9) रु. 12,000) की धन राशि फिक्स डिपोजिट में दिनांक 11-1-74 को जमा कराई जा चुकी है।

जिला बांसवाड़ा

जिला विकास समिति, बांसवाड़ा की बैठक दिनांक 2-7-63 को हुई, जिसमें हायर सैकेन्डरी स्कूल एवं सिटी डिस्पेन्सरी के लिए 3 लाख रुपयों का चन्दा एकत्रित करने लक्ष्य कायम किया गया।

राज्य सरकार को फन्डस अॉपरेट करने हेतु विस्तृत नियम प्राप्त न होने से कार्यवाही रुकी हुई है।

176

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची)

बीकानेर जिले की रजत जयन्ती ग्रामों की सूची

पंचायत समिति	रजत जयन्ती ग्राम का नाम
1. नोखा	1. नाथूसर
	2. साईनीवालों
2. कोलायत	1. सुरजाड़ा
	2. खारी चरनान
3. बीकानेर	1. पेमासर
	2. गैरासर
4. लूणकरणसर	1. बरीरा
	2. पीपेरा

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूची)

क्रमांक नम्बर	नाम व्यक्ति जिनका अवैध अधिकार है	मुकदमा नम्बर	ग्राम का नाम	रकबा जिस पर अनाधिकार कब्जा	स्थिति अनाधिकार कब्जा	कब्जा कब से है	तहसील से होगी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुबान खां मुसलमान दोसा	1371	नागल हरतान	900 वर्ग गज	चक्की	मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के यह कब्जा मौके की स्थिति से 5-6 साल पूर्व का बतलाया जाता है	जांच मौके के लिये
2.	मदन पुत्र देवीलाल ब्राह्मण	1372	नागल राजावतान	140 वर्ग गज	दुकान		
3.	किस्तूरा रमेश पुत्र श्री मूलचन्द ब्राह्मण	1373	,,	300 वर्ग गज	,,	,,	
4.	चन्द्रा पुत्र छीतर कुमार	1374	,,	132 वर्ग गज	,,	,,	
5.	भौरया पुत्र रेवड़ कुमार	1375	,,	180 वर्ग गज	,,	,,	
6.	कजोड़, घीस्या	1376	,,	132 वर्ग गज	,,	,,	
7.	कल्याण, महादेव ब्राह्मण	1377	,,	63 वर्ग गज	,,	,,	
8.	छगनलाल पुत्र श्रवण महाजन	1378	,,	45 वर्ग गज	पुख्ता दुकान	,,	
9.	बंशीधर ब्राह्मण	1379	,,	63 वर्ग गज	दुकान	,,	
10.	धनपत पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण	1380	,,	135 वर्ग गज	दुकान मकान पुख्ता	,,	
11.	चमनलाल पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण	1381	,,	135 वर्ग गज	दुकान	,,	
12.	मदनलाल पुत्र गङ्गालाल कलाल	1382	,,	325 वर्ग गज	कच्चा व हुलिभर	,,	

177

Page No 178

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	रामअवतार, जगदीश पिसरान गोपाल ब्राह्मण	1383	नागल राजवतान	63 वर्ग गज	दुकान मकान	मुताबिक रिपोर्ट, पटवारी के यह कब्जा मौके की स्थिति से 5-6 साल पूर्व का बतलाया जाता है	
14.	किशोर, प्रभु व श्योया पुत्र मूलचन्द कुमार	1384	,, ,,	300 वर्ग गज	मकान ,,		
15.	रामेश्वर पुत्र रेवड़ कुमार	1385	,, ,,	400 वर्ग गज	मकान कच्चा	,, ,,	
16.	नाथू पुत्र परसादी जोगी	1386	,, ,,	400 वर्ग गज	,, ,,	,, ,,	
17.	कन्हैया पुत्र परसादी जोगी	1387	,,	300 वर्ग गज	,,	,,	
18.	मोतीलाल पुत्र भौरीलाल जोगी	1388	,, ,,	300 वर्ग गज	,, ,,	,, ,,	
19.	नारायण पुत्र छत्ता धोबी	1389		300 वर्ग गज	,,		
20.	गल्ला पुत्र अमरा [illegible]	1390		300 वर्ग गज			
21.	हरगोविन्दा पुत्र बल्लन ब्राह्मण सर	1391		300 वर्ग गज	मकान कच्चा, बाड़ा		
22.	रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल महाजन	1392	,,	150 वर्ग गज 13 वर्ग गज	मकान दुकान	,, ,,	
23.	बद्रीनारायण पुत्र मूलचन्द लखेरा	1393	,,	300 वर्ग गज	मकान दुकान	,,	
24.	श्रीमती बिमलादेवी बेवा किशन-सहाय भटनागर	1394		40 वर्ग गज	दुकान		
25.	श्री नारायण पुत्र हरिनारायण मीणा	1395	(70 वर्ग गज दुकानें)			,,	

26.	हजारीलाल पुत्र बंशीलाल सुनार	1396	,,	84 वर्ग गज	दुकान पुख्ता	,,
				600 वर्ग गज	चक्की	,,
27.	रामसहाय पुत्र ग्यारोलाल कोली	1397	,,	180 वर्ग गज	मकान	,,
28.	भौरीलाल पुत्र ग्यारसीलाल खाती	1398	,,	135 वर्ग गज	मकान व कच्चा	,,
29.	कन्हैयालाल, रणमल, मूलचन्द, पिसरान मोतीलाल कोली	1399	,,	495 वर्ग गज	,,	,,
30.	देवोलाल पुत्र बिरदा कोली	1400	,,	264 वर्ग गज	,,	,,
31.	रामचन्द, प्रताप, रामसहाय, भूंथा, सुवा, कन्हैया पिसरान सोहन कोली	1401	,,	729 वर्ग गज	,,	,,
32.	बुद्धा पुत्र मूलचन्द कोली	1402	,,	400 वर्ग गज	बाड़ा	,,
33.	नानगा पुत्र नाथू कोली	1403	,,	110 वर्ग गज	मकान कच्चा	,,
34.	भगवानसहाय पुत्र कालू कोली	1404	,,	110 वर्ग गज	,,	,,
35.	खुवा, भूरा पिसरान नाथू कोली	1405	,,	360 वर्ग गज	,,	,,
36.	भूरो पुत्र नाथू कोली	1406	,,	360 वर्ग गज	,,	,,
37.	गोरधन पुत्र नाथू कोली	1407	,,	225 वर्ग गज	बाड़ा	,,
38.	भगवानसहाय पुत्र लखमो कोली	1408	,,	225 वर्ग गज	मकान पुख्ता	,,
39.	रणमल पुत्र मोतीलाल कोली	1409	,,	180 वर्ग गज	मकान कच्चा घर	,,
40.	ईसर पुत्र जेना कोली	1410	,,	540 वर्ग गज	मकान	,,
41.	मंगल्या पुत्र भूरा कोली	1411		660 वर्ग गज	मकान	
42.	मोहक्या पुत्र नाथू कोली	1412	,,	240 वर्ग गज	मकान	,,

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची)

न्यायालय उप-जिलाधीश, हिन्डौन में 31-12-73 तक विचाराधीन राजस्व मामलों का ब्यौरा

क. सं.	किस्म मुकदमा	दो तीन वर्ष 1971 से 1973	तीन पांच वर्ष 1968 से 1970	पांच सात वर्ष 1965 से 1967	सात आठ वर्ष 1963 से 1964	आठ दस वर्ष 1960 से 1962	दस साल से अधिक 1959 या इससे पूर्व	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दावेजात	248	187	59	6	2	—	502	
2	प्रार्थना-पत्र	62	46	7	1	—	—	116	
	कुल योग:—	310	233	66	7	2	—	618	

Page No 181

(181)

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची)

न्यायालयवाईज राजस्व मुकदमात की स्थिति जो दिनांक 1-1-74 को विचाराधीन रहे

नाम न्यायालय		संदर्भित मुकदमात जो दिनांक 1-1-74 को विचाराधीन रहे
1.	कलेक्टर, जयपुर	222
2.	अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर	617
3.	परगना अधिकारी, जयपुर	349
4.	परगना अधिकारी, आमेर	375
5.	परगना अधिकारी, कोटपूतली	193
6.	परगना अधिकारी, दौसा	973
7.	परगना अधिकारी, सांभर	1179
8.	सहायक कलेक्टर, जिला	592
9.	सहायक कलेक्टर, नगर	199
10.	सहायक कलेक्टर, मोबाइल	196
11.	सहायक कलेक्टर, विराट नगर	328
12.	सहायक कलेक्टर, बांदीकुई	480
13.	तहसीलदार, जयपुर	772
14.	तहसीलदार, सांगानेर	783
15.	तहसीलदार, चाकसू	806
16.	तहसीलदार, बस्सी	1102
17.	तहसीलदार, आमेर	552
18.	तहसीलदार, जमवारामगढ़	756
19.	तहसीलदार, कोटपूतली	168
20.	तहसीलदार, विराट नगर	341
21.	तहसीलदार, दौसा	1868
22.	तहसीलदार, सिकराय	723
23.	तहसीलदार, लालसोट	604
24.	तहसीलदार, बसवा	1263
25.	तहसीलदार, फागी	1928
26.	तहसीलदार, दूदू	69
27.	तहसीलदार, साभंर	922
	योग....	18360

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 212 की सूची)

जिला कोटा के पशुओं की तहसीलवार सूची

नाम तहसील	भैंस वंश	गौ वंश	भेड़	बकरा-बकरी	घोड़े	खच्चर	गधे	ऊंट	शूकर	कुल पशु धन
लाड़पुरा	18726	70549	4206	25749	340	9	439	103	1414	121536
बारां	8682	45872	2139	16194	420	—	337	768	733	75145
रामगंज मंडी	13714	53340	2577	23190	237	—	302	1016	218	94594
छबड़ा	17525	55572	1180	17054	701	12	332	115	193	92684
पीपलदा	13579	62965	10171	45890	768	8	630	742	1231	135984
दीगोद	10947	51733	10151	28532	819	—	326	625	645	103788
सांगोद	13819	71938	5056	29018	596	5	198	105	1322	122057
अटरू	11034	54273	1876	18057	489	—	292	219	862	87102
छीपाबड़ौद	16853	64884	2023	24929	650	—	494	314	658	110805
किशनगंज	15153	69892	966	16089	288	9	90	228	376	103091
शाहबाद	17564	67636	313	9771	346	4	77	24	177	959.2
मांगरोल	6692	32895	2858	17806	543	—	512	87	731	62124
योग...	164288	701549	43527	272274	6197	47	4029	4346	8560	1204822

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
9	ऊपर से 13	एक बोलने	एक साथ बोलने
22	नीचे से 5,4	दो सौ बावन	....
119	ऊपर से 12	हिस्मत	हिम्मत
145	नीचे से 5	लोट	लौट
275	नीचे से 17	हांड़ा	हांडा